डाक पंजीयन क्र. MP/Bhopal/186/2021-2023
लाइसेंस क्र. WPP/Tech/23-04/08/2021-2023
आर.एन.आई. पंजीकरण संख्या 38506/84

रोज़गार और निर्माण

टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

[illegible] प्रकाशन, मंगलवार 30 नवम्बर 2021 से 06 दिसम्बर 2021 वर्ष-38 अंक-09 मूल्य ₹ 5.00

मध्यप्रदेश सरकार ओमिक्रॉन संक्रमण को रोकने के लिए संकल्पबद्ध - मुख्यमंत्री

कोरोना संक्रमण से निपटने के लिये कोविड केयर सेंटर भी रखें तैयार

भोपाल, मध्यप्रदेश के नागरिकों को कोविड के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन से सुरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। सिर्फ मध्यप्रदेश, बल्कि देश में इस वैरिएंट ने दस्तक दे दी। हर राज्य में ओमिक्रॉन से संक्रमित नागरिकों की संख्या सामने आ रही है। हम समय रहते सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, ताकि हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें। फेस मॉस्क के उपयोग, परस्पर दूरी जैसी सावधानियों का पूरा ध्यान रखा जाए। इस समय प्रदेश में विभिन्न शासकीय और निजी अस्पतालों में करीब 60 हजार बिस्तर क्षमता उपलब्ध है। कोविड केयर सेंटर भी तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के हमीदिया अस्पताल के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण करने के बाद कहीं।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार ओमिक्रॉन संक्रमण को रोकने के लिए संकल्पबद्ध है। श्री चौहान ने कहा कि उन्होंने राजधानी के सबसे बड़े अस्पताल के निरीक्षण के साथ ही पूरे प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य और उपचार सुविधाओं के लिए वे स्वयं निरंतर समीक्षा कर रहे हैं, यह क्रम आगे भी जारी रहेगा। ऑक्सीजन की आवश्यकता का आकलन कर आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। ऑक्सीजन के उपयोग का ऑडिट भी अब किया जाएगा, ताकि अनावश्यक ऑक्सीजन की खपत न हो। आम जनता के साथ मिलकर पूरी ताकत से ओमिक्रॉन वैरिएंट का मुकाबला किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल के हमीदिया अस्पताल के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण करते हुये।

वैरिएंट स्वरूप न बदले, हम सब रहें सजग

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सभी अस्पतालों में आवश्यक व्यवस्थाओं के निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं। पर्याप्त औषधियों की व्यवस्था के लिए भी कहा गया है। संक्रमण की स्थिति की प्रतिदिन समीक्षा की जा रही है। वैरिएंट के स्वरूप बदलने की आशंका को ध्यान में रखकर रोगी संख्या बढ़ने और उनके उपचार के लिए जरूरी व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए आवश्यक कार्य सम्पन्न किए जा रहे हैं। हम सभी को सजग बने रहना है।

हमीदिया अस्पताल में बढ़ रही हैं सुविधाएं

श्री चौहान ने अस्पताल के नवीन भवन में हाई डेफिशिएन्सी यूनिट का निरीक्षण किया। बच्चों की इस इकाई में 30 बिस्तर की व्यवस्था है। उन्होंने एस.एन.सी.यू. पीडियाट्रिक्स वार्ड और आई.सी.यू. वार्ड का भी निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने सामान्य वेड, ऑक्सीजन वेड, आई.सी.यू. वेड, आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता और उनके सही तरीके से कार्य करने के संबंध में जानकारी प्राप्त की।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का आह्वान किया कि वे एक बार फिर कर्तव्य निर्वहन के लिए तत्पर रहें। यह परीक्षा की घड़ी है, हम सभी को मिलकर जनता को संकट से बाहर सुरक्षित ढंग से निकालकर लाना है।

श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश वैक्सीनेशन के कार्य में गतिशील है। प्रदेश के करीब सवा पांच करोड़ लोगों को प्रथम और करीब पांच करोड़ लोगों को वैक्सीन का दूसरा डोज लग चुका है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाकर सभी के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित की है। अब 15 से 18 वर्ष के बच्चों और 60 वर्ष से अधिक आयु के रोगग्रस्त नागरिकों को टीका लगाने का कार्य प्रारंभ हो रहा है। प्रदेश के विद्यालयों में बच्चों के लिए टीकाकरण केंद्र संचालित होंगे। इसके लिए भी स्वास्थ्यकर्मियों को आवश्यक प्रशिक्षण देने का कार्य हुआ है। व्यवस्थाओं पर नजर रखते हुए हम सभी को सजग और सक्रिय रहना है। मुख्यमंत्री ने अस्पताल परिसर में निर्मित ऑक्सीजन संयंत्र का भी निरीक्षण किया।

मध्यप्रदेश में

पंचायतों का फिर से होगा परिसीमन

भोपाल, मध्यप्रदेश के राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल द्वारा मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2021 प्रख्यापित किया गया है। इस अध्यादेश के द्वारा मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 में एक नयी धारा 10 क जोड़ी गई है। इसके द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि यदि पंचायतों के कार्यकाल के समाप्ति के पूर्व किए गए पंचायतों अथवा उनके वार्डों अथवा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन अथवा विभाजन के प्रकाशन की तारीख से अठारह माह के भीतर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किसी भी कारण से निर्वाचन की अधिसूचना जारी नहीं की जाती है तो ऐसा परिसीमन अथवा विभाजन अठारह माह की अवधि की समाप्ति पर निरस्त समझा जाएगा। ऐसी स्थिति में इन पंचायतों और इनके वार्डों और निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन अथवा विभाजन नये सिरे से किया जाएगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना

मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों को लिखा पत्र

भोपाल, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के हितग्राहियों को आवास मिलने पर उनके नाम निजी पत्र लिखकर उन्हें बहुत-बहुत बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि मैं आशा व्यक्त करता हूं कि आप अपने नवीन आवास में हर्ष एवं आनंद के साथ निवास कर रहे होंगे। योजना में आपका चयन हुआ तथा आपके द्वारा आवास निर्माण पूर्ण किया गया, इसके लिये आपको बधाई। आपके और आपके परिवार के लिये समृद्धि की कामना करते हुए हार्दिक शुभकामनाएं। श्री चौहान ने कहा है कि आवास प्रत्येक परिवार की मूलभूत आवश्यकता है।

खास खबर

जीएसटी काउंसिल

टेक्सटाइल पर जीएसटी बारह प्रतिशत करने का प्रस्ताव स्थगित

नई दिल्ली, केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में नई दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 46वीं बैठक हुई। मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा सहित अन्य प्रान्तों के वित्त मंत्री भी मौजूद रहे। बैठक में टेक्सटाइल की दरों को लेकर गत बैठक में हुए निर्णय को स्थगित करने की अनुशंसा की गई।

वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि प्रदेश के टेक्सटाइल्स पदाधिकारियों ने हाल ही में उनसे सम्पर्क कर प्रस्तावित 12 प्रतिशत जीएसटी को यथावत 5 प्रतिशत किये जाने का आग्रह किया था।

अंदर के पृष्ठों पर

- **खेल चर्चा-** प्रमुख खेल गतिविधियों का विवरण
- **सामयिकी-** देश-विदेश की प्रमुख घटनाएं
- **चर्चा में-** प्रमुख चर्चित व्यक्तियों और ध्यान आकर्षित करने वाली खबरों की चर्चा
- **पिछला सप्ताह-** देश-विदेश की साप्ताहिक खबरों का संक्षिप्त विवरण

इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन राष्ट्रीय अधिवेशन

बजट के निर्धारण में आधार बनेंगे अर्थशास्त्रियों के शोध निष्कर्ष

भोपाल, मध्यप्रदेश के आगामी बजट के निर्धारण में आर्थिक क्षेत्र के विद्वानों और प्रमुख अर्थशास्त्रियों के शोध निष्कर्षों को आधार बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्प की पूर्ति में मध्यप्रदेश अधिकाधिक योगदान देगा। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित प्रशासन अकादमी में इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के राष्ट्रीय अधिवेशन के इकोनॉमी ऑफ मध्यप्रदेश सत्र को संबोधित करते हुये कहीं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि संगोष्ठी के प्रतिभागियों से प्राप्त सुझावों का मध्यप्रदेश सरकार सार्थक उपयोग करेगी। श्री चौहान ने कहा कि सभी व्यक्ति विभिन्न विषय के विशेषज्ञ नहीं हो सकते। प्रधानमंत्री स्वयं विभिन्न विषय पर फीडबैक प्राप्त करते हैं। प्राचीन काल में दरबारों में नवरत्न हुआ करते थे। लेकिन वर्तमान व्यवस्था में विषय-विशेषज्ञ सरकार के लिए रत्नों से कम नहीं हैं। उन्होंने कहा कि संगोष्ठी में पधारे 140 अर्थशास्त्री मध्यप्रदेश सरकार के लिए नवरत्न के समान हैं। इनकी प्रतिभा का उपयोग मध्यप्रदेश के लिए किया जाएगा। ऐसी ही संगोष्ठी आगामी वर्ष पुनः होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनवरी माह में विभागवार बैठकें प्रारंभ की जा रही हैं, जिसमें विभागों की योजनाओं और राशि के प्रावधान पर विस्तार से विचार-विमर्श होगा। प्रशासनिक अधिकारी भी बजट तैयार करने के कार्यों में सक्रिय रहते हैं, लेकिन अर्थशास्त्रियों के सुझावों को प्राथमिकता देते हुए प्रदेश के बजट का निर्धारण होगा। जिन सुझावों पर तत्काल अमल संभव नहीं, उन पर दीर्घकालिक योजना में अमल किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने जनता के कल्याण की प्राथमिकताओं का निर्धारण कर लिया है। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का रोडमैप गत वर्ष ही बना लिया गया था। मध्यप्रदेश को सिर्फ भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे अच्छा प्रांत बनाने का संकल्प है। श्री चौहान ने कहा कि एक समय था, जब मध्यप्रदेश के नागरिक सिंचाई, बिजली, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित थे। आज हम कृषि उत्पादन बढ़ाने के बाद कृषि विविधीकरण की ओर कदम बढ़ा पाए हैं। सीएम राईज स्कूल के माध्यम से विद्यार्थियों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। लाड़ली लक्ष्मी जैसी योजनाओं से लिंगानुपात 914 से बढ़कर 956 तक पहुंच गया है।

एक वर्ष में बैकलॉग के रिक्त पदों की होगी भर्ती - मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर में एकलव्य विद्यार्थी सम्मेलन में जनजातीय विद्यार्थियों के साथ।

इंदौर, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एक वर्ष में प्रदेश में बैकलॉग के रिक्त पदों की भर्ती की जाएगी। भर्ती के लिए शासन एक विशेष अभियान चला रहा है। इसमें विशेष प्रशिक्षण देकर भर्तियां होंगी। साथ ही इंदौर में अलग-अलग केंद्र बनाकर विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि आपकी समस्याओं का समाधान आपके साथ मिल कर किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर, भोपाल और जबलपुर जैसे शहरों में रहकर पढ़ने वाले जनजातीय समुदाय के विद्यार्थियों को होने वाली परेशानियों और समस्याओं को दूर कर बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने एकलव्य विद्यार्थी सम्मेलन में बनाए गए पंजीयन केंद्रों का अवलोकन किया। उन्होंने विद्यार्थियों द्वारा भरे गए पंजीयन फार्म में उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान विद्यार्थियों के बीच पहुंचे और उनका अभिवादन किया।

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

25 दिसम्बर

'वेस्ट टू वेल्थ' अवधारणा पर बनाए गए 'भारत दर्शन पार्क' का उद्घाटन

● केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने दिल्ली में 'वेस्ट टू वेल्थ' अवधारणा पर बनाए गए 'भारत दर्शन पार्क' का उद्घाटन किया। दक्षिण दिल्ली नगर निगम द्वारा राजधानी के पंजाबी बाग में निर्मित इस पार्क पर लगभग 20 करोड़ रुपये की लागत आई है। पार्क में विभिन्न राज्यों की 21 प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें तथा एक बरगद के पेड़ का प्रतिरूप लोहे के खराब समान, बिजली के खम्बे, पुरानी कारों, ट्रकों, पार्कों की ग्रिल, ऑटोमोबाइल पार्ट्स और पाईप इत्यादि से बनाया गया है। इन कलाकृतियों को 8 कलाकारों, 22 सहायक कलाकारों तथा लगभग 150 कारीगरों ने मिलकर, कोरोना काल में लगभग 22 महीने में तैयार किया है। इस अवसर पर अपने संबोधन में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आज 25 दिसंबर के दिन इस भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन हो रहा है और ये कॉन्सेप्ट अपने आप में मूर्त स्वरूप ले रहा है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 25 दिसंबर दो (भारत रत्न से सुशोभित स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी और स्वर्गीय श्री मदन मोहन मालवीय) ऐसे महापुरुषों का जन्मदिन है, जिन्होंने भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

● शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत पीएम-युवा मेंटरशिप योजना के तहत 'भारत का राष्ट्रीय आंदोलन' विषय पर आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगिता के परिणामों की घोषणा की गई। इस योजना के अनुसार, इस प्रतियोगिता के माध्यम से 30 वर्ष से कम आयु के युवा लेखकों के लिए लाई गई छात्रवृत्ति-सह-मेंटरशिप योजना के लिए 75 लेखकों का चयन किया जाना था। चयनित 75 लेखकों में से 38 पुरुष और 37 महिलाएं हैं। इनमें दो 15 वर्ष से कम आयु के हैं, जबकि 16 लेखक 15-20 वर्ष के आयु वर्ग के हैं, 32 युवा लेखक 21-25 वर्ष के आयु वर्ग के हैं और 25 लेखक 26-30 वर्ष के आयु वर्ग के हैं। चयनित लेखकों को छह महीने की मेंटरशिप कार्यक्रम से गुजरना होगा, जिसमें उन्हें उनके पुस्तक प्रस्तावों को पूर्ण रूप से पुस्तक में तब्दील करने के लिए प्रख्यात लेखकों और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत की संपादकीय टीम के मार्गदर्शन में अनुसंधान और संपादकीय सहायता प्रदान की जाएगी ताकि आजादी का अमृत महोत्सव पहल के तहत न्यास उनकी पुस्तकों को प्रकाशित कर सके। उनकी प्रकाशित पुस्तकों का बाद में अन्य भारतीय भाषाओं में भी अनुवाद किया जाएगा। मेंटरशिप के दौरान, चयनित लेखकों को छह महीने की अवधि के लिए प्रति माह 50 हजार रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी। इसके अलावा, लेखकों को उनकी पुस्तकों के सफल प्रकाशन पर 10 प्रतिशत की रॉयल्टी भी मिलेगी।

26 दिसम्बर

रक्षा मंत्री ने परीक्षण केंद्र तथा ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र की रखी आधारशिला

● रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रक्षा अनुसंधान एवं

विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा स्थापित रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र तथा ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र की आधारशिला रखी। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (यूपी डीआईसी) में रक्षा और एयरोस्पेस विनिर्माण कलस्टरों के विकास में तेजी लाने के लिए लगभग 22 एकड़ में फैले अपनी तरह के पहले रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र (डीटीटीसी) की स्थापना की जा रही है। ब्रह्मोस एयरोस्पेस द्वारा घोषित ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र, यूपी डीआईसी के लखनऊ नोड में एक अत्याधुनिक फैसिलिटी है। यह 200 एकड़ से अधिक क्षेत्र को कवर करेगी और नए ब्रह्मोस-एनजी (अगली पीढ़ी) संस्करण का उत्पादन करेगी, जो ब्रह्मोस हथियार प्रणाली को आगे बढ़ाएगी। यह नया केंद्र अगले दो से तीन वर्षों में तैयार हो जाएगा और प्रति वर्ष 80-100 ब्रह्मोस-एनजी मिसाइलों की दर से उत्पादन शुरू करेगा। डीआरडीओ और ब्रह्मोस एयरोस्पेस के वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों को बधाई देते हुए, श्री राजनाथ सिंह ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों इकाइयां राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा उत्पादन के साथ-साथ उत्तरप्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

● अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के साथ जारी तनाव के बीच वर्ष 2022 के लिये 768.2 अरब डॉलर (लगभग 58 लाख करोड़ रुपये) के रक्षा बजट की मंजूरी दी है। बजट में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अभियान चलाने के लिये 7.1 अरब डॉलर (लगभग 53 हजार करोड़ रुपये) का प्रावधान है। इस क्षेत्र में चीन और ताइवान के बीच युद्ध के हालात हैं। चीन के खिलाफ अमेरिका लगातार ताइवान का पक्ष ले रहा है। अमेरिका ने कहा कि चीन की नीति विस्तारवादी है, जिसका हम विरोध करते हैं।

27 दिसम्बर

ब्राजील में भारी बाढ़ 15 से ज्यादा हुई मौतें

● ब्राजील में आई भारी बाढ़ से 18 लोगों की मौत हो गई और 280 से अधिक घायल हुए हैं। सीएनएन ने गवर्नर रुई कोस्टा के हवाले से बताया कि बाढ़ से बाहिया प्रांत के करीब 40 शहर प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा, 'यह एक बड़ी त्रासदी है। मुझे बाहिया के हाल के इतिहास में ऐसा कुछ भी देखा हो याद नहीं है। शहरों और घरों की बाढ़ का पानी भरा हुआ देखा गया। वास्तव में यह भयानक है, बहुत सारे घर और सड़कें पानी में डूबी हुई हैं।' बाहिया की नागरिक सुरक्षा और सुरक्षा एजेंसी के अनुसार बाढ़ के कारण 35 हजार से अधिक लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। इस बीच, इटांबे शहर में शनिवार देर शाम भारी बारिश के कारण बांध टूट गया। ब्राजील के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संस्थान ने करीब पूरे बाहिया प्रांत में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालांकि आने वाले दिनों में स्थिति में सुधार होने के आसार हैं।

● चीन और पाकिस्तान से लगती सीमाओं तक भारतीय सैनिकों की पहुंच आसान

Border Roads Organization

बनाने के लिये सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने 24 पुल और तीन सड़कों का निर्माण किया है। इन पुलों और सड़कों का निर्माण चार राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी गई है। इन पुलों और सड़कों के निर्माण का उद्देश्य किसी सुरक्षा चुनौती की स्थिति में भारत की तैयारियों को मजबूत करना है। इन परियोजनाओं में देश का पहला स्वदेशी तरीके का डबल लेन मॉड्यूलर पुल भी शामिल है। यह पुल 11 हजार फीट की ऊंचाई पर फ्लैग हिल-डोकला रोड पर स्थित है। इस रास्ते के जरिये भारतीय सैनिक कम समय में डोकला और डोकलाम पहुंच सकते हैं।

28 दिसम्बर

क्लैट परीक्षा के लिये एक जनवरी से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया

● नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के कंसोर्टियम ने वर्ष 2022 के लिये कॉमन लॉ एडमिशन

टेस्ट (क्लैट) की तारीखों की घोषणा कर दी है। क्लैट-2022 परीक्षा का आयोजन 8 मई को किया जायेगा। इस परीक्षा के लिये ऑनलाइन आवेदन एक जनवरी 2022 से शुरू होगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 31 मार्च तक चलेगी। क्लैट परीक्षा स्नातक (यूजी) और स्नातकोत्तर (पीजी) दोनों कार्यक्रमों के लिये आयोजित की जाती है। क्लैट यूजी पाठ्यक्रम पांच वर्षीय है, इसके लिये कक्षा बारहवीं में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक जरूरी होते हैं, वहीं क्लैट पीजी एक वर्षीय एलएलएम डिग्री पाठ्यक्रम है। इसके लिये शैक्षिक योग्यता एलएलबी में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक हैं।

● चीन मामलों के विशेषज्ञ विक्रम मिस्री को देश का उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। मिस्री भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) के 1989 बैच के अधिकारी हैं। वे पंकज सरन का स्थान लेंगे। मिस्री इससे पहले लगभग तीन वर्षों तक चीन में भारत के राजदूत रह चुके हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के अधिकारियों ने बताया कि विक्रम मिस्री विदेश मंत्रालय के साथ-साथ प्रधानमंत्री कार्यालय में विभिन्न पदों पर कार्य कर चुके हैं। विक्रम की जगह प्रदीप कुमार रावत को चीन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अभी देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं। इनके अलावा राजिंदर खन्ना और दत्तात्रेय पंडसालगिकर उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में पहले से कार्यरत हैं।

29 दिसम्बर

कोवोवैक्स और कोर्बेवैक्स के आपातकालीन इस्तेमाल को मिली मंजूरी

● कोरोना महामारी के नये वैरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुये देश में दो नई वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोवोवैक्स और बायोलॉजिकल ई-कंपनी की कोर्बेवैक्स वैक्सीन को शर्तों के साथ आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति प्रदान की है। इसके अलावा कोरोना की एंटी वायरल दवा मोलनुपिराविर के उपयोग की अनुमति भी दी है। सीरम इंस्टीट्यूट ने कोवोवैक्स वैक्सीन को बच्चों के लिये तैयार किया है। इस वैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) से पहले ही आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने बताया कि देश में अब तक आठ कोरोना रोधी वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है। इनमें कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पूतनिक-वी, जायकोव-डी, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, कोवोवैक्स और कोर्बेवैक्स शामिल हैं।

● आयकर विभाग ने करदाताओं को बड़ी राहत देते हुये आयकर रिटर्न के सत्यापन की समय-सीमा को आगे बढ़ा दिया है। अब जिन करदाताओं ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये अपने आयकर रिटर्न का ई-सत्यापन नहीं किया है, वे अब 28 फरवरी 2022 तक सत्यापन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बताया कि आयकर रिटर्न दाखिल करने के 120 दिनों के अंदर सत्यापन करना जरूरी है। यदि सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, तो यह माना जाता है कि रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है। सत्यापन की प्रक्रिया को मैनुअल या ऑनलाइन कराया जा सकता है।

30 दिसम्बर

रक्षा मंत्रालय ने 351 उपकरणों के आयात पर लगाया प्रतिबंध

● रक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुये 351 रक्षा उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन उपकरणों में कई उप प्रणालियां और रक्षा उत्पादन घटक शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार अगले साल दिसम्बर से शुरू होने वाली विभिन्न समय-सीमा के तहत इन उपकरणों के आयात की अनुमति नहीं होगी। मंत्रालय के अनुसार यह कदम भारत को सैन्य प्लेटफॉर्म और उपकरणों के उत्पादन का केंद्र बनाने के लक्ष्य के तहत उठाया गया है। अगले तीन वर्षों में अभी तक आयात की जाने वाली इन 351 रक्षा उपकरणों का स्वदेशीकरण किया जायेगा। इसके साथ ही मंत्रालय ने 2500 वस्तुओं की एक सूची भी जारी की है, जिनका पहले ही स्वदेशीकरण किया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि रक्षा मंत्रालय द्वारा पिछले 16 महीनों में यह तीसरी सूची है, जिसमें रक्षा उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है।

● नई पेंशन योजना (एनपीएस) में निवेश करने वाले ग्राहक अब एक वित्तीय वर्ष में

निवेश प्रतिरूप (पैटर्न) में चार बार बदलाव कर सकेंगे। पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के चेयरमैन सुप्रतिम बंधोपाध्याय ने कहा कि अभी एनपीएस में निवेश करने वाले ग्राहकों को निवेश पैटर्न में सिर्फ दो बार ही बदलाव करने की अनुमति है। इस सीमा को बढ़ाए जाने की लंबे समय से मांग की जा रही थी। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही इसे बढ़ाकर चार करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पेंशन कोष तैयार करने के लिये एनपीएस एक दीर्घकालीन निवेश है। इसे म्युचुअल फंड योजना की तरह नहीं देखा जाना चाहिये।

● भारत के अत्याधुनिक लड़ाकू विमान राफेल से घबराया पाकिस्तान चीन से 25 मल्टीरोल जे-10सी लड़ाकू विमान का एक पूरा स्क्वाड्रन खरीदने जा रहा है। पाकिस्तान के गृह मंत्री श्री शेख राशिद ने बताया कि 23 मार्च, 2022 को इस स्क्वाड्रन की फ्लाई पास्ट सेरेमनी होगी। राशिद ने दावा किया कि ये फाइटर जेट भारत के लड़ाकू विमान राफेल का जवाब होंगे। हालांकि रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार चीन के जे-10सी लड़ाकू विमान राफेल के सामने दोयम दर्जे के हैं। राफेल की एयरोडायनिक बनावट, बेहतरीन सेंसर्स और मारक क्षमता जे-10सी से कहीं ज्यादा है।

31 दिसम्बर

भारतीय रिज़र्व बैंक ने केवाईसी अपडेट की समय-सीमा में की वृद्धि

● भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों में केवाईसी (ग्राहक को जानें) अपडेट

करने की समय-सीमा में तीन महीने की वृद्धि करते हुये इसे 31 मार्च 2022 कर दिया है। पहले यह समय-सीमा 31 दिसम्बर, 2021 थी। आरबीआई ने कहा कि कोरोना महामारी के ओमिक्रॉन वैरिएंट के चलते फैली अनिश्चितता को देखते हुये केवाईसी अपडेट की समय-सीमा बढ़ाई जा रही है। आरबीआई ने कहा कि जो ग्राहक बैंक जाने में सक्षम नहीं है, वे ई-मेल या पोस्ट के जरिये डाक्यूमेंट भेजकर भी केवाईसी अपडेट करा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि केवाईसी के तहत ग्राहकों को अपनी पहचान और पते का प्रमाण देना होता है। ज्यादा जोखिम वाले खाता धारकों को प्रत्येक दो वर्ष में तथा कम जोखिम वाले खाता धारकों को प्रत्येक दो वर्ष में केवाईसी जमा करवानी पड़ती है।

● केंद्र सरकार ने कारोबारियों को राहत देते हुये वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये जीएसटी वार्षिक रिटर्न जमा करने की समय-सीमा बढ़ा दी है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये जीएसटीआर-9 और 9 सी दाखिल करने की नियत तिथि 31 दिसम्बर, 2021 से बढ़ाकर 28 फरवरी, 2022 कर दी गई है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने ट्वीट के जरिये समय-सीमा बढ़ाये जाने की घोषणा की। उल्लेखनीय है कि जीएसटीआर-9 जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड करदाताओं द्वारा वार्षिक रूप से जमा किया जाने वाला वार्षिक रिटर्न है। इसमें अलग-अलग कर शीर्षों (टैक्स हेड) के तहत की गई जावक या आवक के विवरण शामिल हैं।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित फोटो : गूगल से साभार)

वर्ष 39, अंक 01 03.01.2022 से 09.01.2022

रोज़गार और निर्माण

www rojgaraurnirman.in

● प्रबंध संचालक - राघवेन्द्र कुमार सिंह
● सम्पादक - पुष्पेन्द्र पाल सिंह
● कार्यकारी सम्पादक - राजीव तिवारी
● प्रभारी अधिकारी - नरेन्द्र कुमार बनवट (प्रसार एवं विज्ञापन)
● प्रबंधक - वंदना चतुर्वेदी (विज्ञापन एवं प्रसार)
● आकल्पन - हेमंत वायंगणकर, आशा रोमन, अरविन्द टोप्पो, सुशील लांडगे
● वेबसाइट - आत्माराम शर्मा

वार्षिक सदस्य बनने के लिये रुपये 500/- (पाँच सौ) का डी.डी., मनीऑर्डर अथवा पोस्टल ऑर्डर रोज़गार और निर्माण, भोपाल के नाम बनवाकर नीचे लिखे पते पर भेजें :-

रोज़गार और निर्माण, मध्यप्रदेश माध्यम, 40 प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) पिन-462011

फोन- 2760006, 2551330, 4281330, फैक्स - 4228409, **e-mail : madhyam.rojgar@gmail.com**

रोज़गार और निर्माण कार्यालय में नगद राशि जमा कर भी इसकी वार्षिक सदस्यता प्राप्त की जा सकती है। रोज़गार और निर्माण में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि सम्पादक उससे सहमत हों। किसी भी प्रकार के विवाद के लिये न्यायालयीन अधिकार क्षेत्र भोपाल रहेगा। रोज़गार और निर्माण में निजी संस्थाओं के विज्ञापन भी प्रकाशित किये जाते हैं, इन विज्ञापनों में किए गए दावे और तथ्य निजी संस्थाओं के अपने होते हैं। इसका समाचार पत्र के प्रबंधन से कोई संबंध नहीं है।

सम्पादकीय

कोरोना नियंत्रण और वैक्सीनेशन कार्य की समीक्षा

विश्व में एक बार फिर कोरोना महामारी अपने पैर पसार रही है। भारत में भी कोरोना के नये प्रकरण बढ़ने लगे हैं। प्रदेश में कोविड नियंत्रण के लिये सरकार द्वारा सभी संभव उपाय किये जा रहे हैं। इस संबंध में हाल ही में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना नियंत्रण और वैक्सीनेशन कार्य की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने निर्देश दिये कि वर्तमान में संक्रमण के जो प्रकरण सामने आ रहे हैं, उन रोगियों के आइसोलेशन और उपचार के समुचित प्रबंध किये जायें। जल्द से जल्द संक्रमित व्यक्तियों को स्वस्थ करने पर फोकस किया जाये। फेस मास्क के उपयोग और रोको-टोको अभियान को निरंतर जारी रखा जाये। ऐसे प्रयास हों कि कहीं अधिक भीड़ की स्थिति निर्मित न हो। विवाह एवं अन्य समारोह में व्यक्तियों के बीच परस्पर दूरी का अवश्य ध्यान रखा जाये। सभी आवश्यक सावधानियों के साथ आर्थिक गतिविधियों के सुचारू संचालन का कार्य हो। प्रदेश में तीन जनवरी से 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों का टीकाकरण शुरू हो रहा है। प्रदेश में नाइट कर्फ्यू के अलावा अन्य कोई बंदिशें नहीं रहेंगी। सामाजिक गतिविधियां, संक्रमण से बचाव के आवश्यक उपायों के साथ संचालित होंगी। प्रत्येक व्यक्ति शंका होने पर कोरोना जांच अवश्य करवायें। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यालयों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ विद्यार्थियों की उपस्थिति की व्यवस्था जारी रहे। अभी स्थिति भले ही गंभीर नहीं हो, लेकिन सभी जरूरी एहतियात बरते जाने चाहिये। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के लिये टीकाकरण की घोषणा के पश्चात मध्यप्रदेश में प्रारंभ तैयारियों की समीक्षा भी की। मुख्यमंत्री ने देश में सर्वश्रेष्ठ वैक्सीनेशन कार्य के लिये मध्यप्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को बधाई भी दी है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में ओमिक्रॉन वैरिएंट के संबंध में विस्तार से जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग पर अवश्य निगाह रखी जाये। मध्यप्रदेश में प्रथम डोज 84.70 प्रतिशत और द्वितीय डोज 90.2 प्रतिशत पात्र व्यक्तियों को लग चुका है। प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक आयु के पात्र 10 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को वैक्सीन के डोज लगाये जा चुके हैं। मध्यप्रदेश वैक्सीनेशन कार्य में सभी प्रांतों में सबसे आगे है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की अव्वल स्थिति के लिये प्रसन्नता व्यक्त करते हुये अपेक्षा की कि जल्द ही सभी जिलों में वैक्सीनेशन की शत-प्रतिशत उपलब्धि हासिल की जाये। वैक्सीनेशन कार्य की प्रगति अच्छी है। समीक्षा बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश का आगर मालवा जिला वैक्सीन के शत-प्रतिशत दोनों डोज लगवाने वाले जिले के रूप में उभर कर आया है। बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में ऐसे हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 वर्ष से अधिक आयु के विभिन्न व्याधियों से ग्रस्त नागरिकों, जिन्हें वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं, को प्री-कॉशन डोज लगाया जाना है। 60 वर्ष से अधिक आयु के समस्याग्रस्त व्यक्तियों को चिकित्सक के प्रमाण-पत्र के बिना भी स्वैच्छिक वैक्सीनेशन का लाभ दिया जायेगा। प्रदेश में 10 जनवरी से प्री-कॉशन डोज लगाने के संबंध में भारत सरकार से निर्देश प्राप्त हुये हैं। एक अनुमान के अनुसार मध्यप्रदेश में टीकाकरण के लिये 15 से 18 वर्ष आयु समूह के करीब अड़तालिस लाख लाभार्थी होंगे। बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में इस आयु वर्ग के किशोरों के लिये कोविन एप/कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होगा। इनका तीन जनवरी से टीकाकरण किया जायेगा। किशोरों को कोवैक्सीन लगाई जायेगी। अपॉइंटमेंट ऑनलाइन पर ऑनसाइट (वाक-इन) भी बुक किया जा सकता है। ऐसे लाभार्थियों को सत्यापनकर्ता/वैक्सीनेटर द्वारा ऑनसाइट भी पंजीकृत किया जा सकता है।

ब्रेन ट्यूमर के इलाज में नई खोज

ब्रेन ट्यूमर एक ऐसी बीमारी है, जिसका नाम सुनते ही व्यक्ति चिंता में पड़ जाता है, क्योंकि यह गंभीर बीमारी है। इस बीमारी के विषय में मेडिकल साइंस में निरंतर शोध हो रहे हैं। अस्थमा के मरीजों में ब्रेन ट्यूमर का खतरा कम क्यों होता है। अमेरिका स्थित वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने अपने हालिया अध्ययन में इस गुत्थी को सुलझाने का दावा किया है। यह खोज अस्थमा और ब्रेन ट्यूमर का बेहतर इलाज खोजने में मददगार साबित हो सकती है। अस्थमा और ब्रेन ट्यूमर के बीच संबंध के संकेत 15 साल पहले एक वैश्विक महामारी को लेकर हुये अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में मिले थे। इसके बाद 2015 में प्रकाशित एक शोध में ब्रेन ट्यूमर के प्रति जेनेटिक रूप से संवेदनशील बच्चों में अस्थमा के मामलों में आम आबादी जितने नहीं मिलने का दावा किया गया। हालांकि शोधकर्ताओं ने जब बच्चों में ब्रेन ट्यूमर पनपने का खतरा आंका तो इसके पीछे ऑप्टिव नर्व और प्रतिरोधक कोशिकाओं के बीच टी सेल और माइक्रोग्लियर जैसी प्रतिरोधक कोशिकाओं के बीच होने वाली क्रिया का हाथ मिला। चूंकि अस्थमा भी टी सेल की अति सक्रियता से होने वाला श्वांस रोग है, लिहाजा यह माना गया कि इसका ब्रेन ट्यूमर के खतरे से सीधा संबंध हो सकता है। डेविड गटमैन और उसके साथियों ने चूहों का अध्ययन किया। उन्होंने चूहों की जेनेटिक संरचना में कुछ बदलाव किये। इसके बाद चूहों को अस्थमा के जीवाणुओं के संपर्क में लाया, जिससे उनमें श्वांस संबंधी जटिलताएं पैदा हो सकें। चार से छह हफ्ते बाद चूहों में ब्रेन ट्यूमर का विकास देखने को नहीं मिला। इसकी वजह टी कोशिकाओं में 'डेकोरीन' नाम के प्रोटीन का ज्यादा मात्रा में पैदा होना था। अस्थमा की एक बड़ी वजह ही सेल में 'डेकोरीन' का अधिक उत्पादन है। यह प्रोटीन फेफड़ों की सेहत के लिये ठीक न हो पर मस्तिष्क में ट्यूमर के खतरे में कमी लाने में इसकी अहम भूमिका पाई गई है।

- देवेश तिवारी

(लेखक, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर लिखते हैं)

भारतीय प्रवासी दिवस | 9 जनवरी

प्रवासी भारतीय इस दिन ज्यादा गहराई के साथ देश से जुड़ते हैं

भारत सरकार का विदेश मंत्रालय आयोजक देश के सहयोग से (और यदि भारत में उसका आयोजन हो रहा हो तो सम्बन्धित राज्य सरकार के सहयोग से) प्रतिवर्ष 9 जनवरी के दिन 'प्रवासी भारतीय दिवस' का आयोजन करता है। महात्मा गांधी इसी दिन सन् 1915 में दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापस आए थे। प्रवासी भारतीयों के आधिकारों की दक्षिण अफ्रीका में और बाद में भारत आने पर भी गांधीजी ने जो निर्णायक लड़ाई लड़ी थी उनके उस अवदान के परिप्रेक्ष्य में ही उनके स्वदेश आगमन की तिथि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का निश्चय किया गया था। प्रवासी भारतीयों को देश से जोड़ने का मकसद लेकर दिल्ली में 9 से 11 जनवरी, 2003 तक पहले 'प्रवासी भारतीय दिवस' का आयोजन हुआ था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इस अवसर पर प्रायः तीन दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसमें अपने क्षेत्र में विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले भारतवंशियों का सम्मान किया जाता है। साथ ही उन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान किया जाता है। अपनी मेधा और परिश्रम के बूते कुछ भारतीय प्रवासियों ने विदेशों में उच्च पद भी प्राप्त किये। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एण्टोनिया डी'कोस्टा किसी अन्य राष्ट्र में सर्वोच्च पद पर चुने जाने वाले प्रवासी भारतीय हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पिछले आम चुनाव में उप राष्ट्रपति चुनी गई कमला हैरिस भी भारतीय मूल की हैं।

यह दिन प्रवासी भारतीयों के साथ सकारात्मक चर्चा का माध्यम है

विभिन्न देशों के प्रवासी जो विश्वभर में फैले हुए हैं, उनमें भारतीयों की संख्या सबसे अधिक है। संयुक्त राष्ट्र ने प्रवासी भारतीयों को सर्वाधिक विविधता और जीवंतता वाले समुदायों में से एक माना है। यूएन के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग में जनसंख्या प्रभाग की अंतर्राष्ट्रीय प्रवास-2020 रिपोर्ट के मुताबिक लगभग एक करोड़ (1.8 करोड़) भारतीय अपने जन्म स्थान से दूर दूसरे देशों में रह रहे हैं। विदेशों में रहने वाले भारतीयों में सबसे अधिक पैंतीस लाख यूएई में रहते हैं जबकि सत्ताईस लाख भारतीय अमेरिका में और पच्चीस लाख सऊदी अरब में रहते हैं। इनके अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कुवैत, ओमान, पाकिस्तान, कतर और ब्रिटेन में भी भारतीय प्रवासियों की बड़ी संख्या है। इस दिवस को मनाने का आशय अप्रवासी भारतीयों की भारत के प्रति सोच, भावना की सार्थक अभिव्यक्ति हो और देशवासियों के साथ सकारात्मक चर्चा के लिए एक माध्यम उपलब्ध कराना है, जिससे विश्व के सभी देशों में अप्रवासी भारतीयों का नेटवर्क बने तथा युवा पीढ़ी को अप्रवासियों से जोड़ा जाये और विदेशों में रह रहे भारतीय श्रमजीवियों के जीवन में आने वाली कठिनाईयां सुनने तथा उन्हें दूर करने का प्रयत्न हो। भारत के प्रति अनिवासियों को आकर्षित करना और निवेश के अवसर को बढ़ाना भी इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है।

प्रवासी भारतीयों का विश्व के कई देशों में महती योगदान रहा है

प्रवासी भारतीय वे लोग हैं, जो भारत छोड़कर विश्व के दूसरे देशों में जा बसे हैं। ये दुनिया के अनेक देशों में फैले हुए हैं। लगभग अड़तालिस देशों में रह रहे प्रवासियों की संख्या करीब एक करोड़ अस्सी लाख है। इनमें से ग्यारह देशों में पांच लाख से ज्यादा प्रवासी भारतीय वहां की औसत जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं और वहां की आर्थिक व राजनीतिक दशा व दिशा को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहां उनकी आर्थिक, शैक्षणिक व व्यावसायिक दक्षता का आधार काफी मजबूत है। वे विभिन्न देशों में रहते हैं, अलग भाषा बोलते हैं परंतु वहां के विभिन्न क्रियाकलापों में अपनी महती भूमिका निभाते हैं। प्रवासी भारतीयों को अपनी सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण्ण बनाए रखने के कारण ही उन्हें साझा पहचान मिली है और यही कारण है कि उन्हें भारत से गहरा जुड़ाव है। जहां-जहां प्रवासी भारतीय बसे वहां उन्होंने आर्थिक तंत्र को मजबूती प्रदान की और बहुत कम समय में अपना स्थान बना लिया। वे मजदूर, व्यापारी, शिक्षक, डॉक्टर, अनुसंधानकर्ता, खोजकर्ता, वकील, इंजीनियर, प्रबंधक, प्रशासक आदि के रूप में दुनियाभर में स्वीकार किए गए। प्रवासियों की सफलता का श्रेय उनकी परम्परागत सोच, सांस्कृतिक मूल्यों और शैक्षणिक योग्यता को दिया जा सकता है। कई देशों में वहां के मूल निवासियों की अपेक्षा भारतवंशियों की प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है। वैश्विक स्तर पर सूचना तकनीक के क्षेत्र में क्रांति में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसके कारण भारत की विदेशों में छवि निखरी है। प्रवासी भारतीयों की सफलता के कारण भी आज भारत आर्थिक विश्व में आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। डॉ एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में गठित एक कमेटी ने प्रवासी भारतीयों पर 18 अगस्त, 2000 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। रिपोर्ट में प्रवासी भारतीयों पर बनाई गई कमेटी द्वारा जो सुझाव दिए उन पर सरकार पहल कर रही है।

कोरोना संक्रमण काल में महत्वपूर्ण रहे प्रवासी भारतीय

विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में कमाई करके सबसे अधिक पैसा (रेमिटेंस) भारतीयों ने अपने देश भेजा है। रिपोर्ट बताती है कि प्रवासी भारतीयों ने अपने देश के लिए सत्यासी अरब डॉलर भेजे। विदेशों से पैसे भेजने के मामले में भारतीय पहले नम्बर पर हैं। प्रवासी भारतीयों द्वारा 2021 में भारत पैसा भेजने में 4.6 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है। कोरोना महामारी के दौरान संक्रमितों और मौतों की गम्भीरता को देखते हुए परोपकारी कार्य करने के लिए प्रवासी भारतीयों द्वारा भेजे गए धन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रवासी भारतीयों द्वारा भेजे गए पैसों में ऑक्सीजन टैंक की खरीद के लिए भेजी गई राशि शामिल है। कोरोना काल में प्रवासी भारतीयों ने देश को काफी सहयोग दिया। जितना धन भारत भेजा गया है, उसकी कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। उनकी सफलता का श्रेय उनकी परम्परागत सोच, सांस्कृतिक मूल्य, शैक्षणिक योग्यता को दिया जाना चाहिए। वैश्विक स्तर पर सूचना तकनीक के क्षेत्र में क्रांति में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसके कारण भारत की विदेशों में छवि निखरी।

प्रवासी भारतीयों के अवदान से देश का सकल घरेलू उत्पादन भी बढ़ा

दुनिया की बड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी से लेकर अनेक देशों में कानून एवं अर्थव्यवस्था में निर्णय लेने वाली संस्थाओं का प्रमुख हिस्सा बनने में भारतीय बहुत सफल हुए हैं। प्रवासी भारतीयों की खासियत है कि वे जिस भी देश में गए उन्होंने वहां की संस्कृति और संविधान को आत्मसात कर लिया। वहां के व्यापार, उद्योग, चिकित्सा क्षेत्र आदि में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भले ही प्रवासी भारतीयों ने वहां का सब कुछ आत्मसात कर लिया है, लेकिन वह आज भी अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। अपनी जन्मभूमि, अपने गांव और अपने शहरों के लिए उनके दिल में स्नेह उमड़ता है। आज की तारीख में भारतीय नई शक्ति के तौर पर अन्तर्राष्ट्रीय पटल पर उभर चुके हैं और अलग-अलग देशों में भारत के रिश्तों को लेकर उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो चुकी है। प्रवासी भारतीयों की ताकत को देखते हुए और उन्हें अपनी जड़ों से जोड़ने के लिए प्रतिवर्ष 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीयों का देश के सकल घरेलू उत्पादन में भी योगदान बढ़ रहा है। कारगिल युद्ध हो या ओडिशा के चक्रवात, महाराष्ट्र और गुजरात के भूकम्प के समय इनके द्वारा आर्थिक और मेडिकल सहयोग दिया गया था। वर्ष 1990 के आर्थिक संकट के दौरान भी भारतीयों ने रिसर्जेंट इंडिया बाण्डों जैसे अनेक प्रकार के बाण्डों द्वारा अपने आर्थिक संसाधनों से भारत की आर्थिक मदद की थी।

वर्ष 2021 में आभासी प्रारूप में हुआ था भारतीय प्रवासी सम्मेलन

प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन विदेश मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है तथा यह प्रवासी भारतीयों के साथ जुड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। गौरतलब है कि कोविड महामारी के बावजूद, जीवंत प्रवासी समुदाय की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन 9 जनवरी 2021 को किया गया। सम्मेलन को आभासी प्रारूप में आयोजित किया गया। एक हॉल में आयोजित इस भारतीय प्रवासी सम्मेलन का विषय 'आत्मनिर्भर भारत में प्रवासियों का योगदान' था। सम्मेलन का शुभारम्भ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया था और मुख्य अतिथि, सुरीनाम के राष्ट्रपति महामहिम श्री चन्द्रिका प्रसाद संतोखी थे।

आत्मनिर्भर भारत में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर पहला पूर्ण सत्र हुआ था और दूसरा सत्र कोविड के बाद की चुनौतियों का सामना विषय पर था। समापन सत्र में माननीय राष्ट्रपति ने प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर को चिन्हित करने के साथ ही वर्ष 2020-21 के प्रवासी भारतीय सम्मान पाने वाले नामों की घोषणा भी की थी। इस सम्मेलन के सभी सत्रों में प्रख्यात प्रवासी विशेषज्ञों की भागीदारी के साथ पैनल चर्चा महत्वपूर्ण रही। इसी सम्मेलन में भारत और भारत के लिए उपलब्धि हासिल करने वाले प्रवासी युवाओं को एक साथ जोड़ने जैसे विषयों पर भी मंथन हुआ।

सर्वाधिक नौ बार दिल्ली में हुआ है भारतीय प्रवासी दिवस आयोजन

पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में 9 जनवरी, 2003 को पहला भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया था। तब से अब तक 16 भारतीय प्रवासी दिवस के आयोजन चुके हैं। वर्ष 2019 में भारतीय प्रवासी दिवस का आयोजन 21 से 23 जनवरी, 2019 तक वाराणसी (उत्तरप्रदेश) में हुआ। इन सभी आयोजन में से सर्वाधिक नौ बार भारतीय प्रवासी दिवस नई दिल्ली में वर्ष 2003, वर्ष 2004, वर्ष 2007, वर्ष 2008, वर्ष 2010, वर्ष 2011, वर्ष 2014, वर्ष 2016 और वर्ष 2021 में (वर्चुअल) हुए हैं। भारतीय प्रवासी दिवस वर्ष 2005 में मुम्बई में, वर्ष 2006 में हैदराबाद में, वर्ष 2009 में चेन्नई, वर्ष 2012 में जयपुर में, वर्ष 2013 में तिरुवनंतपुरम में, वर्ष 2015 में गांधीनगर और वर्ष 2017 में बेंगलुरु में और एकमात्र देश के बाहर भातीय प्रवासी दिवस 2018 में सिंगापुर में हुआ था। वर्ष 2020 का आयोजन कोरोना महामारी के संक्रमण के कारण नहीं हुआ था। भारतीय प्रवासी दिवस वस्तुतः प्रवासी भारतीयों को अपनी जड़ों से जुड़ने का अवसर देता है।

राजा दुबे
(लेखक, जनसम्पर्क विभाग से सेवानिवृत्त संयुक्त संचालक हैं)

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी एरिया - इंदौर

होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी परीक्षा 2021

विज्ञापन क्रमांक 13/2021/28.12.2021
आयुष विभाग, मध्यप्रदेश शासन

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 14.02.2022

महत्वपूर्ण

1. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयुष विभाग, मध्यप्रदेश शासन हेतु **होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी** के पदों की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।
इन पदों के लिए शैक्षणिक अर्हता निम्नानुसार है :-
शैक्षणिक अर्हता (क) विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से होम्योपैथी में सी.सी.एच. द्वारा मान्य स्नातक उपाधि,
(ख) म.प्र. राज्य में विधि द्वारा स्थापित होम्योपपैथी परिषद में पंजीयन
टीप :- स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल होने वाला आवेदक भी आवेदन करने का पात्र होगा, बशर्ते उसे आयोग को साक्षात्कार में सम्मिलित होने से पूर्व अपेक्षित अर्हता (इंटर्नशिप प्रमाण-पत्र सहित) अर्जित करने का सबूत देना होगा।
अन्य अर्हता **रोज़गार पंजीयन** - अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोज़गार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
2. आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन पत्र दिनांक 15.01.2022 (दोपहर 12:00 बजे) से दिनांक 14.02.2022 (रात्रि 12:00 बजे) तक **www.mponline.gov.in**, **www.mppsc.nic.in** पर भरे जा सकते हैं।
आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदनपत्रों में दिनांक 20.01.2022 से दिनांक 16.02.2022 तक त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति सुधार सत्र रु. 50/- त्रुटिसुधार शुल्क देय होगा। त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा तथा श्रेणी/वर्ग परिवर्तन विषयक समस्त आवेदन सरसरी तौर पर अमान्य किए जाएंगे तथा आयोग द्वारा इस सन्दर्भ में आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा।
3. इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु इंदौर, भोपाल, जबलपुर तथा ग्वालियर स्थित परीक्षा केन्द्रों पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की OMR आधारित वस्तुनिष्ठ परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के तीन गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन परिणाम, परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों एवं संविदा चिकित्सकों को देय वरीयता अंक के योग के गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम, परीक्षा तिथि एवं प्रवेश-पत्र उपलब्धता तिथि को यथासमय आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in** पर प्रकाशित किया जाएगा।
4. विज्ञापन के सन्दर्भ में आवश्यक सूचनाएं, परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in** एवं रोज़गार और निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा साथ ही अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय दिए गए **e-mail Address** तथा मोबाइल नंबर पर आवश्यक होने पर **e-mail** तथा **SMS Alert** भी प्रेषित किए जाएंगे। अतः अभ्यर्थी आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र पर विहित स्थान पर **अपने ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर** का अवश्य उल्लेख करें तथा इसे अंतिम चयन परिणाम आने तक अपरिवर्तित रखें एवं आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें।
5. **आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी एक व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अतः किसी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यवहारिक रूप से असंभव है। अतः ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आएं और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम पता गोपनीय रखा जाएगा।**
6. उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक 25181/2019 के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगा।
7. आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अर्हता, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्त दस्तावेजों को संधारित नहीं किया जाता है। साक्षात्कार के समय अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत स्वप्रमाणित दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से मात्र मिलान का कार्य आयोग द्वारा किया जाता है। अंतिम चयन परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों एवं प्रतिक्षासूची में नामांकित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों को चयन सूची अनुसार विभाग को प्रेषित कर दिया जाता है जिनके सत्यापन का कार्य विभाग द्वारा नियुक्ति के पूर्व किया जाता है। अतः अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जानकारी आयोग द्वारा उपलब्ध करवाई जाना संभव नहीं है। इस संदर्भ में आयोग द्वारा किसी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं किया जाएगा तथा सूचना के अधिकार के अंतर्गत इस संदर्भ में प्राप्त आवेदनों को विभाग को अंतरित किया जाएगा।

एक - भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से **आयुष विभाग, मध्यप्रदेश शासन**, के अंतर्गत **होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी** के निम्नानुसार रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

पद का नाम :- होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी

विभाग का नाम :- आयुष विभाग, मध्यप्रदेश शासन

कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या					रिक्तियों में से मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या					मध्यप्रदेश के मूलनिवासी दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों की संख्या				कुल
UR	SC	ST	OBC	EWS	UR	SC	ST	OBC	EWS	OH	VH	HH	MD	
12	07	09	11	04	04	02	03	04	01	00	01	02	00	43

UR - Unreserved, SC - Scheduled Caste, ST - Scheduled Tribe, OBC - Other Backward Classes, EWS - Economically Weaker Section, OH - Orthopedic Handicapped, VH - Visual Handicapped, HH - Hearing Handicapped, MD - Multiple Disability

दो - **पद का विवरण**

(A) पद का नाम : होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी
(B) श्रेणी : राजपत्रित द्वितीय श्रेणी
(C) पद स्थिति : अस्थायी
(D) वेतनमान : रुपये 15600-39100+5400 ग्रेड पे तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
नोट - उपरोक्त वेतनमान छठे वेतन आयोग अनुसार है। सातवें वेतनमान में तत्स्थानी वेतनमान देय होगा।

(E) अर्हता :
अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता (क) विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से होम्योपैथी में सी.सी.एच. द्वारा मान्य स्नातक उपाधि,
अन्य अर्हता (ख) म.प्र. राज्य में विधि द्वारा स्थापित होम्योपैथी बोर्ड में स्थायी पंजीयन
टीप :- स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल होने वाला आवेदक भी आवेदन करने का पात्र होगा, बशर्ते उसे आयोग को साक्षात्कार में सम्मिलित होने से पूर्व अपेक्षित अर्हता (इंटर्नशिप प्रमाण-पत्र सहित) अर्जित करने का सबूत देना होगा।
टीप :- अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा लिखित परीक्षा परिणाम में निर्धारित अभिलेख प्रस्तुतीकरण की अंतिम तिथि तक अपनी अर्हता (इंटर्नशिप प्रमाण-पत्र सहित) तथा आयुर्वेदिक/यूनानी बोर्ड में स्थायी पंजीयन के प्रमाण-पत्र अभिलेखों के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता समाप्त मानी जाएगी।
रोज़गार पंजीयन - अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोज़गार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
(F) कर्तव्य : चिकित्सा कार्य करना।

तीन - **आयु सीमा** : **21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।**
आयु संगणना तिथि : 01.01.2022

चार - (i) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।
(ii) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी।
(iii) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षित पद केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित हैं।
(iv) मध्यप्रदेश के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी अपना वर्ग अनारक्षित लिखें।
आयु सीमा में दी गई अन्य छूटों के लिए **परिशिष्ट-2** देखें।

पांच - **मध्यप्रदेश सिविल सेवायें (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता :-**
अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।
ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरर्हित नहीं होगा।

छः - **संविदा पर कार्यरत चिकित्सकों हेतु विशेष उपबंध :-**
आयुष विभाग, मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ-02-01-2018-1-उनसठ, दिनांक 10 दिसंबर 2021 द्वारा "मध्यप्रदेश आयुष विभाग (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2013" में किए गए संशोधन के अनुपालन में -

01 संविदा कर्मियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट :-
सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 5-2-2018-1-3, भोपाल दिनांक 05 जून, 2018 में प्रदत्त अनुदेशों के अनुक्रम में मध्यप्रदेश के किसी शासकीय चिकित्सालय/पी.एच.सी./सी.एच.सी./औषधालय/किसी शासकीय उपक्रम में संविदा के आधार पर आयुष चिकित्सक के पद पर न्यूनतम पांच वर्ष कार्यरत रहा है - ऐसे वर्तमान में कार्यरत या पूर्व में कार्यरत रह चुके, संविदा आयुष चिकित्सक को आयुष चिकित्सक पद के समकक्ष एवं उच्चतर श्रेणी के संविदा पद पर, वह जितने वर्ष कार्यरत रहा, उसे निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट मिलेगी। इस छूट सहित अधिकतम आयु विज्ञापन में निर्धारित दिनांक को 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

02 संविदा कर्मियों को बोनस अंक का प्रावधान :-
मध्यप्रदेश के किसी शासकीय चिकित्सालय/पी.एच.सी./सी.एच.सी./औषधालय/किसी शासकीय उपक्रम में संविदा के आधार पर आयुष चिकित्सक के पद पर कार्यरत या पूर्व में कार्यरत रह चुके, संविदा आयुष चिकित्सक को अनुभव के आधार पर आयोग द्वारा उक्त पद हेतु आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा के अंतिम निर्धारित पूर्णांक के 03 प्रतिशत अंक प्रतिवर्ष के मान से अधिकतम 05 वर्ष हेतु अधिकतम 15 प्रतिशत बोनस अंक दिए जाएंगे किन्तु लिखित परीक्षा के श्रेणीवार न्यूनतम उत्तीर्णांक हेतु उक्त बोनस अंक संगणित नहीं किए जाएंगे।
- बोनस अंक लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्राप्त अंकों में जोड़े जाएंगे। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों एवं बोनस अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा।
- अंतिम चयन-सूची लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों, बोनस अंकों एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर घोषित की जाएगी।

अत्यावश्यक :- उपरोक्त बिन्दु - 01 तथा 02 के लाभों हेतु अभ्यर्थियों को परिशिष्ट-1 में प्रकाशित प्रपत्र-1 तथा प्रपत्र-2 में अनुभव तथा संगणना के प्रमाण-पत्र आवेदन करने के पूर्व प्राप्त करना आवश्यक होगा तथा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में भी तत्संबंधी प्रविष्टि करना अनिवार्य होंगी।

सात - **महत्वपूर्ण** :- यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि, वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र जारी करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी।

आठ - **अधिवार्षिकी आयु :- 62 वर्ष**

नौ - **चयन प्रक्रिया** :- इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु इंदौर, भोपाल, जबलपुर तथा ग्वालियर स्थित परीक्षा केन्द्रों पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की OMR आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा में प्राप्त अंकों तथा संविदा चिकित्सकों को देय वरीयता अंक के योग के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के तीन गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन परिणाम, परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों एवं संविदा चिकित्सकों को देय वरीयता अंक के योग के गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा आयोजन से संबन्धित समस्त जानकारियां, परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम, परीक्षा तिथि एवं प्रवेश-पत्र उपलब्धता तिथि आदि यथासमय आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in** पर प्रकाशित किया जाएगा।

दस - **आवेदन प्रक्रिया** :- उक्त पद हेतु आवेदन पत्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु परिशिष्ट -3 का अवलोकन करें।

ग्यारह - विज्ञापन के सन्दर्भ में आवश्यक सूचनाएं, ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in** एवं रोज़गार और निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा साथ ही अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय दिए गए **e-mail Address** तथा मोबाइल नंबर पर आवश्यक होने पर **e-mail** तथा **SMS Alert** भी प्रेषित किए जाएंगे। अतः अभ्यर्थी आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र पर विहित स्थान पर अपने ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा उसे अंतिम चयन परिणाम तक अपरिवर्तित रखें एवं आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें।

बारह - विज्ञापन के प्रकाशन में हुई किसी भी प्रकार की लिपिकीय त्रुटि में सुधार का आयोग का सर्वाधिकार सुरक्षित है।

तेरह - अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें :-

(i) संविदा होम्योपैथी चिकित्सक हेतु अनुभव प्रमाण-पत्र तथा संगणना के प्रारूप **परिशिष्ट-1**
(ii) आयु सीमा की छूट **परिशिष्ट-2**
(iii) आवेदन पत्र भरने के तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियां **परिशिष्ट-3**
(iv) आप्टिकल स्कैनर द्वारा पढ़ी जाने वाली ओ.एम.आर. शीट के उपयोग संबंधी निर्देश तथा अन्य अनुदेश **परिशिष्ट-4**

सचिव

परिशिष्ट-1

संविदा आयुष चिकित्सकों के अनुभव प्रमाण-पत्र तथा संगणना पत्रक के प्रारूप

प्रपत्र-1

कार्यालय जिला आयुष अधिकारी/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी .....
जिला ..... संभाग.....
पता.....दूरभाष.....ईमेल.....
पत्र क्रमांक.....
स्थान ..... दिनांक .....

अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप

(केवल लोक सेवा आयोग द्वारा जारी होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी की सीधी भर्ती हेतु मान्य)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .....(चिकित्सक का नाम) पिता/पति श्री.....
ने आयुष विभाग/स्वास्थ्य विभाग/आयुषविंग/.....कार्यालय में संविदा होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी के रूप में निम्नानुसार अवधि में चिकित्सकीय कार्य संपन्न किया :-

क्र.	संस्था का नाम	दिनांक		कुल अवधि	प्रमाण पत्र	Employee
		से	तक	....वर्ष .....माह	क्रमांक एवं दिनांक	ID
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
			कुल अवधि			

टीप :- यह अनुभव प्रमाण-पत्र वेतन देयक एवं अन्य संबंधित कार्यालयीन अभिलेखों के सत्यापन उपरान्त जारी किया गया है।

स्थान .....
दिनांक .....

(हस्ताक्षर)
नाम .....
पदनाम : जिला आयुष अधिकारी/
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
पदमुद्रा .....

प्रपत्र-2

संविदा होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी के कार्य अनुभव के अधिभार की गणना हेतु पत्रक

(आवेदक द्वारा प्रपत्र-2 की पूर्ति की जाकर पत्रक स्वप्रमाणित किया जावेगा)

अधिभार की गणना की तालिका

1. मैं श्री/श्रीमती/सुश्री ..... (चिकित्सक का नाम) पिता/पति श्री..... प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा आयुष विभाग/स्वास्थ्य विभाग/..... विभाग में संविदा होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी के रूप में निम्नानुसार अवधि में चिकित्सकीय कार्य संपन्न किया है :-

क्र	संस्था का नाम	अवधि		कुल अवधि	प्रमाण पत्र क्रमांक	अनुभव के	Employee
		से	तक	....वर्ष .... माह	एवं दिनांक	अंक %	ID
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
			कुल अवधि		कुल अंक का प्रतिशत		

1. उपरोक्त अनुभव के आधार पर मुझे कुल..... प्रतिशत वरीयता अंक की पात्रता आती है।
2. एवं उपरोक्त अनुभव के आधार पर मुझे आयु सीमा में कुल.....वर्ष छूट की पात्रता आती है।

स्व-प्रमाणीकरण/सत्यापन

1. मैं श्री/श्रीमती/सुश्री .....पिता/पति श्री ..... प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत इस गणना पत्रक के चरण क्रमांक एक से तीन तक जानकारी कार्यालयीन अभिलेखों एवं मेरे निजी ज्ञान अनुसार सही है।
सत्यापन आज दिनांक.....को स्थान .....में सत्यापित किया गया।

आवेदक के हस्ताक्षर
आवेदक का नाम.....

अभिप्रमाणीकरण

(जिला आयुष अधिकारी/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा किया जावेगा)

अनुभव के कुल प्रतिशत अंक	
आयु सीमा में छूट	
जांचकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर	
नाम, पदनाम एवं पदमुद्रा	

जिला आयुष अधिकारी/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के हस्ताक्षर	
नाम, पदनाम एवं पदमुद्रा	

टीप :- म.प्र. असाधारण दिनांक 10 दिसंबर, 2021 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ-02-01-2018-1-उनसठ के प्रावधान अनुसार आयु सीमा में छूट एवं अधिभार अंक की गणना की जाएगी।

परिशिष्ट-2

(एक) उच्चतर आयु सीमा में वर्ग विशेष को देय छूटें :-

(1) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3-8/2016/1/3, दिनांक 04 जुलाई, 2019 अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग/शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी तथा **उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रहेगी।**

(2) ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण :- भूतपूर्व सैनिकों से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985 के नियम 2 (ग) में यथा प्रावधानित भूतपूर्व सैनिक।

(दो) प्रोत्साहनस्वरूप दी गई छूट :-

(1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(2) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(तीन) संविदा कर्मियों को अधिकतम आयु सीमा में छूटः-

सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 5-2-2018-1-3, भोपाल दिनांक 05 जून, 2018 में प्रदत्त अनुदेशों के अनुक्रम में मध्यप्रदेश के किसी शासकीय चिकित्सालय/पी.एच.सी./सी.एच.सी./औषधालय/किसी शासकीय उपक्रम में संविदा के आधार पर आयुष चिकित्सक के पद पर न्यूनतम पांच वर्ष कार्यरत रहा है ऐसे वर्तमान में कार्यरत या पूर्व में कार्यरत रह चुके, संविदा आयुष चिकित्सक को आयुष चिकित्सक पद के समकक्ष एवं उच्चतर श्रेणी के संविदा पद पर, वह जितने वर्ष कार्यरत रहा, उसे निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट मिलेगी। इस छूट सहित अधिकतम आयु विज्ञापन में निर्धारित दिनांक को 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टीप :- (1) **परिशिष्ट-1 (दो)** के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में से यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी।

(2) समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्यप्रदेश राज्य के संदर्भ में है, अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक तथा महिला अभ्यर्थियों को देय आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित मान्य होंगे।

(सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 969/1197/2012/आ.प्र./एक, दिनांक 06.08.2012 में निहित व्यवस्था के अनुसार)

नोट :- (01) उपरोक्त परिशिष्ट-1 (एक) (1 से 2) (दो) (1 से 2) में उल्लेखित आयु सीमा की छूट की पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।

(02) अभ्यर्थियों को उपरोक्त सभी छूट देय होंगी किन्तु समस्त छूट को शामिल करते हुए भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात् जिन अभ्यर्थियों की आयु 45 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। (केवल संविदा चिकित्सकों को उपरोक्त विन्दु-तीन के अनुसार देय छूट को छोड़कर)

परिशिष्ट-3

ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1. **होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी** के पद हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार हैं :-
   1. उपरोक्त पदों हेतु आवेदन पत्र **www.mponline.gov.in** तथा **www.mppsc.nic.in** वेबसाइट पर भरे जा सकेंगे।
   2. अभ्यर्थी अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फार्म भरकर आवेदन/परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नेट बैंकिंग सुविधा धारक अभ्यर्थी नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।
   3. अभ्यर्थी फार्म भरने के पूर्व पंजीकरण के लिए उम्मीदवारों के पास एक वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। उम्मीदवार को प्रोफाइल में पूछी गई सभी जानकारी को ध्यान से भरना चाहिए और इसे सेव करना चाहिए।
   4. अभ्यर्थी फार्म भरने के पूर्व अपने नवीनतम फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्केन फाइलें तैयार रखें जिन्हें उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय संलग्न करना होगा। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन पत्र में उनके फोटो एवं हस्ताक्षर स्पष्ट हैं।
   5. सभी उम्मीदवारों को नवीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की छवियों को अपलोड करना आवश्यक है इस हेतु फोटोग्राफ का न्यूनतम आकार 20 KB एवं हस्ताक्षर का न्यूनतम आकार-10 KB होना चाहिए।

6. आवेदन पत्र **submit** करने के बाद खुलने वाले **pop-up window** में आवेदक को उसके द्वारा आवेदन पत्र में उल्लिखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात **उसका नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी लिंग आदि की जानकारी दी जाएगी** जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी **Cancel** बटन दबाकर पुनः फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगे। **Popup window** में OK बटन दबाकर फार्म सबमिट करने पर आवेदन पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमें उसके आवेदन पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह **Unpaid** होगा।
अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन पत्र submit होने के बाद "proceed for payment" बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसका आवेदन पत्र प्राप्त होगा, जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा जिसमें भुगतान राशि तथा "Payment Done" स्पष्टतः उल्लेखित होगा। आवेदक उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।
7. सिस्टम द्वारा केवल पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले उम्मीदवार के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।
8. **त्रुटि सुधार सुविधा** :- अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन पत्र में कोई त्रुटि होने पर दिनांक 20.01.2022 से 16.02.2022 तक प्रति त्रुटि सुधार सत्र रु. 50/- त्रुटि सुधार शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीवद्ध किया जाएगा। **अनारक्षित श्रेणी हेतु शुल्क रु. 500 तथा आरक्षित श्रेणी हेतु रु. 250 निर्धारित है। अतः आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा अनारक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि रु. 250 त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त देय होगा, किन्तु अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा आरक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।**
ऑनलाइन आवेदन पत्रों में भरी गई श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/लिंग (महिला/पुरुष)/शासकीय सेवक) आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद श्रेणी/वर्ग परिवर्तन विषयक कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीवद्ध किया जाएगा।
9. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दर्ज किए हस्ताक्षर ही, साक्षात्कार की उपस्थिति सूची, तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। **विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी।**

2. परीक्षा तथा आवेदन शुल्क

मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) एवं दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु	शेष सभी श्रेणी तथा मध्यप्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों हेतु
रु. 250/-	रु. 500/-

सभी श्रेणी के आवेदकों को उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क रु. 40/- (GST अतिरिक्त) देय होगा। आवेदन एवं परीक्षा शुल्क एवं पोर्टल के शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य कोई राशि का भुगतान नहीं करना है। यदि कियोस्क धारक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो एमपी ऑनलाइन के निम्न दूरभाष नंबर पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

हेल्पलाइन :- 0755-6720200

केवल विज्ञापन निरस्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों को आवेदन एवं परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पद्धति से वापस किया जाएगा, किन्तु पोर्टल शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।

3. ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि

(अ) ऑनलाइन आवेदन जमा करने की **अंतिम तिथि 14.02.2022** है। अंतिम तिथि को रात्रि 12:00 बजे के बाद आवेदन पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जाएगी।

4. **अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ कोई अभिलेख अपलोड नहीं करने हैं किन्तु साक्षात्कार के पूर्व आयोग को प्रेषित किए जाने वाले अनुप्रमाणन फार्म, उपस्थिति पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा आवेदन पत्र की स्वप्रमाणित प्रति के साथ निम्नांकित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें :-**

आयु संबंधी प्रमाण के लिए :- केवल हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी अथवा मेट्रीक्यूलेशन की अंकसूची/प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र :- हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी तथा उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें अभ्यर्थी ने उत्तीर्ण किया है के समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की अंक सूचियां।

शासकीय सेवक होने का प्रमाण-पत्र :- यह प्रमाण-पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। इस प्रमाण-पत्र में धारित पद तथा विभाग का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

संविदा चिकित्सक के रूप में अनुभव तथा संगणना प्रमाण-पत्र :- यह प्रमाण-पत्र परिशिष्ट-1 में दर्शाये गए प्रारूप में होना चाहिए तथा प्रारूप में उल्लेखित प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए।

जाति के प्रमाण-पत्र :- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जो की मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के अधिकृत हैं द्वारा जारी किया गया हो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई वचन-पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए उसे नस्तीवद्ध किया जाएगा एवं आयोग इस संदर्भ में कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जाएगा। विवाहित महिलाएं विवाहोपरांत नाम/उपनाम परिवर्तन का शपथ पत्र संलग्न करें। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। **अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाणन भी आवश्यक है। अर्थात् अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमीलेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे।** इस संदर्भ में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा :-

घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप

मैं ..... के विज्ञापन क्रमांक 13/2021, दिनांक 28.12.2021 के अंतर्गत आवेदन पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ। मैं निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूँ।

1. मैं ..... पिता श्री ..... निवासी ग्राम/कस्बा/शहर/..... जिला ....., मध्यप्रदेश का/की मूल निवासी हूँ।
मैं .....जाति का/की सदस्य हूँ जो शासन द्वारा मध्यप्रदेश हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य है ।
2. मैं यह भी घोषित करता/करती हूँ कि मैं शासन के नवीनतम परिपत्रों द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार क्रीमीलेयर में नहीं आता/आती हूँ।

हस्ताक्षर .....
नाम .....
रोल नंबर .....

(उक्त घोषणा-पत्र तथा जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति केवल साक्षात्कार के पूर्व प्रस्तुत किए जाने वाले अनुप्रमाणन-पत्र के साथ संलग्न करें)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु :- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट-1 की कंडिका-(दो-1) के अधीन उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट-1 की कंडिका-(दो-2) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।

5. जो अभ्यर्थी पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हों, उनको यह अभिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। अभ्यर्थियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
6. **अनुशासनिक निर्देश** :- यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी है :-
   01. जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो; या
   02. प्रतिरूपण किया हो; या
   03. किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या
   04. कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए हों जिनमें फेरबदल किया गया हो; या
   05. ऐसे कथन दिए हों जो गलत और झूठे हों या जिसने चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छुपाई हों; या
   06. परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो; या
   07. परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो; या
   08. परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक छति पहुंचाई हो; या
   09. उनके द्वारा प्रवेश पत्र में अभ्यर्थियों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या निर्देशों जिसमें परीक्षा संचालन में लगे केंद्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारी द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित है, अतिक्रमण किया हो; या
   10. परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार,

   तब आयोग द्वारा :-
   (क) उसे उस परीक्षा के लिए जिसके लिए वह उम्मीदवार है, निरर्ह ठहरा सकेगा
   और/या
   उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।
   (ख) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उसपर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुशंसा की जाएगी।
   (ग) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

   एवं तब शासन द्वारा :-
   उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा।
7. **अनर्हताएं** :- ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी जिन्हें किसी परीक्षा अथवा चयन से उपरोक्त दर्शित प्रावधानों के तहत विवर्जित किया गया है।
8. **परीक्षा की पश्चातवर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में आवश्यक निर्देश** :-
   01. परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in** पर प्रकाशित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को उनके परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जाएगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जाएगा।
   02. परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएं प्रकाशित की जाएंगी। अतः सफल अभ्यर्थी उनके परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार से संबन्धित समस्त सूचनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उसमें प्रदत्त अनुदेशों के अनुरूप आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in** पर उपलब्ध कराए गए अनुप्रमाणन फार्म, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा उपस्थिति पत्रक डाउनलोड करके आवश्यक पूर्तियों के पश्चात एवं सभी आवश्यक अभिलेख संलग्न कर, परीक्षा परिणाम में उल्लेखित साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा करें। अपने ऑनलाइन आवेदन की स्वप्रमाणित प्रति भी उक्त अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें।
   03. साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने की अंतिम तिथि तक अभिलेख जमा न करने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वयमेव समाप्त हो जाएगी तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में अभ्यर्थी को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जाएगी तथा इस संदर्भ में प्राप्त अभ्यावेदनों को बिना विचार किए नस्तीवद्ध किया जाएगा।
9. **यात्रा व्यय का भुगतान** :-
   (अ) मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमीलेयर) तथा दृष्टिबाधित दिव्यांगजन श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी जो कहीं सेवारत न हों को ऑनलाइन परीक्षा तथा साक्षात्कार हेतु मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय की पात्रता होगी।
   (ब) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित वर्तमान निवास के पते के शहर/ग्राम से उन्हें आवंटित परीक्षा शहर तक आने तथा जाने के यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा।
   (स) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को इसके लिए केंद्राध्यक्ष द्वारा आयोग द्वारा निर्धारित घोषणा-पत्र प्रदान किया जाएगा जिसे भरकर अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय की पात्रता से संबन्धित निम्नांकित अभिलेखों के साथ केंद्राध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा :-
      1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमीलेयर) के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
      2. दृष्टिबाधित दिव्यांगजन श्रेणी के प्रमाणन हेतु विहित प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
      3. यात्रा का टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गयी तथा किराये की राशि का स्पष्टतः उल्लेख हो।
   (द) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा। इस हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमीलेयर) श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम, खाता क्रमांक तथा बैंक के IFSC Code का उल्लेख करना एवं साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की पठनीय स्केन प्रति आवेदन पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक विवरण में कोई त्रुटि/विसंगति होने के कारण भुगतान निरस्त होने की दशा में आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा इस संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
   (इ) साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय उपरोक्त नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

परिशिष्ट-चार

आप्टिकल स्कैनर द्वारा पढ़ी जाने वाली
ओ.एम.आर. शीट के उपयोग संबंधी निर्देश तथा अन्य अनुदेश

टीप - ओ.एम.आर. शीट का मूल्यांकन आप्टिकल स्कैनर/कम्प्यूटर द्वारा किया जावेगा अतः ओ.एम.आर. शीट का उपयोग नीचे बताई गई बातों पर आवश्यक ध्यान रखते हुए अत्यन्त सावधानीपूर्वक करें।

1. आप अपने साथ परीक्षा कक्ष में कम से कम दो काले बाल पाईन्ट पेन अवश्य लाएं।
2. गोले भरने के लिए केवल काला बाल पाईन्ट पेन का ही उपयोग करें। गोलों को पूरी तरह गहरा काला करें, अधूरा अस्पष्ट या हल्का काला करने पर ओ.एम.आर. शीट स्कैनर द्वारा नहीं जांची जा सकेगी।
3. ओ.एम.आर. शीट पर किसी प्रकार का रफ कार्य न किया जाए। इस कार्य के लिए प्रश्नपत्र पर अलग से स्थान निर्धारित है, उस स्थान का ही उपयोग करें।
4. ओ.एम.आर. शीट अत्यन्त सावधानीपूर्वक रखें। उसे किसी तरह से मोड़ा या काटा न जाए और किसी प्रकार से गंदी न की जाए अन्यथा कम्प्यूटर/आप्टिकल स्कैनर उसे रद्द कर देगा।
5. उत्तर देना प्रारंभ करने के पहले सुनिश्चित कर लें कि ओ.एम.आर. शीट पर सभी प्रविष्टियां सही रूप से की गई है। अभ्यार्थी द्वारा उसे प्रदत्त प्रश्न पत्र सेट ए, बी, सी, डी अंकन न करने पर OMR का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।
6. आपको प्रत्येक प्रश्न क्रमांक के सामने का केवल एक ही गोला काला करना है। एक से अधिक गोले को काला करने पर या गोलों को हल्का, अस्पष्ट या अधूरा काला करने पर या किसी अन्य पेन्सिल या स्याही से काला करने पर किसी अन्य तरीके से कोई निशान जैसे (✓) या (×) लगाने पर ओ.एम.आर. शीट कम्प्यूटर/आप्टिकल स्कैनर द्वारा नहीं पढ़ी जायेगी।
7. **ओ.एम.आर. शीट पर उत्तर अंकन के लिये - सामान्य निर्देश -**
   (अ) **प्रश्नों के उत्तर** - ओ.एम.आर. शीट पर यथास्थान उत्तर अंकित करने के अनुदेश दिए है। इन्हें ध्यान से पढ़ें। प्रश्नों के उत्तर देने के लिए ओ.एम.आर. शीट पर आवश्यक संख्या लिखी है। प्रत्येक प्रश्न क्रमांक के नीचे/सामने क्रमशः 4 गोले ए, बी, सी, डी बने हैं। प्रश्नपत्र में प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर ए, बी, सी, डी दिए हैं। इनमें से, सही उत्तर चुनकर संबंधित प्रश्न क्रमांक के नीचे/सामने बने गोलों में से केवल एक गोला काले बाल पाईन्ट पेन से गहरा काला करें।
   OMR Sheet में उत्तर अंकित कर उसे काटने/मिटाने/वाईटनर लगाने से उक्त/प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।
   (ब) ओ.एम.आर. शीट के सामने के पृष्ठ पर अपना नाम, अनुक्रमांक, परीक्षा तिथि, प्रश्नपत्र कोड आदि भरने के लिये बने खानों में प्रविष्टि के लिये काले बाल पेन का उपयोग करें। प्रश्न पत्र A, B, C, D set में से कोई एक ही सेट दिया जायेगा। अपने सेट का कोड क्रमांक सावधानी से नियत स्थान पर भरें एवं सेट के गोले को काले पेन से काला करें।
   (स) **हस्ताक्षर** - ओ.एम.आर. शीट पर निर्धारित स्थान पर बाल पेन से हस्ताक्षर करें।
   (द) ओ.एम.आर. शीट के पीछे के पृष्ठ पर अनुक्रमांक, प्रश्न पत्र कोड के कॉलम के गोलों में प्रविष्टि करने के लिये काला बाल पाईन्ट पेन का उपयोग कर संबंधित क्रमांक के गोले को काला करें। अभ्यर्थी उसे आवंटित प्रश्न पत्र के सेट कोड ध्यान से देखें तथा सेट की जानकारी सुनिश्चित होने के पश्चात ही प्रश्न पत्र के सेट कोड के गोले को अत्यंत सावधानी से काला करें। इसी काले किए गए कोड (ABCD के गोले) के आधार पर ही उत्तरशीट का मूल्यांकन किया जायेगा। सेट कोड गलत भरने पर त्रुटि सुधार नहीं होगा। मूल्यांकन अभ्यर्थी द्वारा भरे गये सेट कोड की उत्तर कुंजी के आधार पर होगा जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
8. **रोल नम्बर की प्रविष्टि (चित्र एक)**
   रोल नम्बर के खाने में बायें से दायें 1 से 6 तक स्तम्भ है। पहला स्तम्भ का लाख का, दूसरा स्तम्भ दस हजार का, तीसरा स्तम्भ हजार का, चौथा स्तम्भ सैकड़े का, पांचवा स्तम्भ दहाई का एवं छटा स्तम्भ इकाई का है। इनके नीचे 0 से 9 अंक लिखे हुए गोले हैं। इन्हीं में आपको अपने रोल नम्बर भरना है। उदाहरणार्थ यदि आपका रोल नं. 684021 है तो आप पहले ऊपर की लाईन में चौकोर खानों में दर्शाये अनुसार रोल नम्बर काला बाल पाईन्ट पेन से लिखें तत्पश्चात पहले स्तम्भ के गोले क्रमांक 6, दूसरे स्तम्भ के गोले क्रमांक 8, तीसरे स्तम्भ के गोले क्रमांक 4, चौथे स्तम्भ के गोले क्रमांक 0, पांचवे स्तम्भ के गोले क्रमांक 2 तथा छठे स्तम्भ के गोले क्रमांक 1 को काला बाल पाईन्ट से गहरा काला करें।

   रोल नं. चित्र 1

6	8	4	0	2	1
0	0	0	●	0	0
1	1	1	1	1	●
2	2	2	2	●	2
3	3	3	3	3	3
4	4	●	4	4	4
5	5	5	5	5	5
●	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	●	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

   अनुक्रमांक के गोले न भरने पर या गलत भरने पर OMR का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अंकों में तथा गोले भरने में भिन्नता होने पर भी ओ.एम.आर. शीट का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

परीक्षार्थियों हेतु निर्देश एवं अनुदेश

निम्नलिखित निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ने के उपरांत ही परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हों। निर्देशों एवं अनुदेशों का पालन न करने पर परीक्षार्थी आयोग द्वारा निर्धारित दंड का भागी होगा।

एक - प्रवेश

01. परीक्षा में परीक्षार्थी को दिया गया प्रवेश नितांत प्रावधिक है।
02. परीक्षा नियत समय पर प्रारंभ होगी। केन्द्राध्यक्ष की घड़ी का समय ही प्रामाणिक मानकर परीक्षा संचालन किया जायेगा। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात आने पर परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
03. परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश-पत्र तथा मान्य फोटो युक्त परिचय-पत्र आवश्यपक रूप से अपने साथ रखें।
04. परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी की जांच की जाएगी। परीक्षार्थी अपने साथ केवल दो काले बाल पाईन्ट पेन, प्रवेश पत्र एवं मान्य फोटो युक्त पहचान पत्र अनिवार्य रूप से साथ लेकर आएं। इसके अतिरिक्त मोवाइल, केलक्युलेटर, पेजर एवं किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि परीक्षा कक्ष में ले जाने की अनुमति नहीं है।

दो - निर्गमन

01. सामान्यतः परीक्षार्थी को परीक्षा की अवधि में परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जावेगी। वीक्षक से विशेष अनुमति लेकर उनकी निगरानी में ही बाहर जाया जा सकेगा।
02. किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात् एक घंटे तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जायेगी। भले ही उसने प्रश्नपत्र हल कर लिया हो।
03. प्रश्नपत्र हल करने के पश्चात केन्द्राध्यक्ष/वीक्षक द्वारा ओ.एम.आर. शीट एकत्रित किये जाने के उपरांत वीक्षक की अनुमति से ही परीक्षार्थी परीक्षा भवन छोड़ेगा। ओ.एम.आर. शीट सहित कक्ष से बाहर जाने पर अभ्यीर्थी के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाएगा।
04. निर्धारित समय समाप्त होने के उपरांत किसी भी परीक्षार्थी को अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किया जायेगा (केवल दृष्टिबाधित तथा ऐसे अस्थिबाधित जो दोनों ही हाथों से लिखने में असमर्थ हैं तथा जिन्होंने सहलेखक की सुविधा ली है, ऐसे आवेदकों को प्रारम्भिक तथा मुख्य परीक्षा में 20 मिनिट प्रति घण्टा अतिरिक्त समय दिया जायेगा।
    निर्धारित समय के उपरांत कोई भी परीक्षार्थी न तो लिखे उत्तरों में कोई संशोधन करेगा और न ही शेष रहे प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करेगा।

तीन - नाम और अनुक्रमांक - ओ.एम.आर. शीट पर परीक्षार्थी केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना नाम और अनुक्रमांक लिखे। ओ.एम.आर. शीट के अन्य किसी भी भाग पर न तो अनुक्रमांक, न अपना नाम और ना ही पता अंकित करें। ओ.एम.आर. शीट के साथ अन्य कोई सामग्री संलग्न करना वर्जित है। ओ.एम.आर. शीट में (आपको दिये गये A, B, C, D प्रश्न पत्र सेट में से कोई एक सेट मिलेगा) प्रश्नपत्र का सेट अवश्य लिखें एवं सेट के गोले को काले पेन से काला करें। आपके द्वारा प्रश्नपत्र सेट के गोले को काला करने पर ही उक्त सेट की उत्तर कुंजी से ही ओ.एम.आर. शीट मूल्यांकन होगा। जैसा चित्र में सेट-B को काला किया है।

चित्र- चार

A	○
B	●
C	○
D	○

चार - अनुचित साधन - परीक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व सुनिश्चित करें कि उनकी सीट के निकट, उनके पास कम्पास, स्केल या पॉकेट में कोई अवांछित सामग्री, कोई पुस्तक या अनावश्यक कागज Electronic Gadget इत्यादि जो परीक्षा में प्रश्नपत्र हल करने में सहायक हो, न हों। परीक्षार्थी अनुचित साधन के प्रयोग से बचें।

परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का प्रयोग सर्वथा वर्जित व दण्डनीय है। परीक्षा भवन में अपने साथ कोई भी लिखित या कोरा कागज, पुस्तक, वस्तु, टीप विशेषकर मोवाइल, इलेक्ट्रानिक उपकरण तथा अन्य वर्जित वस्तुएं आदि लाना अनुचित साधनों के प्रयोग में सम्मिलित माना जायेगा। इसी प्रकार परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से चर्चा करना, उसकी ओ.एम.आर. शीट से नकल करना अथवा अपनी शीट से अन्य परीक्षार्थी को नकल करवाना, किसी अन्य परीक्षार्थी से ओ.एम.आर. शीट बदलना, परीक्षा भवन में जोर-जोर से बोलना, किसी भी प्रकार की सांकेतिक भाषा अथवा किसी प्रकार से अन्य परीक्षार्थी को किसी प्रश्न का उत्तर बताना अथवा किसी अन्य परीक्षार्थी से किसी प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने का कोई प्रयास करना या किसी कागज पर प्रश्न पत्र की नकल करना भी अनुचित साधनों के प्रयोग के अन्तर्गत माना जायेगा। परीक्षा भवन में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर परीक्षार्थी द्वारा दी गई परीक्षा को निरस्त किया जा सकेगा, उसे परीक्षा से निष्कासित किया जा सकेगा तथा साथ ही उसे आगामी ऐसी अवधि के लिये जो आयोग उचित समझे आयोग की सभी परीक्षाओं, अन्य आयोगों की परीक्षा एवं साक्षात्कारों से वंचित किये जाने का दण्ड भी दिया जा सकेगा।

परीक्षा की गोपनीयता :- परीक्षा पूर्व/दौरान/पश्चात प्रश्न-पत्र की गोपनीयता के भंग होने की किसी भी गतिविधि में लिप्त पाये जाने वाले अभ्यर्थियों/व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जा कर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

पांच - प्रश्न संबंधी शिकायत - प्रश्न से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत होने पर परीक्षार्थी परीक्षा के प्रावधिक उत्तर कुंजी प्रकाशन के 07 दिवस के अंदर निर्धारित शुल्क (100 रुपये प्रति प्रश्न तथा रूपये 40 प्रति त्रुटि सुधार सत्र पोर्टल चार्ज) जमा कर ऑनलाइन पद्धति से आपत्ति दर्ज कराये। परीक्षा के प्रावधिक उत्तर कुंजी प्रकाशन के 07 दिवस के अंदर ऑनलाइन पद्धति से दर्ज शिकायतों पर ही विचार किया जायेगा। इसके पश्चात एवं अन्य किसी पद्धति से प्रस्तुत आवेदनों को नस्तीबद्ध किया जाएगा। जिन प्रश्नों पर अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत आपत्ति, विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा सही पाई जाएगी उस प्रश्न हेतु दिया गया आपत्ति शुल्क आपत्तिकर्ता अभ्यर्थियों को ऑनलाइन पद्धति से वापस किया जाएगा। इस हेतु आपत्तिकर्ता अभ्यर्थियों को आपत्ति मॉड्यूल में उसके बैंक खाते की जानकारी प्रविष्ट करना अनिवार्य होगा।

छः - ओ.एम.आर. शीट का लौटाना - परीक्षार्थी परीक्षा के उपरान्त ओ.एम.आर. शीट कक्ष के वीक्षक को ही सौंपेंगे। परीक्षार्थी द्वारा किसी भी स्थिति में ओ.एम.आर. शीट परीक्षा कक्ष से बाहर ले जाना अथवा परीक्षा के उपरांत उसे वापस न दिया जाना गम्भीर अपराध माना जायेगा और इस हेतु उसके विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज कर दण्डात्मक कार्यवाही भी की जाएगी।

सात - ओ.एम.आर. शीट पर अनुक्रमांक अंकन व अन्य पूर्तियाँ

1. ओ.एम.आर. शीट पर नियत स्थान पर परीक्षार्थी अपना सही नाम और अनुक्रमांक शब्दों एवं अंकों में अंकित करें तथा परीक्षा का विषय कोड के सही गोले भरें। साथ ही प्रश्न पत्र सेट और भी अत्यंत सावधानी से भरें एवं सेट के गोले को काला करें।
2. ओ.एम.आर. शीट पर कोई दाग/चिन्ह न लगने पाए, इस बात की सतर्कता बरतें।

आठ - प्रश्नपत्र पर अंकन - परीक्षार्थी प्रश्नपत्र पर भी अनुक्रमांक लिखे तथा रफ कार्य प्रश्नपत्र में दिये गये पृष्ठ पर ही करें इसके अतिरिक्त प्रश्नपत्र पर कुछ भी लिखना, प्रश्नपत्र की नकल करना या उसकी प्रति बनाना निषिद्ध होकर अनुचित साधन प्रयोग के समान दण्डनीय है।

नौ - उपस्थिति पत्रक - प्रत्येक प्रश्नपत्र के समय परीक्षा कक्ष में वीक्षक के समक्ष परीक्षार्थी तिथि सहित अपने हस्ताक्षर करें। यह हस्ताक्षर नमूने के हस्ताक्षर के अनुरूप हों। हस्ताक्षर के नीचे अपना नाम भी लिखें।

दस - दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु सहलेखक संबंधी नियम

अ. अभ्यर्थियों का विवरण जिन्हें सुविधा प्रदान की जाएगी :-

1. दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) निःशक्त तथा सेरिब्रल पाल्सी से दिव्यांगजन परीक्षार्थी।
2. मानसिक रूप से संस्तम (स्पेस्टिक) डाइसलेक्सिक पर्सन्स विद डिसएबिलिटिज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे शासकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।
4. आकस्मिक दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हों और इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे शासकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।
5. उपरोक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को छोड़कर अन्य अभ्यर्थियों को सहलेखक एवं प्रतिपूरक समय की सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी।

ब. प्रदान की जाने वाली सुविधाएं :- उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को सहायक एवं प्रतिपूरक समय की सुविधा प्रदान की जावेगी। उपरोक्त सुविधा लेने हेतु अभ्यर्थी द्वारा सम्पूर्ण जानकारी मय दस्तावेजों एवं घोषणा-पत्र सहित परीक्षा दिनांक से एक दिवस पूर्व संबंधित परीक्षा केन्द्राध्यक्ष के सम्मुख प्रस्तुत करना होगी ताकि नियमानुसार लिखित अनुमति प्रदान की जा सके। अपरिहार्य कारणों से पूर्व में आवेदित लेखन सहायक उपस्थित न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के सत्यापन उपरांत नियमानुसार निर्धारित शर्तों के अनुरूप योग्यताधारी अन्य लेखन सहायक की सुविधा हेतु अनुमति दी जा सकेगी। लेखन सहायक से घोषणा-पत्र भरवाया जावेगा।

(i) लेखन सहायक की नियुक्ति हेतु शर्तें :- लेखन सहायक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिये जिसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अभ्यर्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा की अर्हता से कम होना चाहिये। उदाहरण के लिये यदि किसी परीक्षा हेतु अभ्यर्थी की शैक्षणिक अर्हता स्नातक उपाधि है तो लेखन सहायक की योग्यता स्नातक से कम होना चाहिए। (अर्थात् स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होना चाहिए) यदि किसी पद की परीक्षा की शैक्षणिक अर्हता स्नातकोत्तर उपाधि है, तो सहलेखक की योग्यता स्नातकोत्तर उपाधि से कम होनी चाहिए (अर्थात स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होना चाहिए)

(ii) प्रतिपूरक समय हेतु शर्तें :- ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हें उपरोक्तानुसार सहलेखक की सुविधा प्रदान की गई है, निम्नानुसार प्रतिपूरक समय की पात्रता होगी :-

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	60 मिनट
2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	40 मिनट

(शेष अगले पृष्ठ पर)

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड - सिवनी (म.प्र.)

निविदा आमंत्रण सूचना (संक्षिप्त)

विज्ञापन पत्र क्रमांक/4025/व.ले.लि./का.यं./लो.स्वा.यां./खण्ड/2021 **सिवनी, दिनांक 24.11.2021**

निम्नलिखित कार्य की निविदा प्रक्रिया ई-टेण्डरिंग पद्धति से पोर्टल **http://www.mptenders.gov.in** पर आमंत्रित हैं। निविदा का विवरण निम्नानुसार है :-

निविदा सूचना क्र./दिनांक	ई-टेण्डरिंग पद्धति क्रमांक	कार्य का नाम	कुल अनुमानित लागत (रु. लाख में)	कुल अमानती राशि (रु. में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु. में)	ऑनलाइन निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि	ऑनलाइन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	समय अवधि	ठेकेदार की श्रेणी
26/नि.प्र./ 2021-22 दिनांक 24.11.2021	2021_ PHED_ 169846_1	जल जीवन मिशन के अंतर्गत सिवनी जिले के विकासखण्ड छपारा के ग्राम गंगई रैयत, नांदिया खुर्द, सिवनी, धुनई, करेली, पायली कौड़िया, मसूरभांवरी एवं छपारा (गोकलपुर) तथा विकासखण्ड लखनादौन के ग्राम मकरझिर, जुगरई माल, रहलोन कला, सिहोरा, पिण्डरई रैयत (माहुलगोंदी), लिंगपानी, गंगई (टीला टोला), मलखेड़ा, सुरई एवं सेमरताल में पूर्व से विद्यमान नलजल प्रदाय योजना का रेट्रोफिटिंग कार्य 50/75 कि.ली. क्षमता का आर.सी.सी. उच्चस्तरीय टंकी निर्माण (विकासखण्ड लखनादौन के ग्राम गंगई (टीला टोला) तथा विकासखण्ड छपारा के ग्राम पायली कौड़िया), 20/30/40/50 कि.ली. क्षमता का आर.सी.सी. सम्पवेल निर्माण (विकासखण्ड लखनादौन के ग्राम सुरई एवं सेमरताल तथा विकासखण्ड छपारा के ग्राम गंगई रैयत, सिवनी, धुनई, करेली, पायली कौड़िया, मसूरभांवरी एवं छपारा (गोकलपुर)), इत्यादि सामग्री एवं मजदूरी सहित, 100 प्रतिशत एफ.एच.टी.सी. एवं 90 दिवस का ट्रायल रन सहित कार्य। समूह क्रमांक 01	454.61	454610/-	15000/-	03.01.2022	03.01.2022	270 दिवस (वर्षाकाल सहित) 90 दिवस ट्रायल रन सहित	म.प्र. लोक निर्माण विभाग, भोपाल में केन्द्रीयकृत पंजीयन प्रणाली के अन्तर्गत "स" सिविल एवं उससे ऊपर की श्रेणी तथा अन्य राज्य अथवा केन्द्र के विभागों में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार
26/नि.प्र./ 2021-22 दिनांक 24.11.2021	2021_ PHED_ 169848_1	जल जीवन मिशन के अंतर्गत सिवनी जिले के विकासखण्ड बरघाट के ग्राम साल्हे कला, गोंडी टोला, मानेगांव कला, वम्हनी, जेवनारा, कांचना एवं गोरखपुर में पूर्व से विद्यमान नलजल प्रदाय योजना का रेट्रोफिटिंग कार्य 75 कि.ली. क्षमता का आर.सी.सी. उच्चस्तरीय टंकी निर्माण (मानेगांव कला एवं कांचना) 20/40 कि.ली. क्षमता का आर.सी.सी. सम्पवेल निर्माण (साल्हे कला, गोंडी टोला, मानेगांव कला, वम्हनी, जेवनारा, कांचना एवं गोरखपुर) इत्यादि सामग्री एवं मजदूरी सहित, 100 प्रतिशत एफ.एच.टी.सी. एवं 90 दिवस का ट्रायल रन सहित कार्य। समूह क्रमांक 02	493.10	493100/-	15000/-	03.01.2022	03.01.2022	270 दिवस (वर्षाकाल सहित) 90 दिवस ट्रायल रन सहित	म.प्र. लोक निर्माण विभाग, भोपाल में केन्द्रीयकृत पंजीयन प्रणाली के अन्तर्गत "स" सिविल एवं उससे ऊपर की श्रेणी तथा अन्य राज्य अथवा केन्द्र के विभागों में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार
26/नि.प्र./ 2021-22 दिनांक 24.11.2021	2021_ PHED_ 169849_1	जल जीवन मिशन के अंतर्गत सिवनी जिले के विकासखण्ड बरघाट के ग्राम मलारा, कटंग टोला, लुभान टोला, छम्मू टोला, पखारा, पखारा टोला, ताखला खुर्द, विजयपानी एवं धोबीसर्रा में पूर्व से विद्यमान नलजल प्रदाय योजना का रेट्रोफिटिंग कार्य 50/75/100 कि.ली. क्षमता का आर.सी.सी. उच्चस्तरीय टंकी निर्माण (छम्मू टोला, पखारा, ताखला खुर्द, विजयपानी एवं धोबीसर्रा) 20/30 कि.ली. क्षमता का आर.सी.सी. सम्पवेल निर्माण (कटंग टोला, लुभाना टोला, छम्मू टोला, पखारा, पखारा टोला, ताखला खुर्द, विजयपानी एवं धोबीसर्रा) इत्यादि सामग्री एवं मजदूरी सहित, 100 प्रतिशत एफ.एच.टी.सी. एवं 90 दिवस का ट्रायल रन सहित कार्य। समूह क्रमांक 03	465.04	465040/-	15000/-	03.01.2022	03.01.2022	270 दिवस (वर्षाकाल सहित) 90 दिवस ट्रायल रन सहित	म.प्र. लोक निर्माण विभाग, भोपाल में केन्द्रीयकृत पंजीयन प्रणाली के अन्तर्गत "स" सिविल एवं उससे ऊपर की श्रेणी तथा अन्य राज्य अथवा केन्द्र के विभागों में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार
26/नि.प्र./ 2021-22 दिनांक 24.11.2021	2021_ PHED_ 169850_1	जल जीवन मिशन के अंतर्गत सिवनी जिले के विकासखण्ड बरघाट के ग्राम जावरकाठी, गुदमा खुंट, कोसमी, पोनिया एवं बुढ़ैना कला में पूर्व से विद्यमान नलजल प्रदाय योजना का रेट्रोफिटिंग कार्य 50/75/100 कि.ली. क्षमता का आर.सी.सी. उच्चस्तरीय टंकी निर्माण (गुदमा, खुंट, पोनिया एवं बुढ़ैना कला) 20 कि.ली. क्षमता का आर.सी.सी. सम्पवेल निर्माण (जावरकाठी, गुदमा, खुंट, कोसमी, पोनिया एवं बुढ़ैना कला) इत्यादि सामग्री एवं मजदूरी सहित, 100 प्रतिशत एफ.एच.टी.सी. एवं 90 दिवस का ट्रायल रन सहित कार्य। समूह क्रमांक 04	480.87	480870/-	15000/-	03.01.2022	03.01.2022	270 दिवस (वर्षाकाल सहित) 90 दिवस ट्रायल रन सहित	म.प्र. लोक निर्माण विभाग, भोपाल में केन्द्रीयकृत पंजीयन प्रणाली के अन्तर्गत "स" सिविल एवं उससे ऊपर की श्रेणी तथा अन्य राज्य अथवा केन्द्र के विभागों में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार
26/नि.प्र./ 2021-22 दिनांक 24.11.2021	2021_ PHED_ 169852_1	जल जीवन मिशन के अंतर्गत सिवनी जिले के विकासखण्ड बरघाट के ग्राम केंकड़ई, लोहारा, धारना कला, नांदी, नांदी टोला, कल्याणपुर, भैंसा टोला, जंगल टोला में पूर्व से विद्यमान नलजल प्रदाय योजना का रेट्रोफिटिंग कार्य 100/150 कि.ली. क्षमता का आर.सी.सी. उच्चस्तरीय टंकी निर्माण (केंकड़ई, धारना कला एवं कल्याणपुर) 20/40 कि.ली. क्षमता का आर.सी.सी. सम्पवेल निर्माण (केंकड़ई, लोहारा, धारना कला, नांदी, नांदी टोला, कल्याणपुर एवं भैंसा टोला) इत्यादि सामग्री एवं मजदूरी सहित, 100 प्रतिशत एफ.एच.टी.सी. एवं 90 दिवस का ट्रायल रन सहित कार्य। समूह क्रमांक 05	494.56	494560/-	15000/-	03.01.2022	03.01.2022	270 दिवस (वर्षाकाल सहित) 90 दिवस ट्रायल रन सहित	म.प्र. लोक निर्माण विभाग, भोपाल में केन्द्रीयकृत पंजीयन प्रणाली के अन्तर्गत "स" सिविल एवं उससे ऊपर की श्रेणी तथा अन्य राज्य अथवा केन्द्र के विभागों में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार
26/नि.प्र./ 2021-22 दिनांक 24.11.2021	2021_ PHED_ 169853_1	जल जीवन मिशन के अंतर्गत सिवनी जिले के विकासखण्ड बरघाट के ग्राम पांढरवानी, नंदौरा, मंगल टोला, जाम, आष्टा, भुर्सी टोला, पिपरिया, चमारी टोला एवं मशीन टोला में पूर्व से विद्यमान नलजल प्रदाय योजना का रेट्रोफिटिंग कार्य 50/75 कि.ली. क्षमता का आर.सी.सी. उच्चस्तरीय टंकी निर्माण (पांढरवानी एवं जाम) 20/40 कि.ली. क्षमता का आर.सी.सी. सम्पवेल निर्माण (पांढरवानी, नंदौरा, जाम, आष्टा, पिपरिया, चमारी टोला एवं मशीन टोला) इत्यादि सामग्री एवं मजदूरी सहित, 100 प्रतिशत एफ.एच.टी.सी. एवं 90 दिवस का ट्रायल रन सहित कार्य। समूह क्रमांक 06	453.28	453280/-	15000/-	03.01.2022	03.01.2022	270 दिवस (वर्षाकाल सहित) 90 दिवस ट्रायल रन सहित	म.प्र. लोक निर्माण विभाग, भोपाल में केन्द्रीयकृत पंजीयन प्रणाली के अन्तर्गत "स" सिविल एवं उससे ऊपर की श्रेणी तथा अन्य राज्य अथवा केन्द्र के विभागों में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार
26/नि.प्र./ 2021-22 दिनांक 24.11.2021	2021_ PHED_ 169854_1	जल जीवन मिशन के अंतर्गत सिवनी जिले के विकासखण्ड बरघाट के ग्राम अरी, तिल्ली टोला, दौन्दीवाड़ा, गोकलपुर, तिघरा, साहू टोला एवं मोहगांव में पूर्व से विद्यमान नलजल प्रदाय योजना का रेट्रोफिटिंग कार्य 50/75/100/125 कि.ली. क्षमता का आर.सी.सी. उच्चस्तरीय टंकी निर्माण (तिघरा, मोहगांव, दौंदीवाड़ा, गोकलपुर एवं अरी) 20/40 कि.ली. क्षमता का आर.सी.सी. सम्पवेल निर्माण (अरी, तिल्ली टोला, दौंदीवाड़ा, गोकलपुर, तिघरा एवं मोहागांव) इत्यादि सामग्री एवं मजदूरी सहित, 100 प्रतिशत एफ.एच.टी.सी. एवं 90 दिवस का ट्रायल रन सहित कार्य। समूह क्रमांक 07	497.63	497630/-	15000/-	03.01.2022	03.01.2022	270 दिवस (वर्षाकाल सहित) 90 दिवस ट्रायल रन सहित	म.प्र. लोक निर्माण विभाग, भोपाल में केन्द्रीयकृत पंजीयन प्रणाली के अन्तर्गत "स" सिविल एवं उससे ऊपर की श्रेणी तथा अन्य राज्य अथवा केन्द्र के विभागों में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार

जी-20834/45398/2021 **कार्यपालन यंत्री**

(पिछले पृष्ठ का शेष)

स. इसके अतिरिक्त प्रदाय की जाने वाली सुविधाएं :- यथा संभव ऐसे अभ्यर्थियों का परीक्षा कक्ष भूतल पर निर्धारित किया जावेगा।

द. अभ्यर्थी को पात्र सहलेखक साथ में लेकर परीक्षा हेतु आना होगा। आयोग/केन्द्राध्यक्ष द्वारा सहलेखक उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

टीप : 1. उपरोक्त प्रकरणों के अतिरिक्त दिव्यांगजन सम्बन्धित अन्य किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण एवं निर्णय लिये जाने हेतु आयोग के सर्वाधिकार सुरक्षित रहेंगे।

2. दिव्यांगजन श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हें सहलेखक एवं भूतल पर बैठने की व्यावस्था की आवश्यकता है वे अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उक्त आवश्ययकताओं की प्रविष्टि करेंगे। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि आकस्मिक दुर्घटना एवं बीमारी के मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में अभ्यर्थियों को उक्त सुविधाएं उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि के आधार पर ही देय होगी।

ग्यारह - विविध

1. परीक्षार्थियों को किसी भी प्रश्नपत्र में ग्राफ पेपर या नक्शा/स्टेंन्सिल उपलब्ध नहीं कराया जायेगा और परीक्षार्थी स्वयं भी ग्राफ पेपर या नक्शा/स्टेन्सिल परीक्षा भवन में नहीं लाएंगे।
2. परीक्षार्थियों को अपने साथ डिजिटल डायरी, वॉच, केल्क्यूलेटर, सेल्युलर फोन, पेजर तथा अन्य electronic gadgets लाना वर्जित है।

बारह - परीक्षार्थी ओ.एम.आर. शीट एवं प्रश्नपत्रों पर दी गई समस्त सूचनाएं/निर्देश एवं अनुदेश ध्यानपूर्वक पढ़े व अनिवार्यता से उनका पालन करें।

तेरह - अनुशासन व शालीनता

1. परीक्षा कक्ष में धूम्रपान करना/अशिष्ट, अनर्गल वार्तालाप करना पूर्णतः निषिद्ध व दण्डनीय है।
2. परीक्षा परिसर में एवं भवन के अन्दर वीक्षक व केन्द्राध्यक्ष द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का पालन अनिवार्य है।
3. परीक्षा भवन के फर्नीचर अथवा केन्द्र पर की गई अन्य व्यवस्था को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जाना चाहिए। यह दण्डनीय है।
4. यदि परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष द्वारा निर्देशों का पालन नहीं करता है अथवा अशिष्ट आचरण करता है अथवा अनुचित या अशोभनीय या अशालीन व्यवहार करता है तो वह परीक्षा से निष्कासित किया जा सकेगा।उसकी परीक्षा निरस्त की जा सकेगी तथा वह ऐसे अन्य दण्ड का भी भागी होगा, जो आयोग उचित समझे। केन्द्राध्यक्षों को निर्देश दिये गये हैं कि ऐसे परीक्षार्थियों के नाम गोपनीय ढंग से आयोग को सूचित किये जाएं। परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष के पूर्ण प्रशासकीय नियंत्रण में होगा।

जी-20806/45387/2021

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी एरिया - इंदौर

आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी परीक्षा 2021

विज्ञापन क्रमांक 12/2021/28.12.2021
आयुष विभाग, मध्यप्रदेश शासन

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 14.02.2022

महत्वपूर्ण

1. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयुष विभाग, मध्यप्रदेश शासन हेतु आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पदों की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक अर्हता निम्नानुसार है :-
   शैक्षणिक अर्हता : (क) विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में सी.सी.आई.एम. द्वारा मान्य स्नातक उपाधि
   (ख) म.प्र. राज्य में विधि द्वारा स्थापित आयुर्वेदिक/यूनानी बोर्ड में पंजीयन
   टीप :- स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल होने वाला आवेदक भी आवेदन करने का पात्र होगा, बशर्ते उसे आयोग को साक्षात्कार में सम्मिलित होने से पूर्व अपेक्षित अर्हता (इंटर्नशिप प्रमाण-पत्र सहित) अर्जित करने का सबूत देना होगा।
   अन्य अर्हता : रोज़गार पंजीयन - अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोज़गार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
2. आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन पत्र दिनांक 15.01.2022 (दोपहर 12:00 बजे) से दिनांक 14.02.2022 (रात्रि 12:00 बजे) तक **www.mponline.gov.in, www.mppsc.nic.in** पर भरे जा सकते हैं।
   आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदन पत्रों में दिनांक 20.01.2022 से दिनांक 16.02.2022 तक त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति सुधार सत्र रु. 50/- त्रुटिसुधार शुल्क देय होगा। त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा तथा श्रेणी/वर्ग परिवर्तन विषयक समस्त आवेदन सरसरी तौर पर अमान्य किए जाएंगे तथा आयोग द्वारा इस सन्दर्भ में आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा।
3. इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु इंदौर, भोपाल, जबलपुर तथा ग्वालियर स्थित परीक्षा केन्द्रों पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की OMR आधारित वस्तुनिष्ठ परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के तीन गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन परिणाम, परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों एवं संविदा चिकित्सकों को देय वरीयता अंक के योग के गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम, परीक्षा तिथि एवं प्रवेश-पत्र उपलब्धता तिथि को यथासमय आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in** पर प्रकाशित किया जाएगा।
4. विज्ञापन के सन्दर्भ में आवश्यक सूचनाएं, परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in** एवं रोज़गार और निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा साथ ही अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय दिए गए **e-mail Address** तथा मोबाइल नंबर पर आवश्यक होने पर **e-mail** तथा **SMS Alert** भी प्रेषित किए जाएंगे। अतः अभ्यर्थी आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र पर विहित स्थान पर अपने ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा इसे अंतिम चयन परिणाम आने तक अपरिवर्तित रखें एवं आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें।
5. **आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी एक व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अतः किसी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यवहारिक रूप से असंभव है। अतः ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आएं और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें, ताकि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम पता गोपनीय रखा जाएगा।**
6. **उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक 25181/2019 के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगा।**
7. **आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अर्हता, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्त दस्तावेजों को संधारित नहीं किया जाता है। साक्षात्कार के समय अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत स्वप्रमाणित दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से मात्र मिलान का कार्य आयोग द्वारा किया जाता है। अंतिम चयन परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों एवं प्रतिक्षासूची में नामांकित अभ्यर्थियों के दस्तावजों को चयन सूची अनुसार विभाग को प्रेषित कर दिया जाता है जिनके सत्यापन का कार्य विभाग द्वारा नियुक्ति के पूर्व किया जाता है। अतः अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जानकारी आयोग द्वारा उपलब्ध करवाई जाना संभव नहीं है। इस संदर्भ में आयोग द्वारा किसी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं किया जाएगा तथा सूचना के अधिकार के अंतर्गत इस संदर्भ में प्राप्त आवेदनों को विभाग को अंतरित किया जाएगा।**

एक भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से **आयुष विभाग, मध्यप्रदेश शासन,** के अंतर्गत **आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी** के निम्नानुसार रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

पद का नाम :- आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी
विभाग का नाम :- आयुष विभाग, मध्यप्रदेश शासन

कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या					रिक्तियों में से मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या					मध्यप्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों की संख्या				कुल
UR	SC	ST	OBC	EWS	UR	SC	ST	OBC	EWS	OH	VH	HH	MD	
188	110	138	187	69	62	36	46	62	23	07	12	20	03	692

UR - Unreserved, SC - Scheduled Caste, ST - Scheduled Tribe, OBC - Other Backward Classes, EWS - Economically Weaker Section, OH - Orthopedic Handicapped, VH - Visual Handicapped, HH - Hearing Handicapped , MD - Multiple Disability.

दो **पद का विवरण**

(A) पद का नाम : **आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी**
(B) श्रेणी : राजपत्रित द्वितीय श्रेणी
(C) पद स्थिति : अस्थायी
(D) वेतनमान : रुपये **15600-39100+5400** ग्रेड पे तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
नोट - उपरोक्त वेतनमान छठे वेतन आयोग अनुसार है। सातवें वेतनमान में तत्स्थानी वेतनमान देय होगा।
(E) अर्हता :
अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता (क) विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में सी.सी.आई.एम. द्वारा मान्य स्नातक उपाधि
अन्य अर्हता (ख) म.प्र. राज्य में विधि द्वारा स्थापित आयुर्वेदिक/यूनानी बोर्ड में स्थायी पंजीयन
टीप : स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल होने वाला आवेदक भी आवेदन करने का पात्र होगा, बशर्ते उसे आयोग को साक्षात्कार में सम्मिलित होने से पूर्व अपेक्षित अर्हता (इंटर्नशिप प्रमाण-पत्र सहित) अर्जित करने का सबूत देना होगा।
टीप : अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा लिखित परीक्षा परिणाम में निर्धारित अभिलेख प्रस्तुतिकरण की अंतिम तिथि तक अपनी अर्हता (इंटर्नशिप प्रमाण-पत्र सहित) तथा आयुर्वेदिक/यूनानी बोर्ड में स्थायी पंजीयन के प्रमाण-पत्र अभिलेखों के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता समाप्त मानी जाएगी।
रोज़गार पंजीयन - अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोज़गार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
(F) कर्तव्य : चिकित्सा कार्य करना।

तीन **आयु सीमा** : **21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।**
आयु संगणना तिथि 01.01.2022

चार (i) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।
(ii) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी।
(iii) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षित पद केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित है।
(iv) मध्यप्रदेश के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी अपना वर्ग अनारक्षित लिखें।
आयु सीमा में दी गई अन्य छूटों के लिए **परिशिष्ट-2** देखें।

पांच **मध्यप्रदेश सिविल सेवायें (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता :-**
अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।
ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरर्हित नहीं होगा।

छः **संविदा पर कार्यरत चिकित्सकों हेतु विशेष उपबंध :-**
आयुष विभाग, मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ-02-01-2018-1-उनसठ, दिनांक 10 दिसंबर 2021 द्वारा "मध्यप्रदेश आयुष विभाग (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2013" में किए गए संशोधन के अनुपालन में -

01 संविदाकर्मियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट :-
सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 5-2-2018-1-3, भोपाल दिनांक 05 जून, 2018 में प्रदत्त अनुदेशों के अनुक्रम में मध्यप्रदेश के किसी शासकीय चिकित्सालय/पी.एच.सी./सी.एच.सी./ औषधालय/किसी शासकीय उपक्रम में संविदा के आधार पर आयुष चिकित्सक के पद पर न्यूनतम पाँच वर्ष कार्यरत रहा है ऐसे वर्तमान में कार्यरत या पूर्व में कार्यरत रह चुके, संविदा आयुष चिकित्सक को आयुष चिकित्सक पद के समकक्ष एवं उच्चतर श्रेणी के संविदा पद पर, वह जितने वर्ष कार्यरत रहा, उसे निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट मिलेगी। इस छूट सहित अधिकतम आयु विज्ञापन में निर्धारित दिनांक को 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

02 संविदाकर्मियों को बोनस अंक का प्रावधान :-
मध्यप्रदेश के किसी शासकीय चिकित्सालय/पी.एच.सी./सी.एच.सी./औषधालय/किसी शासकीय उपक्रम में संविदा के आधार पर आयुष चिकित्सक के पद पर कार्यरत या पूर्व में कार्यरत रह चुके, संविदा आयुष चिकित्सक को अनुभव के आधार पर आयोग द्वारा उक्त पद हेतु आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा के अंतिम निर्धारित पूर्णांक के 03 प्रतिशत अंक प्रति वर्ष के मान से अधिकतम 05 वर्ष हेतु अधिकतम 15 प्रतिशत बोनस अंक दिए जाएंगे किन्तु लिखित परीक्षा के श्रेणीवार न्यूनतम उत्तीर्णांक हेतु उक्त बोनस अंक संगणित नहीं किए जाएंगे।

- बोनस अंक लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्राप्त अंकों में जोड़े जाएंगे। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों एवं बोनस अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा।
- अंतिम चयन-सूची लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों, बोनस अंकों एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर घोषित की जाएगी।

अत्यावश्यक :- उपरोक्त विन्दु- 01 तथा 02 के लाभों हेतु अभ्यर्थियों को परिशिष्ट-1 में प्रकाशित प्रपत्र-1 तथा प्रपत्र-2 में अनुभव तथा संगणना के प्रमाण-पत्र आवेदन करने के पूर्व प्राप्त करना आवश्यक होगा तथा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में भी तत्संबंधी प्रविष्टि करना अनिर्वाय होगी।

सात **महत्वपूर्ण** :- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि, वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र जारी करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी।

आठ **अधिवार्षिकी आयु :- 62 वर्ष**

नौ **चयन प्रक्रिया** :-
इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु इंदौर, भोपाल, जबलपुर तथा ग्वालियर स्थित परीक्षा केन्द्रों पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की OMR आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा में प्राप्त अंकों तथा संविदा चिकित्सकों को देय वरीयता अंक के योग के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के तीन गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित

किया जाएगा। अंतिम चयन परिणाम, परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों एवं संविदा चिकित्सकों को देय वरीयता अंक के योग के गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा आयोजन से संबन्धित समस्त जानकारियां, परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम, परीक्षा तिथि एवं प्रवेश-पत्र उपलब्धता तिथि आदि यथासमय आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in** पर प्रकाशित किया जाएगा।

दस **आवेदन प्रक्रिया** :- उक्त पद हेतु आवेदन पत्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु परिशिष्ट -3 का अवलोकन करें।

ग्यारह विज्ञापन के सन्दर्भ में आवश्यक सूचनाएँ, ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in** एवं रोज़गार और निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा साथ ही अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय दिए गए **e-mail Address** तथा मोबाइल नंबर पर आवश्यक होने पर **e-mail** तथा **SMS Alert** भी प्रेषित किए जाएंगे। अतः अभ्यर्थी आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र पर विहित स्थान पर **अपने ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर** का अवश्य उल्लेख करें तथा उसे अंतिम चयन परिणाम तक अपरिवर्तित रखें एवं आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें।

बारह विज्ञापन के प्रकाशन में हुई किसी भी प्रकार की लिपिकीय त्रुटि में सुधार का आयोग का सर्वाधिकार सुरक्षित है।

तेरह **अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें :-**

(i) संविदा आयुर्वेद चिकित्सक हेतु अनुभव प्रमाण-पत्र तथा संगणना के प्रारूप **परिशिष्ट-1**
(ii) आयु सीमा की छूट **परिशिष्ट-2**
(iii) आवेदन पत्र भरने के तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियाँ **परिशिष्ट-3**
(iv) आप्टिकल स्कैनर द्वारा पढ़ी जाने वाली ओ.एम.आर. शीट के उपयोग संबंधी निर्देश तथा अन्य अनुदेश **परिशिष्ट-4**

सचिव

परिशिष्ट - 1
संविदा आयुष चिकित्सकों के अनुभव प्रमाण-पत्र तथा संगणना पत्रक के प्रारूप

प्रपत्र-1

कार्यालय जिला आयुष अधिकारी/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

जिला.....संभाग.....पता.....दूरभाष.....
ईमेल.....पत्र क्रमांक.....स्थान.....दिनांक.....

अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप

(केवल लोक सेवा आयोग द्वारा जारी आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी की सीधी भर्ती हेतु मान्य)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री.....(चिकित्सक का नाम) पिता/पति श्री.....ने आयुष विभाग/स्वास्थ्य विभाग/आयुष विंग/.....कार्यालय में संविदा आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के रूप में निम्नानुसार अवधि में चिकित्सकीय कार्य संपन्न किया :-

क्र.	संस्था का नाम	दिनांक		कुल अवधि ....वर्ष.....माह	प्रमाण पत्र क्रमांक एवं दिनांक	Employee ID
		से	तक			
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
	कुल अवधि					

टीप :- यह अनुभव प्रमाण-पत्र वेतन देयक एवं अन्य संबंधित कार्यालयीन अभिलेखों के सत्यापन उपरान्त जारी किया गया है।

स्थान.....
दिनांक.....

(हस्ताक्षर)
नाम.....
पदनाम : जिला आयुष अधिकारी/ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
पदमुद्रा.....

प्रपत्र-2

संविदा आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के कार्य अनुभव के अधिभार की गणना हेतु पत्रक
(आवेदक द्वारा प्रपत्र-2 की पूर्ति की जाकर पत्रक स्वप्रमाणित किया जावेगा)
अधिभार की गणना की तालिका

1. मैं श्री/श्रीमती/सुश्री.....(चिकित्सक का नाम) पिता/पति श्री.....प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा आयुष विभाग/स्वास्थ्य विभाग/..... विभाग में संविदा आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के रूप में निम्नानुसार अवधि में चिकित्सकीय कार्य संपन्न किया है :-

क्र.	संस्था का नाम	अवधि		कुल अवधि ....वर्ष....माह	प्रमाण पत्र क्रमांक एवं दिनांक	अनुभव के अंक %	Employee ID
		से	तक				
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
	कुल अवधि				कुल अंक का प्रतिशत		

1. उपरोक्त अनुभव के आधार पर मुझे कुल..... प्रतिशत वरीयता अंक की पात्रता आती है।
2. एवं उपरोक्त अनुभव के आधार पर मुझे आयु सीमा में कुल.....वर्ष छूट की पात्रता आती है।

स्व-प्रमाणीकरण/सत्यापन

मैं श्री/श्रीमती/सुश्री.....पिता/पति श्री.....प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत इस गणना पत्रक के चरण क्रमांक एक से तीन तक जानकारी कार्यालयीन अभिलेखों एवं मेरे निजी ज्ञान अनुसार सही है।

सत्यापन आज दिनांक.....को स्थान.....में सत्यापित किया गया।

आवेदक के हस्ताक्षर
आवेदक का नाम.....

अभिप्रमाणीकरण
(जिला आयुष अधिकारी/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा किया जावेगा)

अनुभव के कुल प्रतिशत अंक	
आयु सीमा में छूट	
जाँचकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर	
नाम, पदनाम एवं पदमुद्रा	

जिला आयुष अधिकारी/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के हस्ताक्षर	
नाम, पदनाम एवं पदमुद्रा	

टीप :- म.प्र. असाधारण दिनांक 10 दिसंबर 2021 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ-02-01-2018-1-उनसठ के प्रावधान अनुसार आयु सीमा में छूट एवं अधिभार अंक की गणना की जाएगी।

परिशिष्ट - 2

(एक) उच्चतर आयु सीमा में वर्ग विशेष को देय छूटें

(1) **मध्यप्रदेश शासन,** सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3-8/2016/1/3, दिनांक 04 जुलाई 2019 अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग/शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/ नगर सैनिक/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी तथा **उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रहेगी।**

(2) ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण :-

भूतपूर्व सैनिकों से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985 के नियम 2 (ग) में यथा प्रावधानित भूतपूर्व सैनिक।

(दो) प्रोत्साहन स्वरूप दी गई छूट

(1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(2) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/ 18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(तीन) संविदाकर्मियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट :-

सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 5-2-2018-1-3, भोपाल दिनांक 05 जून, 2018 में प्रदत्त अनुदेशों के अनुक्रम में मध्यप्रदेश के किसी शासकीय चिकित्सालय/पी.एच.सी./सी.एच.सी./ औषधालय/किसी शासकीय उपक्रम में संविदा के आधार पर आयुष चिकित्सक के पद पर न्यूनतम पाँच वर्ष कार्यरत रहा है - ऐसे वर्तमान में कार्यरत या पूर्व में कार्यरत रह चुके, संविदा आयुष चिकित्सक को आयुष चिकित्सक पद के समकक्ष एवं उच्चतर श्रेणी के संविदा पद पर, वह जितने वर्ष कार्यरत रहा, उसे निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट मिलेगी। इस छूट सहित अधिकतम आयु विज्ञापन में निर्धारित दिनांक को 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टीप :- (1) **परिशिष्ट-1 (दो)** के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/ योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में से यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी।

(2) समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्यप्रदेश राज्य के संदर्भ में है, अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक तथा महिला अभ्यर्थियों को देय आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित मान्य होंगे।
(सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 969/1197/2012/आ.प्र./एक, दिनांक 06.08.2012 में निहित व्यवस्था के अनुसार)

नोट :- (01) उपरोक्त परिशिष्ट -1 (एक) (1 से 2) (दो) (1 से 2) में उल्लेखित आयु सीमा की छूट की पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।

(02) अभ्यर्थियों को उपरोक्त सभी छूट देय होंगी किन्तु समस्त छूट को शामिल करते हुए भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात् जिन अभ्यर्थियों की आयु 45 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। **(केवल संविदा चिकित्सकों को उपरोक्त बिन्दु-तीन के अनुसार देय छूट को छोड़कर)**

परिशिष्ट - 3

ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1. आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार हैं :-
1. उपरोक्त पदों हेतु आवेदन पत्र **www.mponline.gov.in** तथा **www.mppsc.nic.in** वेबसाइट पर भरे जा सकेंगे।
2. अभ्यर्थी अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फार्म भरकर आवेदन/ परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नेट बैंकिंग सुविधा धारक अभ्यर्थी नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।
3. अभ्यर्थी फार्म भरने के पूर्व पंजीकरण के लिए उम्मीदवारों के पास एक वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। उम्मीदवार को प्रोफाइल में पूछी गई सभी जानकारी को ध्यान से भरना चाहिए और इसे सेव करना चाहिए।
4. अभ्यर्थी फार्म भरने के पूर्व अपने नवीनतम फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्केन फाइलें तैयार रखें जिन्हें उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय संलग्न करना होगा। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन पत्र में उनके फोटो एवं हस्ताक्षर स्पष्ट हैं।
5. सभी उम्मीदवारों को नवीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की छवियों को अपलोड करना आवश्यक है इस हेतु फोटोग्राफ का न्यूनतम आकार 20 KB एवं हस्ताक्षर का न्यूनतम आकार-10 KB होना चाहिए।
6. आवेदन पत्र submit करने के बाद खुलने वाले pop-up window में आवेदक को उसके द्वारा आवेदन पत्र में उल्लिखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात् उसका नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी लिंग आदि की जानकारी दी जाएगी जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी Cancel बटन दबाकर पुनः फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगे। Popup window में OK बटन दबाकर फार्म सबमिट करने पर आवेदन पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमें उसके आवेदन पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpaid होगा।

अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन पत्र submit होने के बाद "proceed for payment" बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसका आवेदन पत्र प्राप्त होगा, जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा जिसमें भुगतान राशि तथा "Payment Done" स्पष्टतः उल्लेखित होगा। आवेदक उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले

पत्र व्यवहार में आवेदन पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।

7. सिस्टम द्वारा केवल पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले उम्मीदवार के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।

8. **त्रुटि सुधार सुविधा** :- अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन पत्र में कोई त्रुटि होने पर दिनांक 20.01.2022 से 16.02.2022 तक प्रति त्रुटि सुधार सत्र ₹ 50/- त्रुटि सुधार शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चात्वर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीवद्ध किया जाएगा। अनारक्षित श्रेणी हेतु शुल्क ₹ 500 तथा आरक्षित श्रेणी हेतु ₹ 250 निर्धारित है। अतः आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा अनारक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि ₹ 250 त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त देय होगा, किन्तु अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा आरक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
ऑनलाइन आवेदन पत्रों में भरी गई श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/लिंग (महिला/पुरुष)/शासकीय सेवक) आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद श्रेणी/वर्ग परिवर्तन विषयक कोई पश्चात्वर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीवद्ध किया जाएगा।

9. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दर्ज किए हस्ताक्षर ही, साक्षात्कार की उपस्थिति सूची तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी।

2. परीक्षा तथा आवेदन शुल्क

मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) एवं दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु	शेष सभी श्रेणी तथा मध्यप्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों हेतु
₹ 250/-	₹ 500/-

सभी श्रेणी के आवेदकों को उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क रु. 40/- (GST अतिरिक्त) देय होगा। आवेदन एवं परीक्षा शुल्क एवं पोर्टल के शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य कोई राशि का भुगतान नहीं करना है। यदि कियोस्क धारक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो एमपी ऑनलाइन के निम्न दूरभाष नंबर पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

हेल्पलाइन :- 0755-6720200

केवल विज्ञापन निरस्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों को आवेदन एवं परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पद्धति से वापस किया जाएगा, किन्तु पोर्टल शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।

3. ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि

(अ) ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 14.02.2022 है। अंतिम तिथि को रात्रि 12:00 बजे के बाद आवेदन पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जाएगी।

4. अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ कोई अभिलेख अपलोड नहीं करने हैं, किन्तु साक्षात्कार के पूर्व आयोग को प्रेषित किए जाने वाले अनुप्रमाणन फार्म, उपस्थिति पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा आवेदन पत्र की स्वप्रमाणित प्रति के साथ निम्नांकित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें :-

आयु संबंधी प्रमाण के लिए :- केवल हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी अथवा मेट्रीकुलेशन की अंकसूची/प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र :- हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी तथा उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें अभ्यर्थी ने उत्तीर्ण किया है के समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की अंक सूचियां।

शासकीय सेवक होने का प्रमाण-पत्र :- यह प्रमाण-पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। इस प्रमाण-पत्र में धारित पद तथा विभाग का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

संविदा चिकित्सक के रूप में अनुभव तथा संगणना प्रमाण-पत्र :- यह प्रमाण-पत्र **परिशिष्ट-1** में दर्शाये गए प्रारूप में होना चाहिए तथा प्रारूप में उल्लेखित प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए।

जाति के प्रमाण-पत्र :- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जो कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के अधिकृत हैं द्वारा जारी किया गया हो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई वचन-पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए उसे नस्तीवद्ध किया जाएगा एवं आयोग इस संदर्भ में कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जाएगा। विवाहित महिलाएँ विवाहोपरांत नाम/उपनाम परिवर्तन का शपथ पत्र संलग्न करें। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाणन भी आवश्यक है। अर्थात् अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमीलेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे। इस संदर्भ में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा :-

घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप

मैं.....के विज्ञापन क्रमांक 12/2021, दिनांक 28.12.2021 के अंतर्गत आवेदन पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा/रही हूं। मैं निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूं

1. मैं.....पिता श्री.....निवासी ग्राम/कस्बा/शहर/.....जिला.....मध्यप्रदेश का/की मूल निवासी हूं। मैं.....जाति का/की सदस्य हूं जो शासन द्वारा मध्यप्रदेश हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य है।
2. मैं यह भी घोषित करता/करती हूं कि मैं शासन के नवीनतम परिपत्रों द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार क्रीमीलेयर में नहीं आता/आती हूं।

हस्ताक्षर.....
नाम.....
रोल नंबर.....

(उक्त घोषणा-पत्र तथा जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति केवल साक्षात्कार के पूर्व प्रस्तुत किए जाने वाले अनुप्रमाणन-पत्र के साथ संलग्न करें)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु :- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।
परिशिष्ट -1 की कंडिका-(दो-1) के अधीन उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण-पत्र।
परिशिष्ट -1 की कंडिका-(दो-2) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।

5. जो अभ्यर्थी पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमे आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हों, उनको यह अभिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। अभ्यर्थियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

6. अनुशासनिक निर्देश :-
यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी है-

01 जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो; या
02 प्रतिरूपण किया हो; या
03 किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या
04 कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए हों जिनमें फेरबदल किया गया हो; या
05 ऐसे कथन दिए हों जो गलत और झूठे हों या जिसने चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छुपाई हों; या
06 परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो; या
07 परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो; या
08 परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक छति पहुंचाई हो; या
09 उनके द्वारा प्रवेश पत्र में अभ्यर्थियों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या निर्देशों जिसमें परीक्षा संचालन में लगे केंद्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारी द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित हैं, अतिक्रमण किया हो; या
10 परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार,

तब आयोग द्वारा :-

(क) उसे उस परीक्षा के लिए जिसके लिए वह उम्मीदवार है, निरर्ह ठहरा सकेगा
और/या
उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।

(ख) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुशंसा की जाएगी।

(ग) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

एवं तब शासन द्वारा :-
उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा।

7. **अनर्हताएं** :- ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी जिन्हें किसी परीक्षा अथवा चयन से उपरोक्त दर्शित प्रावधानों के तहत विवर्जित किया गया है।

8. परीक्षा की पश्चात्वर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में आवश्यक निर्देश :-

01 परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in** पर प्रकाशित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को उनके परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जाएगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जाएगा।

02 परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएं प्रकाशित की जाएंगी। अतः सफल अभ्यर्थी उनके परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार से संबन्धित समस्त सूचनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उसमें प्रदत्त अनुदेशों के अनुरूप आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in** पर उपलब्ध कराए गए अनुप्रमाणन फार्म, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा उपस्थिति पत्रक डाउनलोड करके आवश्यक पूर्तियों के पश्चात् एवं सभी आवश्यक अभिलेख संलग्न कर, परीक्षा परिणाम में उल्लेखित साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा करें। अपने ऑनलाइन आवेदन की स्वप्रमाणित प्रति भी उक्त अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें।

03 साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने की अंतिम तिथि तक अभिलेख जमा न करने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वयंमेव समाप्त हो जाएगी तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में अभ्यर्थी को पृथक् से कोई सूचना नहीं दी जाएगी तथा इस संदर्भ में प्राप्त अभ्यावेदनों को बिना विचार किए नस्तीवद्ध किया जाएगा।

9. यात्रा व्यय का भुगतान :-

(अ) मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमीलेयर) तथा दृष्टिबाधित दिव्यांगजन श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी जो कहीं सेवारत न हों को ऑनलाइन परीक्षा तथा साक्षात्कार हेतु मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय की पात्रता होगी।

(ब) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित वर्तमान निवास के पते के शहर/ग्राम से उन्हें आवंटित परीक्षा शहर तक आने तथा जाने के यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा।

(स) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को इसके लिए केंद्राध्यक्ष द्वारा आयोग द्वारा निर्धारित घोषणा-पत्र प्रदान किया जाएगा जिसे भरकर अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय की पात्रता से संबन्धित निम्नांकित अभिलेखों के साथ केंद्राध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा :-
1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमीलेयर) के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
2. दृष्टिबाधित दिव्यांगजन श्रेणी के प्रमाणन हेतु विहित प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
3. यात्रा का टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गयी तथा किराये की राशि का स्पष्टतः उल्लेख हो।

(द) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा। इस हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमीलेयर) श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम, खाता क्रमांक तथा बैंक के IFSC Code का उल्लेख करना एवं साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की पठनीय स्केन प्रति आवेदन पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक विवरण में कोई त्रुटि/विसंगति होने के कारण भुगतान निरस्त होने की दशा में आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा इस संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

(इ) साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय उपरोक्त नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

परिशिष्ट - 4

आप्टिकल स्कैनर द्वारा पढ़ी जाने वाली ओ.एम.आर. शीट के उपयोग संबंधी निर्देश तथा अन्य अनुदेश

टीप - ओ.एम.आर. शीट का मूल्यांकन आप्टिकल स्कैनर/कम्प्यूटर द्वारा किया जावेगा अतः ओ.एम.आर. शीट का उपयोग नीचे बताई गई बातों पर आवश्यक ध्यान रखते हुए अत्यन्त सावधानी पूर्वक करें।

1. आप अपने साथ परीक्षा कक्ष में कम से कम दो काले बाल पाइन्ट पेन अवश्य लाएं।
2. गोले भरने के लिए केवल काला बाल पाइन्ट पेन का ही उपयोग करें। गोलों को पूरी तरह गहरा काला करें, अधूरा अस्पष्ट या हल्का काला करने पर ओ.एम.आर. शीट स्कैनर द्वारा नहीं जांची जा सकेगी।
3. ओ.एम.आर. शीट पर किसी प्रकार का रफ कार्य न किया जाए। इस कार्य के लिए प्रश्न पत्र पर अलग से स्थान निर्धारित है, उस स्थान का ही उपयोग करें।
4. ओ.एम.आर. शीट अत्यन्त सावधानीपूर्वक रखें। उसे किसी तरह से मोड़ा या काटा न जाए और किसी प्रकार से गंदी न की जाए अन्यथा कम्प्यूटर/आप्टिकल स्कैनर उसे रद्द कर देगा।
5. उत्तर देना प्रारंभ करने के पहले सुनिश्चित कर लें कि ओ.एम.आर. शीट पर सभी प्रविष्टियाँ सही रूप से की गई हैं। अभ्यर्थी द्वारा उसे प्रदत्त प्रश्न पत्र सेट ए.बी.सी.डी. अंकन न करने पर OMR का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।
6. आपको प्रत्येक प्रश्न क्रमांक के सामने का केवल एक ही गोला काला करना है। एक से अधिक गोले को काला करने पर या गोलों को हल्का, अस्पष्ट या अधूरा काला करने पर या किसी अन्य पेन्सिल या स्याही से काला करने पर किसी अन्य तरीके से कोई निशान जैसे (✓) या (×) लगाने पर ओ.एम.आर. शीट कम्प्यूटर/आप्टिकल स्कैनर द्वारा नहीं पढ़ी जायेगी।

7. **ओ.एम.आर. शीट पर उत्तर अंकन के लिये - सामान्य निर्देश -**

(अ) प्रश्नों के उत्तर : ओ.एम.आर. शीट पर यथास्थान उत्तर अंकित करने के अनुदेश दिए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें। प्रश्नों के उत्तर देने के लिए ओ.एम.आर. शीट पर आवश्यक संख्या लिखी है। प्रत्येक प्रश्न क्रमांक के नीचे/सामने क्रमशः 4 गोले ए.बी.सी.डी. बने हैं। प्रश्न पत्र में प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर ए.बी.सी.डी. दिए हैं। इनमें से, सही उत्तर चुनकर संबंधित प्रश्न क्रमांक के नीचे/सामने बने गोलों में से केवल एक गोला काले बाल पाइन्ट पेन से गहरा काला करें।

OMR Sheet में उत्तर अंकित कर उसे काटने/मिटाने/वाइटनर लगाने से उक्त प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

(ब) ओ.एम.आर. शीट के सामने के पृष्ठ पर अपना नाम, अनुक्रमांक, परीक्षा तिथि, प्रश्न पत्र कोड आदि भरने के लिये बने खानों में प्रविष्टि के लिये काले बाल पाइन्ट पेन का उपयोग करें। प्रश्न पत्र A,B,C,D set में से कोई एक ही सेट दिया जायेगा। अपने सेट का कोड क्रमांक सावधानी से नियत स्थान पर भरें एवं सेट के गोले को काले पेन से काला करें।

(स) हस्ताक्षर - ओ.एम.आर. शीट पर निर्धारित स्थान पर बाल पाइन्ट पेन से हस्ताक्षर करें।

(द) ओ.एम.आर. शीट के पीछे के पृष्ठ पर अनुक्रमांक, प्रश्न पत्र कोड के कॉलम के गोलों में प्रविष्टि करने के लिये काला बाल पाइन्ट पेन का उपयोग कर संबंधित क्रमांक के गोले को काला करें। अभ्यर्थी उसे आवंटित 'प्रश्न पत्र के सेट कोड' ध्यान से देखें तथा सेट की जानकारी सुनिश्चित होने के पश्चात ही प्रश्न पत्र के सेट कोड के गोले को अत्यंत सावधानी से काला करें। इसी काले किए गए कोड (ABCD के गोले) के आधार पर ही उत्तरशीट का मूल्यांकन किया जायेगा। सेट कोड गलत भरने पर त्रुटि सुधार नहीं होगा। मूल्यांकन अभ्यर्थी द्वारा भरे गये सेट कोड की उत्तर कुंजी के आधार पर होगा जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

8. **रोल नम्बर की प्रविष्टि (चित्र एक)**

रोल नम्बर के खाने में बायें से दायें 1 से 6 तक स्तम्भ हैं। पहला स्तम्भ का लाख का, दूसरा स्तम्भ दस हजार का, तीसरा स्तम्भ हजार का, चौथा स्तम्भ सैकड़े का, पांचवां स्तम्भ दहाई का एवं छटा स्तम्भ इकाई का है। इनके नीचे 0 से 9 अंक लिखे हुए गोले हैं। इन्हीं में आपको अपने रोल नम्बर भरना है। उदाहरणार्थ यदि आपका रोल नं. 684021 है तो आप पहले ऊपर की लाइन में चौकोर खानों में दर्शाये अनुसार रोल नम्बर काले बाल पाइन्ट पेन से लिखें तत्पश्चात् पहले स्तम्भ के गोले क्रमांक 6, दूसरे स्तम्भ के गोले क्रमांक 8, तीसरे स्तम्भ के गोले क्रमांक 4, चौथे स्तम्भ के गोले क्रमांक 0, पांचवें स्तम्भ के गोले क्रमांक 2 तथा छठे स्तम्भ के गोले क्रमांक 1 को काले बाल पाइन्ट से गहरा काला करें।

अनुक्रमांक के गोले न भरने पर या गलत भरने पर OMR का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अंकों में तथा गोले भरने में भिन्नता होने पर भी ओ.एम.आर शीट का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

रोल नं. चित्र -1

6	8	4	0	2	1
0	0	0	●	0	0
1	1	1	1	1	●
2	2	2	2	●	2
3	3	3	3	3	3
4	4	●	4	4	4
5	5	5	5	5	5
●	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	●	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

परीक्षार्थियों हेतु निर्देश एवं अनुदेश -

निम्नलिखित निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ने के उपरांत ही परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हों। निर्देशों एवं अनुदेशों का पालन न करने पर परीक्षार्थी आयोग द्वारा निर्धारित दंड का भागी होगा।

एक - प्रवेश

01 परीक्षा में परीक्षार्थी को दिया गया प्रवेश नितांत प्रावधिक है।

02 परीक्षा नियत समय पर प्रारंभ होगी। केन्द्राध्यक्ष की घड़ी का समय ही प्रामाणिक मानकर परीक्षा संचालन किया जायेगा। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात् आने पर परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

03 परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश-पत्र तथा मान्य फोटो युक्ति परिचय-पत्र आवश्यक रूप से अपने साथ रखें।

04 परीक्षा केन्द्रक पर परीक्षार्थी की जाँच की जाएगी। परीक्षार्थी अपने साथ केवल दो काले बाल पाइन्ट पेन, प्रवेश पत्र एवं मान्य फोटोयुक्त पहचान पत्र अनिवार्य रूप से साथ लेकर आएं। इसके अतिरिक्त मोबाइल, केलक्युलेटर, पेजर एवं किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि परीक्षा कक्ष में ले जाने की अनुमति नहीं है।

दो - निर्गमन

01 सामान्यतः परीक्षार्थी को परीक्षा की अवधि में परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जावेगी। वीक्षक से विशेष अनुमति लेकर उनकी निगरानी में ही बाहर जाया जा सकेगा।

02 किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात् एक घंटे तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जायेगी। भले ही उसने प्रश्न पत्र हल कर लिया हो।

03 प्रश्न पत्र हल करने के पश्चात् केन्द्राध्यक्ष/वीक्षक द्वारा ओ.एम.आर. शीट एकत्रित किये जाने के उपरांत वीक्षक की अनुमति से ही परीक्षार्थी परीक्षा भवन छोड़ेगा। ओ.एम.आर. शीट सहित कक्ष से बाहर जाने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाएगा।

04 निर्धारित समय समाप्त होने के उपरांत किसी भी परीक्षार्थी को अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किया जायेगा (केवल दृष्टि बाधित तथा ऐसे अस्थि बाधित जो दोनों ही हाथों से लिखने में असमर्थ हैं तथा जिन्होंने सहलेखक की सुविधा ली है, ऐसे आवेदकों को प्रारम्भिक तथा मुख्य परीक्षा में 20 मिनिट प्रति घण्टा अतिरिक्त समय दिया जायेगा।

निर्धारित समय के उपरांत कोई भी परीक्षार्थी न तो लिखे उत्तरों में कोई संशोधन करेगा और न ही शेष रहे प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करेगा।

तीन - नाम और अनुक्रमांक

ओ.एम.आर. शीट पर परीक्षार्थी केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना नाम और अनुक्रमांक लिखें। ओ.एम.आर. शीट के अन्य किसी भी भाग पर न तो अनुक्रमांक, न अपना नाम और न ही पता अंकित करें। ओ.एम.आर. शीट के साथ अन्य कोई सामग्री संलग्न करना वर्जित है। ओ.एम.आर. शीट में (आपको दिये गये A, B, C, D प्रश्न पत्र सेट में से कोई एक सेट मिलेगा) प्रश्न पत्र का सेट अवश्य लिखें एवं सेट के गोले को काले पेन से काला करें। आपके द्वारा प्रश्न पत्र सेट के गोले को काला करने पर ही उक्त सेट की उत्तर कुंजी से ही ओ.एम.आर. शीट मूल्यांकन होगा। जैसा चित्र में सेट-B को काला किया है।

चित्र - चार

A	○
B	●
C	○
D	○

चार - अनुचित साधन

परीक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व सुनिश्चित करें कि उनकी सीट के निकट, उनके पास कम्पास, स्केल या पॉकेट में कोई अवांछित सामग्री, कोई पुस्तक या अनावश्यक कागज Electronic Gadget इत्यादि जो परीक्षा में प्रश्न पत्र हल करने में सहायक हो, न हों। परीक्षार्थी अनुचित साधन के प्रयोग से बचें। परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का प्रयोग सर्वथा वर्जित व दण्डनीय है। परीक्षा भवन में अपने साथ कोई भी लिखित या कोरा कागज, पुस्तक, वस्तु, टीप विशेषकर मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा अन्य वर्जित वस्तुएं आदि लाना अनुचित साधनों के प्रयोग में सम्मिलित माना जायेगा। इसी प्रकार परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से चर्चा करना, उसकी ओ.एम.आर. शीट से नकल करना अथवा अपनी शीट से अन्य परीक्षार्थी को नकल करवाना, किसी अन्य परीक्षार्थी से ओ.एम.आर. शीट बदलना, परीक्षा भवन में जोर-जोर से बोलना, किसी भी प्रकार की सांकेतिक भाषा अथवा किसी प्रकार से अन्य परीक्षार्थी को किसी प्रश्न का उत्तर बताना अथवा किसी अन्य परीक्षार्थी से किसी प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने का कोई प्रयास करना या किसी कागज पर प्रश्न पत्र की नकल करना भी अनुचित साधनों के प्रयोग के अन्तर्गत माना जायेगा। परीक्षा भवन में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर परीक्षार्थी द्वारा दी गई परीक्षा को निरस्त किया जा सकेगा, उसे परीक्षा से निष्कासित किया जा सकेगा तथा साथ ही उसे आगामी ऐसी अवधि के लिये जो आयोग उचित समझे आयोग की सभी परीक्षाओं, अन्य आयोगों की परीक्षा एवं साक्षात्कारों से वंचित किये जाने का दण्ड भी दिया जा सकेगा।

परीक्षा की गोपनीयता :- परीक्षा पूर्व/दौरान/पश्चात् प्रश्न-पत्र की गोपनीयता के भंग होने की किसी भी गतिविधि में लिप्त पाये जाने वाले अभ्यीर्थीयों/व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जा कर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

पांच - प्रश्न संबंधी शिकायत

प्रश्न से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत होने पर परीक्षार्थी परीक्षा के प्रावधिक उत्तर कुंजी प्रकाशन के 07 दिवस के अंदर निर्धारित शुल्क (100 रुपये प्रति प्रश्न तथा रुपये 40 प्रति त्रुटि सुधार सत्र पोर्टल चार्ज) जमा कर ऑनलाइन पद्धति से आपत्ति दर्ज कराये। परीक्षा के प्रावधिक उत्तर कुंजी प्रकाशन के 07 दिवस के अंदर ऑनलाइन पद्धति से दर्ज शिकायतों पर ही विचार किया जायेगा। इसके पश्चात् एवं अन्य किसी पद्धति से प्रस्तुत आवेदनों को नस्तीबद्ध किया जाएगा। जिन प्रश्नों पर अभ्यार्थियों द्वारा प्रस्तुति आपत्ति, विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा सही पाई जाएगी उस प्रश्न हेतु दिया गया आपत्ति शुल्क आपत्तिकर्ता अभ्यर्थियों को ऑनलाइन पद्धति से वापस किया जाएगा। इस हेतु आपत्तिकर्ता अभ्यर्थियों को आपत्ति मॉडयूल में उसके बैंक खाते की जानकारी प्रविष्ट करना अनिवार्य होगा।

छः - ओ.एम.आर. शीट का लौटाना -

परीक्षार्थी परीक्षा के उपरान्त ओ.एम.आर. शीट कक्ष के वीक्षक को ही सौंपेंगे। परीक्षार्थी द्वारा किसी भी स्थिति में ओ.एम.आर. शीट परीक्षा कक्ष से बाहर ले जाना अथवा परीक्षा के उपरांत उसे वापस न दिया जाना गम्भीर अपराध माना जायेगा और इस हेतु उसके विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज कर दण्डात्मक कार्यवाही भी की जाएंगी।

सात - ओ.एम.आर. शीट पर अनुक्रमांक अंकन व अन्य पूर्तियां

1. ओ.एम.आर. शीट पर नियत स्थान पर परीक्षार्थी अपना सही नाम और अनुक्रमांक शब्दों एवं अंकों में अंकित करें तथा परीक्षा का विषय कोड के सही गोले भरे। साथ ही प्रश्न पत्र सेट और भी अत्यंत सावधानी से भरें एवं सेट के गोले को काला करें।
2. ओ.एम.आर. शीट पर कोई दाग/चिन्ह न लगने पाए, इस बात की सतर्कता बरतें।

आठ - प्रश्नपत्र पर अंकन

परीक्षार्थी प्रश्न पत्र पर भी अनुक्रमांक लिखें तथा रफ कार्य प्रश्न पत्र में दिये गये पृष्ठ पर ही करें इसके अतिरिक्त प्रश्न पत्र पर कुछ भी लिखना, प्रश्न पत्र की नकल करना या उसकी प्रति बनाना निषिद्ध होकर अनुचित साधन प्रयोग के समान दण्डनीय है।

नौ - उपस्थिति पत्रक

प्रत्येक प्रश्न पत्र के समय परीक्षा कक्ष में वीक्षक के समक्ष परीक्षार्थी तिथि सहित अपने हस्ताक्षर करें। यह हस्ताक्षर नमूने के हस्ताक्षर के अनुरूप हों। हस्ताक्षर के नीचे अपना नाम भी लिखें।

दस - दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु सहलेखक संबंधी नियम

अ. अभ्यर्थियों का विवरण जिन्हें सुविधा प्रदान की जाएगी :-

1 दृष्टि बाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) निःशक्त तथा सेरिब्रल पाल्सी से दिव्यांगजन परीक्षार्थी।

2 मानसिक रूप से संस्तम (स्पेस्टिक) डाइसलेक्सिक पर्सन्स विद डिसएबिलिटिज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।

3 ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे शासकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।

4 आकस्मिक दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे शासकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।

5 उपरोक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को छोडकर अन्य अभ्यर्थियों को सहलेखक एवं प्रतिपूरक समय की सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी।

ब. प्रदान की जाने वाली सुविधाएं :-

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को सहायक एवं प्रतिपूरक समय की सुविधा प्रदान की जावेगी। उपरोक्त सुविधा लेने हेतु अभ्यर्थी द्वारा सम्पूर्ण जानकारी मय दस्तावेजों एवं घोषणा-पत्र सहित परीक्षा दिनांक से एक दिवस पूर्व संबंधित परीक्षा केन्द्राध्यक्ष के सम्मुख प्रस्तुत करना होगी। ताकि नियमानुसार लिखित अनुमति प्रदान की जा सके। अपरिहार्य कारणों से पूर्व में आवेदित लेखन सहायक उपस्थित न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के सत्यापन उपरांत नियमानुसार निर्धारित शर्तों के अनुरूप योग्यताधारी अन्य लेखन सहायक की सुविधा हेतु अनुमति दी जा सकेगी। लेखन सहायक से घोषणा-पत्र भरवाया जावेगा।

(i) लेखन सहायक की नियुक्ति हेतु शर्तें :-

लेखन सहायक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिये जिसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अभ्यर्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा की अर्हता से कम होना चाहिये। उदाहरण के लिये यदि किसी परीक्षा हेतु अभ्यर्थी की शैक्षणिक अर्हता स्नातक उपाधि है, तो लेखन सहायक की योग्यता स्नातक से कम होना चाहिए (अर्थात् स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होना चाहिए)। यदि किसी पद की परीक्षा की शैक्षणिक अर्हता स्नातकोत्तर उपाधि है, तो सहलेखक की योग्यता स्नातकोत्तर उपाधि से कम होनी चाहिए (अर्थात् स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होना चाहिए)।

(ii) प्रतिपूरक समय हेतु शर्तें :-

ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हें उपरोक्तानुसार सहलेखक की सुविधा प्रदान की गई है, निम्नानुसार प्रतिपूरक समय की पात्रता होगी :-

3 घंटे की अवधि के प्रश्न पत्र के लिए	60 मिनट
2 घंटे की अवधि के प्रश्न पत्र के लिए	40 मिनट

स. इसके अतिरिक्त प्रदाय की जाने वाली सुविधाएं :-

यथा संभव ऐसे अभ्यर्थियों का परीक्षा कक्ष भूतल पर निर्धारित किया जावेगा।

द. अभ्यर्थी को पात्र सहलेखक साथ में लेकर परीक्षा हेतु आना होगा। आयोग/केन्द्राध्यक्ष द्वारा सहलेखक उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

टीप : - 1. उपरोक्त प्रकरणों के अतिरिक्त दिव्यांगजन सम्बन्धित अन्य किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण एवं निर्णय लिये जाने हेतु आयोग के सर्वाधिकार सुरक्षित रहेंगे।

2. दिव्यांगजन श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हें सहलेखक एवं भूतल पर बैठने की व्यवस्था की आवश्यकता है वे अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उक्त आवश्यकताओं की प्रविष्टि करेंगे। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि आकस्मिक दुर्घटना एवं बीमारी के मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में अभ्यर्थियों को उक्त सुविधाएं उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि के आधार पर ही देय होंगी।

ग्यारह विविध

1. परीक्षार्थियों को किसी भी प्रश्न पत्र में ग्राफ पेपर या नक्शा/स्टेंन्सिल उपलब्ध नहीं कराया जावेगा और परीक्षार्थी स्वयं भी ग्राफ पेपर या नक्शा/स्टेन्सिल परीक्षा भवन में नहीं लाएंगे।
2. परीक्षार्थियों को अपने साथ डिजीटल डायरी, वॉच, केल्क्यूलेटर, सेल्युलर फोन, पेजर तथा अन्य electronic gadgets लाना वर्जित है।

बारह - परीक्षार्थी ओ.एम.आर. शीट एवं प्रश्न पत्रों पर दी गई समस्त सूचनाएं/निर्देश एवं अनुदेश ध्यानपूर्वक पढ़ें व अनिवार्यता से उनका पालन करें।

तेरह - अनुशासन व शालीनता

1. परीक्षा कक्ष में धूम्रपान करना/अशिष्ट, अनर्गल वार्तालाप करना पूर्णतः निषिद्ध व दण्डनीय है।
2. परीक्षा परिसर में एवं भवन के अन्दर वीक्षक व केन्द्राध्यक्ष द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का पालन अनिवार्य है।
3. परीक्षा भवन के फर्नीचर अथवा केन्द्र पर की गई अन्य व्यवस्था को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जाना चाहिए, यह दण्डनीय है।
4. यदि परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष द्वारा निर्देशों का पालन नहीं करता है अथवा अशिष्ट आचरण करता है अथवा अनुचित या अशोभनीय या अशालीन व्यवहार करता है तो वह परीक्षा से निष्कासित किया जा सकेगा। उसकी परीक्षा निरस्त की जा सकेगी तथा वह ऐसे अन्य दण्ड का भी भागी होगा, जो आयोग उचित समझे। केन्द्राध्यक्षों को निर्देश दिये गये हैं कि ऐसे परिक्षार्थियों के नाम गोपनीय ढंग से आयोग को सूचित किये जाए। परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष के पूर्ण प्रशासकीय नियंत्रण में होगा।

जी-20809/45388/2021

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी एरिया - इंदौर

यूनानी चिकित्सा अधिकारी परीक्षा 2021

विज्ञापन क्रमांक 18/2021/30.12.2021
आयुष विभाग, मध्यप्रदेश शासन

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 01.03.2022

महत्वपूर्ण

1. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयुष विभाग, मध्यप्रदेश शासन हेतु यूनानी चिकित्सा अधिकारी के पदों की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक अर्हता निम्नानुसार है :-
   शैक्षणिक अर्हता **(क) विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से यूनानी चिकित्सा पद्धति में सी.सी.आई.एम. द्वारा मान्य स्नातक उपाधि।**
   (ख) म.प्र. राज्य में विधि द्वारा स्थापित आयुर्वेदिक/यूनानी बोर्ड में पंजीयन
   टीप :- स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल होने वाला आवेदक भी आवेदन करने का पात्र होगा, बशर्ते उसे आयोग को साक्षात्कार में सम्मिलित होने से पूर्व अपेक्षित अर्हता (इंटर्नशिप प्रमाण-पत्र सहित) अर्जित करने का सबूत देना होगा।
   अन्य अर्हता **रोज़गार पंजीयन** - अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोज़गार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
2. आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन पत्र दिनांक 30.01.2022 (दोपहर 12:00 बजे) से दिनांक 01.03.2022 (रात्रि 12:00 बजे) तक **www.mponline.gov.in, www.mppsc.nic.in** पर भरे जा सकते हैं।
   आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र की सावधानीपूर्वक जाँच कर लें। ऑनलाइन आवेदनपत्रों में दिनांक 05.02.2022 से दिनांक 03.03.2022 तक त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति सुधार सत्र रु. 50/- त्रुटिसुधार शुल्क देय होगा। त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा तथा श्रेणी/वर्ग परिवर्तन विषयक समस्त आवेदन सरसरी तौर पर अमान्य किए जाएंगे तथा आयोग द्वारा इस सन्दर्भ में आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा।
3. इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु इंदौर, भोपाल, जबलपुर तथा ग्वालियर स्थित परीक्षा केन्द्रों पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की OMR आधारित वस्तुनिष्ठ परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के तीन गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन परिणाम, परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों एवं संविदा चिकित्सकों को देय वरीयता अंक के योग के गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम, परीक्षा तिथि एवं प्रवेश-पत्र उपलब्धता तिथि को यथासमय आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in** पर प्रकाशित किया जाएगा।
4. विज्ञापन के सन्दर्भ में आवश्यक सूचनाएं, परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in** एवं रोज़गार और निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा साथ ही अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय दिए गए **e-mail Address** तथा मोबाइल नंबर पर आवश्यक होने पर **e-mail** तथा **SMS Alert** भी प्रेषित किए जाएंगे। अतः अभ्यर्थी आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र पर विहित स्थान पर **अपने ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर** का अवश्य उल्लेख करें तथा इसे अंतिम चयन परिणाम आने तक अपरिवर्तित रखें एवं आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें।
5. **आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी एक व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अतः किसी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यवहारिक रूप से असंभव है। अतः ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आएं और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम पता गोपनीय रखा जाएगा।**
6. **उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक 25181/2019 के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगा।**
7. **आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अर्हता, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्त दस्तावेजों को संधारित नहीं किया जाता है। साक्षात्कार के समय अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत स्वप्रमाणित दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से मात्र मिलान का कार्य आयोग द्वारा किया जाता है। अंतिम चयन परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों एवं प्रतीक्षासूची में नामांकित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों को चयन सूची अनुसार विभाग को प्रेषित कर दिया जाता है जिनके सत्यापन का कार्य विभाग द्वारा नियुक्ति के पूर्व किया जाता है। अतः अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जानकारी आयोग द्वारा उपलब्ध करवाई जाना संभव नहीं है। इस संदर्भ में आयोग द्वारा किसी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं किया जाएगा तथा सूचना के अधिकार के अंतर्गत इस संदर्भ में प्राप्त आवेदनों को विभाग को अंतरित किया जाएगा।**

एक भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से **आयुष विभाग, मध्यप्रदेश शासन,** के अंतर्गत **यूनानी चिकित्सा अधिकारी** के निम्नानुसार रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

पद का नाम :- यूनानी चिकित्सा अधिकारी
विभाग का नाम :- आयुष विभाग, मध्यप्रदेश शासन

कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या					रिक्तियों में से मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या					मध्यप्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों की संख्या				कुल
UR	SC	ST	OBC	EWS	UR	SC	ST	OBC	EWS	OH	VH	HH	MD	
09	04	06	07	02	03	01	02	02	01	00	01	01	00	28

UR - Unreserved, SC- Scheduled Caste, ST - Scheduled Tribe, OBC - Other Backward Classes, EWS - Economically Weaker Section, OH - Orthopedic Handicapped, VH - Visual Handicapped, HH - Hearing Handicapped, MD - Multiple Disability

दो **पद का विवरण**

(A) पद का नाम : **यूनानी चिकित्सा अधिकारी**

(B) श्रेणी : राजपत्रित द्वितीय श्रेणी

(C) पद स्थिति : अस्थायी

(D) वेतनमान : रुपये **15600-39100+5400** ग्रेड पे तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

नोट - उपरोक्त वेतनमान छठे वेतन आयोग अनुसार है। सातवें वेतनमान में तत्स्थानी वेतनमान देय होगा।

(E) अर्हता :

अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता (क) विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से यूनानी चिकित्सा पद्धति में सी.सी.आई.एम. द्वारा मान्य स्नातक उपाधि।

अन्य अर्हता (ख) म.प्र. राज्य में विधि द्वारा स्थापित आयुर्वेदिक/यूनानी बोर्ड में स्थायी पंजीयन।

टीप : स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल होने वाला आवेदक भी आवेदन करने का पात्र होगा, बशर्ते उसे आयोग को साक्षात्कार में सम्मिलित होने से पूर्व अपेक्षित अर्हता (इंटर्नशिप प्रमाण-पत्र सहित) अर्जित करने का सबूत देना होगा।

टीप : अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा लिखित परीक्षा परिणाम में निर्धारित अभिलेख प्रस्तुतीकरण की अंतिम तिथि तक अपनी अर्हता (इंटर्नशिप प्रमाण-पत्र सहित) तथा आयुर्वेदिक/यूनानी बोर्ड में स्थायी पंजीयन के प्रमाण-पत्र अभिलेखों के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता समाप्त मानी जाएगी।

रोज़गार पंजीयन - अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोज़गार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।

(F) कर्तव्य : चिकित्सा कार्य करना।

तीन **आयु सीमा** : **21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।**

आयु संगणना तिथि : 01.01.2022

चार (i) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।

(ii) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी।

(iii) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षित पद केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित हैं।

(iv) मध्यप्रदेश के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी अपना वर्ग अनारक्षित लिखें।

आयु सीमा में दी गई अन्य छूटों के लिए **परिशिष्ट-2** देखें।

पाँच **मध्यप्रदेश सिविल सेवायें (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता :-**

अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरर्हित नहीं होगा।

छः **संविदा पर कार्यरत चिकित्सकों हेतु विशेष उपबंध :-**

आयुष विभाग, मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ-02-01-2018-1-उनसठ, दिनांक 10 दिसंबर 2021 द्वारा "मध्यप्रदेश आयुष विभाग (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2013" में किए गए संशोधन के अनुपालन में-

01 संविदा कर्मियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट :-

सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 5-2-2018-1-3, भोपाल दिनांक 05 जून, 2018 में प्रदत्त अनुदेशों के अनुक्रम में मध्यप्रदेश के किसी शासकीय चिकित्सालय/पी.एच.सी./सी.एच.सी./औषधालय/किसी शासकीय उपक्रम में संविदा के आधार पर आयुष चिकित्सक के पद पर न्यूनतम पाँच वर्ष कार्यरत रहा है - ऐसे वर्तमान में कार्यरत या पूर्व में कार्यरत रह चुके, संविदा आयुष चिकित्सक को आयुष चिकित्सक पद के समकक्ष एवं उच्चतर श्रेणी के संविदा पद पर, वह जितने वर्ष कार्यरत रहा, उसे निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट मिलेगी। इस छूट सहित अधिकतम आयु विज्ञापन में निर्धारित दिनांक को 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

02 संविदा कर्मियों को बोनस अंक का प्रावधान :-

मध्यप्रदेश के किसी शासकीय चिकित्सालय/पी.एच.सी./सी.एच.सी./औषधालय/किसी शासकीय उपक्रम में संविदा के आधार पर आयुष चिकित्सक के पद पर कार्यरत या पूर्व में कार्यरत रह चुके, संविदा आयुष चिकित्सक को अनुभव के आधार पर आयोग द्वारा उक्त पद हेतु आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा के अंतिम निर्धारित पूर्णांक के 03 प्रतिशत अंक प्रतिवर्ष के मान से अधिकतम 05 वर्ष हेतु अधिकतम 15 प्रतिशत बोनस अंक दिए जाएंगे किन्तु लिखित परीक्षा के श्रेणीवार न्यूनतम उत्तीर्णांक हेतु उक्त बोनस अंक संगणित नहीं किए जाएंगे।

- बोनस अंक लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्राप्त अंकों में जोड़े जाएंगे। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों एवं बोनस अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा।
- अंतिम चयन-सूची लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों, बोनस अंकों एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर घोषित की जाएगी।

अत्यावश्यक :- उपरोक्त बिन्दु- 01 तथा 02 के लाभों हेतु अभ्यर्थियों को परिशिष्ट-1 में प्रकाशित प्रपत्र-1 तथा प्रपत्र-2 में अनुभव तथा संगणना के प्रमाण-पत्र आवेदन करने के पूर्व प्राप्त करना आवश्यक होगा तथा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में भी तत्संबंधी प्रविष्टि करना अनिवार्य होंगी।

सात **महत्वपूर्ण :- यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि, वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र जारी करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी।**

आठ **अधिवार्षिकी आयु :- 62 वर्ष**

नौ **चयन प्रक्रिया :-**

इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु इंदौर, भोपाल, जबलपुर तथा ग्वालियर स्थित परीक्षा केन्द्रों पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की OMR आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा में प्राप्त अंकों तथा संविदा चिकित्सकों को देय वरीयता अंक के योग के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के तीन गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन परिणाम, परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों एवं संविदा चिकित्सकों

को देय वरीयता अंक के योग के गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा आयोजन से संबन्धित समस्त जानकारियां, परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम, परीक्षा तिथि एवं प्रवेश-पत्र उपलब्धता तिथि आदि यथासमय आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in** पर प्रकाशित किया जाएगा।

दस **आवेदन प्रक्रिया** :- उक्त पद हेतु आवेदन पत्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु **परिशिष्ट-3** का अवलोकन करें।

ग्यारह विज्ञापन के सन्दर्भ में आवश्यक सूचनाएँ, ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in** एवं रोज़गार और निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा साथ ही अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय दिए गए **e-mail Address** तथा मोबाइल नंबर पर आवश्यक होने पर **e-mail** तथा **SMS Alert** भी प्रेषित किए जाएंगे। अतः अभ्यर्थी आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र पर विहित स्थान पर **अपने ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर** का अवश्य उल्लेख करें तथा उसे अंतिम चयन परिणाम तक अपरिवर्तित रखें एवं आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें।

बारह विज्ञापन के प्रकाशन में हुई किसी भी प्रकार की लिपिकीय त्रुटि में सुधार का आयोग का सर्वाधिकार सुरक्षित है।

तेरह **अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें** :-

(i) संविदा यूनानी चिकित्सक हेतु अनुभव प्रमाण-पत्र तथा संगणना के प्रारूप **परिशिष्ट-1**
(ii) आयु सीमा की छूट **परिशिष्ट-2**
(iii) आवेदन पत्र भरने के तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियाँ **परिशिष्ट-3**
(iv) आप्टिकल स्कैनर द्वारा पढ़ी जाने वाली ओ.एम.आर. शीट के उपयोग संबंधी निर्देश तथा अन्य अनुदेश **परिशिष्ट-4**

सचिव

परिशिष्ट-1

संविदा आयुष चिकित्सकों के अनुभव प्रमाण-पत्र तथा संगणना पत्रक के प्रारूप

प्रपत्र-1

कार्यालय जिला आयुष अधिकारी/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी.....
जिला ..... संभाग .....
पता ..... दूरभाष ..... ईमेल .....
पत्र क्रमांक ..... स्थान ..... दिनांक .....

अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप

(केवल लोक सेवा आयोग द्वारा जारी यूनानी चिकित्सा अधिकारी की सीधी भर्ती हेतु मान्य)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री ..... (चिकित्सक का नाम) पिता/पति श्री ..... ने आयुष विभाग/स्वास्थ्य विभाग/आयुष विंग/ ..... कार्यालय में संविदा यूनानी चिकित्सा अधिकारी के रूप में निम्नानुसार अवधि में चिकित्सकीय कार्य संपन्न किया :-

क्र.	संस्था का नाम	दिनांक से	दिनांक तक	कुल अवधि ....वर्ष.....माह	प्रमाण पत्र क्रमांक एवं दिनांक	Employee ID
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
	कुल अवधि					

टीप :- यह अनुभव प्रमाण-पत्र वेतन देयक एवं अन्य संबंधित कार्यालयीन अभिलेखों के सत्यापन उपरान्त जारी किया गया है।

स्थान .....
दिनांक .....

(हस्ताक्षर)
नाम .....
पदनाम : जिला आयुष अधिकारी/ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
पदमुद्रा .....

प्रपत्र-2

संविदा यूनानी चिकित्सा अधिकारी के कार्य अनुभव के अधिभार की गणना हेतु पत्रक
(आवेदक द्वारा प्रपत्र-2 की पूर्ति की जाकर पत्रक स्वप्रमाणित किया जावेगा)
अधिभार की गणना की तालिका

1. मैं श्री/श्रीमती/सुश्री ..... (चिकित्सक का नाम) पिता/पति श्री ..... प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा आयुष विभाग/स्वास्थ्य विभाग/..... विभाग में संविदा यूनानी चिकित्सा अधिकारी के रूप में निम्नानुसार अवधि में चिकित्सकीय कार्य संपन्न किया है :-

क्र.	संस्था का नाम	अवधि से	अवधि तक	कुल अवधि ....वर्ष....माह	प्रमाण पत्र क्रमांक एवं दिनांक	अनुभव के अंक %	Employee ID
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
	कुल अवधि				कुल अंक का प्रतिशत		

1. उपरोक्त अनुभव के आधार पर मुझे कुल ..... प्रतिशत वरीयता अंक की पात्रता आती है।
2. एवं उपरोक्त अनुभव के आधार पर मुझे आयु सीमा में कुल ..... वर्ष छूट की पात्रता आती है।

स्व-प्रमाणीकरण/सत्यापन

मैं श्री/श्रीमती/सुश्री ..... पिता/पति श्री ..... प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत इस गणना पत्रक के चरण क्रमांक एक से तीन तक जानकारी कार्यालयीन अभिलेखों एवं मेरे निजी ज्ञान अनुसार सही है।
सत्यापन आज दिनांक ..... को स्थान ..... में सत्यापित किया गया।

आवेदक के हस्ताक्षर
आवेदक का नाम.....

अभिप्रमाणीकरण
(जिला आयुष अधिकारी/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा किया जावेगा)

अनुभव के कुल प्रतिशत अंक	
आयु सीमा में छूट	
जाँचकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर	
नाम, पदनाम एवं पदमुद्रा	

जिला आयुष अधिकारी/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के हस्ताक्षर	
नाम, पदनाम एवं पदमुद्रा	

टीप :- म.प्र. असाधारण दिनांक 10 दिसंबर 2021 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ-02-01-2018-1-उनसठ के प्रावधान अनुसार आयु सीमा में छूट एवं अधिभार अंक की गणना की जाएगी।

परिशिष्ट-2

(एक) उच्चतर आयु सीमा में वर्ग विशेष को देय छूटें

(1) **मध्यप्रदेश शासन,** सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3-8/2016/1/3, दिनांक 04 जुलाई 2019 अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग/शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारीयों/ नगर सैनिक/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी तथा **उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रहेगी।**

(2) ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण :-
भूतपूर्व सैनिकों से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985 के नियम 2 (ग) में यथा प्रावधानित भूतपूर्व सैनिक।

(दो) प्रोत्साहन स्वरूप दी गई छूट

(1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(2) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(तीन) संविदाकर्मियों को अधिकतम आयु सीमा में छूटः-

सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 5-2-2018-1-3, भोपाल दिनांक 05 जून, 2018 में प्रदत्त अनुदेशों के अनुक्रम में मध्यप्रदेश के किसी शासकीय चिकित्सालय/पी.एच.सी./सी.एच.सी./औषधालय/ किसी शासकीय उपक्रम में संविदा के आधार पर आयुष चिकित्सक के पद पर न्यूनतम पाँच वर्ष कार्यरत रहा है - ऐसे वर्तमान में कार्यरत या पूर्व में कार्यरत रह चुके, संविदा आयुष चिकित्सक को आयुष चिकित्सक पद के समकक्ष एवं उच्चतर श्रेणी के संविदा पद पर, वह जितने वर्ष कार्यरत रहा, उसे निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट मिलेगी। इस छूट सहित अधिकतम आयु विज्ञापन में निर्धारित दिनांक को 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टीप :- (1) **परिशिष्ट-1** (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में से यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी।

(2) समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्यप्रदेश राज्य के संदर्भ में है, अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक तथा महिला अभ्यर्थियों को देय आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित मान्य होंगे।
(सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 969/1197/2012/आ.प्र./एक, दिनांक 06.08.2012 में निहित व्यवस्था के अनुसार)

नोट :- (01) उपरोक्त परिशिष्ट-1 (एक) (1 से 2) (दो) (1 से 2) में उल्लेखित आयु सीमा की छूट की पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।

(02) अभ्यर्थियों को उपरोक्त सभी छूट देय होंगी किन्तु समस्त छूट को शामिल करते हुए भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात् जिन अभ्यर्थियों की आयु 45 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। **(केवल संविदा चिकित्सकों को उपरोक्त बिन्दु-तीन के अनुसार देय छूट को छोड़कर)**

परिशिष्ट-3

ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1. **यूनानी चिकित्सा अधिकारी** के पद हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार हैं :-
   1. उपरोक्त पदों हेतु आवेदन पत्र **www.mponline.gov.in** तथा **www.mppsc.nic.in** वेबसाइट पर भरे जा सकेंगे।
   2. अभ्यर्थी अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फार्म भरकर आवेदन/परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नेट बैंकिंग सुविधा धारक अभ्यर्थी नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।
   3. अभ्यर्थी फार्म भरने के पूर्व पंजीकरण के लिए उम्मीदवारों के पास एक वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। उम्मीदवार को प्रोफाइल में पूछी गई सभी जानकारी को ध्यान से भरना चाहिए और इसे सेव करना चाहिए।
   4. अभ्यर्थी फार्म भरने के पूर्व अपने नवीनतम फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्केन फाइलें तैयार रखें जिन्हें उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय संलग्न करना होगा। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन पत्र में उनके फोटो एवं हस्ताक्षर स्पष्ट हैं।
   5. सभी उम्मीदवारों को नवीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की छवियों को अपलोड करना आवश्यक है इस हेतु फोटोग्राफ का न्यूनतम आकार 20 KB एवं हस्ताक्षर का न्यूनतम आकार-10 KB होना चाहिए।
   6. आवेदन पत्र submit करने के बाद खुलने वाले pop-up window में आवेदक को उसके द्वारा आवेदन पत्र में उल्लिखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात **उसका नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी, लिंग आदि की जानकारी दी जाएगी** जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी Cancel बटन दबाकर पुनः फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगे। Popup window में OK बटन दबाकर फार्म सबमिट करने पर आवेदन पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमें उसके आवेदन पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpaid होगा।
      अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन पत्र submit होने के बाद "proceed for payment" बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् अभ्यर्थी को उसका आवेदन पत्र प्राप्त होगा, जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा जिसमें भुगतान राशि तथा "Payment Done" स्पष्टतः उल्लेखित होगा। आवेदक उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।
   7. सिस्टम द्वारा केवल पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले उम्मीदवार के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।

8. **त्रुटि सुधार सुविधा** :- अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन पत्र में कोई त्रुटि होने पर **दिनांक 05.02.2022 से 03.03.2022** तक प्रति त्रुटि सुधार सत्र ₹ 50/- त्रुटि सुधार शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीवद्ध किया जाएगा। **अनारक्षित श्रेणी हेतु शुल्क ₹ 500 तथा आरक्षित श्रेणी हेतु ₹ 250 निर्धारित है। अतः आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा अनारक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि ₹ 250 त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त देय होगा, किन्तु अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा आरक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।**
ऑनलाइन आवेदन पत्रों में भरी गई श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/लिंग (महिला/पुरुष)/शासकीय सेवक) आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद श्रेणी/वर्ग परिवर्तन विषयक कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीवद्ध किया जाएगा।

9. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दर्ज किए हस्ताक्षर ही, साक्षात्कार की उपस्थिति सूची, तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। **विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी।**

2. परीक्षा तथा आवेदन शुल्क

मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) एवं दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु	शेष सभी श्रेणी तथा मध्यप्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों हेतु
₹ 250/-	₹ 500/-

सभी श्रेणी के आवेदकों को उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क रु. 40/- (GST अतिरिक्त) देय होगा। आवेदन एवं परीक्षा शुल्क एवं पोर्टल के शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य कोई राशि का भुगतान नहीं करना है। यदि कियोस्क धारक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो एमपी ऑनलाइन के निम्न दूरभाष नंबर पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

हेल्पलाइन :- 0755-6720200

केवल विज्ञापन निरस्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों को आवेदन एवं परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पद्धति से वापस किया जाएगा, किन्तु पोर्टल शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।

3. ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि

(अ) ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि **01.03.2022** है। अंतिम तिथि को रात्रि 12:00 बजे के बाद आवेदन पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जाएगी।

4. अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ कोई अभिलेख अपलोड नहीं करने हैं किन्तु साक्षात्कार के पूर्व आयोग को प्रेषित किए जाने वाले अनुप्रमाणन फार्म, उपस्थिति पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा आवेदन पत्र की स्वप्रमाणित प्रति के साथ निम्नांकित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें :-

आयु संबंधी प्रमाण के लिए :- केवल हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी अथवा मेट्रीक्यूलेशन की अंकसूची/प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र :- हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी तथा उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें अभ्यर्थी ने उत्तीर्ण किया है के समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की अंक सूचियाँ।

शासकीय सेवक होने का प्रमाण-पत्र :- यह प्रमाण-पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। इस प्रमाण-पत्र में धारित पद तथा विभाग का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

संविदा चिकित्सक के रूप में अनुभव तथा संगणना प्रमाण-पत्र :- यह प्रमाण-पत्र परिशिष्ट-1 में दर्शाये गए प्रारूप में होना चाहिए तथा प्रारूप में उल्लेखित प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए।

जाति के प्रमाण-पत्र :- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जो कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के अधिकृत हैं द्वारा जारी किया गया हो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद की जाएगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई वचन-पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए उसे नस्तीवद्ध किया जाएगा एवं आयोग इस संदर्भ में कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जाएगा। विवाहित महिलाएँ विवाहोपरांत नाम/उपनाम परिवर्तन का शपथ पत्र संलग्न करें। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाणन भी आवश्यक है। अर्थात् अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमीलेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे। इस संदर्भ में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा :-

घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप

मैं ..... के विज्ञापन क्रमांक 18/2021, दिनांक 30.12.2021 के अंतर्गत आवेदन पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा/रही हूं। मैं निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूं

1. मैं ..... पिता श्री ..... निवासी ग्राम/कस्बा/शहर/ ..... जिला ..... मध्यप्रदेश का/की मूल निवासी हूं। मैं ..... जाति का/की सदस्य हूं जो शासन द्वारा मध्यप्रदेश हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य है।
2. मैं यह भी घोषित करता/करती हूं कि मैं शासन के नवीनतम परिपत्रों द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार क्रीमीलेयर में नहीं आता/आती हूं।

हस्ताक्षर .....
नाम .....
रोल नंबर .....

(उक्त घोषणा-पत्र तथा जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति केवल साक्षात्कार के पूर्व प्रस्तुत किए जाने वाले अनुप्रमाणन-पत्र के साथ संलग्न करें)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु :- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट-1 की कंडिका-(दो-1) के अधीन उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट-1 की कंडिका-(दो-2) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।

5. जो अभ्यर्थी पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हों, उनको यह अभिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। अभ्यर्थियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर उनकी अभ्यर्थिता रद कर दी जाएगी।

6. अनुशासनिक निर्देश :-

यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी है :-

01 जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो; या
02 प्रतिरूपण किया हो; या
03 किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या
04 कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए हों जिनमें फेरबदल किया गया हो; या
05 ऐसे कथन दिए हों जो गलत और झूठे हों या जिसने चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छुपाई हो; या
06 परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो; या
07 परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो; या
08 परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो; या
09 उनके द्वारा प्रवेश पत्र में अभ्यर्थियों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या निर्देशों जिसमें परीक्षा संचालन में लगे केंद्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारी द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित हैं, अतिक्रमण किया हो; या
10 परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार,

तब आयोग द्वारा :-

(क) उसे उस परीक्षा के लिए जिसके लिए वह उम्मीदवार है, अनर्ह ठहरा सकेगा
और/या
उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।
(ख) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उसपर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुशंसा की जाएगी।
(ग) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

एवं तब शासन द्वारा :-

उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा।

7. अनर्हताएं :- ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी जिन्हें किसी परीक्षा अथवा चयन से उपरोक्त दर्शित प्रावधानों के तहत विवर्जित किया गया है।

8. परीक्षा की पश्चातवर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में आवश्यक निर्देश :-

01 परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in** पर प्रकाशित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को उनके परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जाएगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जाएगा।
02 परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएं प्रकाशित की जाएंगी। अतः सफल अभ्यर्थी उनके परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार से संबन्धित समस्त सूचनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उसमें प्रदत्त अनुदेशों के अनुरूप आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in** पर उपलब्ध कराए गए अनुप्रमाणन फार्म, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा उपस्थिति पत्रक डाउनलोड करके आवश्यक पूर्तियों के पश्चात् एवं सभी आवश्यक अभिलेख संलग्न कर, परीक्षा परिणाम में उल्लेखित साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा करें। अपने ऑनलाइन आवेदन की स्वप्रमाणित प्रति भी उक्त अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें।
03 साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने की अंतिम तिथि तक अभिलेख जमा न करने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वयमेव समाप्त हो जाएगी तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में अभ्यर्थी को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जाएगी तथा इस संदर्भ में प्राप्त अभ्यावेदनों को बिना विचार किए नस्तीवद्ध किया जाएगा।

9. यात्रा व्यय का भुगतान :-

(अ) मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमीलेयर) तथा दृष्टिबाधित दिव्यांगजन श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी जो कहीं सेवारत न हों को ऑनलाइन परीक्षा तथा साक्षात्कार हेतु मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय की पात्रता होगी।
(ब) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित वर्तमान निवास के पते के शहर/ग्राम से उन्हें आवंटित परीक्षा शहर तक आने तथा जाने के यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा।
(स) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को इसके लिए केंद्राध्यक्ष द्वारा आयोग द्वारा निर्धारित घोषणा-पत्र प्रदान किया जाएगा जिसे भरकर अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय की पात्रता से संबन्धित निम्नांकित अभिलेखों के साथ केंद्राध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा :-
1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमीलेयर) के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
2. दृष्टिबाधित दिव्यांगजन श्रेणी के प्रमाणन हेतु विहित प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
3. यात्रा का टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गयी तथा किराये की राशि का स्पष्टतः उल्लेख हो।

(द) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा। इस हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमीलेयर) श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम, खाता क्रमांक तथा बैंक के IFSC Code का उल्लेख करना एवं साथ ही अपनी बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की पठनीय स्केन प्रति आवेदन पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक विवरण में कोई त्रुटि/विसंगति होने के कारण भुगतान निरस्त होने की दशा में आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा इस संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
(इ) साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय उपरोक्त नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

परिशिष्ट-4

आप्टिकल स्कैनर द्वारा पढ़ी जाने वाली ओ.एम.आर. शीट के उपयोग संबंधी निर्देश तथा अन्य अनुदेश

टीप - ओ.एम.आर. शीट का मूल्यांकन आप्टिकल स्कैनर/कम्प्यूटर द्वारा किया जावेगा अतः ओ.एम.आर. शीट का उपयोग नीचे बताई गई बातों पर आवश्यक ध्यान रखते हुए अत्यन्त सावधानी पूर्वक करें।

1. आप अपने साथ परीक्षा कक्ष में कम से कम दो काले बाल पाइन्ट पेन अवश्य लाएं।
2. गोले भरने के लिए केवल काला बाल पाइन्ट पेन का ही उपयोग करें। गोलों को पूरी तरह गहरा काला करें, अधूरा अस्पष्ट या हल्का काला करने पर ओ.एम.आर. शीट स्कैनर द्वारा नहीं जांची जा सकेगी।
3. ओ.एम.आर. शीट पर किसी प्रकार का रफकार्य न किया जाए। इस कार्य के लिए प्रश्न पत्र पर अलग से स्थान निर्धारित है, उस स्थान का ही उपयोग करें।
4. ओ.एम.आर. शीट अत्यन्त सावधानीपूर्वक रखें। उसे किसी तरह से मोड़ा या काटा न जाए और किसी प्रकार से गंदी न की जाए अन्यथा कम्प्यूटर/आप्टिकल स्कैनर उसे रद कर देगा।
5. उत्तर देना प्रारंभ करने के पहले सुनिश्चित कर लें कि ओ.एम.आर. शीट पर सभी प्रविष्टियाँ सही रूप से की गई हैं। अभ्यर्थी द्वारा उसे प्रदत्त प्रश्न पत्र सेट ए, बी, सी, डी अंकन न करने पर OMR का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।
6. आपको प्रत्येक प्रश्न क्रमांक के सामने का केवल एक ही गोला काला करना है। एक से अधिक गोले को काला करने पर या गोलों को हल्का, अस्पष्ट या अधूरा काला करने पर या किसी अन्य पेन्सिल या स्याही से काला करने पर किसी अन्य तरीके से कोई निशान जैसे (✓) या (×) लगाने पर ओ.एम.आर. शीट कम्प्यूटर/आप्टिकल स्कैनर द्वारा नहीं पढ़ी जायेगी।

7. ओ.एम.आर. शीट पर उत्तर अंकन के लिये - सामान्य निर्देश -

(अ) प्रश्नों के उत्तर : ओ.एम.आर. शीट पर यथास्थान उत्तर अंकित करने के अनुदेश दिए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें। प्रश्नों के उत्तर देने के लिए ओ.एम.आर. शीट पर आवश्यक संख्या लिखी है। प्रत्येक प्रश्न क्रमांक के नीचे/सामने क्रमशः 4 गोले ए, बी, सी, डी बने हैं। प्रश्न पत्र में प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर ए, बी, सी, डी दिए हैं। इनमें से, सही उत्तर चुनकर संबंधित प्रश्न क्रमांक के नीचे/सामने बने गोलों में से केवल एक गोला काले बाल पाइन्ट पेन से गहरा काला करें।

OMR Sheet में उत्तर अंकित कर उसे काटने/मिटाने/वाइटनर लगाने से उक्त प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

(ब) ओ.एम.आर. शीट के सामने के पृष्ठ पर अपना नाम, अनुक्रमांक, परीक्षा तिथि, प्रश्न पत्र कोड आदि भरने के लिये बने खानों में प्रविष्टि के लिये काले बाल पेन का उपयोग करें। प्रश्न पत्र A, B, C, D set में से कोई एक ही सेट दिया जायेगा। अपने सेट का कोड क्रमांक सावधानी से नियत स्थान पर भरें एवं सेट के गोले को काले पेन से काला करें।

(स) **हस्ताक्षर** - ओ.एम.आर. शीट पर निर्धारित स्थान पर बाल पेन से हस्ताक्षर करें।

(द) ओ.एम.आर. शीट के पीछे के पृष्ठ पर अनुक्रमांक, प्रश्न पत्र कोड के कॉलम के गोलों में प्रविष्टि करने के लिये काला बाल पाइन्ट पेन का उपयोग कर संबंधित क्रमांक के गोले को काला करें। अभ्यर्थी उसे आवंटित प्रश्न पत्र के सेट कोड ध्यान से देखें तथा सेट की जानकारी सुनिश्चित होने के पश्चात् ही प्रश्न पत्र के सेट कोड के गोले को अत्यंत सावधानी से काला करें। इसी काले किए गए कोड (**ABCD** के गोले) के आधार पर ही उत्तरशीट का मूल्यांकन किया जायेगा। सेट कोड गलत भरने पर त्रुटि सुधार नहीं होगा। मूल्यांकन अभ्यर्थी द्वारा भरे गये सेट कोड की उत्तर कुंजी के आधार पर होगा जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

8. रोल नम्बर की प्रविष्टि (चित्र एक)

रोल नम्बर के खाने में बायें से दायें 1 से 6 तक स्तम्भ हैं। पहला स्तम्भ लाख का, दूसरा स्तम्भ दस हजार का, तीसरा स्तम्भ हजार का, चौथा स्तम्भ सैकड़े का, पांचवां स्तम्भ दहाई का एवं छटा स्तम्भ इकाई का है। इनके नीचे 0 से 9 अंक लिखे हुए गोले हैं। इन्हीं में आपको अपने रोल नम्बर भरना है। उदाहरणार्थ यदि आपका रोल नं. 684021 है तो आप पहले ऊपर की लाइन में चौकोर खानों में दर्शाये अनुसार रोल नम्बर काला बाल पाइन्ट पेन से लिखें तत्पश्चात् पहले स्तम्भ के गोले क्रमांक 6, दूसरे स्तम्भ के गोले क्रमांक 8, तीसरे स्तम्भ के गोले क्रमांक 4, चौथे स्तम्भ के गोले क्रमांक 0, पांचवें स्तम्भ के गोले क्रमांक 2 तथा छठे स्तम्भ के गोले क्रमांक 1 को काला बाल पाइन्ट से गहरा काला करें।

अनुक्रमांक के गोले न भरने पर या गलत भरने पर OMR का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अंकों में तथा गोले भरने में भिन्नता होने पर भी ओ.एम.आर. शीट का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

रोल नं. चित्र -1

6	8	4	0	2	1
0	0	0	●	0	0
1	1	1	1	1	●
2	2	2	2	●	2
3	3	3	3	3	3
4	4	●	4	4	4
5	5	5	5	5	5
●	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	●	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

परीक्षार्थियों हेतु निर्देश एवं अनुदेश

निम्नलिखित निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ने के उपरांत ही परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हों। निर्देशों एवं अनुदेशों का पालन न करने पर परीक्षार्थी आयोग द्वारा निर्धारित दंड का भागी होगा।

एक - प्रवेश

01 परीक्षा में परीक्षार्थी को दिया गया प्रवेश नितांत प्रावधिक है।

02 परीक्षा नियत समय पर प्रारंभ होगी। केन्द्राध्यक्ष की घड़ी का समय ही प्रामाणिक मानकर परीक्षा संचालन किया जायेगा। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात् आने पर परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

03 परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश-पत्र तथा मान्य फोटो युक्ति परिचय-पत्र आवश्यक रूप से अपने साथ रखें।

04 परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी की जाँच की जाएगी। परीक्षार्थी अपने साथ केवल दो काले बाल पाइन्ट पेन, प्रवेश पत्र एवं मान्य फोटो युक्त पहचान पत्र अनिवार्य रूप से साथ लेकर आएं। इसके अतिरिक्त मोबाइल, केलक्युलेटर, पेजर एवं किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि परीक्षा कक्ष में ले जाने की अनुमति नहीं है।

दो - निर्गमन

01 सामान्यतः परीक्षार्थी को परीक्षा की अवधि में परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जावेगी। वीक्षक से विशेष अनुमति लेकर उनकी निगरानी में ही बाहर जाया जा सकेगा।

02 किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात् एक घंटे तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जायेगी। भले ही उसने प्रश्न पत्र हल कर लिया हो।

03 प्रश्न पत्र हल करने के पश्चात् केन्द्राध्यक्ष/वीक्षक द्वारा ओ.एम.आर. शीट एकत्रित किये जाने के उपरांत वीक्षक की अनुमति से ही परीक्षार्थी परीक्षा भवन छोड़ेगा। ओ.एम.आर. शीट सहित कक्ष से बाहर जाने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाएगा।

04 निर्धारित समय समाप्त होने के उपरांत किसी भी परीक्षार्थी को अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किया जायेगा (केवल बिन्दु दस में प्रावधानित छूट को छोड़कर)।

निर्धारित समय के उपरांत कोई भी परीक्षार्थी न तो लिखे उत्तरों में कोई संशोधन करेगा और न ही शेष रहे प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करेगा।

तीन - नाम और अनुक्रमांक

ओ.एम.आर. शीट पर परीक्षार्थी केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना नाम और अनुक्रमांक लिखें। ओ.एम.आर. शीट के अन्य किसी भी भाग पर न तो अनुक्रमांक, न अपना नाम और ना ही पता अंकित करें। ओ.एम.आर. शीट के साथ अन्य कोई सामग्री संलग्न करना वर्जित है। ओ.एम.आर. शीट में (आपको दिये गये A, B, C, D प्रश्न पत्र सेट में से कोई एक सेट मिलेगा) प्रश्न पत्र का सेट अवश्य लिखें एवं सेट के गोले को काले पेन से काला करें। आपके द्वारा प्रश्न पत्र सेट के गोले को काला करने पर ही उक्त सेट की उत्तर कुंजी से ही ओ.एम.आर. शीट मूल्यांकन होगा। जैसा चित्र में सेट-B को काला किया है।

चित्र - चार

A	○
B	●
C	○
D	○

चार - अनुचित साधन

परीक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व सुनिश्चित करें कि उनकी सीट के निकट, उनके पास कम्पास, स्केल या पॉकेट में कोई अवांछित सामग्री, कोई पुस्तक या अनावश्यक कागज Electronic Gadget इत्यादि जो परीक्षा में प्रश्नपत्र हल करने में सहायक हो, न हों। परीक्षार्थी अनुचित साधन के प्रयोग से बचें। परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनो का प्रयोग सर्वथा वर्जित व दण्डनीय है। परीक्षा भवन में अपने साथ कोई भी लिखित या कोरा कागज, पुस्तक, वस्तु, टीप विशेषकर मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा अन्य वर्जित वस्तुएं आदि लाना अनुचित साधनों के प्रयोग में सम्मिलित माना जायेगा। इसी प्रकार परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से चर्चा करना, उसकी ओ.एम.आर. शीट से नकल करना अथवा अपनी शीट से अन्य परीक्षार्थी को नकल करवाना, किसी अन्य परीक्षार्थी से ओ.एम.आर. शीट बदलना, परीक्षा भवन में जोर-जोर से बोलना, किसी भी प्रकार की सांकेतिक भाषा अथवा किसी प्रकार से अन्य परीक्षार्थी को किसी प्रश्न का उत्तर बताना अथवा किसी अन्य परीक्षार्थी से किसी प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने का कोई प्रयास करना या किसी कागज पर प्रश्न पत्र की नकल करना भी अनुचित साधनों के प्रयोग के अन्तर्गत माना जायेगा। परीक्षा भवन में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर परीक्षार्थी द्वारा दी गई परीक्षा को निरस्त किया जा सकेगा, उसे परीक्षा से निष्कासित किया जा सकेगा तथा साथ ही उसे आगामी ऐसी अवधि के लिये जो आयोग उचित समझे आयोग की सभी परीक्षाओं, अन्य आयोगों की परीक्षा एवं साक्षात्कारों से वंचित किये जाने का दण्ड भी दिया जा सकेगा।

परीक्षा की गोपनीयता :- परीक्षा पूर्व/दौरान/पश्चात् प्रश्न-पत्र की गोपनीयता के भंग होने की किसी भी गतिविधि में लिप्त पाये जाने वाले अभ्यर्थियों/व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जा कर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

पांच - प्रश्न संबंधी शिकायत

प्रश्न से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत होने पर परीक्षार्थी परीक्षा के प्रावधिक उत्तर कुंजी प्रकाशन के 07 दिवस के अंदर निर्धारित शुल्क (100 रुपये प्रति प्रश्न तथा रुपये 40 प्रति त्रुटि सुधार सत्र पोर्टल चार्ज) जमा कर ऑनलाइन पद्धति से आपत्ति दर्ज करायें। परीक्षा के प्रावधिक उत्तर कुंजी प्रकाशन के 07 दिवस के अंदर ऑनलाइन पद्धति से दर्ज शिकायतों पर ही विचार किया जायेगा। इसके पश्चात् एवं अन्य किसी पद्धति से प्रस्तुत आवेदनों को नस्तीबद्ध किया जाएगा। जिन प्रश्नों पर अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत आपत्ति, विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा सही पाई जाएंगी उस प्रश्न हेतु दिया गया आपत्ति शुल्क आपत्तिकर्ता अभ्यर्थियों को ऑनलाइन पद्धति से वापस किया जाएगा। इस हेतु आपत्तिकर्ता अभ्यर्थियों को आपत्ति मॉड्यूल में उसके बैंक खाते की जानकारी प्रविष्ट करना अनिवार्य होगा।

छः - ओ.एम.आर. शीट का लौटाना -

परीक्षार्थी परीक्षा के उपरान्त ओ.एम.आर. शीट कक्ष के वीक्षक को ही सौंपेंगे। परीक्षार्थी द्वारा किसी भी स्थिति में ओ.एम.आर. शीट परीक्षा कक्ष से बाहर ले जाना अथवा परीक्षा के उपरांत उसे वापस न दिया जाना गम्भीर अपराध माना जायेगा और इस हेतु उसके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कर दण्डात्मक कार्यवाही भी की जाएगी।

सात - ओ.एम.आर. शीट पर अनुक्रमांक अंकन व अन्य पूर्तियाँ

1. ओ.एम.आर. शीट पर नियत स्थान पर परीक्षार्थी अपना सही नाम और अनुक्रमांक शब्दों एवं अंकों में अंकित करें तथा परीक्षा का विषय कोड के सही गोले भरें। साथ ही प्रश्न पत्र सेट और भी अत्यंत सावधानी से भरें एवं सेट के गोले को काला करें।
2. ओ.एम.आर. शीट पर कोई दाग/चिन्ह न लगने पाए, इस बात की सतर्कता बरतें।

आठ - प्रश्न पत्र पर अंकन

परीक्षार्थी प्रश्न पत्र पर भी अनुक्रमांक लिखें तथा रफ कार्य प्रश्न पत्र में दिये गये पृष्ठ पर ही करें इसके अतिरिक्त प्रश्न पत्र पर कुछ भी लिखना, प्रश्न पत्र की नकल करना या उसकी प्रति बनाना निषिद्ध होकर अनुचित साधन प्रयोग के समान दण्डनीय है।

नौ - उपस्थिति पत्रक

प्रत्येक प्रश्न पत्र के समय परीक्षा कक्ष में वीक्षक के समक्ष परीक्षार्थी तिथि सहित अपने हस्ताक्षर करें। यह हस्ताक्षर नमूने के हस्ताक्षर के अनुरूप हों। हस्ताक्षर के नीचे अपना नाम भी लिखें।

दस - दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु सहलेखक संबंधी नियम

अ. अभ्यर्थियों का विवरण जिन्हें सुविधा प्रदान की जाएगी :-

1. दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) निःशक्त तथा सेरिब्रल पाल्सी से दिव्यांगजन परीक्षार्थी।
2. मानसिक रूप से संस्तम (स्पेस्टिक) डाइसलेक्सिक पर्सन्स विद डिसएबिलिटिज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हों, इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे शासकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।
4. आकस्मिक दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे शासकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।
5. उपरोक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को छोड़कर अन्य अभ्यर्थियों को सहलेखक एवं प्रतिपूरक समय की सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी।

ब. प्रदान की जाने वाली सुविधाएं :-

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को सहायक एवं प्रतिपूरक समय की सुविधा प्रदान की जावेगी। उपरोक्त सुविधा लेने हेतु अभ्यर्थी द्वारा सम्पूर्ण जानकारी मय दस्तावेजों एवं घोषणा-पत्र सहित परीक्षा दिनांक से एक दिवस पूर्व संबंधित परीक्षा केन्द्राध्यक्ष के सम्मुख प्रस्तुत करना होगी ताकि नियमानुसार लिखित अनुमति प्रदान की जा सके। अपरिहार्य कारणों से पूर्व में आवेदित लेखन सहायक उपस्थित न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के सत्यापन उपरांत नियमानुसार निर्धारित शर्तों के अनुरूप योग्यताधारी अन्य लेखन सहायक की सुविधा हेतु अनुमति दी जा सकेगी। लेखन सहायक से घोषणा-पत्र भरवाया जावेगा।

(i) लेखन सहायक की नियुक्ति हेतु शर्तें :-

लेखन सहायक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिये जिसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अभ्यर्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा की अर्हता से कम होना चाहिये। उदाहरण के लिये यदि किसी परीक्षा हेतु अभ्यर्थी की शैक्षणिक अर्हता स्नातक उपाधि है तो लेखन सहायक की योग्यता स्नातक से कम होना चाहिए। (अर्थात् स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होना चाहिए) यदि किसी पद की परीक्षा की शैक्षणिक अर्हता स्नातकोत्तर उपाधि है, तो सहलेखक की योग्यता स्नातकोत्तर उपाधि से कम होनी चाहिए (अर्थात् स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होना चाहिए)

(ii) प्रतिपूरक समय हेतु शर्तें :-

ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हें उपरोक्तानुसार सहलेखक की सुविधा प्रदान की गई है, निम्नानुसार प्रतिपूरक समय की पात्रता होगी :-

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	60 मिनट
2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	40 मिनट

स. इसके अतिरिक्त प्रदाय की जाने वाली सुविधाएं :-

यथा संभव ऐसे अभ्यर्थियों का परीक्षा कक्ष भूतल पर निर्धारित किया जावेगा।

द. अभ्यर्थी को पात्र सहलेखक साथ में लेकर परीक्षा हेतु आना होगा। आयोग/केन्द्राध्यक्ष द्वारा सहलेखक उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

टीप :- 1. उपरोक्त प्रकरणों के अतिरिक्त दिव्यांगजन सम्बन्धित अन्य किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण एवं निर्णय लिये जाने हेतु आयोग के सर्वाधिकार सुरक्षित रहेंगे।

2. दिव्यांगजन श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हें सहलेखक एवं भूतल पर बैठने की व्यवस्था की आवश्यकता है वे अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उक्त आवश्यकताओं की प्रविष्टि करेंगे। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि आकस्मिक दुर्घटना एवं बीमारी के मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में अभ्यर्थियों को उक्त सुविधाएं उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि के आधार पर ही देय होंगी।

ग्यारह - विविध

1. परीक्षार्थियों को किसी भी प्रश्नपत्र में ग्राफ पेपर या नक्शा/स्टेन्सिल उपलब्ध नहीं कराया जायेगा और परीक्षार्थी स्वयं भी ग्राफ पेपर या नक्शा/स्टेन्सिल परीक्षा भवन में नहीं लाएंगे।
2. परीक्षार्थियों को अपने साथ डिजिटल डायरी, वॉच, केल्क्यूलेटर, सेल्युलर फोन, पेजर तथा अन्य electronic gadgets लाना वर्जित है।

बारह -परीक्षार्थी ओ.एम.आर. शीट एवं प्रश्नपत्रों पर दी गई समस्त सूचनाएं/निर्देश एवं अनुदेश ध्यानपूर्वक पढ़ें व अनिवार्यता से उनका पालन करें।

तेरह - अनुशासन व शालीनता

1. परीक्षा कक्ष में धूम्रपान करना/अशिष्ट, अनर्गल वार्तालाप करना पूर्णतः निषिद्ध व दण्डनीय है।
2. परीक्षा परिसर में एवं भवन के अन्दर वीक्षक व केन्द्राध्यक्ष द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का पालन अनिवार्य है।
3. परीक्षा भवन के फर्नीचर अथवा केन्द्र पर की गई अन्य व्यवस्था को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जाना चाहिए। यह दण्डनीय है।
4. यदि परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष द्वारा निर्देशों का पालन नहीं करता है अथवा अशिष्ट आचरण करता है अथवा अनुचित या अशोभनीय या अशालीन व्यवहार करता है तो वह परीक्षा से निष्कासित किया जा सकेगा। उसकी परीक्षा निरस्त की जा सकेगी तथा वह ऐसे अन्य दण्ड का भी भागी होगा, जो आयोग उचित समझे। केन्द्राध्यक्षों को निर्देश दिये गये हैं कि ऐसे परीक्षार्थियों के नाम गोपनीय ढंग से आयोग को सूचित किये जाएं। परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष के पूर्ण प्रशासकीय नियंत्रण में होगा।

जी-20868/45391/2021

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेन्सी एरिया, इन्दौर

राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2021

विज्ञापन क्रमांक 16/2021/30.12.2021
शासन के विभिन्न विभाग, मध्यप्रदेश शासन

आवेदन करने की अंतिम तिथि 01.03.2022

महत्वपूर्ण

1. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मध्यप्रदेश शासन हेतु **राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2021** हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। विज्ञापित पदों के लिए शैक्षणिक अर्हता निम्नानुसार है :-

क्र.	पद का नाम	अर्हता	संबन्धित अभियांत्रिकी विषय
1.	**सहायक यंत्री (सिविल) मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल**	मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में उपाधि (डिग्री)	Civil Engineering
2.	**सहायक यंत्री (विद्युत) मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल**	मान्यता प्राप्त संस्था से विद्युत इंजीनियरिंग में उपाधि (डिग्री)	Electrical Engineering

2. उक्त विज्ञापन में शासन से माँगपत्र प्राप्त होने पर निम्न पदों का भी संयोजन किया जा सकेगा। आवश्यक होने पर आवेदन प्राप्ति तिथि संशोधित की जाएगी:-

क्र.	पद का नाम	अर्हता	संबन्धित अभियांत्रिकी विषय
1.	**सहायक यंत्री (सिविल)** (शासन के विभिन्न विभाग)	मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में उपाधि (डिग्री)	Civil Engineering
	सहायक यंत्री (मैकेनिकल) (शासन के विभिन्न विभाग)	मान्यता प्राप्त संस्था से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उपाधि (डिग्री)	Machanical Engineering
	सहायक यंत्री (इलेक्ट्रिकल) (शासन के विभिन्न विभाग)	मान्यता प्राप्त संस्था से विद्युत इंजीनियरिंग में उपाधि (डिग्री)	Electrical Engineering

3. **आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे आवेदन पत्र दिनांक 30.01.2022 (दोपहर 12:00 बजे) से 01.03.2022 (रात्रि 12:00 बजे) तक www.mponline.gov.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर भरे जा सकते हैं।**
4. आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदनपत्रों में 05.02.2022 से 03.03.2022 तक त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति सुधार सत्र रुपये 50/- त्रुटिसुधार शुल्क देय होगा।
5. ऑनलाइन आवेदन पत्रों में भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)/लिंग (महिला/पुरुष)/शासकीय सेवक/निःशक्तजन) आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा तथा श्रेणी/वर्ग परिवर्तन विषयक समस्त आवेदन सरसरी तौर पर अमान्य किए जाएंगे तथा आयोग द्वारा इस सन्दर्भ में आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा। **मध्यप्रदेश शासन के शासकीय सेवकों/निगम मण्डलकर्मियों/स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों को देय आयु सीमा में छूट अभ्यर्थियों को तभी देय होगी यदि वे ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि अथवा उसके पूर्व से साक्षात्कार दिवस तक सतत् रूप से मध्यप्रदेश शासन की सेवा में हों। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद यदि साक्षात्कार दिवस के पूर्व त्यागपत्र/नौकरी से हटाए जाने अथवा अन्य किसी कारण से वह मध्यप्रदेश शासन की सेवा में नहीं रहते हैं तो उन्हें शासकीय सेवकों को देय आयु सीमा में छूट का लाभ देय नहीं होगा।**
6. इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु इंदौर, भोपाल, जबलपुर तथा ग्वालियर स्थित परीक्षा केन्द्रों पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की OMR आधारित वस्तुनिष्ठ परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के तीन गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम, परीक्षा तिथि एवं प्रवेश-पत्र उपलब्धता तिथि को यथासमय आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in** पर प्रकाशित किया जाएगा।
7. विज्ञापन के सन्दर्भ में आवश्यक सूचनायें, परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in** एवं **रोज़गार और निर्माण समाचार पत्र** में प्रकाशित किया जाएगा। विज्ञापन के सन्दर्भ में आवश्यक सूचनायें अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय दिए गए E-mail Address तथा मोबाइल नंबर पर आवश्यकता होने पर E-mail तथा SMS Alert प्रेषित किए जा सकेंगे। अतः आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र पर विहित स्थान पर अपने ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें।
8. **उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक 25181/2019 के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगा।**
9. **आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अर्हता, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्त दस्तावेजों को संधारित नहीं किया जाता है। साक्षात्कार के समय अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत स्वप्रमाणित दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से मात्र मिलान का कार्य आयोग द्वारा किया जाता है। अंतिम चयन परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों एवं प्रतिक्षासूची में नामांकित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों को चयन सूची अनुसार विभागों को प्रेषित कर दिया जाता है जिनके सत्यापन का कार्य विभाग द्वारा नियुक्ति के पूर्व किया जाता है। अतः अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जानकारी आयोग द्वारा उपलब्ध करवायी जाना संभव नहीं है। इस संदर्भ में आयोग द्वारा किसी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं किया जाएगा तथा सूचना के अधिकार के अंतर्गत इस संदर्भ में प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागों को अंतरित किया जाएगा।**
10. आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी एक व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अतः किसी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यवहारिक रूप से असंभव है। अतः ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आएं और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम पता गोपनीय रखा जाएगा।

एक भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से **राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2021**, के अंतर्गत निम्न पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। विभिन्न वर्गों हेतु उल्लेखित पदों की संख्या विभागों द्वारा प्रेषित मांगपत्रों के अनुसार है :-

क्र.	विभाग का नाम	रिक्त पदों की संख्या						रिक्तियों में से मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या					रिक्तियों में से मध्यप्रदेश के मूल निवासी निःशक्त अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या				वेतनमान
		UR	SC	ST	OBC	EWS	कुल	UR	SC	ST	OBC	EWS	OH	VH	HH	MD	
	सहायक यंत्री (सिविल)																
1.	मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल	7	3	3	4	2	19	2	1	1	1	1	0	0	1	0	15600-39100 5400
	सहायक यंत्री (विद्युत)																
2.	मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल	1	0	0	1	0	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15600-39100 5400

दो - पद का विवरण

(1) (अ) **पद का नाम** : **सहायक यंत्री (सिविल)**
Assistant Engineer (Civil)

(ब) **विभाग का नाम** : **मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल**

(स) **अर्हता** : **अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता**
किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल अभियांत्रिकी में उपाधि (डिग्री)।

(द) **कर्तव्य** : अधोसंरचना विकास, आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों एवं परिसरों का निर्माण तथा उससे संबंधित समस्त कार्य।

(इ) **श्रेणी तथा वेतनमान** : **राजपत्रित द्वितीय श्रेणी (स्थायी पद)**
15600-39100 + 5400 ग्रेड पे
छठे वेतन आयोग अनुसार। सातवें वेतन आयोग के तत्स्थानी वेतनमान देय होंगे

(2) (अ) **पद का नाम** : **सहायक यंत्री (विद्युत)**
Assistant Engineer (Electrical)

(ब) **विभाग का नाम** : **मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल**

(स) **अर्हता** : **अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता**
किसी मान्यता प्राप्त संस्थाण से विद्युत इंजीनियरिंग में उपाधि (डिग्री)।

(द) कर्तव्य : आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों एवं परिसरों का विद्युत तथा उससे संबंधित समस्त कार्य।

(इ) **श्रेणी तथा वेतनमान** : **राजपत्रित द्वितीय श्रेणी (स्थायी पद)**
15600-39100 + 5400 ग्रेड पे
छठे वेतन आयोग अनुसार। सातवें वेतन आयोग के तत्स्थानी वेतनमान देय होंगे।

तीन (i) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। किन्तु पदों की संख्या में वृद्धि केवल परीक्षा के परिणाम के पूर्व तक ही की जा सकेगी। पदों में वृद्धि की स्थिति में कोई अतिरिक्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किए जायेंगे तथा सभी पदों हेतु केवल वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा किया है।

(ii) चयनित आवेदकों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी।

(iii) किसी भी प्रवर्ग में मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे।

(iv) समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्यप्रदेश राज्य के संदर्भ में है अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला तथा निःशक्तजन को देय आरक्षण एवं आरक्षण तथा आयु सीमा की छूट एवं भूतपूर्व सैनिकों को देय आयु सीमा की छूट केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित अभ्यर्थी के रूप में मान्य किए जाएंगे। जो पद उक्त वर्गों के लिए आरक्षित नहीं हैं उन पर इन वर्गों के अभ्यर्थी अनारक्षित के रूप में विचारित किए जायेंगे। मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर में आने वाले अभ्यर्थियों को आरक्षण, आयु सीमा में छूट तथा अन्य लाभ देय नहीं होंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को क्रीमीलेयर में न आने के संदर्भ में परिशिष्ट-2 में यथा विनिर्दिष्ट अभिवचन-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(v) मध्यप्रदेश के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार अपना वर्ग अनारक्षित लिखें।

चार **आयु सीमा** : 21 की आयु पूर्ण कर ली हो परंतु 40 वर्ष पूर्ण न की हो।

पाँच आयु संगणना तिथि 01.01.2022 होगी।
अधिकतम आयु सीमा में दी गयी छूट के लिए **परिशिष्ट-1** देखें।

छः **मध्यप्रदेश सिविल सेवायें (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता** :-

अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

सात **महत्वपूर्ण** :- ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें की उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है या नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी

परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षाफल घोषित होने के बाद भी अनर्ह (Ineligible) पाया जाता है अथवा उसके द्वारा दी गयी कोई भी जानकारी गलत पायी जाती है तो उसकी उम्मीदवारी/चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा।

आठ **अधिवार्षिकी आयु :- 62 वर्ष**

नौ **चयन प्रक्रिया :-**

इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु इंदौर, भोपाल, जबलपुर तथा ग्वालियर स्थित परीक्षा केन्द्रों पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की OMR आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा में प्राप्त अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के तीन गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन परिणाम, परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा आयोजन से संबन्धित समस्त जानकारियां, परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम, परीक्षा तिथि एवं प्रवेश-पत्र उपलब्धता तिथि आदि यथासमय आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in** पर प्रकाशित किया जाएगा।

चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

दस **आवेदन प्रक्रिया** :- उक्त पद हेतु आवेदन पत्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु **परिशिष्ट-2** का अवलोकन करें।

ग्यारह विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनायें, परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in** एवं **रोज़गार और निर्माण समाचार पत्र** में प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय दिए गए E-mail Address तथा मोबाइल नंबर पर E-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र पर विहित स्थान पर अपने ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहें।

बारह कोविड-19 के संदर्भ मे अभ्यर्थियों द्वारा केन्द्र तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

तेरह विज्ञापन के प्रकाशन में हुई किसी भी प्रकार की लिपिकीय त्रुटि में सुधार का आयोग का सर्वाधिकार सुरक्षित है।

आवेदक विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें :-

(i) आयु सीमा की छूट **परिशिष्ट-1**

(ii) ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के निर्देश तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियां **परिशिष्ट-2**

(iii) आप्टिकल स्कैनर द्वारा पढ़ी जाने वाली ओ.एम.आर. शीट के उपयोग संबंधी निर्देश तथा अन्य अनुदेश **परिशिष्ट-3**

सचिव

परिशिष्ट-1

आयु सीमा में छूट

(एक) उच्चतर आयु सीमा में वर्ग विशेष को देय छूटें

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3-8/2016/1/3, दिनांक 04 जुलाई 2019 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/दिव्यांगजन/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी तथा उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रहेगी।

- ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गयी सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण :-

भूतपूर्व सैनिकों से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985 के नियम 2 (ग) में यथा प्रावधानित भूतपूर्व सैनिक।

(दो) प्रोत्साहनस्वरूप दी गयी छूट

(1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(2) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

टीप :- (1) परिशिष्ट-1 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहनस्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गयी छूटों में से यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी।

(2) समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्यप्रदेश राज्य के संदर्भ में है, अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजन तथा महिला अभ्यर्थियों को देय आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित मान्य होंगे। (सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 969/1197/2012/आ.प्र./एक, दिनांक 06.08.2012 में निहित व्यवस्था के अनुसार)

नोट :- (01) उपरोक्त परिशिष्ट - "एक" में उल्लेखित आयु सीमा की छूट की पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।

(02) अभ्यर्थियों को उपरोक्त सभी छूट देय होंगी किन्तु समस्त छूट को शामिल करते हुए भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 45 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।

(03) जिस आरक्षित श्रेणी हेतु पद विज्ञापित नहीं है उन्हें आयु सीमा में छूट देय नहीं होगी किन्तु आवेदन तथा परीक्षा शुल्क में छूट तथा यात्रा भत्ते की पात्रता होगी।

परिशिष्ट-2

आवेदन करने के संदर्भ में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1. **राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार हैं :-**

1. उपरोक्त पदों हेतु आवेदन पत्र निम्न वेबसाइटों पर भरे जा सकेंगे -
   1. **www.mppsc.com**
2. अभ्यर्थी अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फार्म भरकर आवेदन/परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नेट बैंकिंग सुविधा धारक अभ्यर्थी नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।
3. अभ्यर्थी फार्म भरने के पूर्व अपने नवीनतम फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्केन फाइलें तैयार रखें जिन्हें उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय संलग्न करना होगा। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन पत्र में उनके फोटो एवं हस्ताक्षर स्पष्ट हैं।

फोटो स्केनिंग के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश :-

1. स्केनिंग हेतु पासपोर्ट साइज की नवीनतम रंगीन फोटो का प्रयोग करें।
2. फोटो खिचवाते समय रिलेक्स स्थिति में सीधे कैमरे में देखें।
3. यदि आप चश्मे का प्रयोग करते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि कोई रिफ्लेक्सन न हो तथा आपकी आंखें स्पष्टतः दिख रही हों।
4. टोपी हैट तथा डार्क चश्मे स्वीकार्य नहीं हैं। सर पर पहने जाने वाले धार्मिक परिधान स्वीकार्य हैं किन्तु उनसे आपका चेहरा नहीं ढंकना चाहिए।
5. यह सुनिश्चित करें कि फोटो का बैकग्राउंड हल्के रंग या आदर्श रूप में सफेद हो।
6. किसी और से अपनी फोटो खिचवाएं। कृपया सेल्फी का प्रयोग न करें।

4. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि वह उक्त वेबसाइट पर दिए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें।

5. आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि अभ्यर्थी द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन फार्म में अंकित की जा रही है वही प्रामाणिक जानकारी है अतः ऑनलाइन आवेदन पत्र submit करने के पूर्व अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गयी जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन submit करें।

6. आवेदन पत्र submit करने के बाद खुलने वाले popup window में आवेदक को उसके द्वारा आवेदन पत्र में उल्लिखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात **उसका नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी लिंग आदि की जानकारी दी जाएगी** जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी Cancel बटन दबाकर पुनः फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगे। Popup window में OK बटन दबाकर फार्म सब्मिट करने पर आवेदन पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमें उसके आवेदन पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpaid होगा।

अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन पत्र submit होने के बाद "Proceed for Payment" बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसका आवेदन पत्र प्राप्त होगा जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा जिसमें भुगतान राशि तथा "Payment Done" स्पष्टतः उल्लेखित होगा। आवेदक उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।

7. **त्रुटि सुधार सुविधा** :- अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भरें। आवेदन पत्र में कोई त्रुटि होने पर **दिनांक 05.02.2022 से 03.03.2022 तक** प्रति त्रुटि सुधार सत्र रुपये 50/- त्रुटि सुधार शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। **नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चात्वर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा। अनारक्षित श्रेणी हेतु शुल्क 500 तथा आरक्षित श्रेणी हेतु 250 निर्धारित है अतः आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा अनारक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि रुपये 250 त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त देय होगी, किन्तु अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा आरक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।**

ऑनलाइन आवेदन पत्रों में भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)/लिंग (महिला/पुरुष)/शासकीय सेवक) आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद श्रेणी/वर्ग परिवर्तन विषयक कोई पश्चात्वर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा।

08. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें की उनके द्वारा आवेदन पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वे साक्षात्कार की उपस्थिति सूची तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। **विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी।**

2. **परीक्षा हेतु तथा आवेदन तथा परीक्षा शुल्क :-**

मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) एवं दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु	शेष सभी श्रेणी तथा मध्यप्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों हेतु
रुपये 250/-	रुपये 500/-

टीप :- आयोग को प्राप्त शुल्क केवल विज्ञापन निरस्त होने की स्थिति में ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में वापस किया जाएगा।

3. **ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि :-**

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की **अंतिम तिथि 01.03.2022 है।** अंतिम तिथि को रात्रि 12:00 बजे के बाद आवेदन पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के संदर्भ में किसी जानकारी/शिकायत हेतु निम्न हेल्पलाइन पर संपर्क करें :-

दूरभाष :- हेल्पलाइन नं. 0755-6720210 तथा 0755-6720211

ई-मेल :- mppsconline@gmail.com

4. **अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ कोई अभिलेख अपलोड नहीं करने हैं किन्तु साक्षात्कार के पूर्व आयोग को प्रेषित किए जाने वाले अनुप्रमाणन पत्रक, उपस्थिति पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा आवेदन पत्र की स्वप्रमाणित प्रति के साथ निम्न प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें :-**

आयु संबंधी प्रमाण के लिए :- केवल हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी अथवा मेट्रीक्यूलेशन की अंकसूची/प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र :- हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी तथा उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें अभ्यर्थी ने उत्तीर्ण किया है के समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की अंकसूचियां।

शासकीय सेवक होने का प्रमाण-पत्र :- यह प्रमाण-पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। इस प्रमाण-पत्र में धारित पद तथा विभाग का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

दिव्यांगता प्रमाण-पत्र :- यह प्रमाण-पत्र जिला चिकित्सा मण्डल द्वारा जारी होना चाहिए तथा न्यूनतम 40 प्रतिशत स्थायी निःशक्तता प्रमाणित किया होना चाहिए। निःशक्तजन चिन्हांकन हेतु विज्ञापन की कंडिका-तीन देखें।

जाति के प्रमाण-पत्र :- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई वचन-पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए उसे नस्तीबद्ध किया जाएगा एवं आयोग इस संदर्भ में कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जाएगा। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया

प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाणन भी आवश्यक है अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमीलेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे।

इस संदर्भ में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा :-

घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप

मैं ..... आयोग के **राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2021** के विज्ञापन क्रमांक **16/2021 दिनांक 30.12.2021** के अंतर्गत आवेदन पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा/रही हूं। मैं निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूं -

1. मैं ..... पुत्र/पुत्री श्री ..... निवासी ग्राम/कस्बा/शहर/..... जिला ....., मध्यप्रदेश का/की मूल निवासी हूं। यह घोषणा करता/करती हूं कि मैं ..... जाति का/की सदस्य हूं जो शासन द्वारा शासकीय सेवा में (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी में आरक्षण के लिए अधिसूचित है।
2. मैं शपथपूर्वक यह भी घोषणा करता/करती हूं कि आवेदन की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन परिपत्र में निर्धारित मापदंडों के अनुसार, मैं सम्पन्न वर्ग अर्थात क्रीमीलेयर की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता/आती हूं।

दिनांक :- .....

हस्ताक्षर .....
नाम .....
रोल नंबर .....

तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

कार्यरत/छंटनी किए गए शासकीय सेवकों हेतु :- नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र। **परिशिष्ट-1** की कंडिका-(दो-1) के अधीन उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट-1 की कंडिका-(दो-2) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।

5. जो अभ्यर्थी पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। अभ्यर्थियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर उनकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकेगी।

6. **अनुशासनिक निर्देश** :-

यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी है :-

01. जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो; या
02. प्रतिरूपण किया हो; या
03. किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या
04. कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या
05. ऐसे कथन दिए हों जो गलत और झूठे हों या जिसने चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छुपाई हो; या
06. परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो; या
07. परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो; या
08. परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारीवृंद को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो; या
09. उनके द्वारा प्रवेश पत्र में अभ्यर्थियों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या निर्देशों जिसमें परीक्षा संचालन में लगे केंद्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारीवृंद द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित हैं, अतिक्रमण किया हो; या
10. परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार,

तब आयोग द्वारा :-

(क) उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है अनर्ह ठहरा सकेगा
और/या
उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।

(ख) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुसंशा की जाएगी।

(ग) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

एवं तब शासन द्वारा :-

उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा।

7. **अनर्हताएं** :- ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी जिन्हें किसी परीक्षा अथवा चयन से उपरोक्त दर्शित प्रावधानों के तहत विवर्जित किया गया है।

8. **परीक्षा की पश्चात्वर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में आवश्यक निर्देश** :-

01. परीक्षा का परिणाम केवल **'रोज़गार और निर्माण' समाचार पत्र** तथा आयोग की वेवसाइट **www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर प्रकाशित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को उनके परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जाएगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जाएगा।
02. परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएं प्रकाशित की जाएंगी। अतः सफल अभ्यर्थी उनके परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार से संबन्धित समस्त सूचनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उसमें प्रदत्त अनुदेशों के अनुरूप आयोग की वेवसाइट **www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर उपलब्ध कराए गए अनुप्रमाणन पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा उपस्थिति पत्रक डाउनलोड करके आवश्यक पूर्तियों के पश्चात एवं सभी आवश्यक अभिलेख संलग्न कर, परीक्षा परिणाम में उल्लेखित साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा करें। अपने ऑनलाइन आवेदन की स्वप्रमाणित प्रति भी उक्त अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें।
03. साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने की अंतिम तिथि तक अभिलेख जमा न करने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वयंमेव समाप्त हो जाएगी तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में अभ्यर्थी को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जाएगी तथा इस संदर्भ में प्राप्त अभ्यावेदनों को बिना विचार किए नस्तीबद्ध किया जाएगा।

9. **यात्रा व्यय का भुगतान** :-

(अ) मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जो कहीं सेवारत न हों, को परीक्षा तथा साक्षात्कार हेतु मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय की पात्रता होगी।

(ब) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित वर्तमान निवास के पते के शहर/ग्राम से उन्हें आवंटित परीक्षा शहर तक आने तथा जाने के यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा।

(स) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को इसके लिए केंद्राध्यक्ष द्वारा आयोग द्वारा निर्धारित घोषणा-पत्र प्रदान किया जाएगा जिसे भरकर अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय की पात्रता से संबन्धित निम्न अभिलेखों के साथ केंद्राध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा :-

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
2. यात्रा का टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गयी तथा किराए की राशि का स्पष्टतः उल्लेख हो।

(द) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा। इस हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम, खाता क्रमांक तथा बैंक के IFSC Code का उल्लेख करना होगा। साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्केन प्रति आवेदन पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।

(इ) यात्रा व्यय भुगतान की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी अपने वर्तमान पते के निकटतम शहर को प्रथम विकल्प के केंद्र के रूप में चुनें।

(फ) साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय उपरोक्त नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

परिशिष्ट-3

आप्टिकल स्कैनर द्वारा पढ़ी जाने वाली ओ.एम.आर. शीट के उपयोग संबंधी निर्देश तथा अन्य अनुदेश

टीप - ओ.एम.आर. शीट का मूल्यांकन आप्टिकल स्कैनर/कम्प्यूटर द्वारा किया जावेगा अतः ओ.एम.आर. शीट का उपयोग नीचे बताई गई बातों पर आवश्यक ध्यान रखते हुए अत्यन्त सावधानीपूर्वक करें।

1. आप अपने साथ परीक्षा कक्ष में कम से कम दो काले बाल पाइन्ट पेन अवश्य लाएं।
2. गोले भरने के लिए केवल काले बाल पाइन्ट पेन का ही उपयोग करें। गोलों को पूरी तरह गहरा काला करें, अधूरा अस्पष्ट या हल्का काला करने पर ओ.एम.आर. शीट स्कैनर द्वारा नहीं जांची जा सकेगी।
3. ओ.एम.आर. शीट पर किसी प्रकार का रफ कार्य न किया जाए। इस कार्य के लिए प्रश्न पत्र पर अलग से स्थान निर्धारित है, उस स्थान का ही उपयोग करें।
4. ओ.एम.आर. शीट अत्यन्त सावधानीपूर्वक रखें। उसे किसी तरह से मोड़ा या काटा न जाए और किसी प्रकार से गंदी न की जाए अन्यथा कम्प्यूटर/आप्टिकल स्कैनर उसे रद्द कर देगा।
5. उत्तर देना प्रारंभ करने के पहले सुनिश्चित कर लें कि ओ.एम.आर. शीट पर सभी प्रविष्टियां सही रूप से की गई हैं। अभ्यर्थी द्वारा उसे प्रदत प्रश्न पत्र सेट ए, बी, सी, डी अंकन न करने पर OMR का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।
6. आपको प्रत्येक प्रश्न क्रमांक के सामने का केवल एक ही गोला काला करना है। एक से अधिक गोले को काला करने पर या गोलों को हल्का, अस्पष्ट या अधूरा काला करने पर या किसी अन्य पेन्सिल या स्याही से काला करने पर किसी अन्य तरीके से कोई निशान जैसे (✓) या (×) लगाने पर ओ.एम.आर. शीट कम्प्यूटर/आप्टिकल स्कैनर द्वारा नहीं पढ़ी जाएगी।
7. **ओ.एम.आर. शीट पर उत्तर अंकन के लिए - सामान्य निर्देश** -

(अ) **प्रश्नों के उत्तर** : ओ.एम.आर. शीट पर यथास्थान उत्तर अंकित करने के अनुदेश दिए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें। प्रश्नों के उत्तर देने के लिए ओ.एम.आर. शीट पर आवश्यक संख्या लिखी है। प्रत्येक प्रश्न क्रमांक के नीचे/सामने क्रमशः 4 गोले ए, बी, सी, डी बने हैं। प्रश्नपत्र में प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर ए, बी, सी, डी दिए हैं। इनमें से सही उत्तर चुनकर संबंधित प्रश्न क्रमांक के नीचे/सामने बने गोलों में से केवल एक गोला काले बाल पाइन्ट पेन से गहरा काला करें।
OMR Sheet में उत्तर अंकित कर उसे काटने/मिटाने/वाईटनर लगाने से उक्त प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

(ब) ओ.एम.आर. शीट के सामने के पृष्ठ पर अपना नाम, अनुक्रमांक, परीक्षा तिथि, प्रश्न पत्र कोड आदि भरने के लिए बने खानों में प्रविष्टि के लिए काले बाल पेन का उपयोग करें। प्रश्न पत्र A, B, C, D set में से कोई एक ही सेट दिया जाएगा। अपने सेट का कोड क्रमांक सावधानी से नियत स्थान पर भरें एवं सेट के गोले को काले पेन से काला करें।

(स) **हस्ताक्षर** - ओ.एम.आर. शीट पर निर्धारित स्थान पर बाल पेन से हस्ताक्षर करें।

(द) ओ.एम.आर. शीट के पीछे के पृष्ठ पर अनुक्रमांक, प्रश्न पत्र कोड के कॉलम के गोलों में प्रविष्टि करने के लिए काला बाल पाइन्ट पेन का उपयोग कर संबंधित क्रमांक के गोले को काला करें। अभ्यर्थी उसे आवंटित प्रश्न पत्र के सेट कोड ध्यान से देखें तथा सेट की जानकारी सुनिश्चित होने के पश्चात ही प्रश्न पत्र के सेट कोड के गोले को अत्यंत सावधानी से काला करें। इसी काले किए गए कोड (A B C D के गोले) के आधार पर ही उत्तरशीट का मूल्यांकन किया जाएगा। सेट कोड गलत भरने पर त्रुटि सुधार नहीं होगा। मूल्यांकन अभ्यर्थी द्वारा भरे गए सेट कोड की उत्तर कुंजी के आधार पर होगा जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

8. **रोल नम्बर की प्रविष्टि (चित्र एक)**

रोल नम्बर के खाने में बायें से दायें 1 से 6 तक स्तम्भ हैं। पहला स्तम्भ लाख का, दूसरा स्तम्भ दस हजार का, तीसरा स्तम्भ हजार का, चौथा स्तम्भ सैकड़े का, पांचवा स्तम्भ दहाई का एवं छठा स्तम्भ इकाई का है। इनके नीचे 0 से 9 अंक लिखे हुए गोले हैं। इन्हीं में आपको अपने रोल नम्बर भरना है। उदाहरणार्थ यदि आपका रोल नं. 684021 है तो आप पहले ऊपर की लाईन में चौकोर खानों में दर्शाए अनुसार रोल नम्बर काला बाल पाइन्ट पेन से लिखें तत्पश्चात पहले स्तम्भ के गोले क्रमांक 6, दूसरे स्तम्भ के गोले क्रमांक 8, तीसरे स्तम्भ के गोले क्रमांक 4, चौथे स्तम्भ के गोले क्रमांक 0, पांचवें स्तम्भ के गोले क्रमांक 2 तथा छठे स्तम्भ के गोले क्रमांक 1 को काला बाल पाइन्ट से गहरा काला करें। अनुक्रमांक के गोले न भरने पर या गलत भरने पर OMR का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अंकों में तथा गोले भरने में भिन्नता होने पर भी ओ.एम.आर. शीट का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

रोल नं. **चित्र 1**

6	8	4	0	2	1
0	0	0	●	0	0
1	1	1	1	1	●
2	2	2	2	●	2
3	3	3	3	3	3
4	4	●	4	4	4
5	5	5	5	5	5
●	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	●	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

परीक्षार्थियों हेतु निर्देश एवं अनुदेश

निम्नलिखित निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ने के उपरांत ही परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हों। निर्देशों एवं अनुदेशों का पालन न करने पर परीक्षार्थी आयोग द्वारा निर्धारित दंड का भागी होगा।

एक - प्रवेश

01. परीक्षा में परीक्षार्थी को दिया गया प्रवेश नितांत प्रावधिक है।
02. परीक्षा नियत समय पर प्रारंभ होगी। केन्द्राध्यक्ष की घड़ी का समय ही प्रामाणिक मानकर परीक्षा संचालन किया जाएगा। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात आने पर परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
03. परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश-पत्र तथा मान्य फोटो युक्त परिचय-पत्र आवश्यक रूप से अपने साथ रखें।
04. परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी की जाँच की जाएगी। परीक्षार्थी अपने साथ केवल दो काले बाल पाइन्ट पेन, प्रवेश पत्र एवं मान्य फोटो युक्त पहचान पत्र अनिवार्य रूप से साथ लेकर आएं। इसके अतिरिक्त मोबाइल, केलक्युलेटर, पेजर एवं किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि परीक्षा कक्ष में ले जाने की अनुमति नहीं है।

दो - निर्गमन

01. सामान्यतः परीक्षार्थी को परीक्षा की अवधि में परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जावेगी। वीक्षक से विशेष अनुमति लेकर उनकी निगरानी में ही बाहर जाया जा सकेगा।
02. किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात् एक घंटे तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भले ही उसने प्रश्नपत्र हल कर लिया हो।
03. प्रश्नपत्र हल करने के पश्चात् केन्द्राध्यक्ष/वीक्षक द्वारा ओ.एम.आर. शीट एकत्रित किए जाने के उपरांत वीक्षक की अनुमति से ही परीक्षार्थी परीक्षा भवन छोड़ेगा। ओ.एम.आर. शीट सहित कक्ष से बाहर जाने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाएगा।
04. निर्धारित समय समाप्त होने के उपरांत किसी भी परीक्षार्थी को अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किया जाएगा (केवल दृष्टिबाधित तथा ऐसे अस्थिबाधित जो दोनों ही हाथों से लिखने में असमर्थ हैं तथा जिन्होंने सहलेखक की सुविधा ली है, ऐसे आवेदकों को प्रारम्भिक तथा मुख्य परीक्षा में 20 मिनिट प्रति घण्टा अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

निर्धारित समय के उपरांत कोई भी परीक्षार्थी न तो लिखे उत्तरों में कोई संशोधन करेगा और न ही शेष रहे प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करेगा।

तीन - नाम और अनुक्रमांक

ओ.एम.आर. शीट पर परीक्षार्थी केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना नाम और अनुक्रमांक लिखें। ओ.एम.आर. शीट के अन्य किसी भी भाग पर न तो अनुक्रमांक न अपना नाम और न ही पता अंकित करें। ओ.एम.आर. शीट के साथ अन्य कोई सामग्री संलग्न करना वर्जित है। ओ.एम.आर. शीट में (आपको दिए गए A, B, C, D प्रश्न पत्र सेट में से कोई एक सेट मिलेगा) प्रश्न पत्र का सेट अवश्य लिखें एवं सेट के गोले को काले पेन से काला करें। आपके द्वारा प्रश्न पत्र सेट के गोले को काला करने पर ही उक्त सेट की उत्तर कुंजी से ही ओ.एम.आर. शीट मूल्यांकन होगा। जैसा चित्र में सेट-B को काला किया है।

चित्र - चार

A	○
B	●
C	○
D	○

चार - अनुचित साधन

परीक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व सुनिश्चित करें कि उनकी सीट के निकट, उनके पास कम्पास, स्केल या पॉकेट में कोई अवांछित सामग्री, कोई पुस्तक या अनावश्यक कागज Electronic Gadget इत्यादि जो परीक्षा में प्रश्न पत्र हल करने में सहायक हो, न हों। परीक्षार्थी अनुचित साधन के प्रयोग से बचें।

परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का प्रयोग सर्वथा वर्जित व दण्डनीय है। परीक्षा भवन में अपने साथ कोई भी लिखित या कोरा कागज, पुस्तक, वस्तु, टीप विशेषकर मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा अन्य वर्जित वस्तुएं आदि लाना अनुचित साधनों के प्रयोग में सम्मिलित माना जाएगा। इसी प्रकार परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से चर्चा करना, उसकी ओ.एम.आर. शीट से नकल करना अथवा अपनी शीट से अन्य परीक्षार्थी को नकल करवाना, किसी अन्य परीक्षार्थी से ओ.एम.आर. शीट बदलना, परीक्षा भवन में जोर-जोर से बोलना, किसी भी प्रकार की सांकेतिक भाषा अथवा किसी प्रकार से अन्य परीक्षार्थी को किसी प्रश्न का उत्तर बताना अथवा किसी अन्य परीक्षार्थी से किसी प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने का कोई प्रयास करना या किसी कागज पर प्रश्न पत्र की नकल करना भी अनुचित साधनों के प्रयोग के अन्तर्गत माना जाएगा। परीक्षा भवन में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर परीक्षार्थी द्वारा दी गई परीक्षा को निरस्त किया जा सकेगा, उसे परीक्षा से निष्कासित किया जा सकेगा तथा साथ ही उसे आगामी ऐसी अवधि के लिए जो आयोग उचित समझे आयोग की सभी परीक्षाओं, अन्य आयोगों की परीक्षा एवं साक्षात्कारों से वंचित किए जाने का दण्ड भी दिया जा सकेगा।

परीक्षा की गोपनीयता :- परीक्षा पूर्व/दौरान/पश्चात प्रश्न-पत्र की गोपनीयता के भंग होने की किसी भी गतिविधि में लिप्त पाए जाने वाले अभ्यर्थियों/व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाकर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

पांच - प्रश्न संबंधी शिकायत

प्रश्न से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत होने पर परीक्षार्थी परीक्षा के प्रावधिक उत्तर कुंजी प्रकाशन के 07 दिवस के अंदर निर्धारित शुल्क (100 रुपये प्रति प्रश्न तथा रुपये 40 प्रति त्रुटि सुधार सत्र पोर्टल चार्ज) जमा कर ऑनलाइन पद्धति से आपत्ति दर्ज कराए। परीक्षा के प्रावधिक उत्तर कुंजी प्रकाशन के 07 दिवस के अंदर ऑनलाइन पद्धति से दर्ज शिकायतों पर ही विचार किया जाएगा। इसके पश्चात एवं अन्य किसी पद्धति से प्रस्तुत आवेदनों को नस्तीबद्ध किया जाएगा। जिन प्रश्नों पर अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत आपत्ति, विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा सही पाई जाएगी उस प्रश्न हेतु दिया गया आपत्ति शुल्क आपत्तिकर्ता अभ्यर्थियों को ऑनलाइन पद्धति से वापस किया जाएगा। इस हेतु आपत्तिकर्ता अभ्यर्थियों को आपत्ति मॉड्यूल में उसके बैंक खाते की जानकारी प्रविष्ट करना अनिवार्य होगा।

छः - ओ.एम.आर. शीट का लौटाना

परीक्षार्थी परीक्षा के उपरान्त ओ.एम.आर. शीट कक्ष के वीक्षक को ही सौंपेंगे। परीक्षार्थी द्वारा किसी भी स्थिति में ओ.एम.आर. शीट परीक्षा कक्ष से बाहर ले जाना अथवा परीक्षा के उपरांत उसे वापस न दिया जाना गम्भीर अपराध माना जाएगा और इस हेतु उसके विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज कर दण्डात्मक कार्यवाही भी की जाएगी।

सात - ओ.एम.आर. शीट पर अनुक्रमांक अंकन व अन्य पूर्तियां

1. ओ.एम.आर. शीट पर नियत स्थान पर परीक्षार्थी अपना सही नाम और अनुक्रमांक शब्दों एवं अंकों में अंकित करें तथा परीक्षा का विषय कोड के सही गोले भरे। साथ ही प्रश्न पत्र सेट और भी अत्यंत सावधानी से भरें एवं सेट के गोले को काला करें।
2. ओ.एम.आर. शीट पर कोई दाग/चिन्ह न लगने पाए, इस बात की सतर्कता बरतें।

आठ - प्रश्न पत्र पर अंकन

परीक्षार्थी प्रश्न पत्र पर भी अनुक्रमांक लिखें तथा रफ कार्य प्रश्न पत्र में दिए गए पृष्ठ पर ही करें इसके अतिरिक्त प्रश्न पत्र पर कुछ भी लिखना, प्रश्न पत्र की नकल करना या उसकी प्रति बनाना निषिद्ध होकर अनुचित साधन प्रयोग के समान दण्डनीय है।

नौ - उपस्थिति पत्रक

प्रत्येक प्रश्न पत्र के समय परीक्षा कक्ष में वीक्षक के समक्ष परीक्षार्थी तिथि सहित अपने हस्ताक्षर करें। यह हस्ताक्षर नमूने के हस्ताक्षर के अनुरूप हों। हस्ताक्षर के नीचे अपना नाम भी लिखें।

दस - दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु सहलेखक संबंधी नियम

अ. अभ्यर्थियों का विवरण जिन्हें सुविधा प्रदान की जाएगी :-

1. दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) निःशक्त तथा सेरिब्रल पाल्सी से दिव्यांगजन परीक्षार्थी।
2. मानसिक रूप से संस्तम (स्पेस्टिक) डाइसलेक्सिक पर्सन्स विद डिसएबिलिटिज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे शासकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।
4. आकस्मिक दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे शासकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।
5. उपरोक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को छोड़कर अन्य अभ्यर्थियों को सहलेखक एवं प्रतिपूरक समय की सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी।

ब. प्रदान की जाने वाली सुविधाएं :-

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को सहायक एवं प्रतिपूरक समय की सुविधा प्रदान की जावेगी। उपरोक्त सुविधा लेने हेतु अभ्यर्थी द्वारा सम्पूर्ण जानकारी मय दस्तावेजों एवं घोषणा-पत्र सहित परीक्षा दिनांक से एक दिवस पूर्व संबंधित परीक्षा केन्द्राध्यक्ष के सम्मुख प्रस्तुत करना होगी ताकि नियमानुसार लिखित अनुमति प्रदान की जा सके। अपरिहार्य कारणों से पूर्व में आवेदित लेखन सहायक उपस्थित न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के सत्यापन उपरांत नियमानुसार निर्धारित शर्तों के अनुरूप योग्यताधारी अन्य लेखन सहायक की सुविधा हेतु अनुमति दी जा सकेगी। लेखन सहायक से घोषणा-पत्र भरवाया जावेगा।

(i) लेखन सहायक की नियुक्ति हेतु शर्तें :-

लेखन सहायक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए जिसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अभ्यर्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा की अर्हता से कम होना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि किसी परीक्षा हेतु अभ्यर्थी की शैक्षणिक अर्हता स्नातक उपाधि है तो लेखन सहायक की योग्यता स्नातक से कम होना चाहिए। (अर्थात स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होना चाहिए) यदि किसी पद की परीक्षा की शैक्षणिक अर्हता स्नातकोत्तर उपाधि है, तो सहलेखक की योग्यता स्नातकोत्तर उपाधि से कम होनी चाहिए (अर्थात स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होना चाहिए)।

(ii) प्रतिपूरक समय हेतु शर्तें :-

ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हें उपरोक्तानुसार सहलेखक की सुविधा प्रदान की गई है, निम्नानुसार प्रतिपूरक समय की पात्रता होगी :-

3 घंटे की अवधि के प्रश्न पत्र के लिए	60 मिनट
2 घंटे की अवधि के प्रश्न पत्र के लिए	40 मिनट

स. इसके अतिरिक्त प्रदाय की जाने वाली सुविधाएं :-

यथा संभव ऐसे अभ्यर्थियों का परीक्षा कक्ष भूतल पर निर्धारित किया जावेगा।

द. अभ्यर्थी को पात्र सहलेखक साथ में लेकर परीक्षा हेतु आना होगा। आयोग/केन्द्राध्यक्ष द्वारा सहलेखक उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

टीप:- 1. उपरोक्त प्रकरणों के अतिरिक्त दिव्यांगजन सम्बन्धित अन्य किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण एवं निर्णय लिए जाने हेतु आयोग के सर्वाधिकार सुरक्षित रहेंगे।

2. दिव्यांगजन श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हें सहलेखक एवं भूतल पर बैठने की व्यवस्था की आवश्यकता है वे अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उक्त आवश्यकताओं की प्रविष्टि करेंगे। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि आकस्मिक दुर्घटना एवं बीमारी के मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में अभ्यर्थियों को उक्त सुविधाएं उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि के आधार पर ही देय होगी।

ग्यारह - विविध

1. परीक्षार्थियों को किसी भी प्रश्न पत्र में ग्राफ पेपर या नक्शा/स्टेन्सिल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा और परीक्षार्थी स्वयं भी ग्राफ पेपर या नक्शा/स्टेन्सिल परीक्षा भवन में नहीं लायेंगे।
2. परीक्षार्थियों को अपने साथ डिजिटल डायरी, वॉच, केलक्यूलेटर, सेल्युलर फोन, पेजर तथा अन्य electronic gadgets लाना वर्जित है।

बारह - परीक्षार्थी ओ.एम.आर. शीट एवं प्रश्न पत्रों पर दी गई समस्त सूचनाएं/निर्देश एवं अनुदेश ध्यानपूर्वक पढ़ें व अनिवार्यता से उनका पालन करें।

तेरह - अनुशासन व शालीनता

1. परीक्षा कक्ष में धूम्रपान करना/अशिष्ट, अनर्गल वार्तालाप करना पूर्णतः निषिद्ध व दण्डनीय है।
2. परीक्षा परिसर में एवं भवन के अन्दर वीक्षक व केन्द्राध्यक्ष द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों का पालन अनिवार्य है।
3. परीक्षा भवन के फर्नीचर अथवा केन्द्र पर की गई अन्य व्यवस्था को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जाना चाहिए। यह दण्डनीय है।
4. यदि परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष द्वारा निर्देशों का पालन नहीं करता है अथवा अशिष्ट आचरण करता है अथवा अनुचित या अशोभनीय या अशालीन व्यवहार करता है तो वह परीक्षा से निष्कासित किया जा सकेगा। उसकी परीक्षा निरस्त की जा सकेगी तथा वह ऐसे अन्य दण्ड का भी भागी होगा, जो आयोग उचित समझे। केन्द्राध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे परिक्षार्थियों के नाम गोपनीय ढंग से आयोग को सूचित किए जाएं। परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष के पूर्ण प्रशासकीय नियंत्रण में होगा।

जी-20871/45392/2021

ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट

(शासन द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान)

नगरीय निकायों के शिक्षण प्रशिक्षण में गौरवशाली 95 वर्ष

प्रवेश सूचना

स्वच्छता निरीक्षक डिप्लोमा कोर्स

सत्र : जनवरी से दिसंबर 2022

अवधि- 1 वर्ष, योग्यता - हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण, माध्यम - हिंदी / अंग्रेजी

सफल उम्मीदवारों हेतु सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों के विभागों जैसे- नगर निगम, स्वास्थ्य, रेलवे, छावनी परिषद, विमानपत्तन, बहुउद्देशीय कंपनियों में रोजगार के अवसरों की संभावना.

शासकीय कर्मचारियों के लिये हॉलिडे बैच की सुविधा

लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिप्लोमा (पत्राचार) LSGD(DLP)

नगरीय निकायों में राजस्व निरीक्षक पद के लिये अनिवार्य योग्यता

अवधि- 1 वर्ष, योग्यता - हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण, माध्यम - हिंदी / अंग्रेजी

प्रवेश एवं अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क करें :

तृतीय मंजिल, महाराजा कॉम्पलेक्स, कोठारी मार्केट के पास, इन्दौर

Ph.: 0731-2540101, 9826078003, 7000990616, 9522669922

E-mail : indore@aiilsg.org Website: www.aiilsg.org

R-45401/2021

DMIC PITHAMPUR JAL PRABANDHAN LIMITED

(Formerly Known as Pithampur Jal Prabandhan Company Limited)
Regd. Office : 1st Floor, Atulya IT Park, Near Crystal IT Park, Khandwa Road, Indore (MP) 452001, CIN : U41000MP2014SGC032618

No. DMICPJPL/INDORE/TECH/2021/15674 **Date : 27.12.2021**

NOTICE INVITING TENDER

DMIC PJPL, Indore invites online Item Rate schedule for Percentage Rate tenders from eligible contractors registered in MPPWD and having relevant experience individually through **e-portal : https://www.mptenders.gov.in** as mention below -

S. No.	Name of work	PAC	Cost of Tender form	EMD	Last date of Submission
1.	Development of Water Supply Billing Software at DMIC PJPL water billing work at Indore.	Rs. 5.00 Lakhs + GST	Rs. 2360/- (i/c GST)	Rs. 10,000/-	11.01.2022

Detailed NIT along with other details can be viewed on above mentioned portals.
Note : The NIT will be uploaded on website of e-procurement system– **http://www.mptenders.gov.in** within **3 days** from publication in news paper.
M.P. Madhyam/103072/45402/2021 **EXECUTIVE ENGINEER**

UGC-HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT CENTRE
DEVI AHILYA VISHWAVIDYALAYA, INDORE

Phone No. : 2460830 (Fax), 2462069 (0)

No./1142/HRDC/Advt./2021-22 **Date : 30.12.2021**

Application on plain paper giving full particulars of the qualification, work experience along with the attested copies of degree and work experience are invited for the post of Documentation Assistant. (Posts sanctioned by UGC-New Delhi to the Department). The qualifications for the position are given underneath :-

S. No.	Post	No. of Post	Category	Educational Qualification
1.	Documentation Assistant	01	UR	M.A. (English) and Diploma/Bachelor degree in Library/Information Science/Documentation with minimum 02 years of experience in library. Knowledge of Computer and English is a must.

1. The position is needed for a period of three years. The position is purely temporary (fixed salary) and on getting extension from UGC they may also be get extension on the basis of their performance. Last date for submitting the application is 21.01.2022.
2. Demand Draft (DD) (Non refundable) of Rs. 500/- to be enclosed with each application in favour of **Registrar, DAVV, Indore**. For reserve category no Demand Draft is required.
3. The interview call letter will be sent through email thus, kindly mention your email id (In CAPITAL LETTER) and mobile number in your application.
4. The application is to be submitted at given address - Director, UGC - Human Resource Development Centre, Devi Ahilya Vishwavidhyalaya, Takshila Campus, Khandwa Road, Indore 452017.

M.P. Madhyam/103114/45405/2021 **DIRECTOR, UGC-HRDC**

मुख्यमंत्री ने कोरोनारोधी टीकों को मंजूरी देने के लिये प्रधानमंत्री को ज्ञापित किया धन्यवाद

भोपाल, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को कोरबीवाक्स और कोवोवाक्स के टीकों और एंटी-वायरल दवा मोलनुपिरवीर को मंजूरी दिए जाने पर धन्यवाद ज्ञापित किया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि 'प्रधानमंत्री श्री मोदी कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व कर रहे हैं। कोरबीवाक्स और कोवोवाक्स के टीकों और एंटी-वायरल दवा मोलनुपिरवीर को मंजूरी एक बड़ा कदम है। अब हमारे पास 8 अधिकृत कोविड टीके हैं। यह हमारी आपातकालीन प्रतिक्रिया को बढ़ाएगा और कीमती जीवन बचाएगा।'

श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के लिए किए जा रहे लगातार प्रयास से भारत में पहली स्वदेशी आरबीडी प्रोटीन वैक्सीन कोरबीवाक्स और मोलनुपिरवीर एंड कोवोवाक्स का उत्पादन हुआ है। उनके दूरदर्शी दृष्टिकोण ने भारत को ग्लोबल फार्मेसी में बदल दिया है।

M.P. INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

"CEDMAP Bhawan" 16-A, Jail Road, Arera Hills, Bhopal Madhya Pradesh-462004
Regional Office - 1st Floor, Atulya IT Park, Near Crystal IT Park, Khandwa Road Indore (MP) 452001, Email- ed.roind@mpidc.co.in www.invest.mp.gov.in

No. MPIDC/R.O.-INDORE/TECH/2021/15676 **Date : 27.12.2021**

NOTICE INVITING TENDER

MPIDC Regional office Indore (formerly known as MPAKVN(I) Ltd., Indore) invites online Item Rate schedule for Percentage Rate tenders from eligible contractors registered in MPPWD and having relevant experience individually through e-portal : **https://www.mptenders.gov.in** as mention below -

S. No.	Name of work	PAC	Cost of Tender form	EMD	Last Date of Submission
1.	Supply and Installation of Battery for Elevator Lift, Control Room and D.G. Set of Crystal I.T. Park, Indore.	Rs. 6.99 Lakhs + L.U.T.	Rs. 2360/- (i/c GST)	Rs. 13,980/-	11.01.2022
2.	Supply and Installation of Rotating Rectifier Assembly at D.G. Set of Crystal I.T. Park, Indore.	Rs. 39,500 + GST	Rs. 1180/- (i/c GST)	Rs. 790/-	11.01.2022
3.	Retrofitting of Electrical work Air Circuit Breaker at Crystal I.T. Park (SEZ) Indore.	Rs. 14.15 Lakhs + L.U.T.	Rs. 2360/- (i/c GST)	Rs. 28,300/-	11.01.2022

Detailed NIT along with other details can be viewed on above mentioned portals.
Note : The NIT will be uploaded on website of e-procurement system– **http://www.mptenders.gov.in** within **3 days** from publication in news paper.
M.P. Madhyam/103074/45403/2021 **EXECUTIVE ENGINEER**

MADHYA PRADESH INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

Regional Office, 1st Floor, Atulya IT Park, Near Crystal IT Park, Khandwa Road, Indore (MP) 452001, Email- ed.roind@mpidc.co.in www.invest.mp.gov.in

No. MPIDC/R.O.-INDORE/TECH/2021/15903 **Date : 30.12.2021**

NOTICE INVITING TENDER

MPIDC Regional Office Indore (formerly known as MPAKVN(I) Ltd., Indore) invites online Percentage Rate tenders from eligible contractors registered in MPPWD and having relevant experience individually through e-portal : **https://www.mptenders.gov.in** as mentioned below -

S. No.	Name of work	PAC	Cost of Tender Form	EMD	Last date of submission
1.	Shifting of 33 KV Line from front of M/s Baerlocher India at Industrial Area Dewas Sector-3, Distt. Dewas (M.P.)	Rs. 3.76 Lakhs + G.S.T.	Rs. 2360/- (i/c GST)	Rs. 7,520/-	13.01.2022

Detailed NIT along with other details can be viewed on above mentioned portals.
Note : The NIT will be uploaded on website of e-procurement system - **http://www.mptenders.gov.in** within 3 days from publication in news paper.
M.P. Madhyam/103115/45406/2021 **EXECUTIVE ENGINEER**

M.P. INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

(Government of Madhya Pradesh Undertaking)
REGIONAL OFFICE, 101, First Floor, ATULYA IT Park, Near Crystal IT Park, Khandwa Road, INDORE - 452007 (M.P.), Phone : (O) 2970611, 2971311, 2974363, Fax No. : 0731-2972629, E-mail : ed.roind@mpidc.co.in
Website : www.invest.mp.gov.in, GSTN : 23AACCM6080D2ZT
CIN : U45203MP1981SGC001850

No. MPIDC/R.O./IND/2021/15950 **Date : 31.12.2021**

NOTICE INVITING TENDER (First Call)

Tender for the following work have been proceeded on the e-procurement system – **http://www.mptenders.gov.in** & **www.mpakvnindore.com** as mention below -

S. No.	Name of work	PAC (Rs. In Lacs)	Cost of Tender Form	EMD	Last Date of Submission
1.	Strengthening and up gradation of road, paver block, chamber cover, concertina coil fencing wire, boundary wall & Entrance gate at I/A Electronic complex, Distt. Indore.	Rs. 339.30 Lacs	Rs. 17700/- i/c GST	Rs. 339302/-	31.01.2022
2.	Strengthening and up gradation of road, paver block, chamber cover, concertina coil fencing wire, retaining wall & Entrance gate at I/A Ready-made Garment complex, Distt. Indore.	Rs. 321.70 Lacs	Rs. 17700/- i/c GST	Rs. 321707/-	31.01.2022
3.	Upgradation & Strengthening of Roads at existing Industrial Area Jaggakhedi, Dist. Mandsaur including 05 Years O & M	Rs. 361.00 Lacs	Rs. 17700/- i/c GST	Rs. 361000/-	31.01.2022

Detailed NIT along with other details can be viewed on above mentioned portals.
M.P. Madhyam/103141/45411/2021 **EXECUTIVE ENGINEER**

कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल

ईमेल : ceproc.encwrd.bpl@nic.in, फोन : 0755-2767635, फैक्स : 0755-2552406

निविदा सूचना क्रमांक - 856/2021-22/प्रमुख अभियंता/ई-टेंडरिंग/ **भोपाल, दिनांक 29.12.2021**

निम्न कार्यों हेतु निविदा वेबसाइट **https://www.mptenders.gov.in** पर आमंत्रित की गई है। निविदा प्रपत्र **दिनांक 18.01.2022 को 17.30 बजे तक** क्रय/डाउनलोड तथा प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

निविदा में संशोधन की स्थिति में वेबसाइट पर ही संशोधन देखा जा सकेगा। विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना व अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

स. क्र.	निविदा क्र.	कार्य	जिला	लागत (लाख)
1.	2021_WRD_175655	टर्न की पद्धति पर - शादा सागर बांध योजना के शीर्ष एवं नहर निर्माण कार्य सीमेन्ट कान्क्रीट लाइनिंग सहित, विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	सतना	614.24

जी-20848/45396/2021 **मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट)**

मध्यप्रदेश टूरिज़्म बोर्ड

छठवां तल, लिली ट्रेडविंग, जहांगीराबाद, भोपाल (म.प्र.) - 462008

क्रमांक-7881/एमपीटीबी/कौशल/2021 भोपाल, दिनांक : 22.12.2021

विज्ञापन

मध्यप्रदेश टूरिज़्म बोर्ड द्वारा स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, इंदौर संस्थान के **'प्राचार्य' पद पर नियमित नियुक्ति** हेतु योग्य आवेदकों से म.प्र. में स्थित एसआईएचएम एवं एफसीआई के 'सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम यथा संशोधित 2021' अंतर्गत आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। विज्ञापन से संबंधित विस्तृत जानकारी तथा नियम/शर्तें एवं आवेदन पत्र मध्यप्रदेश टूरिज़्म बोर्ड की वेबसाइट **www.tourism.mp.gov.in**, एसआईएचएम इंदौर की वेबसाइट **www.sihmind.mp.gov.in** एवं आईएचएम, भोपाल की वेबसाइट **www.ihmbhopal.ac.in** से प्राप्त की जा सकती है। आवेदन **'इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, भोपाल' (IHM, Bhopal), प्रशासन अकादमी के समीप, 1100 आवास गृह, भोपाल-462016** में प्राप्त होने की **अंतिम तिथि 31.01.2022 को शाम 04.00 बजे तक** है।

म.प्र. माध्यम/103096/45404/2021 **प्रबंध संचालक**

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम

कार्यालय परियोजना यंत्री, संभाग क्रमांक-03, गोरखपुर थाने के पीछे 1558, ऋषि काटेज, रतन कॉलोनी, जबलपुर (म.प्र.) पिनकोड-482003

फोन : 0761-4927003, ई-मेल : mpphcjabalpur3@gmail.com

निविदा प्रेस विज्ञप्ति

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम, जबलपुर संभाग क्र. 03 के अंतर्गत जिला-सिवनी में 60 सीटर क्षमता बैरक के निर्माण कार्य हेतु निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक 09/2021-22 (Online Tender No.-2021_MPPHC_175958_1) आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र **दिनांक 14.01.2022 समय सायं 17.00 बजे तक** ऑनलाइन खरीदे एवं सब्मिट (प्रस्तुत) किये जा सकते हैं। जिसकी विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण **Portal : https://www.mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते हैं एवं निविदा से संबंधित समस्त आवश्यक संशोधन उक्त वेबसाइट पर ही प्रदर्शित किए जावेंगे पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

म.प्र. माध्यम/103116/45407/2021 **परियोजना यंत्री**

SHRI REWA GURJAR BAL NIKETAN COLLEGE, SANAWAD

(Approved by Govt. of MP and Affiliated to DAVV, Indore)
Khargone Road, Sanawad-451111, Ph. No. 8989432589
E-mail : srg.college@gmail.com

ADVERTISEMENT FOR PRINCIPAL AND VARIOUS REGULAR FACULTY IN THE COLLEGE

(under code 28 Norms)

Subjects : Botany/Microbiology/Biotechnology/Commerce/Management/Sociology/Mathematics/Political Science/Seeds Technolgoy/Compute/Hindi/English Literature/Chemistry/Zoology/Physics/Horticulture/Sports/Home Science

Posts : Principal/Assistant Professor/Associate Professor/Professor

For other Course : B.Ed. 16 Posts

*Candidate who are eligible under Code-28 as per UGC Norms of University can apply within 15 days.

R-45399/2021 **PRESIDENT**

मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति, भोपाल

क्र./एफ/CST-06/ART/2021/4207 **भोपाल, दिनांक 31.12.2021**

एआरटी केन्द्र एवं एफआईएआरटी केन्द्र के लिए संविदा आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत स्थापित एआरटी एवं एफआईएआरटी केन्द्रों में रिक्त संविदा पदों पर 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। संविदा अवधि को राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशों के आधार पर आगामी वित्तीय वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकेगा।

1. विज्ञापित पद संविदा के अस्थायी पद हैं एवं सम्बन्धित एम्स/चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता/जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन हैं। अतः इस हेतु चयन की समस्त प्रक्रिया उन्हीं के स्तर से की जानी है एवं इस हेतु नियुक्ति आदेश भी उन्हीं के स्तर से जारी किए जाएंगे। नियुक्ति प्रक्रिया की प्रतीक्षा सूची साक्षात्कार दिनांक से एक वर्ष तक वैध रहेगी।

एआरटी/एफआईएआरटी केन्द्रों में रिक्त संविदा पदों का विवरण : -

S. No.	Post Sanctioned by NACO	Place of Posting & No. of Vacant Post	Consolidated remuneration (per month)
1	Medical Officer	Balaghat-1, Barwani-1, Bhopal-1, Burhanpur-1, Gwalior-1, Indore-1, Jabalpur-1, Khandwa-1, Khargone-1, Ratlam-1, Rewa-1, Shivpuri-1, Chhindwara-1, Dewas-1, Hoshangabad-1, Betul-1, Bhind-1, Morena-1, AIIMS Bhopal-1, Satna-1, Sidhi-1, Guna-1, Mandla-1, Shahdol-1	50,000/-
2	Counselor	Bhopal-1, Burhanpur-1, Gwalior-2, Indore-1, Jabalpur-2, Neemuch-1, Rewa-1, Seoni-2, Chhindwara-1, Dewas-1, Hoshangabad-1, Betul-1, Bhind-1, Morena-1, AIIMS Bhopal-1, Satna-1, Sidhi-1, Guna-1, Mandla-1, Shahdol-1	13,000/-
3	Lab. Technician	Balaghat-1, Barwani-1, Burhanpur-1, Gwalior-1, Indore-1, Jabalpur-1, Mandsaur-1, Ratlam-1, Rewa-1, Sagar-1, Chhindwara-1, Dewas-1, Hoshangabad-1, Betul-1, Bhind-1, Morena-1, AIIMS Bhopal-1, Satna-1, Sidhi-1, Guna-1, Mandla-1, Shahdol-1	13,000/-
4	Data Manager	Gwalior-1, Khandwa-1, Ratlam-1, Rewa-1, Sagar-1	13,000/-
5	Staff Nurse	Balaghat-1, Burhanpur-1, Neemuch-1, Rewa-1, Sagar-1, Seoni-1, Chhindwara-1, Dewas-1, Hoshangabad-1, Betul-1, Bhind-1, Morena-1, AIIMS Bhopal-1, Satna-1, Sidhi-1, Guna-1, Mandla-1, Shahdol-1	13,000/-
6	Pharmacist	Dhar-1, Khandwa-1, Shivpuri-1	13,000/-
7	Care Coordinator	Gwalior-1, Khandwa-1, Neemuch-1, Seoni-1, Shivpuri-1	6000/-

2. आवेदन जमा करने/प्राप्ति की **अंतिम तिथि : 24.01.2022 सायं 6.00 बजे तक** (डाक एवं अन्य किसी भी कारण से आवेदन विलंब से प्राप्त होने के लिए संस्था जिम्मेदार नहीं होगी)।

3. आयु : चिकित्सा अधिकारी पद हेतु अधिकतम आयुसीमा 70 वर्ष निर्धारित है। अन्य पदों के लिए आवेदक की आयु आवेदन की अंतिम तिथि को 18 वर्ष से कम एवं 62 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

4. उक्त पदों के लिए निर्धारित शैक्षणिक-योग्यता, अनुभव, आवेदन प्रेषित करने का पता, आवेदन-पत्र का प्रारूप एवं अन्य शर्तों के लिए इस कार्यालय की वेबसाइट **www.mpsacsb.org** पर प्रकाशित विस्तृत विज्ञापन देखें।

5. उक्त विज्ञापन में दर्शित पदों की संख्या में परिवर्तन, चयन प्रक्रिया को निरस्त/परिवर्तित करने का पूर्ण अधिकार परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति, भोपाल के पास सुरक्षित है।

म.प्र. माध्यम/103142/45412/2021 **परियोजना संचालक**

श्रीकँवरतारा इंस्टीट्यूट फॉर टीचर्स ट्रेनिंग मण्डलेश्वर जिला खरगोन

आवश्यकता है

बी.एड. - प्राचार्य/प्राध्यापक/सह-प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक

आवश्यक योग्यता : यू.जी.सी., एन.सी.टी.ई. एवं म.प्र. शासन (कॉलेज कोड-28) के नियमानुसार नेट/पीएच.डी. अनिवार्य।

वेतनमान : यू.जी.सी. नियमानुसार।

पता : श्रीकँवरतारा महाविद्यालय श्रीनगर कॉलोनी मण्डलेश्वर जिला खरगोन (म.प्र.) - 451221

संपर्क : 9669696249

ई-मेल : shrikanwartaracollege060@gmail.com

आर-45408/2021

MADHYA PRADESH RURAL ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY

(AN AGENCY OF PANCHAYAT & RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, GOVT. OF M.P.)
5th Floor, Block-II, Paryavas Bhawan, Bhopal (M.P.) 462011

NOTICE INVITING TENDER No. 970 (PMGSY-Bridge) (BW)

No./21001/22/D-12/MPRRDA/2021 **Bhopal, Dated : 31.12.2021**

Online Tenders for Construction of Bridges with 5 years defect liability & maintenance are invited on the E-Procurement System portal **https://www.mptenders.gov.in** as detailed below :-

- **Name of Work -** Construction of Bridges under PMGSY including maintenance for Five year after construction
- **SSR Applicable -** SOR issued by Engineer-in-Chief MPPWD Bhopal for Road and Bridge work effective from 29.08.2017 and amended upto issue date of NIT.

S. No.	Name of District	No. of Packages	Total PAC (In Rs.)
1.	Betul	1	34936912.00
2.	Burhanpur	1	14915000.00

1. **Availability of Bid Documents and mode of submission:** The bid document is available online and should be submitted online in **https://www.mptenders.gov.in**. The bidder would be required to register in the web-site which is free of cost. For submission of the bids, the bidder is required to have a valid Digital Signature Certificate (DSC) from one of the authorized Certifying Authorities.
2. Bid document may be purchased online from **04.01.2022 (17:30 hrs)** and last date for online bid submission is **20.01.2022 (17:00 hrs.).**
3. Other Critical dates and details can be viewed in the detailed N.I.T. and SBD for PMGSY Works (June-2020) on the above-mentioned portal and concerned PIU.

CHIEF GENERAL MANAGER

M.P. Madhyam/103118/45410/2021 **(T & e-G)**

कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय खण्ड सीहोर (म.प्र.)

Mail ID : eephseh@nic.in, Fax No. : 07562-224092, Telephone No. 07562-224092
New Bus Stand, Sehore (M.P.)

निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक 25/नि.प्र./खण्ड सीहोर/लोस्वायांवि/2021-22 **सीहोर, दिनांक 28.12.2021**

निविदा आमंत्रण सूचना

मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग में केंन्द्रीयकृत पंजीयन प्रणाली के अन्तर्गत ठेकेदारों से मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से निम्नलिखित कार्यों हेतु निविदा आमंत्रण सूचना जारी होने के दिनांक तक समस्त संशोधनों सहित ई-टेण्डरिंग पद्धति द्वारा ऑनलाइन निविदाओं में निहित शर्तों के अनुरूप आमंत्रित की जाती है। जिसकी विस्तृत निविदा सूचना एवं कार्यों का विवरण वेबसाइट **https://mptenders.gov.in** पर देखी जा सकती है। वेबसाइट पर होने वाली तकनीकी समस्याओं हेतु विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।

निविदा क्रमांक	कार्य	अनुमानित लागत (रु. में)	धरोहर राशि (रु. में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु. में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
2021_PHED_175268_1	सीहोर जिले के विकासखण्ड बुदनी के ग्राम बांसगहन, जैत, नांदनैर, नारायणपुर, नीमखेड़ी, वकतरा एवं वनेटा समूह जलप्रदाय योजना में सम्मिलित विभिन्न ग्रामों में नलजल प्रदाय योजना का क्रियान्वयन।	37770520/-	377705/-	15000/-	06 माह

क्र.	कार्यक्रम का विवरण	निर्धारित निविदा कार्यक्रम (की-डेट्स) एवं समय
1.	ऑनलाइन बिड सबमिशन की अंतिम दिनांक	**11.01.2022, 05.30 PM**
2.	बिड ओपनिंग दिनांक	**13.01.2022, 11.00 AM**

कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
खण्ड, सीहोर (म.प्र.)

जी-20843/45397/2021

कोरोना से बचने की तीन बातें बहुत जरूरी, टीका लगवाना
मास्क पहनना और अपनाना दो गज दूरी।

भारतमाला परियोजना

मध्यप्रदेश में 47.80 किलोमीटर सड़क के लिये राशि स्वीकृत

भोपाल, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश में भारतमाला परियोजना में 47.80 किलोमीटर लंबाई की सड़क को फोर लेन करने के संबंध में दी गई 876 करोड़ रुपये की स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जैन जिले के खेड़ाखजुरिया से मंदसौर जिले के सुहागड़ी तक 47.80 किलोमीटर लंबाई में फोर लेन उच्च गुणवत्तापूर्ण सड़क निर्माण की मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया है। इस कार्य पर कुल 876.37 करोड़ रुपये के वजट की मंजूरी प्रदान की गई है।

आपदा प्रबंधन में राशि की मंजूरी के लिए भी माना आभार

श्री चौहान ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह का आपदा प्रबंधन मद में मंजूर की गई अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के लिए भी आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की उच्च स्तरीय समिति द्वारा मध्यप्रदेश सहित असम, गुजरात, कर्नाटक, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के लिए तीन हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि वर्ष 2021 में हुई विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के लिए मंजूर की गई है। यह केंद्र सरकार का मानवीय और सामयिक कदम है।

एकलव्य शिक्षा विकास योजना

तेन्दूपत्ता संग्राहकों के 515 बच्चों को 51 लाख रुपये से ज्यादा की सहायता

तेंदूपत्ता संग्राहकों के बच्चों का उत्कृष्ट शिक्षा संस्थानों में प्रवेश

भोपाल, एकलव्य शिक्षा विकास योजना में प्रदेश के वन क्षेत्रों में निवासरत तेन्दुपत्ता संग्राहकों के होनहार बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा संस्थानों में प्रवेश और उनके शिक्षा व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है। इस वित्त वर्ष में शैक्षणिक सत्र 2019-20 के 515 छात्र-छात्राओं को 51 लाख 85 हजार रुपये की राशि मंजूर की जा चुकी है।

राज्य लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक श्री पुष्कर सिंह ने बताया कि नवम्बर 2010 से प्रारंभ 'एकलव्य शिक्षा विकास योजना' में अब तक 12 हजार से ज्यादा छात्र-छात्राओं को 10 करोड़ 51 लाख से अधिक की राशि स्वीकृत कर उपलब्ध कराई गई है।

योजना के लिये पात्रता

तेन्दूपत्ता संग्राहक के लिए यह जरूरी है कि पिछले 5 वर्ष में से कम से कम तीन वर्षों में न्यूनतम एक मानक बोरा तेन्दूपत्ता का संग्रहण किया गया हो। फड़ मुंशी और समिति प्रबंधक द्वारा कम से कम तीन वर्षों में तेन्दुपत्ता सीजन में कार्य करने पर तेंदुपत्ता संग्राहक के बच्चों की शिक्षा के लिए सहायता दी जाती है। बच्चों को योजना का लाभ लेने के लिए पिछली वार्षिक परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक लाना जरूरी है।

अधिकतम 50 हजार रुपये की सहायता

योजना में व्यावसायिक कोर्स के विद्यार्थियों को वार्षिक 50 हजार रुपये दिए जाते हैं। गैर तकनीकी स्नातक विद्यार्थियों को 20 हजार रुपये, कक्षा 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों को 15 हजार रुपये और कक्षा 9वीं एवं 10वीं उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को 12 हजार रुपये की वार्षिक सहायता दी जाती है।

योजना में विद्यार्थियों को निर्धारित राशि की सहायता के अलावा शिक्षण शुल्क, पाठ्यपुस्तकें, छात्रावास व्यय के साथ वर्ष में एक बार अपने घर आने-जाने का यात्रा व्यय भी दिया जाता है।

इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन राष्ट्रीय अधिवेशन

प्रकृति संरक्षण के साथ अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर करें कार्य

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के 104वें राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करते हुये।

भोपाल, अर्थव्यवस्था के विभिन्न आयाम और निर्धनों की जिंदगी में विकास की रोशनी पहुंचाने और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दृष्टि से भोपाल में हो रही तीन दिवसीय संगोष्ठी महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। संगोष्ठी में हिस्सेदारी कर रहे ख्यात अर्थशास्त्रियों के उपाय देश के साथ ही मध्यप्रदेश की अर्थ-नीति के निर्धारण में भी उपयोगी होंगे। संगोष्ठी में अर्थव्यवस्था के विभिन्न आयाम पर चर्चा होगी। विचार-विमर्श के सत्र होंगे। पर्यटन, उद्योग, कृषि, सेवा और पर्यावरण के समावेशी विकास के लिए और नवीन प्रकल्प के संचालन में संगोष्ठी सहायक सिद्ध होगी। चिंतन, मंथन के बाद निकले अमृत का लाभ निश्चित ही मध्यप्रदेश को भी मिलेगा। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी के स्वर्ण जयंती सभाकक्ष में इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन (आय.ई.ए.) के 104वें राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन करते हुये कहीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि संगोष्ठी के प्रतिभागी अर्थशास्त्रियों के सुझाव मध्यप्रदेश सरकार के लिए महत्वपूर्ण होंगे। हम इन पर अमल भी करेंगे। अर्थशास्त्रियों के लिए यह विचारणीय है कि हम प्रकृति के संरक्षण के साथ अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की विधियों पर कार्य करें। आज कोविड जैसी समस्याएं प्रकृति की अनदेखी के फलस्वरूप सामने आयी हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उम्मीद व्यक्त की कि यह संगोष्ठी आत्मनिर्भर भारत के लिए मार्गदर्शक होगी। ग्लोबल ट्रेड सहित अन्य महत्वपूर्ण विषय पर संगोष्ठी में हो रहा विचार-विमर्श राष्ट्रहित में उपयोगी रहेगा।

श्री चौहान ने कहा कि भारत में अपनाया गया विकास का मॉडल अपना नहीं था। आजादी के बाद की यह सबसे बड़ी त्रासदी थी। यह मान लिया गया कि अन्य देश हमसे श्रेष्ठ हैं। हमें अपने देश की परिस्थितियों के मुताबिक एक मॉडल तैयार करना था। पश्चिम में राजतंत्र के विरुद्ध प्रजातंत्र का उदय हुआ। इसके साथ ही हम सभी जानते हैं कि साम्यवाद को भी अनेक देशों ने विदा कर दिया, क्योंकि उस व्यवस्था को लागू करने से जनता सुखी नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं। समग्र विकास के लिए प्रयास हो रहे हैं। कहा भी गया है कि ऐसा विकास पर्याप्त नहीं, जिससे आम लोगों की जिंदगी में प्रकाश न आए।

श्री चौहान ने कहा कि अर्थव्यवस्था की दिशा ऐसी होना चाहिए कि हम पृथ्वी भी बचा पाएं और धरती पर सुखी समाज देखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि अर्थ के बिना दुनिया चल नहीं सकती। साथ ही अर्थ का अभाव व्यक्ति और राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं माना गया है। कहते हैं अर्थ का प्रभाव भी श्रेष्ठ नहीं है। दरअसल अर्थायाम आवश्यक है। भारत में उत्पादन, वितरण और उपभोग में सामंजस्य एवं संतुलन बनाने और दोषपूर्ण माध्यमों से अर्थ का उपार्जन न करने के दर्शन को आज नहीं तो कल विश्व भी स्वीकार करेगा। व्यक्ति के साथ ही सामाजिक जीवन में भी अर्थ का महत्व है। विकास दर बढ़े, इससे किसी को आपत्ति नहीं। हमें संसाधनों के समान वितरण और असमानता की खाइयों को खत्म करना पड़ेगा। कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंट इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन और नीति आयोग के सदस्य प्रो. रमेश चंद्र ने कहा कि मध्यप्रदेश किसी समय बीमारू राज्य था, लेकिन अब यह सुचारू राज्य है।

होशंगाबाद में मौजूद हैं पर्यटन की अनंत संभावनाएं - मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान होशंगाबाद के पचमढ़ी में पर्यटन गतिविधियों का निरीक्षण करते हुये।

होशंगाबाद, मध्यप्रदेश के होशंगाबाद में पर्यटन की अनंत संभावनाएं मौजूद हैं। पचमढ़ी, तवा, सतपुड़ा आदि पर्यटन स्थल अद्भुत हैं। यहां की प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक समृद्धता से दुनिया को रू-ब-रू कराएं। व्यापक स्तर पर इसकी मार्केटिंग की जाए, जिससे होशंगाबाद पर्यटन के क्षेत्र में विश्व पटल पर अपना नाम अंकित करा सके। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में रविशंकर भवन में जिला प्रशासन द्वारा तैयार डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म प्लान का अवलोकन करते हुये कहीं। कलेक्टर श्री नीरज कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री को आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश अभियान के तहत जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए 52 सप्ताह 52 इवेंट्स के बारे में जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि होशंगाबाद आने वाले सैलानियों के लिए दिन की गतिविधियों के साथ पर्यटन की सांध्य गतिविधियां भी आयोजित की जायें। पर्यटन की दृष्टि से शाम का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। सांध्य गतिविधियां क्या-क्या हो सकती हैं, इसकी संभावनाएं तलाशें। बेहतर प्लानिंग कर पीपीपी मोड में इन गतिविधियों को प्रमोट करें। शाम के समय लोक नृत्य, लाइट एंड साउंड शो, आर्मी बैंड जैसी गतिविधियां प्लान की जा सकती हैं।

श्री चौहान ने कहा कि चौरागढ़ मंदिर जाने के लिए केवल कार का प्रस्ताव भेजा जाए। केवल कार से धार्मिक पर्यटकों को एक अलग अनुभव प्राप्त होगा। पर्यटक यहां की पहाड़ियों, दुर्लभ वनस्पतियों आदि प्राकृतिक सुंदरता का लुत्फ उठा सकेंगे। उन्होंने कहा कि पचमढ़ी में गोल्फ खेल को बढ़ावा देने की भी अपार संभावना है, जो पर्यटकों को आकर्षित करेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे लिए गौरव का विषय है कि मध्यप्रदेश आजादी की लड़ाई में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वीर जनजातीय नायकों की जन्म-स्थली है। जनजातीय नायकों को पूरा सम्मान देना और भावी पीढ़ी को उनकी वीर-गाथाओं से अवगत कराना हमारा दायित्व है।

डायल-100 राज्य स्तरीय पुलिस कन्ट्रोल रूम होगा उन्नत

भोपाल, अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा ने बताया है कि मध्यप्रदेश पुलिस का राज्य स्तरीय पुलिस कंट्रोल रूम और डायल-100 वाहन द्वितीय चरण में एडवांस टेक्नोलॉजी से समुन्नत होंगे। उन्होंने बताया कि डायल-100 के द्वितीय चरण वर्ष 2021 से 2027 की अवधि में एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाकर और अधिक बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी।

डॉ. राजौरा ने बताया कि एफआरवी (फर्स्ट रिस्पांस व्हीकल) वाहनों की संख्या 1000 से बढ़ाकर 1200 की गई एवं निविदा अवधि में वाहनों की संख्या 2000 तक बढ़ाने की सीमा निर्धारित की गई है। डायल-100 सेवा का वर्तमान डाटा सेन्टर, स्टेट डाटा सेन्टर में शिफ्ट करने का प्रावधान किया जा रहा है। सभी एफआरवी में डैशबोर्ड कैमरा और स्टाफ के लिये वॉडी वार्न कैमरे का प्रावधान किया गया है। इन कैमरों की लाइव फीड को कन्ट्रोल रूम से लाइव देखा जा सकेगा।

द्वितीय फेज में वॉइस कॉल के अतिरिक्त एसएमएस एवं सोशल मीडिया पैनिक बटन (नॉन वॉइस प्लेटफार्म) से जानकारी प्राप्त होने पर त्वरित रूप से एफआरवी को भेजने में सुविधा होगी। नागरिकों के लिए सभी आपात सेवाओं पुलिस, फायर, एम्बुलेंस के लिए एक एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन की सुविधा प्रदान की जायेगी।

डॉ. राजौरा ने बताया कि पुलिस अधिकारियों की सतत् निगरानी के लिये पृथक से मोबाइल एप का प्रावधान भी किया जा रहा है। डायल-100 सेवा का अन्य नागरिक सेवाओं जैसे अग्निशमन, सीसीटीवी, सेफ सिटी सर्विलांस सिस्टम, सीसीटीएनएस एवं वल्लभ भवन स्थित सिचुएशन रूम के साथ इंटीग्रेशन का प्रावधान होगा। कॉल मॉस्किंग सुविधा भी मिलेगी।

एफआरवी से सम्पर्क की सुविधा, कॉलर और एफ़आरवी के मध्य हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग की सुविधा (इस सुविधा के द्वारा एफआरवी स्टाफ के पास कॉलर का नम्बर नहीं जायेगा, बल्कि एक वर्चुअल नम्बर आयेगा, जिस पर इवेंट के ओपन रहते एफआरवी स्टॉफ कॉलर से सम्पर्क कर सकेगा। यही प्रक्रिया जब कॉलर को पुलिस स्टॉफ से बात करनी होगी तब अपनाई जायेगी, जिससे कॉलर की निजता की गोपनीयता की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।) सभी एफआरवी वाहनों विशेषकर शहर एवं हाइवे पर ड्यूटीरत् वाहनों के लिए स्ट्रेचर का प्रावधान है, ताकि सड़क दुर्घटना की स्थिति में घायल व्यक्ति को अधिक कुशलता से हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके।

डॉ. राजौरा ने बताया कि मध्यप्रदेश पुलिस राज्य स्तरीय पुलिस कन्ट्रोल रूम कॉल-टेकर सीट संख्या 80 प्रति शिफ्ट से बढ़ाकर 100 प्रति शिफ्ट एवं डिस्पेचर संख्या 24 प्रति शिफ्ट से बढ़ाकर 40 प्रति शिफ्ट करने का प्रावधान किया गया है। निविदा अवधि में इनकी संख्या और अधिक बढ़ाने की सीमा निर्धारित की गई है।

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

तानसेन समारोह

तानसेन एवं कालिदास अलंकरण की सम्मान राशि होगी पांच लाख रुपये

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर में तानसेन समारोह का द्वीप प्रज्ज्वलन कर शुभारंभ करते हुये।

ग्वालियर, मध्यप्रदेश में वर्तमान काल को केवल विकास के लिये ही नहीं कला एवं संगीत के स्वर्णिमकाल के रूप में भी स्थापित करेंगे। इसके लिये प्रदेश सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं है। राष्ट्रीय तानसेन अलंकरण और कालिदास सम्मान की राशि बढ़ाकर 5-5 लाख रुपये किया जायेगा। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर में 97वें तानसेन समारोह के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुये कहीं।

भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में देश और दुनिया के सर्वाधिक प्रतिष्ठित महोत्सव विश्व संगीत समागम 'तानसेन समारोह' का संगीतधानी ग्वालियर में मुख्यमंत्री के मुख्य आतिथ्य में भव्य एवं रंगारंग शुभारंभ हुआ। हजीरा स्थित संगीत सम्राट तानसेन की समाधि के समीप सिद्धेश्वर मंदिर ओंकारेश्वर की थीम पर बने भव्य एवं आकर्षक मंच पर समारोह के शुभारंभ कार्यक्रम में देश के सुप्रतिष्ठित सितार वादक पंडित कार्तिक कुमार मुम्बई और सुविख्यात घट्म वादक पद्मभूषण पंडित विक्कू विनायकरम चेन्नई को क्रमशः वर्ष 2013 और 2014 के 'राष्ट्रीय कालिदास सम्मान' से अलंकृत किया गया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत प्राचीनकाल से कला और संगीत का पोषक रहा है। ग्वालियर संगीत घराने ने इस परंपरा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह परंपरा आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने संगीत सम्राट तानसेन की संगीत मर्मज्ञता का उल्लेख किया। साथ ही कहा कि तानसेन अलंकरण एवं कालिदास अलंकरण की सम्मान राशि अब 5 लाख रुपये होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि महान संगीत मनीषी तानसेन की याद में आयोजित होने वाले तानसेन समारोह का शताब्दीवां समारोह वर्ष 2024 में धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जायेगा।

श्री चौहान ने समारोह में घोषणा की कि प्रतिष्ठित तानसेन समारोह की तर्ज पर संगीत सम्राट तानसेन के समकालीन महान संगीत मनीषी बैजू बावरा की स्मृति में 'बैजू बावरा समारोह' का आयोजन भी शुरू किया जाएगा। उन्होंने संस्कृति मंत्री सुश्री ऊषा ठाकुर और प्रमुख सचिव संस्कृति श्री शिव शेखर शुक्ला से इस समारोह की तिथि और स्थान सहित इसकी पूरी रूपरेखा तैयार करने के लिये कहा।

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि जीवन की बाकी सब चीजें परिश्रम से फलीभूत हो सकती हैं, लेकिन कला एवं साहित्य के लिए राजाश्रय जरूरी है। ग्वालियर में पुरातन काल से लेकर राजा मानसिंह एवं महादजी सिंधिया के समय में कला एवं संगीत को पूरा आश्रय मिला। आजादी के बाद प्रदेश सरकार ने भी इसे पूरी शिद्दत के साथ आगे बढ़ाया। उन्होंने संगीत की नगरी ग्वालियर में राजा मानसिंह तोमर के नाम से कला एवं संगीत विश्वविद्यालय और राजमाता विजयाराजे सिंधिया के नाम से कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिये मुख्यमंत्री श्री चौहान के प्रति धन्यवाद व्यक्त किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुये केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर की धरा वीर और सपूतों की ही नहीं संगीत एवं कला मर्मज्ञों की भी धरा है। ग्वालियर में युग-युग से इसका संरक्षण होता रहा है। ग्वालियर की माटी और पानी का परिणाम है कि यहां एक से बढ़कर एक संगीतज्ञ जन्मे और भारत ही नहीं पूरी दुनिया को मूर्धन्य संगीत साधकों की माला प्रदान की।

सिकल सेल एनीमिया रोग उन्मूलन के लिये मिलकर करें कार्य

भोपाल, सिकल सेल एनीमिया रोग के नियंत्रण में समाज और सरकार मिलकर कार्य करें। समाज के शिक्षित वर्ग प्रदेश की आवादी के बड़े हिस्से जनजातीय समाज में व्याप्त इस जेनेटिक रोग के उन्मूलन में आगे बढ़कर सहयोग करें। यह बात राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने भोपाल में इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन समारोह में शामिल हुए विद्वानों से मध्यप्रदेश के सर्वांगीण विकास और सिकल सेल रोग के उन्मूलन के प्रयासों में सहयोग का अनुरोध करते हुये कही।

राज्यपाल ने कहा कि सिकल सेल एनीमिया रोग की रोकथाम के लिए युवाओं को वैवाहिक संबंधों और गर्भवती महिलाओं को जांच और स्वास्थ्य परीक्षण के प्रति सजग और सचेत किया जाए। उन्होंने बताया कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों को 5 गांवों में जांच एवं जागृति के कार्य करने के लिए कहा गया है।

श्री पटेल ने कहा है कि कोविड ने सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था को झकझोर दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था तेजी से मजबूती की ओर बढ़ रही है। विकास के मूलभूत ढांचे के आधुनिकीकरण एवं विस्तार के कार्य तेज गति से हुए हैं। फार्मा औषधि और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भारत के 33 स्टार्टअप एक वर्ष में एक अरब डॉलर से अधिक वाले यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हो गए हैं।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के लिए कार्यपालक संचालक प्रोफेसर सुरजीत एस. भल्ला ने समापन-सत्र को वर्चुअली संबोधित किया।

उन्होंने महिलाओं की श्रम शक्ति के रूप में भागीदारी, परिभाषा और प्रणाली पर तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत किया। नीति आयोग के सदस्य श्री रमेश चंद्र ने बताया कि वर्तमान सरकार द्वारा पाँच ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में कायाकल्प की योजना पर कार्य किया गया है। यह कार्य विकास की नई सोच, नए विजन और समावेशी विकास के स्वरूप में किया गया है।

अटल विहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के उपाध्यक्ष प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने बताया कि प्रदेश में संस्थान और विश्वविद्यालय के समन्वय से अकादमिक नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। शासन की नीतियों को शोध के साथ सामंजस्य कर बदलावों के लिए तथ्यात्मक सहयोग के प्रयास किए गए हैं। कॉन्क्लेव का प्रतिवेदन प्रो. एन.के. विश्नोई ने प्रस्तुत किया।

संजय गांधी ताप विद्युत गृह की यूनिट-चार का होगा उन्नयन

भोपाल, ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जानकारी दी है कि संजय गांधी ताप विद्युत गृह विरसिंहपुर की इकाई क्रमांक-4 के पुराने कंट्रोल एवं इन्स्ट्रूमेंट सिस्टम तथा फ्लेम स्कैनर का उन्नयन किया जाएगा। इस कार्य की अनुमानित लागत 24 करोड़ 13 लाख रुपये है।

श्री तोमर ने बताया है कि इस यूनिट की स्थापना वर्ष 1999 में की गई थी। इसके कंट्रोल एवं इन्स्ट्रूमेंट सिस्टम तथा फ्लेम स्कैनर पुराने हो चुके हैं, जिससे सुचारू कार्य में कठिनाई आ रही है। इनके उन्नयन से सभी प्रकार के पैरामीटर्स के माप एवं रिकॉर्डिंग में सुविधा होगी। वाल्व, मोटर एवं पम्प का संचालन सुरक्षित और तीव्र होगा। ऑटोलुप, जो किसी भी पैरामीटर को नियंत्रित करने के लिये अति-आवश्यक होता है, वह अधिक स्थायी हो जाएगा। नये प्रस्तावित कंट्रोल एवं इन्स्ट्रूमेंट सिस्टम के एक मंच में आने से कलपुर्जों के रख-रखाव और संधारण में आसानी होगी। यूनिट बंद होने अथवा किसी दुर्घटना के होने पर उसका परीक्षण करना और सही कारणों का पता लगाने में मदद मिलेगी।

अंतर्राष्ट्रीय वन मेले में हुए चौदह करोड़ रुपये के एमओयू

भोपाल, लाल परेड ग्राउन्ड में 22 से 26 दिसम्बर 2021 तक हुए 8वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला में 87 लघु वनोपज प्रजातियों से बनी वन औषधियों के तकरीबन 14 करोड़ रुपये के एमओयू किए गए। इसके पहले अंतर्राष्ट्रीय वन मेले में हुए एमओयू की तुलना में इस बार सर्वाधिक एमओयू रिकॉर्ड बना है। इसके पहले तक अधिकतम साढ़े पांच करोड़ रुपये के एमओयू हुए थे। यह उपलब्धि स्वास्थ्य क्षेत्र में वनोपज उत्पादों के बढ़ते योगदान के साथ ही इस वर्ष मेले की थीम 'लघु वनोपज से स्वास्थ स्वरक्षा' की प्रासंगिकता की पुष्टि भी करती है।

अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था। पांच दिन चले मेले में रोजाना 20 हजार लोगों ने मेले में लगे 300 स्टॉल में प्रदर्शित हर्बल उत्पादों, जड़ी-बूटियों और अन्य उत्पादों की खरीददारी की। मेले में प्रदेश के अलावा उत्तरप्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तराखण्ड, जम्मू-कश्मीर, झारखण्ड एवं राजस्थान राज्य के वन उत्पादकों के स्टॉल महत्वपूर्ण थे।

डेढ़ करोड़ से ज्यादा के वनोपज उत्पादों की बिक्री

वन मेले में आए लगभग डेढ़ लाख लोगों ने एक करोड़ 55 लाख रुपये के वनोपज उत्पादों की खरीददारी की। ज्यादातर इम्यूनिटी सुदृढ़ करने वाले उत्पादों की बिक्री हुई। मेला अवधि में चिकित्सीय परामर्श के लिए ओपीडी के 21 स्टॉल में 120 आयुर्वेद डॉक्टर्स/वैद्यों द्वारा निःशुल्क चिकित्सा परामर्श दिया गया। पांच हजार लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराकर परामर्श लिया।

'लघु वनोपज से स्वास्थ्य सुरक्षा' कार्यशाला रही सार्थक

कोरोना महामारी की स्थिति के दृष्टिगत दो दिवसीय कार्यशाला का विषय 'लघु वनोपज से स्वास्थ्य सुरक्षा' रखा गया। कार्यशाला में भूटान, नेपाल, बंगलादेश, फिलिपींस और थाईलैण्ड के औषधि विशेषज्ञों के साथ प्रदेश के और अन्य राज्यों के विशेषज्ञों ने अपने विचार रखने के अलावा लघु वनोपज के चिरस्थायी विदोहन के लिए संग्रहणकर्ता, पारम्परिक पद्धति से उपचारकर्ता एवं वैद्यों-विशेषज्ञों के साथ सार्थक संवाद किया। कार्यशाला में सार्थक अनुशंसाओं के साथ प्रस्तुत घोषणा-पत्र में वनोपज के मूल्य का अधिक लाभ हितग्राहियों को दिलाने के साथ ही उन्हें प्रधानमंत्री वन-धन योजना और देवारण्य से जोड़ने और स्थानीय स्तर पर संग्राहकों को प्र-संस्करण में उपकरण की सहायता आदि महत्वपूर्ण विषय का समावेश किया गया।

सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रही धूम

मेला अवधि में रोजाना सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका पद्मश्री सुश्री अनुराधा पौड़वाल, सुप्रसिद्ध गजल गायक पद्मश्री श्री अनूप जलोटा, सूफी गायक श्री जाजीम शर्मा की प्रस्तुति ने देर रात तक दर्शकों को बांधे रखा। झाबुआ और डिन्डौरी जिले के जनजातीय लोकनृत्य और लोकगीत आकर्षण के केंद्र रहे। स्कूली बच्चों द्वारा विभिन्न विषय पर केन्द्रित चित्रकला, गायन, फैन्सी ड्रेस, नुक्कड़ नाटक और नृत्य के कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई।

मंत्रिपरिषद के निर्णय

खेलो इंडिया योजना के लिये 215.53 करोड़ रुपये की स्वीकृति

भोपाल, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में भोपाल में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में खेलो इंडिया योजना में तीन वर्षों के लिए 215 करोड़ 53 लाख रुपये की नीतिगत/सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई। मंत्रिपरिषद ने इस योजना में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 में प्रथम बार उपयोग में आने वाले भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स के निर्माण के लिये 3 वर्षों में पूंजीगत व्यय राशि 137 करोड़ 60 लाख रुपये, मशीन एवं उपकरण क्रय के लिये पूंजीगत व्यय राशि 38 करोड़ 99 लाख रुपये, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स की स्थापना एवं रख-रखाव के लिये वर्ष 2023-24 से आवर्ती व्यय प्रतिवर्ष राशि 15 करोड़ 56 लाख रुपये तथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 के सफल आयोजन के लिये राजस्व अनावर्ती व्यय 23 करोड़ 38 लाख रुपये की स्वीकृति दी। मंत्रिपरिषद द्वारा लिये गये अन्य निर्णय इस प्रकार हैं -

- टोक्यो ओलिंपिक में प्रदेश के खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद भोपाल में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 के आयोजन तथा भोपाल को स्पोर्ट्स हब बनाये जाने के संबंध में यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है।
- भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी प्रदान करने के लिये सैद्धांतिक सहमति प्राप्त है।
- स्वीकृत स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स का प्रथमतः उपयोग खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की विभिन्न प्रतियोगिताओं हेतु किया जाएगा। इसका उपयोग खेल अकादमियों के खिलाड़ियों की समय-समय पर होने वाली विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए किया जा सकेगा।
- प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की कन्याओं का साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने एवं गुणात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से जनजातीय कार्य विभाग के कन्या शिक्षा परिसर संचालित हैं।
- मंत्रिपरिषद ने 65 कन्या शिक्षा परिसर भवन निर्माण कार्य की मूल प्रशासकीय स्वीकृति की राशि 1785 करोड़ 51 लाख रुपये के स्थान पर पुनरीक्षित राशि 1877 करोड़ 30 लाख रुपये की मंजूरी दी।
- मंत्रिपरिषद ने केंद्रीकृत पुलिस कॉल सेंटर एवं नियंत्रण कक्ष तंत्र (डायल-100) सेवा के द्वितीय चरण (2021-2027) के लिये 1,200 एफ.आर.वी. वाहनों की परियोजना के लिये अनुमानित राशि 1084 करोड़ 52 लाख रुपये की विस्तृत कार्य-योजना को मंजूरी दी।
- एफ.आर.वी. की संख्या वर्ष 2021-2027 की अवधि में 2 हजार एफ.आर.वी. तक क्रमवद्ध बढ़ाए जाने का प्रावधान निविदा में शामिल करने की भी स्वीकृति प्रदान की गयी।
- मंत्रिपरिषद द्वारा मध्यप्रदेश राजमार्ग निधि नियम 2012 के नियम 3 को संशोधन करने की स्वीकृति दी गई। संशोधन अनुसार निधि में धन का निक्षेप धारा 3 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट समस्त धन या प्राप्तियां और जो निधि का भाग रूप है, निधि में जमा की जाएंगी जो मध्यप्रदेश राजमार्ग निधि कहलाएगी।
- निधि को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या अनुसूचित बैंक या अन्य वित्तीय संस्था में, जैसा कि कार्यकारी समिति द्वारा विनिश्चत किया जाए, में जमा रखा जाएगा।
- उपभोक्ता शुल्क संग्रहण तथा अनुमति एवं अनुज्ञप्ति शुल्क से प्राप्तियां निधि में जमा की जाएंगी, जो मध्यप्रदेश राजमार्ग निधि कहलाएगी।
- निधि को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या अनुसूचित बैंक या अन्य वित्तीय संस्था में, जैसा कि कार्यकारी समिति द्वारा विनिश्चत किया जाए, में जमा रखा जाएगा।
- मंत्रिपरिषद ने मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं स्वराज (संशोधन) अध्यादेश 2021 को अनुमोदित किया।

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

उज्जैन में खुलेगा आईआईटी इंदौर का सेटेलाइट कैंपस

उज्जैन, उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्राचीन वैभवशाली ज्ञान परंपरा के अनुरूप मालवा क्षेत्र के उज्जैन को प्रौद्योगिकी और ज्ञान-विज्ञान के एक प्रमुख शिक्षण केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत उज्जैन में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) इंदौर का सेटेलाइट कैंपस खोला जाएगा। 100 एकड़ भूमि पर स्थापित यह कैंपस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शोध केंद्र और मानकों के अनुरूप उच्च शिक्षा प्रदान करेगा। अपनी तरह का यह देश का पहला शिक्षण संस्थान होगा। रोज़गार और स्व-रोज़गार के प्रोत्साहन में भी यह कैंपस महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।

डॉ. यादव ने बताया कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा राज्यमंत्री डॉ. सुभाष सरकार से उज्जैन की खगोल विज्ञान, संस्कृति और ज्ञान-विज्ञान की विरासत को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षण संस्थान खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा की गई थी। उन्होंने कहा कि आईआईटी इंदौर ने सेटेलाइट कैंपस की स्थापना के लिए प्रारंभिक डीपीआर तैयार की है। यह कैंपस हर दृष्टि से पूर्ण होगा और प्रशासनिक, अकादमिक निर्णय के लिए स्वतंत्र होगा। कैंपस में छात्रावास और शिक्षकों के लिए आवास भी होंगे। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शोध सुविधाएं एवं पाठ्यक्रम संचालित किये जाएंगे। कैंपस में उज्जैन-इंदौर की औद्योगिक इकाइयों के लिए रिसर्च का कार्य भी किया जायेगा। प्रारंभिक चरण में चार राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण केंद्र और इंडस्ट्रियल रिसर्च पार्क खोले जाने का प्रस्ताव भी है।

आईआईटी इंदौर इंडस्ट्रियल रिसर्च पार्क

उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि यह रिसर्च पार्क इंदौर-उज्जैन और आसपास के सभी क्षेत्रों की औद्योगिक इकाई को शोध कार्य में मदद करेगा। साथ ही स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित करेगा। इसे टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब के रूप में स्थापित किया जाएगा, जिसमें 100-150 अधिक कंपनियों को जोड़ा जाएगा। अभी आईआईटी चेन्नई और मुंबई में ऐसे ही रिसर्च पार्क कार्य कर रहे हैं। मालवा क्षेत्र में रोज़गार और स्व-रोज़गार निर्माण की दिशा में इंडस्ट्रियल रिसर्च पार्क की अहम् भूमिका होगी।

उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि जल संसाधन प्रबंधन के लिए यह एक महत्वपूर्ण केंद्र होगा। जहां जल के सम्बन्ध में शैक्षणिक गतिविधियों के साथ जल संसाधन पर शोध कार्य किया जाएगा। वाटर मैनेजमेंट पर आधारित पाठ्यक्रम भी संचालित किये जायेंगे। मध्यप्रदेश में वॉटर कंजर्वेशन तकनीक को बढ़ाने और जल से संबंधित शैक्षणिक कार्यक्रमों को तैयार करने में केंद्र मदद करेगा। अपनी तरह का यह देश का पहला केंद्र होगा।

सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी, स्पेस एंड हेरिटेज

डॉ. मोहन यादव ने कहा कि विश्व की श्रेष्ठतम भारतीय काल गणना और कैलेण्डर सिस्टम का केंद्र स्थान उज्जैन रहा है। काल गणना और खगोलीय विज्ञान में उज्जैन के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए यह सेंटर स्थापित किया जा रहा है। यहां स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस इंजीनियरिंग और एस्ट्रो फिजिक्स के पाठ्यक्रम के साथ रिसर्च और प्रयोगशाला भी स्थापित होगी।

इंदौर ने स्वच्छता के क्षेत्र में देश-विदेश में बढ़ाई प्रदेश की शान - मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर में मेट्रो रेल परियोजना के तहत मेट्रो स्टेशनों का शिलान्यास एवं भूमिपूजन करते हुये।

इंदौर, स्वच्छता के मामले में इंदौर देश ही नहीं विदेशों में प्रदेश की शान बढ़ाई है। इंदौर क्लीन, ग्रीन, आईटी, हाईटेक सिटी के बाद अब मेट्रो सिटी का खिताब हासिल करने जा रहा है। अत्याधुनिक मेट्रो रेल का कार्य पूरी गति से आरम्भ हुआ है। सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। रिंग के रूप में निर्मित होने वाली इस परियोजना से नगरवासी लाभान्वित होंगे। इससे न केवल रोज़गार के अवसर मिल रहे हैं वरन सौर ऊर्जा के जरिए इसके संचालन से पर्यावरण को भी लाभ मिलेगा। बाद में इसको थ्री लेयर ट्रेफिक सिस्टम के रूप में उपयोग किया जा सके इसके लिए डिजाइन निर्माण के निर्देश दिए गए हैं। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में मेट्रो रेल परियोजना के प्रायोरिटी कॉरिडोर के 16 मेट्रो स्टेशन एवं 11 किलोमीटर वायाडक्ट कार्य का शिलान्यास एवं भूमि-पूजन करते हुये कहीं।

मुख्यमंत्री ने वर्ष 2028 के आगामी सिंहस्थ के लिए नागरिकों के आवागमन को देखते हुए इस परियोजना को उज्जैन तक रैपिड रेल अथवा मेट्रो रेल के रूप में बढ़ाने के लिए सर्वे के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि इंदौर-पीथमपुर मेट्रो का भी सर्वे कराया जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, पर्यावरण, सर्विस सेक्टर, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में इंदौर वर्ष 2047 में कैसा होगा, इसका रोडमैप भी बनवाया जाएगा।

इंदौर में मेट्रो कॉरिडोर का एक रिंग के रूप में एयरपोर्ट से प्रारंभ होकर गांधीनगर, सुपर कॉरिडोर, एमआर-10, आईएसबीटी, विजय नगर चौराहा, रेडिसन चौराहा, बंगाली चौराहा, हाईकोर्ट, रेलवे स्टेशन, बड़ा गणपति, बीएसएफ से होते हुए इंदौर एयरपोर्ट पर लगभग 31.5 किलोमीटर में निर्माण किया जा रहा है। इसकी कुल लागत 7500 करोड़ 80 लाख रुपये है। भूमि का आरक्षण कर लिया गया है। गांधीनगर मेट्रो डिपो डिजाइन का कार्य पूरा कर लिया गया है। सभी 16 एलीवेटेड मेट्रो स्टेशन विश्व-स्तरीय सुविधाओं से युक्त होंगे। इनमें से 4 स्टेशन, रेडिसन चौराहा, विजय नगर चौराहा, सुपर कॉरिडोर-3 एवं भंवरसला स्टेशन आइकॉनिक डिजाइन के होंगे। आईजीबीसी की प्लेटिनम रेटिंग के हरित भवन के मानकों के अनुसार ऊर्जा संरक्षण के लिये सभी स्टेशन पर एलईडी लाइट एवं सोलर पेनल की व्यवस्था होगी। सभी स्टेशन पर मॉल की तरह सेंट्रल एयर कॉनकोर्स होगा। इसमें एटीएम, खाद्य आउटलेट, कैफे, मोबाइल रिचार्ज जैसी सेवाएं उपलब्ध होंगी। सभी स्टेशन पर आपातकाल में अग्रिम चेतावनी के साथ एक परिष्कृत अग्निशमन प्रणाली होगी। सभी स्टेशन पर मल्टीमॉडल एकीकरण होगा, जिसके अंतर्गत शहर के अन्य आवागमन के साधनों के साथ जैसे ई-रिक्शा, सिटी बस, पिक एण्ड ड्रॉप एवं पब्लिक बाइक शेयरिंग आदि की प्लानिंग की गई है। निकट भविष्य में प्रस्तावित केवल कार से मेट्रो रेल स्टेशन को जोड़ने का भी प्रावधान किया जा रहा है। सभी स्टेशन लिफ्ट एवं एस्केलेटर से सुसज्जित होंगे। साथ ही पावर बैकअप भी होगा।

सभी स्टेशन पर अत्याधुनिक ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम होगा। सभी स्टेशनों पर सुरक्षा के लिये पूर्णकालिक सीसीटीवी, मेटल डिटेक्टर एवं अन्य सुरक्षा के आधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे। इससे विशेष रूप से महिलाओं एवं बच्चों को सुरक्षा प्रदान की जा सकेगी। सभी स्टेशन के परिसर में यात्रियों के लिये चिन्हित सुरक्षित फुटपाथ बनाए जाएंगे। स्टेशन क्षेत्र का हरित विकास किया जाएगा। प्रभावित वृक्षों की प्रतिपूर्ति के लिए चार गुना वृक्षों का अग्रिम रोपण किया गया है। सभी स्टेशन पर पर्यावरण संरक्षण के लिये वाटर हार्वेस्टिंग की जाएगी।

मध्यप्रदेश के नौ जिलों में विकसित होंगे आयुष वन - वन मंत्री

भोपाल, आजादी के अमृत महोत्सव को चिर-स्थाई बनाने के लिए प्रदेश के 9 जिलों में आयुष वन विकसित किये जायेंगे। वन मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने इस अनुठी पहल की जानकारी देते हुए बताया कि अगले साल पन्ना, भोपाल, गुना, खण्डवा, बुरहानपुर, बैतूल, अलीराजपुर, शहडोल और अनूपपुर जिले में 450 हेक्टेयर क्षेत्र में आयुष वन विकसित किए जायेंगे। इसी तरह वर्ष 2023-24 में स्थानीय प्रजातियों और जड़ी-बूटियों का रोपण कराया जाएगा।

वन मंत्री ने बताया कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक जनसाधारण के लिए आस्था का केंद्र है। नर्मदा उद्गम स्थल के पास 50 हेक्टेयर क्षेत्र में आयुष वन की स्थापना की जा चुकी है।

मध्यप्रदेश में जनजातीय क्षेत्रों में औषधीय पौधों के जरिये रोज़गार के अवसर करें सृजित

जनजातीय क्षेत्रों के लोगों के आर्थिक उन्नयन के लिये औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहन

भोपाल, आयुष राज्यमंत्री श्री रामकिशोर (नानो) कांवरे ने भोपाल में देवारण्य योजना की बैठक में विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के निवासियों के आर्थिक उन्नयन के लिए औषधीय पौधों की खेती को अधिकाधिक प्रोत्साहित किया जाये।

किसानों को औषधीय पौधों की खेती के लिये दिया जा रहा है प्रशिक्षण

श्री कांवरे ने बताया कि योजना में किसानों के स्व-सहायता समूह बनाये जा रहे हैं। किसानों को औषधीय पौधों की खेती के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। औषधीय पौधों की विशेषताओं के कारण प्रदेश को नौ औषधीय क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है। योजना के क्रियान्वयन के लिये राज्य स्तर, जिला स्तर, ग्राम स्तर पर समितियों का गठन किया गया है। योजना का क्रियान्वयन आयुष विभाग के साथ-साथ उद्यानिकी, किसान-कल्याण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, वन विभाग, राज्य लघु वनोपज संघ और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग मिलकर कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि योजना में औषधीय एवं सुगंधित उत्पादों की प्रोसेसिंग और मार्केटिंग के लिये भी व्यवस्था की गई है। श्री कांवरे ने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये पंचायत स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार की आवश्यकता बताई। बैठक में बताया गया कि योजना के लिये 'देवारण्य सेल' का गठन किया जा रहा है। इस सेल के माध्यम से योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की व्यवस्था की जा सकेगी।

आयुष राज्यमंत्री श्री रामकिशोर कांवरे देवारण्य योजना के तहत विभागीय अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुये।

रिक्त पदों पर जल्द हो भर्ती

आयुष राज्यमंत्री ने विभागीय गतिविधियों की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि आयुष विभाग एवं आयुष महाविद्यालयों में रिक्त पदों पर भर्ती की व्यवस्था जल्द पूरी की जाए। बैठक में बताया गया कि विभाग में करीब 1400 पद रिक्त हैं। श्री कांवरे ने प्रदेश के आयुष महाविद्यालयों में चल रहे निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि लगभग 8 करोड़ रुपये के निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। इनमें पंचकर्म यूनिट, नेच्युरोपैथी, योगा हॉल और वातानुकूलित वार्ड के निर्माण कार्य शामिल हैं। यह सभी कार्य पीडब्ल्यूडी की इकाई पीआईयू के माध्यम से कराये जा रहे हैं। वुरहानपुर के शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय के बालिका छात्रावास का कार्य लगभग पूरा हो चुका है।

अस्पतालों में हो दवाओं की उपलब्धता

श्री कांवरे ने आयुष औषधालयों में दवाइयों की उपलब्धता और नियमित आपूर्ति व्यवस्था की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को महाविद्यालय परिसर में औषधि निर्माण इकाई संचालित किये जाने के प्रोजेक्ट को तैयार किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने निर्माण कार्यों की निगरानी के लिये संचालनालय स्तर पर टेक्निकल विंग बनाये जाने के भी निर्देश दिये।

भोपाल में इलेक्ट्रोकेमिकल 3डी प्रिंटिंग लेबोरेटरी का उद्घाटन

भोपाल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम मंत्री श्री ओमप्रकाश सखलेचा ने भोपाल सीएसआईआर एंप्री शोध संस्थान में इलेक्ट्रोकेमिकल 3डी प्रिंटर का उद्घाटन किया। श्री सखलेचा ने रिसर्च सेंटर में उपयोगी उपकरणों एवं मशीनों का अवलोकन भी किया। एंप्री के डायरेक्टर डॉ. अवनीश कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक डॉ. जयप्रकाश शुक्ल एवं अन्य वैज्ञानिक और पदाधिकारी उपस्थित रहे।

श्री सखलेचा ने कहा कि सीएसआईआर एंप्री संस्थान आत्मनिर्भर भारत के नारे को केंद्रित कर हमेशा प्रदूषण एवं अन्य समस्याओं से लड़ने के लिए काम कर रही है। हमें देश के वैज्ञानिकों के सम्मान में हमेशा तत्पर रहना चाहिए। वैज्ञानिकों को उनके कामों एवं शोध के दौरान जो भी रुकावटें आ रही हैं उनका समाधान करने के लिए सरकार हमेशा तत्पर है और इससे सकारात्मक परिणाम समाज के सामने आए।

श्री सखलेखा ने कहा कि हमेशा वैज्ञानिकों से आग्रह रहता है कि समाज की जरूरतों के आधार पर एक कमर्शियल एनालिसिस जरूर होना चाहिए, बिना इसके इनोवेशन का कोई महत्व नहीं रह जाता है। हमारे लिए कम खर्च में इफेक्टिव प्रोडक्ट्स तैयार करना अति आवश्यक है और इसे एक चैलेंज की तरह लेने चाहिए।

गांव की बेटी और प्रतिभा किरण योजना में 'छात्रवृत्ति' प्रक्रिया प्रारंभ

भोपाल, शैक्षणिक सत्र 2021-22 में नवीन प्रवेशित छात्राओं के लिए 'गांव की बेटी' योजना एवं प्रतिभा किरण योजना में आवेदन करने के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल 2.0 पर आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 जनवरी 2022 निर्धारित की गई है। छात्रवृत्ति के लिए ऑफलाइन आवेदन मान्य नहीं होंगे।

गांव की बेटी योजना

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई 'गांव की बेटी' योजना में ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 500 रुपये प्रतिमाह की दर से 10 माह तक प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

प्रतिभा किरण योजना

योजना के तहत मध्यप्रदेश राज्य के शहरी क्षेत्र की निवासी मेधावी छात्राएं, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रही हैं और अच्छे अंकों से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हुई हैं, ऐसी छात्राओं को प्रतिवर्ष 5 हजार रुपये छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

अग्नि प्राइम

मिसाइल के एडवांस वर्जन का टेस्ट रहा सफल

डीआरडीओ ने ओडिशा तट के पास नई पीढ़ी की परमाणु क्षमता की बैलिस्टिक मिसाइल 'अग्नि प्राइम' का सफल परीक्षण किया। अग्नि प्राइम में कई नए फीचर जोड़े गए हैं। इसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है। इस मिसाइल का वजन अग्नि-3 से 50 प्रतिशत कम है। इसे ट्रेन और सड़क से लॉन्च किया जा सकता है।

हैदराबाद में

देश का पहला इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर शुरू

देश के पहले इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर (आईएएमसी) का सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश एनवी रमन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। 25 हजार वर्गफीट क्षेत्रफल में बने इस अस्थायी सेंटर में वार्ता और मध्यस्थता के जरिये कानूनी मामले निपटाएं जाएंगे। अभी तक भारत सहित सभी क्षेत्रीय देशों और आमजनों के उलझे हुए कानूनी मामले सिंगापुर और ब्रिटेन के मध्यस्थता केन्द्रों में सुलझाए जाते थे, लेकिन हैदराबाद के इस सेंटर के शुरू हो जाने से अब मध्यस्थता की प्रक्रिया यहीं पर चलाई जा सकेगी।

प्रदीप कुमार रावत

चीन में भारत के नए राजदूत होंगे

प्रदीप कुमार रावत चीन में भारत के नए राजदूत होंगे। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ चल रहे गतिरोध को लेकर उनकी नियुक्ति अहम मानी जा रही है। धाराप्रवाह चीन की भाषा मंदारिन बोलने में दक्ष भारतीय विदेश सेवा के 1990 बैच के अधिकारी रावत फिलहाल नीदरलैंड्स में भारतीय दूत के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। रावत, विक्रम मिश्री की जगह लेंगे। रावत इससे पहले हांगकांग और बीजिंग में भी कार्य कर चुके हैं।

मोबाइल एक्सेंट्रिक ड्रोइड (रोबोट)

बिना पानी छलकाए रोबोट ले जाता है पानी

हुंडई ने मोबाइल एक्सेंट्रिक ड्रोइड (रोबोट) बनाया है। यह पानी भरा गिलास भी बिना छलकाए ले जाता है। इसका व्हीलबेस 45 सेंटीमीटर से 65 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है। 67 सेंटीमीटर लंबे, 60 सेंटीमीटर चौड़े, 33 सेंटीमीटर ऊंचे मोबेड में 2 किलोवाट की बैटरी है। इसका वजन 50 किलो और रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटे है।

पन्ना टाइगर रिज़र्व

रेगिस्तानी बिल्ली नजर आयी

मध्यप्रदेश के पन्ना टाइगर रिज़र्व में पहली बार भारतीय रेगिस्तानी बिल्ली देखी गई है। पन्ना टाइगर रिज़र्व के क्षेत्र संचालक के अनुसार एक पर्यटक ने रिज़र्व के अकोला बफर जोन में हाल ही में रात्रि सफारी के दौरान

ली गई एक इंडियन डेजर्ट कैट की तस्वीरों को उपलब्ध करवाया है। यह बिल्ली रेगिस्तान में पायी जाती है और पानी के बिना जीवित रह सकती है। इससे पहले नौरादेही अभ्यारण्य में रेगिस्तानी बिल्ली की उपस्थिति दर्ज की गई थी।

स्वचलित राइफल 'अरकास'

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित राइफल तैयार

आधुनिक हथियारों के निर्माण की दिशा में इज़राइल ने फिर कमाल कर दिया है। अब इजराइल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्वचालित राइफल अरकास बनाई है जो शत्रु को पहचान कर उनका काम तमाम कर देगी। यह राइफल रणभूमि की तस्वीर बदल देगी। इज़राइल की रक्षा उत्पाद बनाने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी इल्विट ने इस राइफल को बनाया है। इज़राइल अब तक कई अत्याधुनिक शस्त्र-अस्त्र बना चुका है। उसने इस राइफल को डिजीटल तरीके से संचालित स्वचालित मशीन का रूप दे दिया है।

नासा

अंतरिक्ष में खोला सैलून

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अंतरिक्ष यात्रियों के हेयर कटिंग के लिए सैलून खोल लिया है। इसका वीडियो शेयर करते हुए नासा ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) पहुंचे अंतरिक्ष यात्रियों के बालों की कटिंग को दिखाया है। पिछले महीने ही नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने स्पेस एक्स क्रू-3 मिशन के जरिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा है। इसमें भारतीय मूल के राजा चारी हेयर कटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

मोहित जैन

आईएनएस के प्रमुख चुने गए

इंडियन न्यूजपेपर सोसाइटी ने इकोनॉमिस टाइम्स के मोहित जैन को वर्ष 2021-22 के लिए अपना अध्यक्ष चुना है। वह हेल्थ एंड द एंटीसैप्टिक के एल. आदिमूलम की जगह लेंगे। साक्षी प्रकाशन के के. राजाप्रसाद रेड्डी को डिप्टी प्रेसिडेंट और आज समाज के राकेश शर्मा को वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है।

लॉर्ड फ्रॉस्ट

ब्रेक्सिट मंत्री ने कैबिनेट से दिया इस्तीफा

ब्रिटेन के ब्रेक्सिट मंत्री लॉर्ड फ्रॉस्ट ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। कथित तौर पर यूरोपीय संघ के साथ वार्ता का नेतृत्व करने वाले लॉर्ड ने पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को अपना इस्तीफा सौंप दिया था, लेकिन फिलहाल जनवरी तक वे पद पर बने रहेंगे। लॉर्ड सरकार की कोविड-19 नीतियों का सही क्रियान्वयन नहीं होने से नाखुश थे।

रईस अहमद

सोलह फिट की बांसुरी बनाकर बनाया रिकॉर्ड

उत्तरप्रदेश की बांसुरी नगरी के नाम से विश्वविख्यात

पीलीभीत के रईस अहमद ने 16 फीट की बांसुरी का निर्माण कर नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने इंडियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपनी इस उपलब्धि को दर्ज कराने में सफलता हासिल की है। इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से उन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट दिया गया।

लीना नायर

शनैल की ग्लोबल सीईओ बनीं

भारतीय मूल की लीना नायर को फ्रांस के लग्जरी ग्रुप शनैल का ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। लीना इससे पहले यूनिलीवर में चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर थीं। लीना नायर महाराष्ट्र के कोल्हापुर की रहने वाली हैं। उन्होंने हिंदुस्तान यूनिलीवर में करीब 30 साल काम किया है।

आनंद ईश्वरन

वीम सॉफ्टवेयर के सीईओ बने

डाटा प्रबंधन समाधान उपलब्ध कराने वाली कंपनी वीम सॉफ्टवेयर की कमान अब भारतीय मूल के आनंद ईश्वरन संभालेंगे। उन्हें कंपनी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सदस्य नियुक्त किया गया है। आनंद विलियम एच लाजेंट का स्थान लेंगे। कंपनी का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। ईश्वरन की नियुक्ति को लेकर लाजेंट ने कहा कि आनंद ईश्वरन कंपनी को सफलता के नए युग में ले जायेंगे।

कालका-शिमला

हैरिटेज ट्रैक पर पहली बार चार्टर्ड ट्रेन

कालका-शिमला हैरिटेज ट्रैक पर पहली बार चार्टर्ड ट्रेन चली। चंडीगढ़ के दिल से साइक्लिंग ग्रुप ने इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी) के जरिए करीब 2 लाख 15 हजार में यह पूरी ट्रेन बुक करवाई थी।

नोवाक जोकोविच

सम्मान में दो डाक टिकट जारी

सर्बिया ने अपने स्टार टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच के सम्मान में दो डाक टिकट जारी किए हैं। दुनिया के नंबर एक पुरुष एकल खिलाड़ी जोकोविच ने इस पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने ऊपर गर्व महसूस हो रहा है। उन्होंने अपने देश का शुक्रिया अदा किया है।

पोलैंड

डायनासोर के पैरों के हजारों निशान मिले

कभी धरती पर राज करने वाले डायनासोर के पैरों के हजारों निशान पोलैंड में मिले हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि डायनासोर के पैरों के निशान से 20 करोड़ साल पहले के पारिस्थितिक तंत्र के बारे में नयी जानकारी मिल सकती है। पोलैंड के भूगर्भ संस्थान नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसे खजाना करार दिया है। राजधानी वार्सा से 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित बोर्कोवाइस इलाके में खुली खदान में डायनोसोर के भागने, तैरने, आराम करने और बैठने के निशान मौजूद हैं।

उत्तर कोरिया

ग्यारह दिन तक हंसने और शॉपिंग पर लगी रोक

नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के अपने पिता और देश के पूर्व तानाशाह किम जोंग-इल की 10वीं बरसी पर तुगलकी फरमान जारी किया है। इसमें लोगों के हंसने, शॉपिंग करने और शराब पीने पर रोक लगा दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ग्यारह दिन तक राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। रेडियो फ्री एशिया ने नॉर्थ कोरिया में सिनुइजु शहर के लोगों से बातचीत भी की है। प्रतिबंध के 11 दिन के दौरान अगर किसी की मौत हो जाती है तो उसका परिवार जोर से रो भी नहीं सकता।

प्रोफेसर राकेश शर्मा

शार्क में मिलने वाले स्क्वेलिन को लैब में बनाया

यूनेस्को के अनुसार सौंदर्य प्रसाधन के प्रोडक्ट, दवाएं और कोविड वैक्सीन बनाने में इस्तेमाल होने वाले स्क्वेलिन के लिए हर साल 12-13 लाख शार्क मछली मारी जाती हैं। एक शार्क के लीवर से 100-150 मिलीलीटर स्क्वेलिन मिलता है। आईआईटी जोधपुर के वैज्ञानिक प्रोफेसर राकेश शर्मा ने जंगली वनस्पतियों और राजस्थानी मिट्टी की प्रोसेसिंग से स्क्वेलिन तैयार की है। इस रिसर्च को हाल ही में पेटेंट मिला है। शार्क से बनने वाली स्क्वेलिन 10 लाख रुपये किलो के हिसाब से बाजार में मिलती है, जबकि लैब में बने स्क्वेलिन की कीमत बहुत कम है। लैब में इसे तैयार करने के लिए धतूरा, आम, रतनज्योत और खेजड़ी के बीजों का इस्तेमाल किया गया है।

स्मृति शेष

चीन की सबसे बुजुर्ग महिला का निधन

चीन की सबसे बुजुर्ग महिला अलीमीहन सिती का 135 वर्ष की उम्र में शिनजियांग उइगर स्वायत्तशासी क्षेत्र में निधन हो गया। काउंटी प्रचार विभाग के अनुसार सिती का जन्म 25 जून 1886 को हुआ था। इस शहर को दीर्घायु शहर के रूप में जाना जाता है। इस कस्बे में 90 से अधिक उम्र के कई बुजुर्ग निवासरत् हैं।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जीटी नानावटी का निधन

वर्ष 2002 में गोधरा में ट्रेन आगजनी और 1984 के सिख दंगों की जांच करने वाले एवं सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके जीटी नानावटी का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। वह 6 मार्च 1995 से 16 फरवरी 2000 तक सुप्रीम कोर्ट के जज थे।

फ्रांस के पोम्पीडौ केंद्र के वास्तुकार रिचर्ड का निधन

पेरिस के पोम्पीडौ सेंटर सहित दुनिया की कुछ सबसे प्रसिद्ध इमारतों को डिजाइन करने के लिए पहचाने जाने वाले ब्रिटिश वास्तुकार रिचर्ड रोजर्स का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वर्ष 1991 में उन्हें नाइट की उपाधि दी गई थी। उन्होंने न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का भी डिजाइन तैयार किया जो एक 80 मंजिला गगनचुंबी इमारत है।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित, फोटो : गूगल से साभार)

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेन्सी एरिया, इन्दौर

गृह विभाग - मध्यप्रदेश शासन हेतु वैज्ञानिक अधिकारी के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन

विज्ञापन क्रमांक 14/2021 दिनांक 30.12.2021 **ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 24.02.2022**

आयोग कार्यालय में अभिलेखों सहित आवेदन-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 07.03.2022

महत्वपूर्ण

1. **मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, गृह विभाग, मध्यप्रदेश शासन हेतु वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिकी), वैज्ञानिक अधिकारी (रसायन) तथा वैज्ञानिक अधिकारी (जीव विज्ञान) के पदों की पूर्ति हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।**
   अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोज़गार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
2. आवेदन-पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे **आवेदन-पत्र दिनांक 25.01.2022 (दोपहर 12:00 बजे) से दिनांक 24.02.2022 (रात्रि 12:00 बजे) तक www.mponline.gov.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर** भरे जा सकते हैं।
3. आवेदक ऑनलाइन आवेदन करने तथा आवेदन शुल्क का भुगतान करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन-पत्र का प्रिंट-आउट प्राप्त करें तथा आवेदन-पत्र में उल्लेखित भुगतान विवरण से यह सुनिश्चित कर लें कि शुल्क भुगतान हो चुका है। उक्त ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ अपनी अर्हता से संबंधित सभी अभिलेखों तथा अनुप्रमाणन-पत्रक, व्यक्तिगत विवरण-पत्रक एवं उपस्थिति-पत्रक (आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर उपलब्ध) की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न कर आयोग कार्यालय में **दिनांक 07.03.2022 तक** जमा कराएं। **आवेदन-पत्र भरने के संदर्भ में विस्तृत जानकारी हेतु परिशिष्ट-2 का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें एवं तदनुसार पर्याप्त समय पूर्व आवेदन-पत्र भरें।**
4. आवेदक ऑनलाइन आवेदन-पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में **दिनांक 30.01.2022 से दिनांक 26.02.2022 तक** त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति सुधार सत्र रुपये 50/- त्रुटिसुधार शुल्क देय होगा। आवेदक त्रुटिसुधार हेतु एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा तथा श्रेणी/वर्ग परिवर्तन विषयक समस्त आवेदन सरसरी तौर पर अमान्य किए जाएंगे तथा आयोग द्वारा इस सन्दर्भ में आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा।
5. विज्ञापन के सन्दर्भ में आवश्यक सूचनाएं, ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर प्रकाशित किया जाएगा साथ ही आवश्यक होने पर अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए e-mail Address तथा मोबाइल नंबर पर e-mail तथा SMS Alert भी प्रेषित किए जाएंगे। अतः आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करें।
6. आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अर्हता, जाति प्रमाण-पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र एवं अन्य समस्त दस्तावेजों को संधारित नहीं किया जाता है। साक्षात्कार के समय अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत स्वप्रमाणित दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से मात्र मिलान का कार्य आयोग द्वारा किया जाता है। अंतिम चयन परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों एवं प्रतिक्षासूची में नामांकित अभ्यर्थियों के दस्तावजों को चयन-सूची अनुसार विभाग को प्रेषित कर दिया जाता है, जिनके सत्यापन का कार्य, विभाग द्वारा अभ्यर्थी को नियुक्ति देने के पूर्व किया जाता है। अतः अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जानकारी आयोग द्वारा उपलब्ध करवाई जाना संभव नहीं है। इस संदर्भ में आयोग द्वारा किसी भी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं किया जाएगा तथा सूचना के अधिकार के अंतर्गत इस संदर्भ में प्राप्त आवेदनों को विभाग को अंतरित किया जाएगा।
7. **आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी एक व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अतः किसी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यवहारिक रूप से असंभव है। अतः ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आयें और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम पता गोपनीय रखा जाएगा।**
8. उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक 25181/2019 के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

एक भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से **राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, गृह विभाग, मध्यप्रदेश शासन** हेतु निम्नलिखित रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

पद का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या					रिक्तियों में से मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या					मध्यप्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों की संख्या				कुल
	UR	SC	ST	OBC	EWS	UR	SC	ST	OBC	EWS	OH	VH	HH	MD	
वैज्ञानिक अधिकारी भौतिकी	4	2	3	4	2	1	1	1	1	1	1	0	1	0	15
वैज्ञानिक अधिकारी रसायन	4	3	3	4	2	1	1	1	1	1	1	0	1	0	16
वैज्ञानिक अधिकारी जीव विज्ञान	3	2	3	4	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	13

UR - Unreserved, SC - Scheduled Caste, ST - Scheduled Tribe, OBC - Other Backward Classes, EWS - Economically Weaker Section, OH - Orthopedic Handicapped, VH - Visual Handicapped, HH - Hearing Handicapped, MD - Multiple Disability

प्रत्येक पद हेतु पृथक-पृथक आवेदन-पत्र भरें।

दो पद का विवरण

01. पद का नाम : वैज्ञानिक अधिकारी भौतिकी
विभाग का नाम : गृह विभाग, मध्यप्रदेश शासन
श्रेणी : राजपत्रित द्वितीय श्रेणी
पद स्थिति : स्थायी
वेतनमान : लेवल 12 - 56100-177500
अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता : भौतिक शास्त्र या कम्प्यूटर साइंस या मास्टर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन या न्यायालयिक विज्ञान (न्यायालयिक भौतिक शास्त्र अथवा न्यायालयिक प्राक्षेपिकी में विशेषज्ञता के साथ) में द्वितीय श्रेणी से एम.एससी. की उपाधि तथा भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र विषय बी.एससी. में होना चाहिए।

M.Sc. Second Class in Physics or Computer Science or Master of Computer Application or in Forensic Science (with specilization in Forensic Physics or Forensic Ballistics) and should have Physics and Chemistry as subject in B.Sc.

अनुभव : यूजीसी से मान्यता प्राप्त किसी भी शोध संस्थान/कॉलेज/विश्वविद्यालय/प्रयोगशाला में दो वर्ष का वैज्ञानिक शोधकार्य का अनुभव।
पद के मुख्य कर्तव्य : विभिन्न अपराधिक प्रकरणों में प्राप्त प्रदर्शों का विश्लेषणात्मक कार्य एवं परीक्षित प्रकरणों की रिपोर्ट तैयार करना तथा समय-समय पर अधिकारियों द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य।

02. पद का नाम : वैज्ञानिक अधिकारी रसायन
विभाग का नाम : गृह विभाग, मध्यप्रदेश शासन
श्रेणी : राजपत्रित द्वितीय श्रेणी
पद स्थिति : स्थायी
वेतनमान : लेवल 12 - 56100-177500
अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता : रसायन शास्त्र या न्यायालयिक विज्ञान (न्यायालयिक रसायन शास्त्र या विष विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ) में द्वितीय श्रेणी में एम.एससी. उपाधि।

M.Sc. Second Class in Chemistry or in Forensic Science (with specialization in Forensic Chemistry or Forensic Toxicology)

अनुभव : यूजीसी से मान्यता प्राप्त किसी भी शोध संस्थान/कॉलेज/विश्वविद्यालय/प्रयोगशाला में दो वर्ष का वैज्ञानिक शोधकार्य का अनुभव।
पद के मुख्य कर्तव्य : विभिन्न अपराधिक प्रकरणों में प्राप्त प्रदर्शों का विश्लेषणात्मक कार्य एवं परीक्षित प्रकरणों की रिपोर्ट तैयार करना तथा समय-समय पर अधिकारियों द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य।

03. पद का नाम : वैज्ञानिक अधिकारी जीव विज्ञान
विभाग का नाम : गृह विभाग, मध्यप्रदेश शासन
श्रेणी : राजपत्रित द्वितीय श्रेणी
पद स्थिति : स्थायी
वेतनमान : लेवल 12 - 56100-177500
अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता : वनस्पति विज्ञान या प्राणी विज्ञान या जैव रसायन शास्त्र या सूक्ष्म जीव विज्ञान या जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नोलॉजी) या जेनेटिक्स या न्यायालयिक जीव विज्ञान अथवा न्यायालयिक सीरम विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ न्यायालयिक विज्ञान में द्वितीय श्रेणी में एम.एससी. उपाधि तथा वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान तथा रसायन शास्त्र विषय बी.एससी. में होना चाहिए।

M.Sc. Second Class in Botany or Zoology or Bio-Chemistry or Microbiology or Biotechnology or Genetics or in Forensic Science (with Specialization in Forensic Biology or Forensic Serology) and should have Botany, Zoology and Chemistry (as) subjects in B.Sc.

अनुभव : यूजीसी से मान्यता प्राप्त किसी भी शोध संस्थान/कॉलेज/विश्वविद्यालय/प्रयोगशाला में दो वर्ष का वैज्ञानिक शोधकार्य का अनुभव।
पद के मुख्य कर्तव्य : विभिन्न अपराधिक प्रकरणों में प्राप्त प्रदर्शों का विश्लेषणात्मक कार्य एवं परीक्षित प्रकरणों की रिपोर्ट तैयार करना तथा समय-समय पर अधिकारियों द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य।

तीन **रोज़गार पंजीयन : अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोज़गार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।**

विशेष :

(1) उक्त अर्हताएं विज्ञापन में उल्लेखित ऑनलाइन आवेदन करने की **अंतिम तिथि 24.02.2022 तक** अर्जित होनी चाहिए। उक्त तिथि के बाद में अर्हता धारित करने वाले आवेदक पद हेतु अनर्ह माने जाएंगे।
(2) यदि अभ्यर्थी की अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची में पूर्णांक तथा प्राप्तांक का उल्लेख न होते हुए ग्रेड/पाइंट स्केल का उल्लेख है तो उन्हें अपने ग्रेड/पाइंट स्केल के समतुल्य प्रतिशत के निर्धारण विषयक सूत्र/सिद्धांत के आधार पर प्रतिशत की गणना करते हुए शपथ-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। शपथ-पत्र के साथ प्रतिशत निर्धारण हेतु अपनाए गए सूत्र/सिद्धांत के अनुसमर्थन हेतु संबन्धित विश्वविद्यालय के सुसंगत अभिलेख संलग्न करना भी अनिवार्य है।

टीप- (1) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। पदों की संख्या में वृद्धि केवल साक्षात्कार द्वारा चयन की स्थिति में साक्षात्कार कार्यक्रम के प्रकाशन तिथि तक तथा ऑनलाइन परीक्षा की स्थिति में ऑनलाइन परीक्षा के परिणाम की तिथि तक की जा सकेगी। बढ़े हुए पदों हेतु अतिरिक्त आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं किए जाएंगे। पदों की संख्या में कमी चयन के किसी भी स्तर पर की जा सकेगी।
(2) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी।
(3) किसी भी प्रवर्ग में मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे।
(4) मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों हेतु केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांगजन ही आवेदन कर सकेंगे। **छत्तीसगढ़ सहित अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रूप में मान्य हैं अथवा दिव्यांगजन हैं, अनारक्षित श्रेणी के रूप में विचारित किए जाएंगे।** अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों को यह घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा की वे क्रीमीलेयर में नहीं आते।
(5) मध्यप्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन तथा परीक्षा शुल्क में विहित छूट तथा यात्रा-व्यय प्रतिपूर्ति का लाभ देय होगा।

चार **मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता :-**

अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

पांच **महत्वपूर्ण** :- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि, वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन-पत्र भरें। लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र जारी करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन-पत्र निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी।

छः **आयु सीमा** : 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।

सात **आयु संगणना तिथि 01.01.2022**

आयु सीमा में दी गई अन्य छूटों के लिए **परिशिष्ट-1** देखें।

आठ **अधिवार्षिकी आयु :- 62 वर्ष**

नौ **चयन प्रक्रिया** :-

चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर प्रत्येक श्रेणियों/उप श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के 5 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा बशर्ते कि पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध हों।

साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर अंतिम चयन-सूची घोषित की जाएगी। साक्षात्कार हेतु पूर्णांक 100 होगा। अनारक्षित तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु 41% तथा मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसुचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी हेतु 31% न्यूनतम उत्तीर्णांक होंगे।

टीप :- (1) आवश्यक होने पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न। श्रेणियों/उप श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कर हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा की स्थिति में साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे।

(2) लिखित परीक्षा की स्थिति में परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम यथासमय "**रोज़गार एवं निर्माण**" समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर प्रकाशित किया जाएगा।

चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग का चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

दस **आवेदन प्रक्रिया** :- उक्त पद हेतु आवेदन-पत्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु **परिशिष्ट-2** का अवलोकन करें।

ग्यारह विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं, परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** एवं **रोज़गार और निर्माण** समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए E-mail Address तथा मोबाइल नंबर पर E-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहें।

बारह विज्ञापन के प्रकाशन में हुई किसी भी प्रकार की लिपिकीय त्रुटि में सुधार का आयोग का सर्वाधिकार सुरक्षित है।

तेरह आवेदक विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें :-

(1) आयु सीमा की छूटें **परिशिष्ट-1**

(2) आवेदन-पत्र भरने के तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियां **परिशिष्ट-2**

सचिव

परिशिष्ट-1

(एक) **मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में अनुज्ञेय छूट**

(1) **मध्यप्रदेश शासन,** सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी. 3-8/2016/1/3, दिनांक 04 जुलाई 2019 अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित)/दिव्यांगजन आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी तथा **उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रहेगी।**

(2) ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण :-

भूतपूर्व सैनिक से अभिप्रेत है "मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985" के नियम 2 (ग) में यथा परिभाषित भूतपूर्व सैनिक।

(दो) **प्रोत्साहनस्वरूप दी गई छूटें**

(1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(2) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

टीपः- **(1) परिशिष्ट-1** (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहनस्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में से यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी।

नोटः- (01) उपरोक्त परिशिष्ट-1 (एक) (1 से 2) तथा (दो) (1 से 2) में उल्लेखित आयु सीमा की छूट की पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।

(02) आवेदकों को उपरोक्त सभी छूटें देय होंगी, किन्तु समस्त छूटों को शामिल करते हुए भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी अर्थात जिन आवेदकों की आयु 45 वर्ष से अधिक है, वे आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।

परिशिष्ट-2

ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1. ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार हैं :-

1. उपरोक्त पदों हेतु आवेदन-पत्र निम्न वेबसाइटों पर भरे जा सकेंगे-
   1. www.mponline.gov.in
   2. www.mppsc.com
   3. www.mppsc.nic.in
2. आवेदक mponline के स्थापित अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भरकर कियोस्क पर ही आवेदन/परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान कर रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त करें तथा आवेदन-पत्र की भलीभांति जांचकर सुनिश्चित कर लें कि भुगतान हो चुका है। mponline के अधिकृत कियोस्कों की सूची **www.mponline.gov.in, www.mppsc.com** तथा **www.mppsc.nic.in** पर पता एवं फोन नंबर सहित उपलब्ध है।
3. आवेदक अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फॉर्म भरकर आवेदन/परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नेट बैंकिंग सुविधा धारक आवेदक नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।
4. आवेदक फॉर्म भरने के पूर्व अपने नवीनतम फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्केन फाइलें तैयार रखें जिन्हें उन्हें ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड करना होगा। mponline के अधिकृत कियोस्क पर स्केनिंग की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है, जिसका उपयोग किया जा सकता है।

   फोटो स्केनिंग के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश :-
   1. स्केनिंग हेतु पासपोर्ट साइज की नवीनतम रंगीन फोटो का प्रयोग करें।
   2. फोटो खिंचवाते समय रिलेक्स स्थिति में सीधे कैमरे में देखें।
   3. यदि आप चश्मे का प्रयोग करते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि कोई रिफ्लेक्सन न हो तथा आपकी आंखें स्पष्टतः दिख रही हों।
   4. टोपी, हैट तथा डार्क चश्मे स्वीकार्य नहीं हैं। सिर पर पहने जाने वाले धार्मिक परिधान स्वीकार्य हैं किन्तु उनसे आपका चेहरा नहीं ढंकना चाहिए।
   5. यह सुनिश्चित करें कि फोटो का बैकग्राउंड हल्के रंग या आदर्श रूप में सफेद हो।
   6. किसी और से अपनी फोटो खिंचवाएं। कृपया सेल्फी का प्रयोग न करें।
5. ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि, वह उक्त वेबसाइट पर दिए गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें। आवेदन-पत्र भरने के संदर्भ में अभ्यर्थी वेबसाइट पर उपलबध अनुदेशों तथा निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर तदनुसार ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरें।
6. आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में यह माना जाएगा कि आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन फॉर्म मे अंकित की जा रही है वही प्रमाणिक जानकारी है अतः ऑनलाइन आवेदन-पत्र submit करने के पूर्व आवेदक अपना आवेदन-पत्र सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गई जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन-पत्र submit करें।
7. आवेदन-पत्र submit करने के बाद खुलने वाले popup window में आवेदक को उसके द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लिखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात **उसका नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी लिंग आदि की जानकारी दी जाएगी** जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी Cancel बटन दबाकर पुनः फॉर्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगे। Popup window में OK बटन दबाकर फॉर्म सब्मिट करने पर आवेदन-पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमें उसके आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpaid होगा।

   अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन-पत्र submit होने के बाद "Proceed for Paymentn" बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसका आवेदन-पत्र प्राप्त होगा जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा जिसमें भुगतान राशि तथा "Payment Done" स्पष्टतः उल्लेखित होगा। आवेदक उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।
8. **त्रुटि सुधार सुविधा** :- अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानीपूर्वक भरें। आवेदन-पत्र में कोई त्रुटि होने पर **दिनांक 30.01.2022 से 26.02.2022 तक** प्रति त्रुटि सुधार सत्र रुपये 50/- त्रुटि सुधार शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चात्वर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा। **मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु शुल्क रुपये 250 तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु रुपये 500 निर्धारित है अतः छूट वाली श्रेणियों के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा गैर छूट श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि रुपये 250 त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त देय होगी, किन्तु गैर छूट श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा छूट श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन पत्रों में भरी गई श्रेणी/वर्ग (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)/लिंग (महिला/पुरुष)/शासकीय सेवक/दिव्यांगता आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद श्रेणी/वर्ग परिवर्तन विषयक कोई पश्चात्वर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा।**
9. **आवेदन-पत्र प्रेषण के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश :-**

   (1) आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** के Download Formate लिंक से अनुप्रमाणन-पत्रक, व्यक्तिगत विवरण-पत्रक एवं उपस्थिति-पत्रक डाउनलोड करके उनकी पूर्ति करें। पूर्ति पश्चात उक्त प्रपत्रों की क्रमशः तीन, छः तथा एक छायाप्रति करायें।

   (2) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने तथा शुल्क भुगतान के पश्चात प्राप्त ऑनलाइन आवेदन में उल्लेखित भुगतान विवरण की जांच कर यह सुनिश्चित कर लें कि शुल्क का भुगतान हो चुका है। यह भी जांच कर लें कि समस्त प्रविष्टियां सही हैं (त्रुटि होने पर विहित अवधि में त्रुटि सुधार कर लें **(देखें बिन्दु-8)**। ऑनलाइन आवेदन-पत्र में विहित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें। उक्त हस्ताक्षरित ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ अपने सभी अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें तथा साथ ही अनुप्रमाणन-पत्रक, व्यक्तिगत विवरण-पत्रक एवं उपस्थिति-पत्रक की एक-एक प्रति संलग्न करें। (प्रपत्रों की शेष प्रतियां अपने पास सुरक्षित रखें, क्योंकि उन्हें आपको साक्षात्कार के समय अपने मूल अभिलेखों के साथ प्रस्तुत करना होगा)।

   (3) एक बड़े लिफाफे पर निम्न विवरण अंकित कर उक्त सेट (आवेदन-पत्र तथा समस्त अभिलेख) इस बड़े लिफाफे में रखकर पंजीबद्ध डाक या स्पीड पोस्ट से आयोग को प्रेषित करें।

विज्ञापन क्रमांक 14/2021 दिनांक 30.12.2021
वैज्ञानिक अधिकारी ..... (विषय लिखें), गृह विभाग के पद हेतु आवेदन-पत्र

प्रति,
सचिव
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग,
रेसीडेंसी एरिया
इंदौर (मध्यप्रदेश) पिन - 452001

प्रेषक :
आवेदक का नाम
तथा पता

(लिफाफे पर विज्ञापन क्रमांक, पद/विभाग का नाम अंकित न होने पर उस पर विचार नहीं किया जाएगा)

(4) ध्यान रखें अभिलेखों सहित उक्त आवेदन-पत्र **दिनांक 07.03.2022 को सायंकाल 5:30 बजे तक** आयोग कार्यालय में पहुंचने पर ही समयावधि में प्राप्त माना जाएगा। आवेदन-पत्र उक्त दिनांक तथा समय तक समस्त कार्य दिवसों में कार्यालयीन समय **(प्रातः 10:30 बजे से सायंकाल 5:30 बजे तक)** आयोग कार्यालय में भी प्राप्त किए जाएंगे तथा प्राप्ति की रसीद दी जाएगी। आवेदक आयोग को प्रेषित आवेदन-पत्र तथा अभिलेखों का एक सेट अपने पास सुरक्षित रखें।

10. विलंब से प्राप्त आवेदन-पत्र निरस्त किए जाएंगे तथा जमा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। अतः आवेदक अंतिम तिथि की प्रतीक्षा करने के बजाय पर्याप्त समय पूर्व ऑनलाइन आवेदन कर अभिलेखों सहित आवेदन-पत्र आयोग को प्रेषित करें।

11. आवेदक यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा आवेदन-पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वे साक्षात्कार की उपस्थिति सूची तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।

2. आवेदन शुल्क

मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु	शेष सभी श्रेणी तथा मध्यप्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों हेतु
रुपये 250/-	रुपये 500/-
उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त रुपये 40/- (जीएसटी सहित) पोर्टल शुल्क देय होगा	
● ऑनलाइन परीक्षा की स्थिति में परीक्षा शुल्क का भुगतान पृथक से करना होगा।	
● **शुल्क वापसी** :- अपरिहार्य कारणों से विज्ञापन निरस्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों से ऑनलाइन शुल्क वापसी आवेदन प्राप्त कर आवेदन शुल्क की राशि वापस की जाएगी किन्तु पोर्टल शुल्क की राशि किसी भी स्थिति में वापस नहीं की जाएगी।	

आवेदन शुल्क तथा पोर्टल शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य किसी राशि का भुगतान नहीं करना है। यदि कियोस्कधारक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो mponline से निम्न दूरभाष पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं :-

हेल्पलाइन नं. 0755-6720200

नोटः- यदि आपको ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने में कोई समस्या आती है तो नीचे दर्शाए गए दूरभाष नंबरों पर संपर्क करें :-
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसीडेंसी क्षेत्र, इंदौर (0731) 2701624, 2701983
एम.पी.ऑनलाइन लिमिटेड, (मध्यप्रदेश शासन तथा टाटा कंसल्टेन्सी सर्विसेज का संयुक्त उपक्रम)
ऑफिस ब्लाक OB-14 से 17, चतुर्थ तल, डी.बी. सिटी कार्पोरेट पार्क,
अरेरा हिल्स, जोन-1 के सामने, एम.पी. नगर,
भोपाल-462011, हेल्पलाइन नं. 0755-6720200

3. आवेदन की अंतिम तिथि

ऑनलाइन आवेदन करने की **अंतिम तिथि 24.02.2022 है।** अंतिम तिथि को रात्रि 12:00 बजे के बाद आवेदन-पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जाएगी।

4. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ निम्नांकित प्रमाण-पत्रों की छायाप्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें :-

आयु संबंधी प्रमाण के लिए :- केवल हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी अथवा मेट्रीक्यूलेशन की अंक-सूची/प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

रोज़गार कार्यालय में पंजीयन का प्रमाण-पत्र :- मध्यप्रदेश के रोज़गार कार्यालय में जीवित पंजीयन से संबन्धित पंजीकरण प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

दिव्यांगता प्रमाण-पत्र :- जिला चिकित्सा मण्डल या उच्चतर प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करें, जिसमें 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता प्रमाणित की गई हो। चिकित्सा अधिकारी के पदों हेतु 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता वाले लोकोमोटर दिव्यांगजन ही आरक्षण तथा छूटों हेतु पात्र हैं।

शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण-पत्र :- हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी तथा उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें आवेदक ने उत्तीर्ण किया है के समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की अंकसूचियां एवं उपाधि।

शासकीय सेवक होने का प्रमाण-पत्र :- यह प्रमाण-पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। इस प्रमाण-पत्र में धारित पद तथा विभाग का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

जाति के प्रमाण-पत्र :- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का स्थाई जाति प्रमाण-पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जो की मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के अधिकृत है द्वारा जारी किया गया हो आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करें। साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई वचन-पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए उसे नस्तीबद्ध किया जाएगा एवं आयोग इस संदर्भ में कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जाएगा। विवाहित महिलायें विवाहोपरांत नाम/उपनाम परिवर्तन का शपथ पत्र संलग्न करें। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाणन भी आवश्यक है अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमीलेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे। इस संदर्भ में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार घोषणा-पत्र संलग्न करना होगाः-

घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप

मैं ..... आयोग के विज्ञापन क्रमांक 14/2021 दिनांक 30.12.2021 के अंतर्गत आवेदन-पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा/रही हूं। मैं निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूं -

1. मैं ..... पुत्र/पुत्री श्री ..... निवासी ग्राम/कस्बा/शहर/..... जिला ....., मध्यप्रदेश का/की मूल निवासी हूं। यह घोषणा करता/करती हूं कि मैं ..... जाति का/की सदस्य हूं जो शासन द्वारा शासकीय सेवा में (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी में आरक्षण के लिए अधिसूचित है।
2. मैं शपथपूर्वक यह भी घोषणा करता/करती हूं कि आवेदन की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा निर्धारित अद्यतन मापदंडों के अनुसार, मैं सम्पन्न वर्ग अर्थात क्रीमीलेयर की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता/आती हूं।

दिनांक :- .....

हस्ताक्षर .....
नाम .....
आवेदन-पत्र क्रमांक .....

(उक्त घोषणा-पत्र तथा जाति प्रमाण-पत्र की स्केन्ड प्रति ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करें)

तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत आवेदकों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक हेतु :- नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट-1 की कंडिका-(दो-1) के अधीन उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट-1 की कंडिका-(दो-2) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।

5. जो व्यक्ति पहले से शासकीय सेवा में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

6. **अनुशासनिक निर्देश :- (ऑनलाइन परीक्षा संबंधी अनुदेश ऑनलाइन परीक्षा की स्थिति में)**

यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी है :-

01. जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो; या
02. प्रतिरूपण किया हो; या
03. किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या
04. कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या
05. ऐसे कथन दिए हों जो गलत और झूठे हों या जिसने चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छुपाई हो; या
06. परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो; या
07. परीक्षा कक्ष में अथवा अन्यत्र अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो; या
08. परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो; या
09. उनके द्वारा प्रवेश पत्र में उम्मीदवारों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या निर्देशों जिसमें परीक्षा संचालन में लगे केंद्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारी द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित हैं, अतिक्रमण किया हो; या
10. परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार,
11. परीक्षा कक्ष में परीक्षा हेतु प्राप्त उत्तर-पुस्तिका परीक्षा के समाप्त होने पर परीक्षा कक्ष के वीक्षक/परीक्षक को न जमा करते हुए अपने साथ ले गया हो।

तब आयोग द्वारा :-

(क) उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है निरर्ह ठहराया जा सकेगा
और/या
उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।

(ख) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुशंसा की जाएगी।

(ग) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

एवं तब शासन द्वारा :-

उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा।

7. **अनर्हताएं**:- ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें किसी भी चयन संस्था द्वारा विशिष्ट कालावधि हेतु भर्ती परीक्षा हेतु विवर्जित किया गया है उस कालावधि हेतु आवेदन करने हेतु अपात्र रहेंगे।

8. **यात्रा व्यय का भुगतान :-**

मध्यप्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों को जो कहीं सेवारत नहीं है, मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय का भुगतान आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा। आवेदकों को इसके लिए वांछित घोषणा-पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबन्धित निम्नांकित अभिलेख प्रस्तुत करना होंगे :-

(01) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति।

(02) यात्रा टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गई है तथा किराए की राशि का स्पष्टतः उल्लेख हो।

अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा। इस हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन-पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम स्वयं के बैंक खाते का नम्बर एवं बैंक का आई.एफ.एस.सी. कोड का उल्लेख करना तथा साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्केन प्रति आवेदन-पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।

जी-20874/45393/2021

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी एरिया - इंदौर

जेल विभाग - मध्यप्रदेश शासन हेतु व्याख्याता (मनोविज्ञान) के रिक्त पद की पूर्ति हेतु विज्ञापन

विज्ञापन क्रमांक	ऑनलाइन आवेदन करने की	आयोग कार्यालय में अभिलेखों सहित आवेदन-पत्र
15/2021/30.12.2021	**अंतिम तिथि 24.02.2022**	**जमा करने की अंतिम तिथि 07.03.2022**

महत्वपूर्ण

1. **मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जेल विभाग, मध्यप्रदेश शासन हेतु व्याख्याता (मनोविज्ञान) के पद की पूर्ति हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। उक्त पद हेतु अनिवार्य अर्हता निम्नानुसार है -**
   (अ) शैक्षणिक अर्हता :- **किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान विषय में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि या उसके समकक्ष।**
   (अ) अधिमान्य अर्हता :- **पी.एच.डी. को अधिमान्यता दी जाएगी।**
   (अंतिम चयन के स्तर पर समान अंक की स्थिति में)
   अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोज़गार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
2. आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे आवेदन पत्र दिनांक 25.01.2022 (दोपहर 12:00 बजे) से दिनांक 24.02.2022 (रात्रि 12:00 बजे) तक **www.mponline.gov.in, www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर भरे जा सकते हैं।
3. आवेदक ऑनलाइन आवेदन करने तथा आवेदन शुल्क का भुगतान करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन-पत्र का प्रिंट आउट प्राप्त करें तथा आवेदन पत्र में उल्लेखित भुगतान विवरण से यह सुनिश्चित कर लें कि शुल्क भुगतान हो चुका है। उक्त ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ अपनी अर्हता से संबन्धित सभी अभिलेखों तथा अनुप्रमाणन-पत्रक, व्यक्तिगत विवरण-पत्रक एवं उपस्थिति-पत्रक (आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in** तथा www.mppsc.com पर उपलब्ध) की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न कर आयोग कार्यालय में दिनांक 07.03.2022 तक जमा कराएं। **आवेदन पत्र भरने के संदर्भ में विस्तृत जानकारी हेतु परिशिष्ट-2 का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें एवं तदनुसार पर्याप्त समय पूर्व आवेदन-पत्र भरें।**
4. आवेदक ऑनलाइन आवेदन-पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में दिनांक 30.01.2022 से दिनांक 26.02.2022 तक त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति सुधार सत्र रु. 50/- त्रुटिसुधार शुल्क देय होगा। आवेदक त्रुटिसुधार हेतु एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। आयोग द्वारा इस सन्दर्भ में आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा।
5. विज्ञापन के सन्दर्भ में आवश्यक सूचनाएँ, ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** में प्रकाशित किया जाएगा। साथ ही आवश्यक होने पर अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय दिए गए **e-mail Address** तथा मोबाइल नंबर पर **e-mail** तथा **SMS Alert** भी प्रेषित किए जाएंगे। अतः आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र पर विहित स्थान पर अपने ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करें।
6. आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अर्हता, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्त दस्तावेजों को संधारित नहीं किया जाता है। साक्षात्कार के समय अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत स्वप्रमाणित दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से मात्र मिलान का कार्य आयोग द्वारा किया जाता है। अंतिम चयन परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों एवं प्रतिक्षासूची में नामांकित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों को चयन सूची अनुसार विभाग को प्रेषित कर दिया जाता है जिनके सत्यापन का कार्य विभाग द्वारा नियुक्ति के पूर्व किया जाता है। अतः अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जानकारी आयोग द्वारा उपलब्ध करवाई जाना संभव नहीं है। इस संदर्भ में आयोग द्वारा किसी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं किया जाएगा तथा सूचना के अधिकार के अंतर्गत इस संदर्भ में प्राप्त आवेदनों को विभाग को अंतरित किया जाएगा।
7. **आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी एक व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अतः किसी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यवहारिक रूप से असंभव है। अतः ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आयें और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम पता गोपनीय रखा जाएगा।**
8. उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक 25181/2019 के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

एक भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से जेल विभाग, मध्यप्रदेश शासन हेतु निम्नलिखित रिक्त पद की पूर्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

पद का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या					रिक्तियों में से मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पद की संख्या					मध्यप्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पद की संख्या				कुल
	UR	SC	ST	OBC	EWS	UR	SC	ST	OBC	EWS	OH	VH	HH	MD	
व्याख्याता (मनोविज्ञान)	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	01

UR - Unreserved, SC- Scheduled Caste, ST- Scheduled Tribe, OBC- Other Backward Classes, EWS- Economically Weaker Section, OH- Orthopedic Handicapped, VH- Visual Handicapped, HH- Hearing Handicapped, MD- Multiple Disability

दो **पद का विवरण**

01	**पद का नाम**	:	**व्याख्याता (मनोविज्ञान)**
	विभाग का नाम	:	जेल विभाग, मध्यप्रदेश शासन
	श्रेणी	:	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी
	पद स्थिति	:	स्थायी
	वेतनमान	:	56100-177500
	अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता	:	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान विषय में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि या उसके समकक्ष।
	अधिमान्य अर्हता	:	पी.एच.डी. को अधिमान्यता दी जाएगी।
	पद के मुख्य कर्तव्य	:	क्षेत्रीय जेल प्रबंधन एवं शोध संस्थान पर प्रशिक्षु अधिकारियों/कर्मचारियों को संबंधित विषय में व्याख्या देना।

तीन **रोज़गार पंजीयन** : **अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोज़गार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।**

विशेष :

(1) उक्त अर्हताएं विज्ञापन में उल्लेखित ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि **24.02.2022** तक अर्जित होनी चाहिए। उक्त तिथि के बाद में अर्हता धारित करने वाले आवेदक पद हेतु अनर्ह माने जाएंगे।

(2) यदि अभ्यर्थी की अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची में पूर्णांक तथा प्राप्तांक का उल्लेख न होते हुए ग्रेड/पाइंट स्केल का उल्लेख है तो उन्हें अपने ग्रेड/पाइंट स्केल के समतुल्य प्रतिशत के निर्धारण विषयक सूत्र/सिद्धांत के आधार पर प्रतिशत की गणना करते हुए शपथ-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। शपथ-पत्र के साथ प्रतिशत निर्धारण हेतु अपनाए गए सूत्र/सिद्धांत के अनुसमर्थन हेतु संबन्धित विश्वविद्यालय के सुसंगत अभिलेख संलग्न करना भी अनिवार्य है।

टीप-

(1) शासन द्वारा पद की संख्या का पुनरीक्षण करने पर पदों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। पद की संख्या में वृद्धि केवल साक्षात्कार द्वारा चयन की स्थिति में साक्षात्कार कार्यक्रम के प्रकाशन तिथि तक तथा ऑनलाइन परीक्षा की स्थिति में ऑनलाइन परीक्षा के परिणाम की तिथि तक की जा सकेगी। बढ़े हुए पद हेतु अतिरिक्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किए जाएंगे। पद की संख्या में कमी चयन के किसी भी स्तर पर की जा सकेगी।

(2) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी।

(3) किसी भी प्रवर्ग में मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे।

(4) उक्त पद केवल अनारक्षित श्रेणी हेतु है। अतः मध्यप्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी के अभ्यर्थियों को आयु-सीमा में छूट का लाभ देय नहीं होगा किन्तु आवेदन तथा परीक्षा शुल्क में विहित छूट तथा यात्रा-व्यय प्रतिपूर्ति का लाभ देय होगा।

चार **मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता :-**

अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

पांच **महत्वपूर्ण** :- यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि, वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन-पत्र भरें। लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र जारी करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी।

छः **आयु सीमा** : 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।

सात **आयु संगणना तिथि 01.01.2022**
आयु सीमा में दी गई अन्य छूटों के लिए **परिशिष्ट-1** देखें।

आठ **अधिवार्षिकी आयु :- 62 वर्ष**

नौ **चयन प्रक्रिया** :-
चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर 12 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा बशर्ते कि पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध हों।
साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर अंतिम चयन सूची घोषित की जाएगी। साक्षात्कार हेतु पूर्णांक 100 होगा। न्यूनतम उत्तीर्णांक 41% होंगे।
चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग का चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

दस **आवेदन प्रक्रिया** :- उक्त पद हेतु आवेदन-पत्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु **परिशिष्ट-2** का अवलोकन करें।

ग्यारह विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं, परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** एवं **रोज़गार और निर्माण समाचार पत्र में** प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यदर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए E-mail Address तथा मोबाइल नंबर पर E-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहें।

बारह विज्ञापन के प्रकाशन में हुई किसी भी प्रकार की लिपिकीय त्रुटि में सुधार का आयोग का सर्वाधिकार सुरक्षित है।

तेरह आवेदक विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें :-
(1) आयु सीमा की छूटें **परिशिष्ट-1**
(2) आवेदन-पत्र भरने के तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियां **परिशिष्ट-2**

सचिव

परिशिष्ट - 1

(एक) मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में अनुज्ञेय छूट

(1) **मध्यप्रदेश शासन**, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी. 3-8/2016/1/3, दिनांक 04 जुलाई 2019 अनुसार शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित)/दिव्यांगजन आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी तथा **उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रहेगी।**

(2) ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हों, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप

जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण :-

भूतपूर्व सैनिक से अभिप्रेत है 'मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पद, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985' के नियम 2 (ग) में यथा परिभाषित भूतपूर्व सैनिक।

(दो) प्रोत्साहनस्वरूप दी गई छूटें

(1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(2) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(तीन) (1) परिशिष्ट-1 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहनस्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में से यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी।

नोटः- (01) उपरोक्त **परिशिष्ट-1** (एक) (1 से 2) तथा (दो) (1 से 2) में उल्लेखित आयु सीमा की छूट की पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।

(02) आवेदकों को उपरोक्त सभी छूटें देय होंगी किन्तु समस्त छूटों को शामिल करते हुए भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन आवेदकों की आयु 45 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।

परिशिष्ट-2

ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1. ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार हैं :-

1. उपरोक्त पद हेतु आवेदन-पत्र निम्न वेबसाइटों पर भरे जा सकेंगे
   1. www.mponline.gov.in
   2. www.mppsc.com
   3. www.mppsc.nic.in
2. आवेदक mponline के स्थापित अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से ऑनलाइन फार्म भरकर कियोस्क पर ही आवेदन/परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान कर रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त करें तथा आवेदन-पत्र की भलीभांति जांचकर सुनिश्चित कर लें कि भुगतान हो चुका है। **mponline** के अधिकृत कियोस्कों की सूची **www.mponline.gov.in**, **www.mppsc.com** तथा **www.mppsc.nic.in** पर पता एवं फोन नंबर सहित उपलब्ध है।
3. आवेदक अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फार्म भरकर आवेदन/परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नेट बैंकिंग सुविधा धारक आवेदक नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।
4. आवेदक फार्म भरने के पूर्व अपने नवीनतम फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्केन फाइलें तैयार रखें जिन्हें उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय अपलोड करना होगा। **mponline** के अधिकृत कियोस्क पर स्केनिंग की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है जिसका उपयोग किया जा सकता है।

फोटो स्केनिंग के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश :-

1. स्केनिंग हेतु पासपोर्ट साइज की नवीनतम रंगीन फोटो का प्रयोग करें।
2. फोटो खिचवाते समय रिलेक्स स्थिति में सीधे कैमरे में देखें।
3. यदि आप चश्मे का प्रयोग करते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि कोई रिफ़्लेक्सन न हो तथा आपकी आंखें स्पष्टतः दिख रही हों।
4. टोपी हैट तथा डार्क चश्मे स्वीकार्य नहीं हैं। सर पर पहने जाने वाले धार्मिक परिधान स्वीकार्य हैं किन्तु उनसे आपका चेहरा नहीं ढंकना चाहिए।
5. यह सुनिश्चित करें कि फोटो का बैकग्राउंड हल्के रंग या आदर्श रूप में सफ़ेद हो।
6. किसी और से अपनी फोटो खिचवाएं। कृपया सेल्फी का प्रयोग न करें।

5. ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि, वह उक्त वेबसाइट पर दिए गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें। आवेदन-पत्र भरने के संदर्भ मे अभ्यर्थी वेबसाइट पर उपलब्ध अनुदेशों तथा निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर तदनुसार ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरें।

6. आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में यह माना जाएगा कि, आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन फार्म में अंकित की जा रही है वही प्रमाणिक जानकारी है अतः ऑनलाइन आवेदन-पत्र **submit** करने के पूर्व आवेदक अपना आवेदन-पत्र सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गई जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन-पत्र **submit** करें।

7. आवेदन-पत्र **submit** करने के बाद खुलने वाले **popup window** में आवेदक को उसके द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लिखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात **उसका नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी लिंग आदि की जानकारी दी जाएगी** जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी **Cancel** बटन दबाकर पुनः फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगे। **Popup window** में **OK** बटन दबाकर फार्म सब्मिट करने पर आवेदन-पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमें उसके आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह **Unpaid** होगा। **अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन-पत्र submit होने के बाद "Proceed for Payment" बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसका आवेदन-पत्र प्राप्त होगा जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा जिसमें भुगतान राशि तथा "Payment Done" स्पष्टतः उल्लेखित होगा। आवेदक उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।**

8. **त्रुटि सुधार सुविधा** :- अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानीपूर्वक भरें। आवेदन-पत्र में कोई त्रुटि होने पर दिनांक **30.01.2022** से **26.02.2022** तक प्रति त्रुटि सुधार सत्र रुपये 50/- त्रुटि सुधार शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन ही त्रुटि सुधार किया जा सकेगा। नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीवद्ध किया जाएगा। **मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु शुल्क रु. 250 तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु रु. 500 निर्धारित है अतः छूट वाली श्रेणियों के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा गैर छूट श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि रुपये 250 त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त देय होगा, किन्तु गैर छूट श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा छूट श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन पत्रों में भरी गई श्रेणी/वर्ग (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)/लिंग (महिला/पुरुष)/शासकीय सेवक/दिव्यांगता आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के बाद श्रेणी/वर्ग परिवर्तन विषयक कोई पश्चात्वर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा।**

9. **आवेदन-पत्र प्रेषण के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश :-**

(1) आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** के **Download Formate** लिंक से अनुप्रमाणन फार्म, व्यक्तिगत विवरण-पत्रक, एवं उपस्थिति-पत्रक डाउनलोड करके उनकी पूर्ति करें। पूर्ति पश्चात उक्त प्रपत्रों की क्रमशः तीन, छः तथा एक छायाप्रति करायें।

(2) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने तथा शुल्क भुगतान के पश्चात प्राप्त ऑनलाइन आवेदन में उल्लेखित भुगतान विवरण की जांच कर यह सुनिश्चित कर लें कि शुल्क का भुगतान हो चुका है। यह भी जांच कर लें कि समस्त प्रविष्टियां सही हैं (त्रुटि होने पर विहित अवधि मे त्रुटि सुधार कर लें **(देखें बिन्दु-8)**। ऑनलाइन आवेदन-पत्र में विहित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें। उक्त हस्ताक्षरित ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ अपने सभी अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें तथा साथ ही अनुप्रमाणन फार्म, व्यक्तिगत विवरण पत्रक, एवं उपस्थिति पत्रक की एक एक प्रति संलग्न करें। (प्रपत्रों की शेष प्रतियां अपने पास सुरक्षित रखें क्योंकि उन्हें आपको साक्षात्कार के समय अपने मूल अभिलेखों के साथ प्रस्तुत करना होगा)

(3) एक बड़े लिफाफे पर निम्न विवरण अंकित कर उक्त सेट (आवेदन-पत्र तथा समस्त अभिलेख) इस बड़े लिफाफे में रखकर पंजीबद्ध डाक या स्पीड पोस्ट से आयोग को प्रेषित करें।

विज्ञापन क्रमांक 15/2021 दिनांक 30.12.2021
व्याख्याता (मनोविज्ञान), जेल विभाग के पद हेतु आवेदन-पत्र

	प्रति,
	सचिव
प्रेषकः	मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग,
आवेदक का नाम	रेसीडेंसी एरिया
तथा पता	इंदौर (मध्यप्रदेश) पिन - 452001

(लिफाफे पर विज्ञापन क्रमांक, पद/विभाग का नाम अंकित न होने पर उस पर विचार नहीं किया जाएगा)

(4) ध्यान रखें अभिलेखों सहित उक्त आवेदन-पत्र **दिनांक 07.03.2022 को सायंकाल 5:30 बजे तक** आयोग कार्यालय में पहुंचने पर ही समयावधि में प्राप्त माना जाएगा। आवेदन-पत्र उक्त दिनांक तथा समय तक समस्त कार्य दिवसों में कार्यालयीन समय **(प्रातः 10:00 बजे से सायंकाल 6:00 बजे तक)** आयोग कार्यालय में भी प्राप्त किए जाएंगे तथा प्राप्ति की रसीद दी जाएगी। आवेदक आयोग को प्रेषित आवेदन-पत्र तथा अभिलेखों का एक सेट अपने पास सुरक्षित रखें।

10. विलंब से प्राप्त आवेदन-पत्र निरस्त किए जाएंगे तथा जमा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। अतः आवेदक अंतिम तिथि की प्रतीक्षा करने के बजाय पर्याप्त समय पूर्व ऑनलाइन आवेदन कर अभिलेखों सहित आवेदन-पत्र आयोग को प्रेषित करें।

11. आवेदक यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा आवेदन-पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वे साक्षात्कार की उपस्थिति सूची तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।

2. **आवेदन शुल्क**

मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु	शेष सभी श्रेणी तथा मध्यप्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों हेतु
रु. 250/-	**रु.500/-**
उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त रु. 40/- (जीएसटी सहित) पोर्टल शुल्क देय होगा	

- ऑनलाइन परीक्षा की स्थिति में परीक्षा शुल्क का भुगतान पृथक से करना होगा
- **शुल्क वापसी** :- अपरिहार्य कारणों से विज्ञापन निरस्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों से ऑनलाइन शुल्क वापसी आवेदन प्राप्त कर आवेदन शुल्क की राशि वापस की जाएगी किन्तु पोर्टल शुल्क की राशि किसी भी स्थिति में वापस नहीं की जाएगी।

आवेदन शुल्क तथा पोर्टल शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य किसी राशि का भुगतान नहीं करना है। यदि कियोस्कधारक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो **mponline** से निम्न दूरभाष पर संपर्क कर शिकायत दर्ज़ करा सकते हैं :-

हेल्पलाइन - 0755-6720200

नोट : यदि आपको ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने में कोई समस्या आती है तो नीचे दर्शाए गए दूरभाष नंबरों पर संपर्क करें :-
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसीडेंसी क्षेत्र, इंदौर (0731) 2701624, 2701983
एम.पी.ऑनलाइन लिमिटेड, (मध्यप्रदेश शासन तथा टाटा कंसल्टेन्सी सर्विसेज का संयुक्त उपक्रम) ऑफिस ब्लाक OB-14 से 17, चतुर्थ तल, डी.बी. सिटी कार्पोरेट पार्क, अरेरा हिल्स, ज़ोन-1 के सामने, एम.पी. नगर, भोपाल-462011, हेल्पलाइन - 0755-6720200

3. **आवेदन की अंतिम तिथि :-**
ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 24.02.2022 है। अंतिम तिथि को रात्रि 12:00 बजे के बाद आवेदन-पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जाएगी।

4. **अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ निम्नांकित प्रमाण-पत्रों की छायाप्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें :-**

आयु संबंधी प्रमाण के लिए :- केवल हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी अथवा मेट्रीक्यूलेशन की अंक-सूची/प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

रोज़गार कार्यालय में पंजीयन का प्रमाण-पत्र :- मध्यप्रदेश के रोज़गार कार्यालय में जीवित पंजीयन से संबन्धित पंजीकरण प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

दिव्यांगता प्रमाण-पत्र :- जिला चिकित्सा मण्डल या उच्चतर प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करें जिसमें 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता प्रमाणित की गई हो। चिकित्सा अधिकारी के पद हेतु 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता वाले लोकोमोटर दिव्यांगजन ही आरक्षण तथा छूटों हेतु पात्र हैं।

शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण-पत्र :- हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी तथा उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें आवेदक ने उत्तीर्ण किया है के समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की अंकसूचियां एवं उपाधि।

शासकीय सेवक होने का प्रमाण-पत्र :- यह प्रमाण-पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। इस प्रमाण पत्र में धारित पद तथा विभाग का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

जाति के प्रमाण-पत्र :- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का स्थाई जाति प्रमाण-पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जो कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के अधिकृत है द्वारा जारी किया गया हो आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करें। साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई वचन-पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए उसे नस्तीवद्ध किया जाएगा एवं आयोग इस संदर्भ में कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं

(शेष अगले पृष्ठ पर)

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग रायसेन (म.प्र.)

ई-मेल : eepwdraisen@mp.nic.in, दूरभाष/फैक्स क्रमांक : 07482-222051

निविदा सूचना

निविदा सूचना क्र. 21/व.ले.लि./रायसेन/2021-22 **रायसेन, दिनांक : 27.12.2021**

निम्नलिखित कार्यों हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट **www.mptenders.gov.in** पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेण्डर आई.डी.	जिला	कार्य का प्रकार	कार्य का नाम	आमंत्रण क्रमांक	कार्य की अनु. राशि (रु. लाख में)	रिमार्क
1.	2021_PWDRB_175264	रायसेन	बी.टी. नवीनीकरण	मुख्य जिला मार्ग देहगांव से बम्होरी मार्ग के कि.मी. 1 से 27 तक बी.टी. नवीनीकरण का कार्य। लंबाई 27.00 कि.मी.	तृतीय	280.56	
2.	2021_PWDRB_175344_1	रायसेन	बी.टी. नवीनीकरण	बेगमगंज से झिरिया मंदिर मार्ग पर बी.टी. नवीनीकरण कार्य। लंबाई 13.00 कि.मी.	तृतीय	97.68	
3.	2021_PWDRB_175351_1	रायसेन	बी.टी. नवीनीकरण	तिलेंडी पारखेड़ी मार्ग पर बी.टी. नवीनीकरण कार्य।	तृतीय	47.73	
4.	2021_PWDRB_175361_1	रायसेन	बी.टी. नवीनीकरण	नयापुरा से गोखलकुण्डी मार्ग पर बी.टी. नवीनीकरण कार्य।	तृतीय	31.74	
5.	2021_PWDRB_175366_1	रायसेन	बी.टी. नवीनीकरण	हिरनिया टिगरिया मार्ग पर बी.टी. नवीनीकरण कार्य।	तृतीय	31.74	
6.	2021_PWDRB_175377_1	रायसेन	बी.टी. नवीनीकरण	भीम वैटिका पहुंच मार्ग पर बी.टी. नवीनीकरण कार्य।	तृतीय	26.94	
7.	2021_PWDRB_175381_1	रायसेन	बी.टी. नवीनीकरण	सांकल पहुंच मार्ग पर बी.टी. नवीनीकरण कार्य।	तृतीय	21.90	
8.	2021_PWDRB_175384_1	रायसेन	मटेरियल एकत्रीकरण	बेगमगंज उपसंभाग अन्तर्गत सेक्शन गैरतगंज एवं देहगांव के विभिन्न मार्गों पर मटेरियल एकत्रीकरण कार्य।	द्वितीय	5.00	
9.	2021_PWDRB_175388_1	रायसेन	मटेरियल एकत्रीकरण	बेगमगंज उपसंभाग अन्तर्गत सेक्शन सुल्तानगंज के विभिन्न मार्गों पर मटेरियल एकत्रीकरण कार्य।	द्वितीय	5.00	
10.	2021_PWDRB_175389_1	रायसेन	मटेरियल एकत्रीकरण	रायसेन उपसंभाग अंतर्गत सेक्शन सुल्तानपुर के विभिन्न मार्गों पर पेच मरम्मत कार्य हेतु मटेरियल एकत्रीकरण कार्य।	तृतीय	4.46	
11.	2021_PWDRB_175391_1	रायसेन	मटेरियल एकत्रीकरण	रायसेन उपसंभाग अंतर्गत मुख्यालय सेक्शन के विभिन्न मार्गों पर पेच कार्य हेतु मटेरियल एकत्रीकरण कार्य।	चतुर्थ	2.52	
				योग		**555.27**	

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग क्र. 1, जबलपुर

निविदा सूचना क्र. 22 वर्ष 2021-22 एसएसी **जबलपुर, दिनांक : 28.12.2021**

निविदा सूचना

निम्नलिखित कार्यों हेतु ई-टेन्डरिंग के माध्यम से निम्नलिखित कार्यों की निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। कार्यों का विस्तृत विवरण वेबसाइट **www.mptenders.gov.in** पर देखा जा सकता है। निविदा प्रपत्र उक्त वेबसाइट पर ऑनलाइन भुगतान कर वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त किये जा सकते हैं।

क्रमांक एवं कार्य का नाम : 1. रानी दुर्गावती चिकित्सालय जबलपुर में 12 बिस्तर वाले आईसीयू/एचडीयू वार्ड का निर्माण कार्य।

ई-टेण्डर क्रमांक	आमंत्रण क्रमांक	ठेके की अनु. राशि (रु. लाख में)	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि	ई.एम.डी. टेन्डर फीस एवं निविदा से संबंधित अन्य अभिलेख जमा करने हेतु
2021_PWDRBBR_2021_175417	प्रथम	44.77	50000/-	5000/-	03 माह वर्षा ऋतु सहित	केवल ऑनलाइन
क्रमांक एवं कार्य का नाम : 2. रानी दुर्गावती चिकित्सालय जबलपुर में पी.आई.सी.यू. वार्ड का निर्माण कार्य।						
2021_PWDRBBR_2021_175418	प्रथम	153.25	153250/-	12500/-	03 माह वर्षा ऋतु सहित	केवल ऑनलाइन
क्रमांक एवं कार्य का नाम : 3. रानी दुर्गावती चिकित्सालय जबलपुर में डेडिकेटेड वच्चा वार्ड (12 बिस्तर हाइब्रिड आई.सी.यू./एच.डी.यू.) वार्ड का निमार्ण कार्य।						
2021_PWDRBBR_2021_175419	प्रथम	71.79	71790/-	10000/-	03 माह वर्षा ऋतु सहित	केवल ऑनलाइन
क्रमांक एवं कार्य का नाम : 4. जवलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज जवलपुर के प्रशासनिक भवन, सिविल विभाग में निर्माण कार्य।						
2021_PWDRBBR_2021_175420	प्रथम	105.00	105000/-	12500/-	08 माह वर्षा ऋतु सहित	केवल ऑनलाइन
क्रमांक एवं कार्य का नाम : 5. जवलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज जवलपुर में रूफ ट्रस एवं सीलिंग कार्य एवं अन्य कार्य।						
2021_PWDRBBR_2021_175421	प्रथम	103.00	103000/-	12500/-	08 माह वर्षा ऋतु सहित	केवल ऑनलाइन
		कुल योग	**477.81**			

टीप : 1. निविदा प्रपत्र क्रय करने की **प्रारंभिक तिथि 30.12.2021, 10:30 से अंतिम तिथि 05.01.2022, 17:30 बजे तक** है। अन्य तिथियां एवं विस्तृत विवरण व संशोधन ऑनलाइन वेबसाइट **www.mptenders.gov.in** पर देखी जा सकती है। किसी भी प्रकार के संशोधन का पुनः प्रकाशन नहीं कराया जावेगा। संशोधन सूचना कार्यालय के सूचना पटल पर देखी जा सकती है।

कार्यपालन यंत्री
जी-20828/45389/2021 **लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग क्र. 1, जबलपुर**

उपरोक्त वेबसाइट ऑनलाइन भुगतान करने के उपरान्त निविदा प्रपत्र (टेण्डर डॉक्यूमेंट) वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा। निविदा प्रपत्र क्रय करने की **तिथि 30.12.2021 से 17.01.2022, (17:30) बजे अंतिम तिथि** निर्धारित है। विस्तृत एन.आई.टी. एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट में देखा जा सकता है। निविदा में होने वाले समस्त संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाइट पर किया जायेगा। पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

कार्यपालन यंत्री
जी-20820/45390/2021 **लोक निर्माण विभाग, रायसेन, संभाग रायसेन**

(अगले पृष्ठ का शेष)

का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जाएगा। विवाहित महिलायें विवाहोपरांत नाम/उपनाम परिवर्तन का शपथ पत्र संलग्न करें। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाणन भी आवश्यक है अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमीलेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे।

इस संदर्भ में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार घोषणा-पत्र संलग्न करना होगा :-

घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप

मैं ———— आयोग के विज्ञापन क्रमांक **15/2021 दिनांक 30.12.2021** के अंतर्गत आवेदन-पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा/रही हूं। मैं निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूं

1. मैं ———— पुत्र/पुत्री श्री———— निवासी ग्राम/कस्बा/शहर/————जिला ————, मध्यप्रदेश का/की मूल निवासी हूं। यह घोषणा करता/करती हूं कि मैं ————जाति का/की सदस्य हूं जो शासन द्वारा शासकीय सेवा में (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी में आरक्षण के लिए अधिसूचित है।
2. मैं शपथपूर्वक यह भी घोषणा करता/करती हूं कि आवेदन की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा निर्धारित अद्यतन मापदंडों के अनुसार, मैं सम्पन्न वर्ग अर्थात क्रीमीलेयर की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता/आती हूं।

दिनांक ————

हस्ताक्षर ————
नाम ————
आवेदन-पत्र क्रमांक ————

(उक्त घोषणा-पत्र तथा जाति प्रमाण-पत्र की स्केन्ड प्रति ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करें)

तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत आवेदकों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक हेतु :- नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट-1 की कंडिका-(दो-1) के अधीन उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट-1 की कंडिका-(दो-2) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।

5. जो व्यक्ति पहले से शासकीय सेवा में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

6. **अनुशासनिक निर्देश :- (ऑनलाइन परीक्षा संबंधी अनुदेश ऑनलाइन परीक्षा की स्थिति में)**

यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी हैं:-

01 जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो; या
02 प्रतिरूपण किया हो; या
03 किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या
04 कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या
05 ऐसे कथन दिए हों जो गलत और झूठे हों या जिसने चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छुपाई हो; या
06 परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो; या
07 परीक्षा कक्ष में अथवा अन्यत्र अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो; या
08 परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो; या
09 उनके द्वारा प्रवेश पत्र में उम्मीदवारों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या निर्देशों जिसमें परीक्षा संचालन में लगे केंद्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारी द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित हैं, अतिक्रमण किया हो; या
10 परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार,
11 परीक्षा कक्ष में परीक्षा हेतु प्राप्त उत्तर-पुस्तिका परीक्षा के समाप्त होने पर परीक्षा कक्ष के वीक्षक/परीक्षक को न जमा करते हुए अपने साथ ले गया हो।

तब आयोग द्वारा :-

(क) उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है अनर्ह ठहराया जा सकेगा
और/या
उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।

(ख) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुशंसा की जाएगी।

(ग) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

एवं तब शासन द्वारा :-

उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा।

7. **अनर्हताएं** :- ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें किसी भी चयन संस्थाय द्वारा विशिष्ट कालावधि हेतु भर्ती परीक्षा हेतु विवर्जित किया गया है उस कालावधि हेतु आवेदन करने हेतु अपात्र रहेंगे।

8. **यात्रा व्यय का भुगतान :-**

मध्यप्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों को जो कहीं सेवारत नहीं हैं, मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय का भुगतान आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा। आवेदकों को इसके लिए वांछित घोषणा-पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबन्धित निम्नांकित अभिलेख प्रस्तुत करना होंगे :-

(01) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति।

(02) यात्रा टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गई है तथा किराए की राशि का स्पष्टतः उल्लेख हो।

अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा। इस हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन-पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम, स्वयं के बैंक खाते का नम्बर एवं बैंक का आई.एफ.एस.सी. कोड का उल्लेख करना तथा साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्केन प्रति आवेदन-पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।

जी-20865/45394/2021

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी एरिया-इंदौर

शाखा अधिकारी/संपदा प्रबंधक परीक्षा 2021

विज्ञापन क्रमांक 17/2021/30.12.2021
मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, मध्यप्रदेश शासन

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 01.03.2022

महत्वपूर्ण

1. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, मध्यप्रदेश शासन हेतु शाखा अधिकारी/संपदा प्रबंधक के कुल 11 पदों की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक अर्हता निम्नानुसार है :-
   शैक्षणिक अर्हता **किसी भी संकाय में उपाधि + मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एम.बी.ए.)।**
   अन्य अर्हता **रोज़गार पंजीयन** - अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोज़गार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
2. आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन पत्र दिनांक 30.01.2022 (दोपहर 12:00 बजे) से दिनांक 01.03.2022 (रात्रि 12:00 बजे) तक **www.mponline.gov.in, www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर भरे जा सकते हैं।
   आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र की सावधानीपूर्वक जाँच कर लें। ऑनलाइन आवेदनपत्रों में दिनांक 05.02.2022 से दिनांक 03.03.2022 तक त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति सुधार सत्र रु. 50/- त्रुटिसुधार शुल्क देय होगा। त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा तथा श्रेणी/वर्ग परिवर्तन विषयक समस्त आवेदन सरसरी तौर पर अमान्य किए जाएंगे तथा आयोग द्वारा इस सन्दर्भ में आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा।
3. इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु OMR आधारित वस्तुनिष्ठ परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के तीन गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन परिणाम, परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम, परीक्षा तिथि एवं प्रवेश-पत्र उपलब्धता तिथि यथासमय आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in** एवं **www.mppsc.com** पर प्रकाशित किया जाएगा।
4. विज्ञापन के सन्दर्भ में आवश्यक सूचनायें, परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in** एवं **रोज़गार और निर्माण समाचार पत्र** में प्रकाशित किया जाएगा साथ ही अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय दिए गए **e-mail Address** तथा मोबाइल नंबर पर आवश्यक होने पर **e-mail** तथा **SMS Alert** भी प्रेषित किए जाएंगे। अतः अभ्यर्थी आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र पर विहित स्थान पर अपने **ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर** का अवश्य उल्लेख करें तथा इसे अंतिम चयन परिणाम आने तक अपरिवर्तित रखें एवं आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें।
5. **आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी एक व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अतः किसी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यवहारिक रूप से असंभव है। अतः ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आएं और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम पता गोपनीय रखा जाएगा।**
6. उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक 25181/2019 के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगा।
7. आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अर्हता, जाति प्रमाण-पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र एवं अन्य समस्त दस्तावेजों को संधारित नहीं किया जाता है। साक्षात्कार के समय अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत स्वप्रमाणित दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से मात्र मिलान का कार्य आयोग द्वारा किया जाता है। अंतिम चयन परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों एवं प्रतीक्षासूची में नामांकित अभ्यर्थियों के दस्तावजों को चयन सूची अनुसार विभागों को प्रेषित कर दिया जाता है जिनके सत्यापन का कार्य विभाग द्वारा नियुक्ति के पूर्व किया जाता है। अतः अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जानकारी आयोग द्वारा उपलब्ध करवाई जाना संभव नहीं है। इस संदर्भ में आयोग द्वारा किसी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं किया जाएगा तथा सूचना के अधिकार के अंतर्गत इस संदर्भ में प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागों को अंतरित किया जाएगा।

एक भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, मध्यप्रदेश शासन, के अंतर्गत निम्न पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

पद का नाम :- शाखा अधिकारी/संपदा प्रबंधक (Branch Officer/Estate Manager)

रिक्ति विवरण					रिक्तियों में से मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या					मध्यप्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों की संख्या				कुल
UR	SC	ST	OBC	EWS	UR	SC	ST	OBC	EWS	OH	VH	HH	MD	
03	02	02	03	01	01	01	01	01	00	00	01	00	00	11

UR - Unreserved, SC- Scheduled Caste, ST- Scheduled Tribe, OBC- Other Backward Classes
EWS - Economically Weaker Section, OH -Orthopedic Handicapped, VH- Visual Handicapped, HH-Hearing Handicapped, MD- Multiple Disability

दो **पद का विवरण**

(A) विभाग का नाम : मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल
(B) श्रेणी : राजपत्रित द्वितीय श्रेणी
(C) पद स्थिति : स्थायी
(D) वेतनमान : रुपये 15600-39100+5400 ग्रेड-पे तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
नोट- उपरोक्त वेतनमान छठे वेतन आयोग अनुसार है। सातवे वेतनमान में तत्स्थानी वेतनमान देय होगा।
(E) **कर्तव्य** : 1. शाखा अधिकारी- शाखा प्रभारी (शाखा के अंतर्गत समस्त पर्यवेक्षण) एवं नियंत्रणकर्ता अधिकारी द्वारा आवंटित कार्य का निर्वाहन।
2. संपदा प्रबंधक- संपत्ति विक्रय करने हेतु कार्यवाही करना, किराया लीज रेन्ट एवं किश्तों की राशि जमा करने, हितग्राहियों को समय-समय पर नोटिस तामील कराना, मण्डल की बकाया वसूली हेतु कार्यवाही करना एवं प्रदत्त तहसीलदार की शक्तियों का प्रयोग करना।
(F) **पद का नाम** : **शाखा अधिकारी/संपदा प्रबंधक**
Branch Officer/Estate Manager
(G) **अर्हता** :
अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता किसी भी संकाय में उपाधि + मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एम.बी.ए.)।
रोज़गार पंजीयन - अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोज़गार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
(H) **आयु सीमा** : **21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।**
(I) **आयु संगणना तिथि** 01.01.2022

तीन (i) अभ्यर्थी के पास शैक्षणिक अर्हताएँ ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक होना चाहिए आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद किसी भी तिथि को अर्हतायें अर्जित करने वाले अभ्यर्थी विज्ञापित पदों हेतु विचारित होने की पात्रता नहीं रखेंगे।
(ii) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।
(iii) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी।
(iv) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पद केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांगजन हेतु आरक्षित है। उक्त वर्ग के अभ्यर्थियों को शुल्क में छूट तथा यात्रा भत्ते का लाभ देय होगा।
(v) मध्यप्रदेश के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी अपना वर्ग अनारक्षित लिखें।
आयु सीमा में दी गई अन्य छूटों के लिए **परिशिष्ट-1** देखें।

चार **मध्यप्रदेश सिविल सेवायें (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता :-**
अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।
ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

पांच **महत्वपूर्ण :- यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि, वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र जारी करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी।**

छः **अधिवार्षिकी आयु :- 62 वर्ष**

सात **चयन प्रक्रिया :-**
इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की OMR आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के तीन गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन परिणाम, परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा आयोजन से संबन्धित समस्त जानकारियां, परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम, परीक्षा तिथि एवं प्रवेश-पत्र उपलब्धता तिथि आदि यथासमय आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in** पर प्रकाशित किया जाएगा।

आठ **आवेदन प्रक्रिया :-**
उक्त पद हेतु आवेदन पत्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु **परिशिष्ट-2** का अवलोकन करें।

नौ विज्ञापन के सन्दर्भ में आवश्यक सूचनाएँ, ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in** एवं **रोज़गार और निर्माण समाचार पत्र** में प्रकाशित किया जाएगा साथ ही अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय दिए गए **e-mail Address** तथा मोबाइल नंबर पर आवश्यक होने पर **e-mail** तथा **SMS Alert** भी प्रेषित किए जाएंगे। अतः अभ्यर्थी आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र पर विहित स्थान पर अपने ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा उसे अंतिम चयन परिणाम तक अपरिवर्तित रखें एवं आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें।

दस **अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें :-**
(i) आयु सीमा की छूट **परिशिष्ट-1**
(ii) आवेदन पत्र भरने के तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियां **परिशिष्ट-2**
(iii) आप्टिकल स्कैनर द्वारा पढ़ी जाने वाली ओ.एम.आर. शीट के उपयोग संबंधी निर्देश तथा अन्य अनुदेश **परिशिष्ट-3**

सचिव

परिशिष्ट-1

(एक) उच्चतर आयु सीमा में वर्ग विशेष को देय छूटें
(1) **मध्यप्रदेश शासन**, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3-8/2016/1/3, दिनांक 04 जुलाई 2019 अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग/शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी तथा **उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रहेगी।**

(2) ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण :-

भूतपूर्व सैनिकों से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985 के नियम 2 (ग) में यथा प्रावधानित भूतपूर्व सैनिक।

(दो) प्रोत्साहनस्वरूप दी गई छूट -

(1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(2) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

टीप :-(1) परिशिष्ट-1 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहनस्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में से यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी।

(2) समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्यप्रदेश राज्य के संदर्भ में है, अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक तथा महिला अभ्यर्थियों को देय आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित मान्य होंगे।
(सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 969/1197/2012/आ.प्र./एक, दिनांक 06.08.2012 में निहित व्यवस्था के अनुसार)

नोट :-

(01) उपरोक्त परिशिष्ट-1 (एक) (1 से 2) (दो) (1 से 2) में उल्लेखित आयु सीमा की छूट की पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।

(02) अभ्यर्थियों को उपरोक्त सभी छूट देय होंगी किन्तु समस्त छूट को शामिल करते हुए भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात् जिन अभ्यर्थियों की आयु 45 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।

परिशिष्ट-2

ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1. **शाखा अधिकारी/संपदा प्रबंधक** के पद हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार हैं :-
   1. उपरोक्त पदों हेतु आवेदन पत्र **www.mponline.gov.in** तथा **www.mppsc.nic.in** वेबसाइट पर भरे जा सकेंगे।
   2. अभ्यर्थी अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फार्म भरकर आवेदन/परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नेट बैंकिंग सुविधाधारक अभ्यर्थी नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।
3. अभ्यर्थी फार्म भरने के पूर्व पंजीकरण के लिए उम्मीदवारों के पास एक वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। उम्मीदवार को प्रोफाइल में पूछी गई सभी जानकारी को ध्यान से भरना चाहिए और इसे सेव करना चाहिए।
4. अभ्यर्थी फार्म भरने के पूर्व अपने नवीनतम फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्केन फाइलें तैयार रखें जिन्हें उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय संलग्न करना होगा। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन पत्र में उनके फोटो एवं हस्ताक्षर स्पष्ट हैं।
5. सभी उम्मीदवारों को नवीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की छवियों को अपलोड करना आवश्यक है इस हेतु फोटोग्राफ का न्यूनतम आकार 20 KB एवं हस्ताक्षर का न्यूनतम आकार-10 KB होना चाहिए।
6. आवेदन पत्र submit करने के बाद खुलने वाले pop-up window में आवेदक को उसके द्वारा आवेदन पत्र में उल्लिखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात **उसका नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी लिंग आदि की जानकारी दी जाएगी** जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी Cancel बटन दबाकर पुनः फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगे। Popup window में OK बटन दबाकर फार्म सब्मिट करने पर आवेदन पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमें उसके आवेदन पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpaid होगा।
   अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन पत्र submit होने के बाद "Proceed for Payment" बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसका आवेदन पत्र प्राप्त होगा, जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा जिसमें भुगतान राशि तथा "Payment Done" स्पष्टतः उल्लेखित होगा। आवेदक उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र-व्यवहार में आवेदन पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।
7. सिस्टम द्वारा केवल पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले उम्मीदवार के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।
8. **त्रुटि सुधार सुविधा :-** अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भरें। आवेदन पत्र में कोई त्रुटि होने पर दिनांक 05.02.2022 से 03.03.2022 तक प्रति त्रुटि सुधार सत्र 50/- त्रुटि सुधार शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चावर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा। **अनारक्षित श्रेणी हेतु शुल्क रु. 500 तथा आरक्षित श्रेणी हेतु रु. 250 निर्धारित है। अतः आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा अनारक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि रु. 250 त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त देय होगा, किन्तु अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा आरक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।**
   ऑनलाइन आवेदन पत्रों में भरी गई श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/लिंग (महिला/पुरुष)/शासकीय सेवक) आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद श्रेणी/वर्ग परिवर्तन विषयक कोई पश्चात्वर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा।
9. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दर्ज किए हस्ताक्षर ही, साक्षात्कार की उपस्थिति सूची, तथा आयोग के समस्त पत्र-व्यवहार में करें। **विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी।**

2. **परीक्षा तथा आवेदन शुल्क**

मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) एवं दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु	शेष सभी श्रेणी तथा मध्यप्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों हेतु
रु. 250/-	रु. 500/-

सभी श्रेणी के आवेदकों को उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क रु. 40/- (GST अतिरिक्त) देय होगा। आवेदन एवं परीक्षा शुल्क एवं पोर्टल के शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य कोई राशि का भुगतान नहीं करना है। यदि कियोस्क धारक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो एमपी ऑनलाइन के निम्न दूरभाष नंबर पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

हेल्पलाइन : 0755-6720200

केवल विज्ञापन निरस्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों को आवेदन एवं परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पद्धति से वापस किया जाएगा, किन्तु पोर्टल शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।

3. **ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि**
   (अ) ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 01.03.2022 है। अंतिम तिथि को रात्रि 12:00 बजे के बाद आवेदन पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जाएगी।
4. **अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ कोई अभिलेख अपलोड नहीं करने हैं किन्तु साक्षात्कार के पूर्व आयोग को प्रेषित किए जाने वाले अनुप्रमाणन फार्म, उपस्थिति पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा आवेदन पत्र की स्वप्रमाणित प्रति के साथ निम्नांकित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें :-**

आयु संबंधी प्रमाण के लिए :- केवल हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी अथवा मेट्रीक्यूलेशन की अंकसूची/प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र :- हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी तथा उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें अभ्यर्थी ने उत्तीर्ण किया है के समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की अंकसूचियाँ।

शासकीय सेवक होने का प्रमाण-पत्र :- यह प्रमाण-पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। इस प्रमाण-पत्र में धारित पद तथा विभाग का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

संविदा चिकित्सक के रूप में अनुभव तथा संगणना प्रमाण-पत्र :- यह प्रमाण-पत्र **परिशिष्ट-1** में दर्शाए गए प्रारूप में होना चाहिए तथा प्रारूप में उल्लेखित प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए।

जाति के प्रमाण-पत्र :- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जो कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के अधिकृत हैं द्वारा जारी किया गया हो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई वचन-पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए उसे नस्तीबद्ध किया जाएगा एवं आयोग इस संदर्भ में कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जाएगा। विवाहित महिलाएँ विवाहोपरांत नाम/उपनाम परिवर्तन का शपथ पत्र संलग्न करें। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाणन भी आवश्यक है। अर्थात् अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमीलेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे। इस संदर्भ में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा :-

---

घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप

मैं ———————— के विज्ञापन क्रमांक 17/2021, दिनांक 30.12.2021 के अंतर्गत आवेदन पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा/रही हूं। मैं निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूं

1. मैं ———— पिता श्री ———— निवासी ग्राम/कस्बा/शहर/————जिला ——, मध्यप्रदेश का/की मूल निवासी हूं। मैं ———— जाति का/की सदस्य हूं जो शासन द्वारा मध्यप्रदेश हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य है।
2. मैं यह भी घोषित करता/करती हूं कि मैं शासन के नवीनतम परिपत्रों द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार क्रीमीलेयर में नहीं आता/आती हूं।

हस्ताक्षर————
नाम————
रोल नंबर ——

(उक्त घोषणा-पत्र तथा जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति केवल साक्षात्कार के पूर्व प्रस्तुत किए जाने वाले अनुप्रमाणन-पत्र के साथ संलग्न करें)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु :- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट-1 की कंडिका-(दो-1) के अधीन उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट-1 की कंडिका-(दो-2) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।

5. जो अभ्यर्थी पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हों, उनको यह अभिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। अभ्यर्थियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
6. **अनुशासनिक निर्देश** :-
   यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी है:-
   01. जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो; या
   02. प्रतिरूपण किया हो; या
   03. किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या
   04. कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए हों जिनमें फेरबदल किया गया हो; या
   05. ऐसे कथन दिए हों जो गलत और झूठे हों या जिसने चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छुपाई हो; या
   06. परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो; या
   07. परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो; या
   08. परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो; या
   09. उनके द्वारा प्रवेश पत्र में अभ्यर्थियों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या निर्देशों जिसमें परीक्षा संचालन में लगे केंद्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारी द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित हैं, अतिक्रमण किया हो; या

10 परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार,

तब आयोग द्वारा :-

(क) उसे उस परीक्षा के लिए जिसके लिए वह उम्मीदवार है, अनर्ह ठहरा सकेगा
और/या
उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।

(ख) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उसपर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुशंसा की जाएगी।

(ग) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

एवं तब शासन द्वारा :-

उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा।

7. **अनर्हताएं** :- ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी जिन्हें किसी परीक्षा अथवा चयन से उपरोक्त दर्शित प्रावधानों के तहत विवर्जित किया गया है।

8. **परीक्षा की पश्चातवर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में आवश्यक निर्देश :-**

01. परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in** पर प्रकाशित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को उनके परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जाएगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जाएगा।

02. परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएं प्रकाशित की जाएंगी। अतः सफल अभ्यर्थी उनके परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार से संबन्धित समस्त सूचनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उसमें प्रदत्त अनुदेशों के अनुरूप आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in** पर उपलब्ध कराए गए अनुप्रमाणन फार्म, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा उपस्थिति पत्रक डाउनलोड करके आवश्यक पूर्तियों के पश्चात एवं सभी आवश्यक अभिलेख संलग्न कर, परीक्षा परिणाम में उल्लेखित साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा करें। अपने ऑनलाइन आवेदन की स्वप्रमाणित प्रति भी उक्त अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें।

03. साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने की अंतिम तिथि तक अभिलेख जमा न करने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वयंमेव समाप्त हो जाएगी तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में अभ्यर्थी को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जाएगी तथा इस संदर्भ में प्राप्त अभ्यावेदनों को बिना विचार किए नस्तीबद्ध किया जाएगा।

9. **यात्रा व्यय का भुगतान :-**

(अ) मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमीलेयर) तथा दृष्टिबाधित दिव्यांगजन श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी जो कहीं सेवारत न हों को ऑनलाइन परीक्षा तथा साक्षात्कार हेतु मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय की पात्रता होगी।

(ब) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित वर्तमान निवास के पते के शहर/ग्राम से उन्हें आवंटित परीक्षा शहर तक आने तथा जाने के यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा।

(स) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को इसके लिए केंद्राध्यक्ष द्वारा आयोग द्वारा निर्धारित घोषणा-पत्र प्रदान किया जाएगा जिसे भरकर अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय की पात्रता से संबन्धित निम्नांकित अभिलेखों के साथ केंद्राध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा :-

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमीलेयर) के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
2. दृष्टिबाधित दिव्यांगजन श्रेणी के प्रमाणन हेतु विहित प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
3. यात्रा का टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गई तथा किराये की राशि का स्पष्टतः उल्लेख हो।

(द) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा। इस हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमीलेयर) श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम, खाता क्रमांक तथा बैंक के IFSC Code का उल्लेख करना एवं साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की पठनीय स्केन प्रति आवेदन पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक विवरण में कोई त्रुटि/विसंगति होने के कारण भुगतान निरस्त होने की दशा में आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा इस संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

(इ) साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय उपरोक्त नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

परिशिष्ट-3

आप्टिकल स्कैनर द्वारा पढ़ी जाने वाली ओ.एम.आर. शीट के उपयोग संबंधी निर्देश तथा अन्य अनुदेश

टीप - ओ.एम.आर. शीट का मूल्यांकन आप्टिकल स्कैनर/कम्प्यूटर द्वारा किया जावेगा अतः ओ.एम.आर. शीट का उपयोग नीचे बताई गई बातों पर आवश्यक ध्यान रखते हुए अत्यन्त सावधानीपूर्वक करें।

1. आप अपने साथ परीक्षा कक्ष में कम से कम दो काले बाल पाइन्ट पेन अवश्य लाएं।
2. गोले भरने के लिए केवल काला बाल पाइन्ट पेन का ही उपयोग करें। गोलों को पूरी तरह गहरा काला करें, अधूरा अस्पष्ट या हल्का काला करने पर ओ.एम.आर. शीट स्कैनर द्वारा नहीं जांची जा सकेगी।
3. ओ.एम.आर. शीट पर किसी प्रकार का रफकार्य न किया जाए। इस कार्य के लिए प्रश्नपत्र पर अलग से स्थान निर्धारित है, उस स्थान का ही उपयोग करें।
4. ओ.एम.आर. शीट अत्यन्त सावधानीपूर्वक रखें। उसे किसी तरह से मोड़ा या काटा न जाए और किसी प्रकार से गंदी न की जाए अन्यथा कम्प्यूटर/आप्टिकल स्कैनर उसे रद्द कर देगा।
5. उत्तर देना प्रारंभ करने के पहले सुनिश्चित कर लें कि ओ.एम.आर. शीट पर सभी प्रविष्टियाँ सही रूप से की गई हैं। अभ्यर्थी द्वारा उसे प्रदत प्रश्न पत्र सेट ए, बी, सी, डी अंकन न करने पर OMR का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।
6. आपको प्रत्येक प्रश्न क्रमांक के सामने का केवल एक ही गोला काला करना है। एक से अधिक गोले को काला करने पर या गोलों को हल्का, अस्पष्ट या अधूरा काला करने पर या किसी अन्य पेन्सिल या स्याही से काला करने पर किसी अन्य तरीके से कोई निशान जैसे (✓) या (×) लगाने पर ओ.एम.आर. शीट कम्प्यूटर/आप्टिकल स्कैनर द्वारा नहीं पढ़ी जाएगी।
7. **ओ.एम.आर. शीट पर उत्तर अंकन के लिए - सामान्य निर्देश -**

(अ) **प्रश्नों के उत्तर** : ओ.एम.आर. शीट पर यथास्थान उत्तर अंकित करने के अनुदेश दिए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें। प्रश्नों के उत्तर देने के लिए ओ.एम.आर. शीट पर आवश्यक संख्या लिखी है। प्रत्येक प्रश्न क्रमांक के नीचे/सामने क्रमशः 4 गोले ए, बी, सी, डी बने हैं। प्रश्नपत्र में प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर ए, बी, सी, डी दिए हैं। इनमें से, सही उत्तर चुनकर संबंधित प्रश्न क्रमांक के सामने बने गोलों में से केवल एक गोला काले बाल पाइन्ट पेन से गहरा काला करें।
OMR Sheet में उत्तर अंकित कर उसे काटने/मिटाने/वाईटनर लगाने से उक्त प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

(ब) ओ.एम.आर. शीट के सामने के पृष्ठ पर अपना नाम, अनुक्रमांक, परीक्षा तिथि, प्रश्नपत्र कोड आदि भरने के लिए बने खानों में प्रविष्टि के लिए काले बाल पेन का उपयोग करें। प्रश्न पत्र A, B, C, D set में से कोई एक ही सेट दिया जाएगा। अपने सेट का कोड क्रमांक सावधानी से नियत स्थान पर भरें एवं सेट के गोले को काले पेन से काला करें।

(स) **हस्ताक्षर** - ओ.एम.आर. शीट पर निर्धारित स्थान पर बाल पेन से हस्ताक्षर करें।

(द) ओ.एम.आर. शीट के पीछे के पृष्ठ पर अनुक्रमांक, प्रश्नपत्र कोड के कॉलम के गोलों में प्रविष्टि करने के लिए काला बाल पाइन्ट पेन का उपयोग कर संबंधित क्रमांक के गोले को काला करें। अभ्यर्थी उसे आवंटित प्रश्न पत्र के सेट कोड ध्यान से देखें तथा सेट की जानकारी सुनिश्चित होने के पश्चात ही प्रश्न पत्र के सेट कोड के गोले को अत्यंत सावधानी से काला करें। इसी काले किए गए कोड (ABCD के गोले) के आधार पर ही उत्तरशीट का मूल्यांकन किया जाएगा। सेट कोड गलत भरने पर त्रुटि सुधार नहीं होगा। मूल्यांकन अभ्यर्थी द्वारा भरे गए सेट कोड की उत्तर कुंजी के आधार पर होगा जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

8. **रोल नम्बर की प्रविष्टि (चित्र एक)**

रोल नं. चित्र 1

6	8	4	0	2	1
0	0	0	●	0	0
1	1	1	1	1	●
2	2	2	2	●	2
3	3	3	3	3	3
4	4	●	4	4	4
5	5	5	5	5	5
●	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	●	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

रोल नम्बर के खाने में बायें से दायें 1 से 6 तक स्तम्भ हैं। पहला स्तम्भ लाख का, दूसरा स्तम्भ दस हजार का, तीसरा स्तम्भ हजार का, चौथा स्तम्भ सैकड़े का, पांचवा स्तम्भ दहाई का एवं छठा स्तम्भ इकाई का है। इनके नीचे 0 से 9 अंक लिखे हुए गोले हैं। इन्हीं में आपको अपने रोल नम्बर भरना है। उदाहरणार्थ यदि आपका रोल नं. 684021 है तो आप पहले ऊपर की लाईन में चौकोर खानों में दर्शाए अनुसार रोल नम्बर काले बाल पाइन्ट पेन से लिखें तत्पश्चात पहले स्तम्भ के गोले क्रमांक 6, दूसरे स्तम्भ के गोले क्रमांक 8, तीसरे स्तम्भ के गोले क्रमांक 4, चौथे स्तम्भ के गोले क्रमांक 0, पांचवें स्तम्भ के गोले क्रमांक 2 तथा छठे स्तम्भ के गोले क्रमांक 1 को काले बाल पाइन्ट पेन से गहरा काला करें।
अनुक्रमांक के गोले न भरने पर या गलत भरने पर OMR का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अंकों में तथा गोले भरने में भिन्नता होने पर भी ओ.एम.आर. शीट का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

परीक्षार्थियों हेतु निर्देश एवं अनुदेश

निम्नलिखित निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ने के उपरांत ही परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हों। निर्देशों एवं अनुदेशों का पालन न करने पर परीक्षार्थी आयोग द्वारा निर्धारित दंड का भागी होगा।

एक - प्रवेश

01. परीक्षा में परीक्षार्थी को दिया गया प्रवेश नितांत प्राबधिक है।
02. परीक्षा नियत समय पर प्रारंभ होगी। केन्द्राध्यक्ष की घड़ी का समय ही प्रामाणिक मानकर परीक्षा संचालन किया जाएगा। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात् आने पर परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
03. परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश-पत्र तथा मान्य फोटो युक्त परिचय-पत्र आवश्यक रूप से अपने साथ रखें।
04. परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी की जाँच की जाएगी। परीक्षार्थी अपने साथ केवल दो काले बाल पाइन्ट पेन, प्रवेश पत्र एवं मान्य फोटो युक्त पहचान पत्र अनिवार्य रूप से साथ लेकर आएं। इसके अतिरिक्त मोबाइल, केलक्युलेटर, पेजर एवं किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि परीक्षा कक्ष में ले जाने की अनुमति नहीं है।

दो - निर्गमन

01. सामान्यतः परीक्षार्थी को परीक्षा की अवधि में परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जावेगी। वीक्षक से विशेष अनुमति लेकर उनकी निगरानी में ही बाहर जाया जा सकेगा।
02. किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात् एक घंटे तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भले ही उसने प्रश्नपत्र हल कर लिया हो।
03. प्रश्नपत्र हल करने के पश्चात् केन्द्राध्यक्ष/वीक्षक द्वारा ओ.एम.आर. शीट एकत्रित किए जाने के उपरांत वीक्षक की अनुमति से ही परीक्षार्थी परीक्षा भवन छोड़ेगा। ओ.एम.आर. शीट सहित कक्ष से बाहर जाने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाएगा।
04. निर्धारित समय समाप्त होने के उपरांत किसी भी परीक्षार्थी को अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किया जाएगा (केवल दृष्टिबाधित तथा ऐसे अस्थिबाधित जो दोनों ही हाथों से लिखने में असमर्थ हैं तथा जिन्होंने सहलेखक की सुविधा ली है, ऐसे आवेदकों को प्रारम्भिक तथा मुख्य परीक्षा में 20 मिनिट प्रति घण्टा अतिरिक्त समय दिया जाएगा।
निर्धारित समय के उपरांत कोई भी परीक्षार्थी न तो लिखे उत्तरों में कोई संशोधन करेगा और न ही शेष रहे प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करेगा।

तीन - नाम और अनुक्रमांक

चित्र - चार

A	○
B	●
C	○
D	○

ओ.एम.आर. शीट पर परीक्षार्थी केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना नाम और अनुक्रमांक लिखे। ओ.एम.आर. शीट के अन्य किसी भी भाग पर न तो अनुक्रमांक, न अपना नाम और ना ही पता अंकित करें। ओ.एम.आर. शीट के साथ अन्य कोई सामग्री संलग्न करना वर्जित है। ओ.एम.आर. शीट में (आपको दिए गए A, B, C, D प्रश्न-पत्र सेट में से कोई एक सेट मिलेगा) प्रश्न-पत्र का सेट अवश्य लिखें एवं सेट के गोले को काले पेन से काला करें। आपके द्वारा प्रश्नपत्र सेट के गोले को काला करने पर ही उक्त सेट की उत्तर कुंजी से ही ओ.एम.आर. शीट मूल्यांकन होगा। जैसा चित्र में सेट-B को काला किया है।

चार - अनुचित साधन

परीक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व सुनिश्चित करें कि उनकी सीट के निकट, उनके पास कम्पास, स्केल या पॉकेट में कोई अवांछित सामग्री, कोई पुस्तक या अनावश्यक कागज Electronic Gadget इत्यादि जो परीक्षा में प्रश्नपत्र हल करने में सहायक हो, न हों। परीक्षार्थी अनुचित साधन के प्रयोग से बचें।

परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का प्रयोग सर्वथा वर्जित व दण्डनीय है। परीक्षा भवन में अपने साथ कोई भी लिखित या कोरा कागज, पुस्तक, वस्तु, टीप विशेषकर मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा अन्य वर्जित वस्तुएं आदि लाना अनुचित साधनों के प्रयोग में सम्मिलित माना जाएगा। इसी प्रकार परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से चर्चा करना, उसकी ओ.एम.आर. शीट से नकल करना अथवा अपनी शीट से अन्य परीक्षार्थी को नकल करवाना, किसी अन्य परीक्षार्थी से ओ.एम.आर. शीट बदलना, परीक्षा भवन में जोर-जोर से बोलना, किसी भी प्रकार की सांकेतिक भाषा अथवा किसी प्रकार से अन्य परीक्षार्थी को किसी प्रश्न का उत्तर बताना अथवा किसी अन्य परीक्षार्थी से किसी प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने का कोई प्रयास करना या किसी कागज पर प्रश्न पत्र की नकल करना भी अनुचित साधनों के प्रयोग के अन्तर्गत माना जाएगा। परीक्षा भवन में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर परीक्षार्थी द्वारा दी गई परीक्षा को निरस्त किया जा सकेगा, उसे परीक्षा से निष्कासित किया जा सकेगा तथा साथ ही उसे आगामी ऐसी अवधि के लिए जो आयोग उचित समझे आयोग की सभी परीक्षाओं, अन्य आयोगों की परीक्षा एवं साक्षात्कारों से वंचित किए जाने का दण्ड भी दिया जा सकेगा।

(शेष अगले पृष्ठ पर)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालय पचोर
जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश-465683

E-mail : prinpoly.pacrig@mp.gov.in, Contact No. : 8821922411

क्रमांक/शापोमप/स्था./2021/896 पचोर, दिनांक : 27.12.2021

गेस्ट फेकल्टी के चयन हेतु विज्ञप्ति

शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए महाविद्यालय में अतिथि विद्वानों के आवेदन पत्र प्रति पीरियड रु. 400/- देय (प्रति दिन अधिकतम 3 पीरियड) दर से **दिनांक 06.01.2022 दोपहर 3:00 बजे तक** आमंत्रित है। आवेदन पत्र सादे कागज पर नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, मूल निवासी, पत्र व्यवहार का पता, शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव व अन्य जानकारियां अंकित कर आवेदन किया जा सकता है। नियुक्ति में आरक्षण शासन के नियमानुसार रहेगा। इच्छुक उम्मीदवार दिनांक 07.01.2022 दोपहर 12:30 बजे साक्षात्कार हेतु स्वयं के व्यय पर (साक्षात्कार हेतु किसी भी श्रेणी के उम्मीदवार को यात्रा भत्ते की पात्रता नहीं होगी) अपने मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होवें। अनुभव एवं उच्च अर्हता प्राप्त उम्मीदवार को चयन में वरीयता दी जावेगी।

क्र.	पदनाम व विषय	रिक्त पद	शैक्षणिक योग्यता
01	भौतिक शास्त्र (गेस्ट फेकल्टी)	01 पद (अना.)	भौतिक शास्त्र में प्रथम श्रेणी में मास्टर डिग्री (प्रति सप्ताह अधिकतम विश्वविद्यालय आरजीपीवी द्वारा निर्धारित स्कीम अनुसार)

उपरोक्त नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई आधार पर है तथा शासन द्वारा उपरोक्त पद पर नियुक्ति करने पर किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है। चयन में प्राचार्य का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। विज्ञापन संस्था सूचना पटल एवं विभाग की वेबसाइट **www.mptechedu.org** पर देखा जा सकता है।

प्राचार्य, शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय
पचोर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा)

जी-20754/45385/2021

श्रीकँवरतारा साइंस एण्ड कॉमर्स महाविद्यालय मण्डलेश्वर
जिला खरगोन

आवश्यकता है

प्राचार्य -
योग्यता : पीएच.डी. (10 वर्ष का अनुभव)
प्राध्यापक/सह-प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक - गणित, वाणिज्य, अंग्रेजी, हिन्दी, कम्प्यूटर साइंस, रसायन शास्त्र, बीज प्रौद्योगिकी, प्राणीशास्त्र, वनस्पति शास्त्र, भौतिक शास्त्र, बायोटेक्नोलॉजी, समाजकार्य।
आवश्यकता योग्यता : यू.जी.सी. एवं उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन (कॉलेज कोड-28) के नियमानुसार नेट/पीएच.डी. अनिवार्य।
वेतनमान : यू.जी.सी. नियमानुसार।
पता : श्रीकँवरतारा महाविद्यालय श्रीनगर कॉलोनी मण्डलेश्वर जिला खरगोन (म.प्र.) - 451221
संपर्क : 9669696249
ई-मेल : **shrikanwartaracollege060@gmail.com** **आर-45409/2021**

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय खण्ड दमोह (म.प्र.)

क्रमांक 4181/व.ले.लि./का.यं./लो.स्वा.यां./खंड दमोह, दिनांक : 30.12.2021

निविदा सूचना क्रमांक - 107, 108, 109/2021-22 दिनांक 30.12.2021 प्रकाशन बाबत।

(प्रथम आमंत्रण)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से दमोह जिले के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत ब्लॉक पटेरा स्थित कुंडलपुर तीर्थक्षेत्र में होने वाले महोत्सव में पेयजल व्यवस्था कार्य हेतु प्रपत्र "2.10" प्रतिशत दर पर, लोक निर्माण विभाग के केन्द्रीयकृत पंजीयन प्रणाली में "सी" अथवा उच्च श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से ई-टेण्डरिंग पद्धति से ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल **http://www.mptenders.gov.in** पर आमंत्रित है।

नि. क्र.	ई-नि.क्र.	एन.आई.टी. क्रमांक	कार्य का नाम	अनुमानित लागत रु. लाख में	अमानत राशि रु. में	निविदा प्रपत्र का मूल्य रु. में	कार्य पूर्ण करने की समयावधि
1.	2021-22_PHED_175150	107/2021-22	पटेरा कुंडलपुर तीर्थक्षेत्र महाकुंभ में पेयजल व्यवस्था कार्य।	106.54	106500	15000	15 दिवस
2.	2021-22_PHED_175151	108/2021-22	पटेरा कुंडलपुर तीर्थक्षेत्र महाकुंभ में पेजयल व्यवस्था कार्य।	198.48	198500	20000	15 दिवस
3.	2021-22_PHED_175729	109/2021-22	पटेरा कुंडलपुर तीर्थक्षेत्र महाकुंभ में पेयजल व्यवस्था कार्य।	9.21	18500	2000	15 दिवस

कोरे निविदा प्रपत्र केवल ऑनलाइन **दिनांक 11.02.2022** तक कर क्रय किये जा सकते हैं। निविदाएं दिनांक 12.01.2022 को 17.30 बजे तक प्राप्त की जावेगी। प्राप्त समस्त ऑनलाइन सीलवंद निविदाएं दिनांक 13.01.2022 को लिफाफा अ पूर्वान्ह 11.00 बजे एवं वित्तीय बिड दिनांक 13.01.2022 अपरान्ह 13.00 बजे खोली जावेगी। निविदा की विस्तृत शर्तें एवं विस्तृत जानकारी **http://www.mptenders.gov.in** एवं विभागीय वेबसाइट **http://www.mptenders.gov.in** पर भी उपलब्ध है।

कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय खंड दमोह

जी-20880/45414/2021

(पिछले पृष्ठ का शेष)

परीक्षा की गोपनीयता :- परीक्षा पूर्व/दौरान/पश्चात प्रश्न-पत्र की गोपनीयता के भंग होने की किसी भी गतिविधि में लिप्त पाए जाने वाले अभ्यर्थियों/व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाकर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

पांच - प्रश्न संबंधी शिकायत

प्रश्न से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत होने पर परीक्षार्थी परीक्षा के प्रावधिक उत्तर कुंजी प्रकाशन के 07 दिवस के अंदर निर्धारित शुल्क (100 रुपये प्रति प्रश्न तथा रुपये 40 प्रति त्रुटि सुधार सत्र पोर्टल चार्ज) जमा कर ऑनलाइन पद्धति से आपत्ति दर्ज कराएं। परीक्षा के प्रावधिक उत्तर कुंजी प्रकाशन के 07 दिवस के अंदर ऑनलाइन पद्धति से दर्ज शिकायतों पर ही विचार किया जाएगा। इसके पश्चात एवं अन्य किसी पद्धति से प्रस्तुत आवेदनों को नस्तीबद्ध किया जाएगा। जिन प्रश्नों पर अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत आपत्ति, विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा सही पाई जाएगी उस प्रश्न हेतु दिया गया आपत्ति शुल्क आपत्तिकर्ता अभ्यर्थियों को ऑनलाइन पद्धति से वापस किया जाएगा। इस हेतु आपत्तिकर्ता अभ्यर्थियों को आपत्ति मॉड्यूल में उसके बैंक खाते की जानकारी प्रविष्ट करना अनिवार्य होगा।

छः ओ.एम.आर. शीट का लौटाना -

परीक्षार्थी परीक्षा के उपरान्त ओ.एम.आर. शीट कक्ष के वीक्षक को ही सौपेंगे। परीक्षार्थी द्वारा किसी भी स्थिति में ओ.एम.आर. शीट परीक्षा कक्ष से बाहर ले जाना अथवा परीक्षा के उपरांत उसे वापस न दिया जाना गम्भीर अपराध माना जाएगा और इस हेतु उसके विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज कर दण्डात्मक कार्यवाही भी की जाएगी।

सात - ओ.एम.आर. शीट पर अनुक्रमांक अंकन व अन्य पूर्तियाँ

1. ओ.एम.आर. शीट पर नियत स्थान पर परीक्षार्थी अपना सही नाम और अनुक्रमांक शब्दों एवं अंकों में अंकित करें तथा परीक्षा का विषय कोड के सही गोले भरें। साथ ही प्रश्न पत्र सेट और भी अत्यंत सावधानी से भरें एवं सेट के गोले को काला करें।
2. ओ.एम.आर. शीट पर कोई दाग/चिन्ह न लगने पाए, इस बात की सतर्कता बरतें।

आठ - प्रश्न-पत्र पर अंकन

परीक्षार्थी प्रश्न-पत्र पर भी अनुक्रमांक लिखें तथा रफ कार्य प्रश्न-पत्र में दिए गए पृष्ठ पर ही करें इसके अतिरिक्त प्रश्न-पत्र पर कुछ भी लिखना, प्रश्न-पत्र की नकल करना या उसकी प्रति बनाना निषिद्ध होकर अनुचित साधन प्रयोग के समान दण्डनीय है।

नौ - उपस्थिति पत्रक

प्रत्येक प्रश्न-पत्र के समय परीक्षा कक्ष में वीक्षक के समक्ष परीक्षार्थी तिथि सहित अपने हस्ताक्षर करें। यह हस्ताक्षर नमूने के हस्ताक्षर के अनुरूप हों। हस्ताक्षर के नीचे अपना नाम भी लिखें।

दस- दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु सहलेखक संबंधी नियम

अ. अभ्यर्थियों का विवरण जिन्हें सुविधा प्रदान की जाएगी :-

1 दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) निःशक्त तथा सेरिब्रल पाल्सी से दिव्यांगजन परीक्षार्थी।
2 मानसिक रूप से संस्तम (स्पेस्टिक) डाइसलेक्सिक पर्सन्स विद डिसएबिलिटिज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
3 ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे शासकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।
4 आकस्मिक दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे शासकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।
5 उपरोक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को छोड़कर अन्य अभ्यर्थियों को सहलेखक एवं प्रतिपूरक समय की सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी।

ब. प्रदान की जाने वाली सुविधाएं :-

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को सहायक एवं प्रतिपूरक समय की सुविधा प्रदान की जावेगी। उपरोक्त सुविधा लेने हेतु अभ्यर्थी द्वारा सम्पूर्ण जानकारी मय दस्तावेजों एवं घोषणा-पत्र सहित परीक्षा दिनांक से एक दिवस पूर्व संबंधित परीक्षा केन्द्राध्यक्ष के सम्मुख प्रस्तुत करना होगी ताकि नियमानुसार लिखित अनुमति प्रदान की जा सके। अपरिहार्य कारणों से पूर्व में आवेदित लेखन सहायक उपस्थित न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के सत्यापन उपरांत नियमानुसार निर्धारित शर्तों के अनुरूप योग्यताधारी अन्य लेखन सहायक की सुविधा हेतु अनुमति दी जा सकेगी। लेखन सहायक से घोषणा-पत्र भरवाया जावेगा।

(i) **लेखन सहायक की नियुक्ति हेतु शर्तें :-**

लेखन सहायक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए जिसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अभ्यर्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा की अर्हता से कम होना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि किसी परीक्षा हेतु अभ्यर्थी की शैक्षणिक अर्हता स्नातक उपाधि है तो लेखन सहायक की योग्यता स्नातक से कम होना चाहिए। (अर्थात् स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होना चाहिए) यदि किसी पद की परीक्षा की शैक्षणिक अर्हता स्नातकोत्तर उपाधि है, तो सहलेखक की योग्यता स्नातकोत्तर उपाधि से कम होनी चाहिए (अर्थात स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होना चाहिए)

(ii) **प्रतिपूरक समय हेतु शर्तें :-**

ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हें उपरोक्तानुसार सहलेखक की सुविधा प्रदान की गई है, निम्नानुसार प्रतिपूरक समय की पात्रता होगी :-

3 घंटे की अवधि के प्रश्न-पत्र के लिए	60 मिनट
2 घंटे की अवधि के प्रश्न-पत्र के लिए	40 मिनट

स. इसके अतिरिक्त प्रदाय की जाने वाली सुविधाएं :-

यथा संभव ऐसे अभ्यर्थियों का परीक्षा कक्ष भूतल पर निर्धारित किया जावेगा।

द. अभ्यर्थी को पात्र सहलेखक साथ में लेकर परीक्षा हेतु आना होगा। आयोग/केन्द्राध्यक्ष द्वारा सहलेखक उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

टीप : 1. उपरोक्त प्रकरणों के अतिरिक्त दिव्यांगजन सम्बन्धित अन्य किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण एवं निर्णय लिए जाने हेतु आयोग के सर्वाधिकार सुरक्षित रहेंगे।

2. दिव्यांगजन श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हें सहलेखक एवं भूतल पर बैठने की व्यावस्था की आवश्कता है वे अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उक्त आवश्यकताओं की प्रविष्टि करेंगे। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि आकस्मिक दुर्घटना एवं बीमारी के मामलों को छोड़कर अन्य मामलो में अभ्यर्थियों को उक्त सुविधाएं उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि के आधार पर ही देय होगी।

ग्यारह विविध

1. परीक्षार्थियों को किसी भी प्रश्नपत्र में ग्राफ पेपर या नक्शा/स्टेन्सिल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा और परीक्षार्थी स्वयं भी ग्राफ पेपर या नक्शा/स्टेन्सिल परीक्षा भवन में नहीं लाएंगे।
2. परीक्षार्थियों को अपने साथ डिजिटल डायरी, वॉच, केलक्यूलेटर, सेल्युलर फोन, पेजर तथा अन्य electronic gadgets लाना वर्जित है।

बारह - परीक्षार्थी ओ.एम.आर. शीट एवं प्रश्नपत्रों पर दी गई समस्त सूचनाएं/निर्देश एवं अनुदेश ध्यानपूर्वक पढ़ें व अनिवार्यता से उनका पालन करें।

तेरह - अनुशासन व शालीनता

1. परीक्षा कक्ष में धूम्रपान करना/अशिष्ट, अनर्गल वार्तालाप करना पूर्णतः निषिद्ध व दण्डनीय है।
2. परीक्षा परिसर में एवं भवन के अन्दर वीक्षक व केन्द्राध्यक्ष द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों का पालन अनिवार्य है।
3. परीक्षा भवन के फर्नीचर अथवा केन्द्र पर की गई अन्य व्यवस्था को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जाना चाहिए। यह दण्डनीय है।
4. यदि परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष द्वारा निर्देशों का पालन नहीं करता है अथवा अशिष्ट आचरण करता है अथवा अनुचित या अशोभनीय या अशालीन व्यवहार करता है तो वह परीक्षा से निष्कासित किया जा सकेगा। उसकी परीक्षा निरस्त की जा सकेगी तथा वह ऐसे अन्य दण्ड का भी भागी होगा, जो आयोग उचित समझे। केन्द्राध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे परिक्षार्थियों के नाम गोपनीय ढंग से आयोग को सूचित किए जाएं। परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष के पूर्ण प्रशासकीय नियंत्रण में होगा।

जी-20875/45395/2021

कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल

ईमेल - ceproc.encwrd.bpl@nic.in, फोन - 0755-2767635, फैक्स - 0755-2552406

निविदा सूचना क्रमांक- 853/2021-22/प्रमुख अभियंता/ई-टेंडरिंग/ **भोपाल, दिनांक : 23.12.2021**

निम्न कार्यों हेतु निविदा वेबसाइट **https://www.mptenders.gov.in** पर आमंत्रित की गई है। निविदा प्रपत्र **दिनांक 13.01.2022 को 17.30 बजे तक क्रय/डाउनलोड तथा प्रस्तुत किए जा सकते हैं।** निविदा में संशोधन की स्थिति में वेबसाइट पर ही संशोधन देखा जा सकेगा। विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना व अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

स.क्र.	निविदा क्र.	कार्य	जिला	लागत (लाख)
1.	2021_WRD_174474	नवीन पुरैनिया से बुडेरा को जोड़ने वाले डब्ल्यू.बी.एम. मार्ग का निर्माण कार्य।	टीकमगढ़	49.28
2.	2021_WRD_174476	अतिवृष्टि से हुई क्षति के कारण निचली मुख्य नहर की शाखा एल 1 से 4 आर.सी. एवं 6 एल से 16 एल तक माइनर एवं इनकी सब माइनरों में सीसी लाइनिंग कार्य दो वर्ष के लिये मरम्मत एवं प्रबंधन कार्य सहित।	मुरैना	962.30
3.	2021_WRD_174482	मझगांव मध्यम परियोजना के डूबक्षेत्र में प्रभावित ग्राम कुंवरपुर के परिवारों का विस्थापन एवं पुनर्वास का कार्य।	पन्ना	989.52
4.	2021_WRD_174484	अतिवृष्टि से हुई क्षति के कारण निचली मुख्य नहर के आर.डी. 17.115 कि.मी. पर क्वारी एक्वाडक्ट की मरम्मत एवं रखरखाव कार्य दो वर्ष के लिये मरम्मत एवं प्रबंधन कार्य सहित।	मुरैना	468.11
5.	2021_WRD_174487	अतिवृष्टि से हुई क्षति के कारण निचली मुख्य नहर के कि.मी. 0 से 50 के मध्य मरम्मत एवं रखरखाव कार्य, दो वर्ष के लिये मरम्मत एवं प्रबंधन कार्य सहित।	मुरैना	27.87
6.	2021_WRD_174489	जॉनसिल स्टॉप डेम एवं सालई स्टॉप डेम का मरम्मत कार्य।	मुरैना	25.67
7.	2021_WRD_174490	एस.डी.एम.एफ. अंतर्गत अकोदिया तालाब की ऊंचाई एवं चौड़ाई बढ़ाना एवं पिचिंग कार्य।	शाजापुर	82.72
8.	2021_WRD_174491	अतिवृष्टि एवं बाढ़ से अम्याह शाखा नहर की आर.डी. 51694 मी. पर स्थित बरहाना नाला एस्केप चैनल में आर.डी. 0 से 4600 मी. से हुई क्षति का सुधार कार्य 2 वर्ष तक मरम्मत (एम.ओ.एम.) रखरखाव सहित।	मुरैना	76.19
9.	2021_WRD_174668	कुण्डालिया बांध के डाउनस्ट्रीम में नदी के बांयी तट पर स्पीलवे के विंगवाल से 97.00 मी. लम्बी प्रोटेक्शन वाल एवं बायर फेंसिंग का निर्माण कार्य।	राजगढ़	162.07
10.	2021_WRD_174669	अतिवृष्टि से रामपुर घाट स्टॉप डेम की की-वॉल में हुई क्षति का मरम्मत कार्य दो वर्ष के लिये मरम्मत एवं प्रबंधन कार्य सहित।	मुरैना	191.44
11.	2021_WRD_174671	अतिवृष्टि से हुई क्षति के कारण कूनो नदी के दांयी बैंक पर प्रोटेक्शन कार्य एवं कूनो सायफन तथा बांयी तरफ के एप्रोच रोड का मरम्मत कार्य दो वर्ष के लिये प्रबंधन एवं मरम्मत कार्य सहित।	मुरैना	416.03
12.	2021_WRD_174674	चम्बल कॉलोनी वीरपुर में स्थित आवासीय भवनों की मरम्मत, जीर्णोद्धार एवं कॉलोनी चारों ओर वाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	मुरैना	46.18

जी-20716/46381/2021 **मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट)**

कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल

ईमेल - ceproc.encwrd.bpl@nic.in, फोन - 0755-2767635, फैक्स - 0755-2552406

निविदा सूचना क्रमांक- 854/2021-22/प्रमुख अभियंता/ई-टेंडरिंग/ **भोपाल, दिनांक : 23.12.2021**

निम्न कार्यों हेतु निविदा वेबसाइट **https://www.mptenders.gov.in** पर आमंत्रित की गई है। निविदा प्रपत्र **दिनांक 13.01.2022 को 17.30 बजे तक क्रय/डाउनलोड तथा प्रस्तुत किए जा सकते हैं।** निविदा में संशोधन की स्थिति में वेबसाइट पर ही संशोधन देखा जा सकेगा। विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना व अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

स.क्र.	निविदा क्र.	कार्य	जिला	लागत (लाख)
1.	2021_WRD_174676	अतिवृष्टि से हुई क्षति के कारण निचली मुख्य नहर की 5 एल, उपशाखा की माइनर 1 आर, 2 एल, 3 आर, 4 आर, 5 आर, 6 आर, 7 एल, 8 एल, 9 आर, 10 एल, 11 आर, 12 आर, 13 एल एवं इनकी सब माइनरों में सीसी लाइनिंग कार्य दो वर्ष के लिये मरम्मत एवं प्रबंधन कार्य सहित।	मुरैना	1695.24

जी-20718/46379/2021 **मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट)**

कार्यालय संभागीय परियोजना यंत्री
लोक निर्माण विभाग, परियोजना क्रियान्वयन इकाई
तहसील कैम्पस सागर (म.प्र.)

एनआईटी नं. - 33/2021/केन्द्रीयकृत निविदा आमंत्रण/सा/एपीडी/... **सागर, दिनांक : 23.12.2021**

निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाइन निविदा पंजीकृत ठेकेदारों अथवा पंजीयन हेतु उपयुक्त पात्रता वाली प्रतिष्ठित फर्म से आमंत्रण की जाती है :-

स.क्र. एवं कार्य का नाम :- 1. खुरई अस्पताल जिला सागर में 12 बिस्तरीय एच.डी.यू. की स्थापना का कार्य, डेडिकेटेड पीडियाट्रिक यूनिट का कार्य, पीआईसीयू हेतु अतिरिक्त वार्ड निर्माण/उन्नयन के सिविल एवं विद्युतीकरण कार्य (प्रथम आमंत्रण)

पोर्टल टेंडर क्र.	जिला	ठेके की अनु. राशि (पीएसी) (रु. लाख में)	अमानत राशि (ईएमडी) (रु. में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु. में)	कार्य पूर्ण करने का समय (माह में वर्षाकाल सहित)	कार्यालय का नाम जहां तकनीकी बिड भौतिक रूप से सत्यापित की जावेगी
2021_PWPIU_175062_1	सागर	248.91	248914	15000/-	14 माह	अतिरिक्त परियोजना संचालक लोक निर्माण विभाग पीआईयू जबलपुर

स.क्र. एवं कार्य का नाम :- 2. पी.जी. कॉलेज बीना जिला सागर में 06 अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य (प्रथम आमंत्रण)

2021_PWPIU_175063_1	सागर	327.86	327857	15000/-	14 माह	अतिरिक्त परियोजना संचालक लोक निर्माण विभाग पीआईयू जबलपुर

1. निविदा से संबंधित विड डॉक्यूमेंट वेबसाइट **http://mptenders.gov.in** पर बिना भुगतान के देखे एवं डाउनलोड किये जा सकेंगे। 2. निविदा प्रपत्र का मूल्य ऑनलाइन पोर्टल पर क्रेडिट/डेबिट/कैशकार्ड/इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान कर निविदा प्रपत्र खरीदा जा सकेगा। 3. निविदा प्रपत्र केवल **ऑनलाइन दिनांक 25.12.2021 समय 10.30 से दिनांक 08.01.2022 समय 17.30 तक खरीदा जा सकेगा।** सूचना व अन्य जानकारी वेबसाइट पर देखी जा सकती है। 4. निविदा से संबंधित समस्त आवश्यक संशोधन उपरोक्त वेबसाइट पर ही दर्ज किये जायेंगे, पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

संभागीय परियोजना यंत्री

जी-20709/46383/2021 **लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू. सागर**

कार्यालय संभागीय परियोजना यंत्री
लोक निर्माण विभाग, परियोजना क्रियान्वयन इकाई दमोह

एन.आई.टी. नं. 33/2021/केन्द्रीयकृत निविदा आमंत्रण/जी/एपीडी/ **जबलपुर, दिनांक : 23.12.2021**

निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाइन निविदा पंजीकृत ठेकेदारों अथवा पंजीयन हेतु उपयुक्त पात्रता वाली प्रतिष्ठित फर्म से आमंत्रण की जाती है :

क्र. एवं कार्य का नाम :- 1. दमोह में शासकीय कमला नेहरू कन्या महाविद्यालय में 06 अतिरिक्त कक्ष के निर्माण (प्रथम आमंत्रण)

पोर्टल टेंडर क्र.	जिला	ठेके की अनुमा. राशि (पीएसी) (रु. लाख में)	अमानत राशि (ईएमडी) (रु. में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु. में)	कार्य पूर्ण करने का समय (माह में वर्षाकाल सहित)	कार्यालय का नाम जहां ईएमडी एवं तकनीकी बिड भौतिक रूप से प्राप्त की जावेगी।	90 प्रतिशत अविवादित भूमि प्राप्त एमओयू निष्पादित
2021_PWPIU_175217	दमोह	325.87	325870/-	15000/-	12 माह	-	-

क्र. एवं कार्य का नाम :- 2. दमोह जिले के बटियागढ़ में आदिवासी नवीन एवं सीनियर बालक छात्रावास के निर्माण (प्रथम आमंत्रण)

2021_PWPIU_175220	दमोह	622.12	622120/-	20000/-	18 माह	-	-

1. निविदा से संबंधित विड डाक्यूमेंट वेबसाइट **http://mpeproc.gov.in** पर बिना भुगतान के देखे एवं डाउनलोड किये जा सकेंगे। 2. निविदा प्रपत्र का मूल्य ऑनलाइन पोर्टल पर क्रेडिट/डेबिट/कैशकार्ड/इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान कर निविदा प्रपत्र खरीदा जा सकेगा। 3. निविदा प्रपत्र केवल ऑनलाइन **दिनांक 24.12.2021 समय 09.00 से दिनांक 08.01.2022 समय 06.00 तक** खरीदा जा सकेगा। सूचना व अन्य जानकारी वेबसाइट पर देखी जा सकती है। 4. निविदा से संबंधित समस्त आवश्यक संशोधन उपरोक्त वेबसाइट पर ही दर्ज किये जायेंगे, पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

संभागीय परियोजना यंत्री

जी-20753/46384/2021 **लोक निर्माण विभाग, पी.आई.यू. दमोह**

कार्यालय संभागीय परियोजना यंत्री
लोक निर्माण विभाग, परियोजना क्रियान्वयन इकाई
सिविल लाइन गणेश चौक कटनी, जिला कटनी (म.प्र.) 483501

दूरभाष :- 07622-401753, ईमेल - dpepiukatni@gmail.com

एन.आई.टी. नं. - 33/2021/केन्द्रीयकृत निविदा आमंत्रण/साब/एपीई/ **कटनी, दिनांक : 23.12.2021**

निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाइन निविदा पंजीकृत ठेकेदारों अथवा पंजीयन हेतु उपयुक्त पात्रता वाली प्रतिष्ठित फर्म से आमंत्रण की जाती है :

स.क्र. एवं कार्य का नाम :- 1. जिला कटनी के अंतर्गत शेष कार्यों हेतु जोनल निविदा का कार्य। (पांचवां आमंत्रण)

पोर्टल टेंडर क्र.	जिला	ठेके की अनु. राशि (पीएसी) (रु. लाख में)	अमानत राशि (ईएमडी) (रु. में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु. में)	ठेकेदार की श्रेणी	कार्य पूर्ण करने का समय (माह में वर्षाकाल सहित)	कार्यालय का नाम जहां ईएमडी एवं तकनीकी बिड प्राप्त की जावेगी।
2021_PWPIU_174567	कटनी	146.06	146000/-	12500/-	लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत	12 माह वर्षाकाल सहित	अतिरिक्त परियोजना संचालक लोक निर्माण विभाग पीआईयू साउथ सिविल लाईन जबलपुर

1. निविदा से संबंधित विड डाक्यूमेंट वेबसाइट **https://mptenders.gov.in/nicgep/app** पर बिना भुगतान के देखे एवं डाउनलोड किये जा सकेंगे। 2. निविदा प्रपत्र का मूल्य ऑनलाइन पोर्टल पर क्रेडिट/डेबिट/कैशकार्ड/इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान कर निविदा प्रपत्र खरीदा जा सकेगा। 3. निविदा प्रपत्र केवल ऑनलाइन **दिनांक 24.12.2021 समय दोपहर 15.00 से दिनांक 08.01.2022 तक समय शाम 06.00 तक खरीदा जा सकेगा।** सूचना व अन्य जानकारी वेबसाइट पर देखी जा सकती है। 4. मूल अमानत राशि एवं तकनीकी बिड केवल ऑनलाइन दिनांक 08.01.2022 को सायंकाल 06.00 बजे तक प्राप्त किये जावेंगे। 5. निविदा से संबंधित समस्त आवश्यक संशोधन उपरोक्त वेबसाइट पर ही दर्ज किये जायेंगे, पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

संभागीय परियोजना यंत्री

जी-20717/46380/2021 **लोक निर्माण विभाग, पी.आई.यू. कटनी**

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/कार्मिक/2021/975 **रीवा, दिनांक : 22.12.2021**

विज्ञापन

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा के शिक्षण विभागांतर्गत **College of Education** एवं College of Physical Education के अंतर्गत संचालित क्रमशः बी.एड., बी.पी.एड. एवं एम.पी.एड. पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् नई दिल्ली में वर्णित प्रावधानों के तहत निम्नलिखित संविदा, व्याख्याताओं/सहायक प्राध्यापकों की आवश्यकता है, जिसके लिए आवेदकों को एम.पी. ऑनलाइन के पोर्टल **www.mponline.gov.in/university/aps** पर जाकर रुपये 500/- आवेदन शुल्क अदा कर आवेदन की कार्यवाही निष्पादित करनी होगी :-

(अ) कॉलेज ऑफ एजुकेशन - बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु संविदा व्याख्याता/सहायक प्राध्यापक :

पद क्र.	विषय		कुल पद
A 1.	शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में बी.एड. पाठ्यक्रम	-	4
A 2.	शिक्षण विषय - गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान भाषा	-	8
A 3.	स्वास्थ्य तथा शिक्षण शिक्षा	-	1
A 4.	ललित कलाएं	-	1
A 5.	निष्पादन कलाएं (संगीत/नृत्य/रंगमंच)	-	1
(ब)	**कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन -**		
B 1.	बी.पी.एड. पाठ्यक्रम हेतु संविदा व्याख्याता/सहायक प्राध्यापक	-	8
C 1.	एम.पी.एड. पाठ्यक्रम हेतु संविदा व्याख्याता/सहायक प्राध्यापक	-	5

विशेष टीप :-

(i) उक्त शिक्षकों की चयन प्रक्रिया, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली में वर्णित प्रावधानों के तहत विश्वविद्यालय से अनुबंध के आधार पर स्ववित्त पाठ्यक्रम संचालनालय के विनियम 28 के आधार पर की जायेगी।

(ii) पाठ्यक्रमों के लिए वांछित योग्यता व विशिष्टीकरण के विश्लेषण संबंधी जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है।

(iii) चयन की पाठ्यक्रमवार पात्रता निर्धारण हेतु प्रस्तुतीकरण/साक्षात्कार के माध्यम से अंतिम रूप से आमंत्रण सूची बनाई जायेगी। आरक्षित वर्गों एवं विकलांग अभ्यर्थियों के लिए शासन के द्वारा जारी पत्र क्रमांक/एफ/1-9/2012/38-1 दिनांक 5.8.2014 के बिन्दु क्रमांक 3.1.1.4 के अनुसार अधिभार देय होगा।

(iv) उक्त तीनों पाठ्यक्रमों की प्रकृति स्ववित्तीय होने के कारण सभी संविदा चयन पदों के अभाव में पूर्णतः अस्थायी एवं आवश्यकता के आधार पर आधारित है। अतः इन पर मध्यप्रदेश आरक्षण अधिनियम 1994 के प्रावधान प्रभावशील नहीं हो सकेंगे।

महत्वपूर्ण तिथियाँ : ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि - **23 दिसम्बर 2021**
आवेदन की अंतिम तिथि - **27 जनवरी 2022**
आवेदन पत्र एवं अभिलेख सत्यापन की अवधि - 31 जनवरी 2022 से 10 फरवरी 2022 तक

आवेदक, कार्मिक विभाग से सत्यापन की पुष्टि/सत्यापन रसीद प्राप्त करेगा। आवेदन उपरान्त पाठ्यक्रमवार पात्रता निर्धारण हेतु प्रस्तुतीकरण/साक्षात्कार इत्यादि संबंधी सूचना कार्मिक विभाग/एम.पी. ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी।

आर-45400/2021 **कुलसचिव**

स्कूल शिक्षा विभाग
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (म.प्र.)
राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, वी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462011
दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95, फैक्स : 2552363, 2760561

क्रमांक/रा.शि.के./NTSE-NMMSS/2021/2367 भोपाल, दिनांक : 24.12.2021

विज्ञापन
राष्ट्रीय मीन्स-कम-मेरिट छात्रवृत्ति हेतु चयन परीक्षा 2021-2022 (NMMSS)

(मध्यप्रदेश राज्य में स्थित केवल शासकीय/शासकीय अनुदान प्राप्त/स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों में वर्ष 2021-22 में कक्षा 8वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय मीन्स-कम-मेरिट छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2008 में प्रारंभ की गई है। म.प्र. राज्य के लिए निर्धारित छात्रवृत्तियों हेतु चयन परीक्षा 2021-22 **दिनांक 18.02.2022 को** आयोजित की जा रही है। चयनित विद्यार्थियों को प्रति वर्ष प्रति विद्यार्थी रुपये 12000/- के मान से कक्षा 9वीं से 12वीं तक छात्रवृत्ति दी जाती है। नियमित छात्रवृत्ति हेतु कक्षा 9वीं एवं 11वीं में न्यूनतम 55 प्रतिशत एवं कक्षा 10वीं में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यह छात्रवृत्ति केवल शासकीय, शासकीय अनुदान प्राप्त एवं स्थानीय निकायों के विद्यालयों में अध्ययनरत नियमित विद्यार्थियों के लिए है।

1. **पात्रता** : म.प्र. राज्य में स्थित केवल शासकीय/शासकीय अनुदान प्राप्त/स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों में वर्ष 2021-22 में कक्षा 8वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत् ऐसे विद्यार्थी ही इस परीक्षा हेतु पात्र होंगे, जिन्होंने कक्षा 7 में कम से कम "C" ग्रेड प्राप्त किया है एवं जिनके अभिभावकों की सकल वार्षिक आय 1.50 लाख (रु. एक लाख पचास हजार मात्र) से अधिक नहीं है।
2. **पाठ्यक्रम** : इस परीक्षा हेतु कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है। प्रश्नों का स्तर कक्षा 7वीं एवं 8वीं की परीक्षा के समान होगा।
3. **परीक्षा शुल्क** : परीक्षा के लिए कोई शुल्क देय नहीं है।
4. **परीक्षा का माध्यम** : परीक्षा का माध्यम हिन्दी अथवा अंग्रेजी होगा।
5. **आरक्षण** : म.प्र. राज्य द्वारा निर्धारित कोटा अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्त विद्यार्थियों हेतु जिलेवार आरक्षण का प्रावधान होगा।
6. **परीक्षा का विवरण** :

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि	**03.01.2022**
आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि	**22.01.2022**
परीक्षा दिनांक व दिन	18.02.2022 (रविवार)
परीक्षा शुल्क	निःशुल्क

परीक्षा का समय : प्रातः 10:45 से 12:30 तक (MAT हेतु)
दोपहर 12:30 से 1:15 तक (SAT हेतु)

परीक्षा	अवधि	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	अर्हता अंक	
				सामान्य वर्ग	अ.जा./अ.ज.जा./ निःशक्त वर्ग
मानसिक योग्यता परीक्षण (MAT हेतु)	90 मिनट	90	90	40% अर्थात् 72 अंक	32% अर्थात् 58 अंक
शैक्षिक योग्यता परीक्षण (SAT हेतु)	90 मिनट	90	90		

नोट : दोनों प्रश्न पत्रों के बीच विद्यार्थी को परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

- मानसिक योग्यता के अंतर्गत कुल 90 प्रश्नों में से प्रश्न समजातता, वर्गीकरण, श्रृंखला, आकृति अवबोधन, छुपी हुई आकृतियों, कोडन-विकोडन, खंड समुच्चय समस्या सुलझाने आदि पर आधारित होंगे।
- शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत कुल 90 प्रश्नों में से 35 प्रश्न विज्ञान के, 35 प्रश्न सामाजिक विज्ञान के तथा गणित विषय के 20 प्रश्न होंगे।

7. **आवेदन की प्रक्रिया एवं प्रवेश पत्र की प्राप्ति :**

7.1 इस परीक्षा हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किये जायेंगे। किसी भी प्रकार मेन्युअल अथवा डाक द्वारा भेजे गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

7.2 आवेदन पत्र की हार्डकॉपी एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क केन्द्र से या एमपीऑनलाइन की वेबसाइट **http//www.mponline.gov.in** पर प्राप्त होगी। राज्य शिक्षा केन्द्र के मोनो पर क्लिक करने पर NMMSS लिंक मिलेगी, NMMSS लिंक को क्लिक करके आवेदन पत्र प्राप्त होगा।

7.3 अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र की हार्डकॉपी पूर्ण रूप से भरने के बाद संबंधित प्रधान अध्यापक एवं संकुल प्राचार्य से सत्यापित करवानी होगी।

7.4 अभ्यर्थी पूर्ण रूप से भरा एवं सत्यापित किया हुआ आवेदन पत्र एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के पास जाकर ऑनलाइन एंट्री करवायेगा।

7.5 आवेदन पत्र की हार्डकॉपी के साथ प्रमाणीकरण हेतु दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां, जैसे- कक्षा सातवीं का प्रगति पत्रक, आय प्रमाण पत्र, एस.सी./एस.टी./निःशक्तता प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न कर संकुल प्राचार्य को जमा करें।

7.6 आवेदन की ऑनलाइन एंट्री के बाद दो प्रतियों में रसीद प्राप्त होगी। यदि रसीद के ऊपर आवेदन अपूर्ण अंकित है तो अभ्यार्थी आवेदन की कमी को पूर्ण करें। आवेदन पूर्ण की रसीद प्राप्त होने पर आवेदन मान्य किया जायेगा। आवेदन पूर्ण अंकित रसीद की दो प्रतियों में से एक प्रति स्वयं अपने पास रखें एवं दूसरी प्रति आवेदन पत्र की हार्डकॉपी के साथ लगाकर संबंधित संकुल प्राचार्य के कार्यालय में अनिवार्यतः जमा करेंगे। संकुल प्राचार्य आवेदन पत्र संबंधित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट) में भेजेंगे। जिन जिलों में डाइट नहीं है वहां संकुल प्राचार्य जिला शिक्षा केन्द्र (डी.पी.सी. कार्यालय) को आवेदन-पत्र भेजेंगे। डाइट/डी.पी.सी. कार्यालय द्वारा आवेदन पत्र अंतिम रूप से सूचीबद्ध कर राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल को निर्धारित तिथि पर ही भेजे जावेंगे।

7.7 जाति प्रमाण पत्र एवं निःशक्तता प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। अन्यथा आवेदक को सामान्य श्रेणी का माना जायेगा।

7.8 आय प्रमाण पत्र हेतु सकल वार्षिक आय का शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में संलग्न करना अनिवार्य है जिसका प्रारूप पुस्तिका के साथ संलग्न है।

7.9 प्रवेश पत्र माह फरवरी-2022 के द्वितीय सप्ताह में एमपी ऑनलाइन के लिंक **https//www.mponline.gov.in** पर उपलब्ध होंगे जिन्हें अभ्यर्थी डाउनलोड कर सकेंगे।

8. **परीक्षा का माध्यम** : परीक्षा का माध्यम हिन्दी अथवा अंग्रेजी होगा।
9. **परीक्षा शुल्क** : इस परीक्षा के लिए कोई शुल्क देय नहीं है।
10. **पुनः परीक्षण/पुनर्मूल्यांकन** : इस परीक्षा हेतु पुनःपरीक्षण/पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है।
11. **यात्रा भत्ता** : परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र तक आने-जाने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि नहीं दिया जायेगा।
12. **महत्वपूर्ण निर्देश** :

12.1 परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र पहुंचें।

12.2 परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार की किताब या कॉपी, सेल्युलर, मोबाइल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक यंत्र आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।

12.3 सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे।

12.4 इस परीक्षा हेतु कोई ऋणात्मक अंक नहीं है।

12.5 उत्तरशीट परीक्षा उपरांत पर्यवेक्षक के पास अनिवार्य रूप से जमा करने होंगे।

12.6 परीक्षा हॉल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री - प्रवेश-पत्र, केवल काला/नीला बॉल प्वाइंट पेन (जेल पेन का उपयोग मान्य नहीं होगा)।

12.7 परीक्षा संबंधी विस्तृत विवरण परीक्षा संबंधी नियम पुस्तिका में उपलब्ध हैं, जिसे एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट **http//www.mponline.gov.in** से प्राप्त किया जा सकता है।

संचालक
जी-20707/46378/2021 **राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल**

कार्यालय अतिरिक्त परियोजना संचालक
लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू. ग्वालियर म.प्र.

दूरभाष : 0751-4008851, E-mail : apdpiugwalior@gmail.com

निविदा सूचना क्रमांक : 23/2021/सा./एपीडी/ग्वालियर दिनांक : 21.12.2021

निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाइन निविदा पंजीकृत ठेकेदारों अथवा पंजीयन हेतु उपयुक्त पात्रता वाली प्रतिष्ठित फर्म से आमंत्रित की जाती हैं।

क्रमांक एवं कार्य का नाम : 1. मिहाना जिला भिण्ड के बालाजी कॉलेज में 06 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कार्य।

ऑनलाइन निविदा क्रमांक	पी.आई.यू. का जिला	ठेके की अनु. लागत (लाख में)	अमानत राशि रु.	निविदा फार्म का मूल्य रु.	कार्य पूर्ण करने के लिये समय	कार्यालय का नाम जहां भौतिक दस्तावेज जमा किये जा सकते हैं
2021_PWPIU_ 174947_1	भिण्ड	287.75 लाख	287750/-	15000/-	15 माह	कार्या. अति. परियोजना संचालक लो.नि.वि. पीआईयू ग्वालियर
2. गोहद जिला भिण्ड के अरविन्द कॉलेज में 06 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कार्य।						
2021_PWPIU_ 174950_1	भिण्ड	287.75 लाख	287750/-	15000/-	15 माह	- तदैव -
3. सुरपुरा जिला भिण्ड में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सी.एच.सी.) भवन का निर्माण कार्य।						
2021_PWPIU_ 174759_1	भिण्ड	439.25 लाख	349250/-	15000/-	18 माह	- तदैव -
4. ऊमरी जिला भिण्ड में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सी.एच.सी.) भवन का निर्माण कार्य।						
2021_PWPIU_ 174760_1	भिण्ड	439.25 लाख	349250/-	15000/-	18 माह	- तदैव -
5. पी.जी. कॉलेज छतरपुर में 06 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कार्य।						
2021_PWPIU_ 174542_1	छतरपुर	296.76 लाख	296760/-	15000/-	16 माह	- तदैव -
6. लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू. छतरपुर के अंतर्गत विभिन्न भवनों के निर्माण कार्य हेतु वर्ष 2021-22 के लिये डी.पी.आर. तैयार करने का कार्य।						
2021_PWPIU_ 174615_1	छतरपुर	5000/- लाख	100000/-	10000/-	24 माह	- तदैव -
7. मटगुंवा जिला छतरपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सी.एच.सी.) भवन का निर्माण कार्य।						
2021_PWPIU_ 174612_1	छतरपुर	449.25 लाख	439250/-	15000/-	18 माह	- तदैव -
8. महाराजपुर जिला छतरपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सी.एच.सी.) भवन का निर्माण कार्य।						
2021_PWPIU_ 174610_1	छतरपुर	449.25 लाख	439250/-	15000/-	18 माह	- तदैव -
9. छतरपुर में नवीन मेडिकल कॉलेज निर्माण कार्य हेतु आर्किटेक्चरल, डिजाइन एवं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस कार्य।						
2021_PWPIU_ 174352_1	छतरपुर	22033/- लाख	440660/-	15000/-	24 माह	- तदैव -
10. सिविल अस्पताल हजीरा ग्वालियर में डेडीकेटेड पीडियाट्रिक केयर यूनिट एवं पी.आई.सी.यू. हेतु अतिरिक्त निर्माण कार्य।						
2021_PWPIU_ 174478_1	ग्वालियर	222.24 लाख	222240/-	15000/-	03 माह	- तदैव -

1. निविदा से संबंधित डॉक्यूमेंट Website : **https://mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते हैं। 2. निविदा से संबंधित समस्त आवश्यक संशोधन पोर्टल पर ऑनलाइन किये जावेंगे, समाचार पत्रों में पृथक से प्रकाशन नहीं किया जावेगा। 3. ऑनलाइन निविदा सम्मिट करने की **अंतिम दिनांक 03.01.2022** 4. तकनीकी बिड खोलने का **दिनांक 05.01.2022**

अतिरिक्त परियोजना संचालक
जी-20715/46382/2021 **लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू. ग्वालियर**

कार्यालय क्षेत्र संचालक
कान्हा टाइगर रिजर्व, मण्डला (म.प्र.)

ई-मेल : fdknp.mdl@mp.gov.in, दूरभाष : 07642-250760, फैक्स : 07642-251266

विज्ञप्ति

कान्हा टाइगर रिजर्व, मण्डला के अंतर्गत 01 फील्ड बायोलॉजिस्ट (Field Biologist) 01 वर्ष के लिए संविदा पद पर निश्चित मानदेय रु. 31000/- प्रति माह तथा मकान किराया भत्ता में नियुक्त किये जाने हेतु निम्नलिखित अर्हता रखने वाले उम्मीदवार अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में निर्धारित आवेदन पत्र **दिनांक 10.01.2022 तक रजिस्टर्ड ए.डी. के माध्यम से प्रस्तुत करें।** निर्धारित दिनांक को सायं 05:00 बजे तक प्राप्त आवेदनों को कार्यवाही में सम्मिलित किया जावेगा तथा निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। पात्र आवेदकों को साक्षात्कार के दिनांक की सूचना पृथक से दी जावेगी।

अर्हता :

शैक्षणिक योग्यता : Post Graduate (PG) Degree in Biological Science, Environmental Science with NET Qualification or any Other National Level Examination Conducted by Central Govt. Department and their agencies and institutions as DST, DBT, DAE, DCS, DRDO, NHRD, ICMR, IIT, ITSc, IISER etc.

विशेष योग्यता : किसी वन्यप्राणी संरक्षित क्षेत्र/संस्थान में कार्य अनुभव (न्यूनतम 01 वर्ष) अवधि मान्य

आवेदन पत्र का प्रारूप

1. आवेदक का नाम : .....
2. पिता का नाम : .....
3. निवास का पता - स्थाई पता : .....
   वर्तमान पता : .....
4. जन्मतिथि : .....
5. शैक्षणिक योग्यता (प्रमाण-पत्र संलग्न करें) : .....
6. जाति : .....
   (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के उम्मीदवार प्रमाण पत्र संलग्न करें)
7. अनुभव (प्रमाण-पत्र संलग्न करें) : .....
8. मोबाइल नम्बर : .....
9. आधार कार्ड नम्बर (छायाप्रति संलग्न करें) : .....
10. मूल निवास प्रमाण-पत्र संलग्न करें। : .....

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि दी गई उपरोक्त जानकारी असत्य पाई जाती है, तो मेरी पात्रता रद्द कर दी जावे।

जी-20755/45386/2021 **आवेदक के हस्ताक्षर**

दूरस्थ शिक्षा

अनुवाद अध्ययन के क्षेत्र में बढ़ते शैक्षिक अवसर

अनुवाद अध्ययन, आज एक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है, जो विविध भाषाई पृष्ठभूमि के लोगों के बीच संबंध विकसित करता है और हमें उन लोगों के द्वारा बनाए गए विशाल ज्ञान भण्डार का उपयोग करने में मदद करता है। इसलिए दुनियाभर में बहुभाषी और बहु-सांस्कृतिक समाजों के बीच बढ़ती निकटता को ध्यान में रखते हुए अनुवाद धीरे-धीरे एक सामाजिक, आर्थिक आवश्यकता बनता जा रहा है। विचारों को समझने की इस प्रक्रिया में अनुवाद एक विशिष्ट रूप से भूमिका निभा रहा है। अनुवाद राष्ट्र, पहचान, लिंग, जाति और पंथ से संबंधित सभी प्रकार की सीमाओं को पार करता है। अनुवाद मनुष्य के अस्तित्व के लिए एक आवश्यकता बन गया है। दुनिया में हजारों भाषाएं हैं और लोगों के बीच सांस्कृतिक और भाषाई आदान-प्रदान अनिवार्य है, इसलिए जैसा कि सुसान बासेनेट ने कहा है कि अनुवाद मानव विनिमय का एक मौलिक कार्य है।

राष्ट्र की संस्कृतियों को ध्यान में रखते हुए, 'अनुवाद अध्ययन' बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। हमारे देश का सामाजिक और शैक्षणिक दायित्व भी बन गया है कि हम जिस ज्ञान-समाज में रह रहे हैं, उसे ध्यान में रखते हुए इस विषय को सशक्तता प्रदान करें। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यह एक-दूसरे की संस्कृति और भाषा के लिए सम्मान की भावना विकसित करता है। अनुवाद भाषाई अभ्यास के उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं है, बल्कि शिक्षित और साक्षर के बीच संचार के साधन के रूप में भी काम करता है। यह आम जनता, यहां तक कि अशिक्षित लोगों के बीच संचार के साधन के रूप में भी कार्य करता है।

भारत की नीतिगत प्राथमिकताओं में अनुवाद और इग्नू की पहल

भारत जैसे बहुभाषी देश के लिए अनुवाद का बहुत महत्व है। यह कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। विभिन्न भाषाओं में साहित्य के रूप में ज्ञान का विशाल भंडार उपलब्ध है। दुर्भाग्य से हममें से अधिकांश ऐसे विविध ज्ञान के स्रोतों के बारे में बहुत कम जानते हैं, क्योंकि हम उन भाषाओं को नहीं जानते हैं, जिनमें ज्ञान उपलब्ध है। इस संदर्भ में अनुवाद एक नए पेशे के रूप में उभरा है, जिसका उभरते हुए ज्ञान समाज के संदर्भ में बहुत महत्व है। यदि हम इस पेशे को मजबूत नहीं करते हैं तो हम इस ज्ञान भण्डार का विभिन्न भाषाओं में उपयोग नहीं कर पाएंगे। यह एक और दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें विविध भाषाई पृष्ठभूमि के लोगों के बीच आपसी समझ विकसित करनी है। हमें अपने देश को एक सामंजस्यपूर्ण और जीवंत लोकतंत्र बनाना है। यह तभी संभव है, जब हम अनुवाद को पेशेवर विशेषज्ञता के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में विकसित करें।

पिछले कई वर्षों के दौरान क्षेत्रीय भाषाओं को मजबूत करने के लिए कई पहल की गई हैं। अनुवाद के महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने भी विभिन्न भाषाओं और समाजों के बीच ज्ञान के आदान-प्रदान और विस्तार के लिए भारतीय परिप्रेक्ष्य में अनुवाद अधिनियम की आवश्यकता को रेखांकित किया है। इन नीतिगत प्राथमिकताओं ने इस महत्वपूर्ण मामले को राष्ट्रीय एजेंडे पर उच्च स्तर पर ला दिया है। बाद में इसे राष्ट्रीय अनुवाद मिशन द्वारा भी समर्थन दिया गया और समाज के विभिन्न वर्गों के लिए ज्ञान पाठ (knowledge texts) का अनुवाद करने और उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। यह एक महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र के रूप में अनुवाद को एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में विकसित करने के विचार की पृष्ठभूमि थी। इग्नू ने 2007 में स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज एंड ट्रेनिंग की स्थापना की है, तब से यहां अनुवाद अध्ययन के लिए विभिन्न प्रयास किए गए हैं। विश्वविद्यालय द्वारा कई नए शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इस चुनौतिपूर्ण क्षेत्र में शोध स्तर के अध्ययन भी शुरू किए गए हैं। नई शिक्षा नीति, 2019 का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण में ज्ञान के विस्तार और शैक्षिक सशक्तिकरण में अनुवाद अध्ययन की आवश्यकता पर भी ध्यान केंद्रित करना है। क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा के लिए नई शिक्षा नीति में भी विशेष जोर दिया गया है।

अनुवाद अध्ययन में एमए (Master Degree in Translation Studies)

'अनुवाद अध्ययन में एमए' कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षार्थियों को अनुवाद के सिद्धांत और व्यवहार से परिचित कराना है। यह पाठ्यक्रम आपके अनुवाद कौशल को विकसित करके शिक्षाविदों और अनुवादकों के रूप में नौकरी के अवसर प्रदान करता है। अनुवाद अब ज्ञान के विभिन्न पहलुओं के प्रबंधन के लिए एक प्रमुख साधन बन गया है, जिसमें शामिल हैं, अधिग्रहण, संरक्षण, निर्माण, प्रसार और ज्ञान का अनुप्रयोग। यह वैश्विक दुनिया में ज्ञान के प्रसार के लिए 'अनुवाद प्रशिक्षण' के महत्व को रेखांकित करता है। इस कार्यक्रम में बारह विभिन्न सिद्धांत पाठ्यक्रम और व्यावहारिक घटक के लिए एक प्रमुख परियोजना शामिल है। इस कार्यक्रम के लिए बुनियादी योग्यता हिंदी और अंग्रेजी के पर्याप्त ज्ञान के साथ किसी भी विषय में स्नातक है। कार्यक्रम के लिए निर्देश का माध्यम हिंदी है और इसे 2 साल की न्यूनतम अवधि के भीतर पूरा किया जा सकता है, हालांकि विश्वविद्यालय कार्यक्रम को पूरा करने के लिए अधिकतम 4 साल का समय देता है। कार्यक्रम का विज्ञापन वर्ष में दो बार अर्थात जनवरी और जुलाई से शुरू होने वाले प्रवेश सत्रों के लिए किया जाता है। इस पूरे कार्यक्रम के लिए निर्धारित शुल्क रुपये 9,600/- है, जिसका भुगतान वर्षवार @ रुपये 4,800/- प्रति वर्ष किया जा सकता है।

अनुवाद में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (Post Graduate Diploma in Translation)

अनुवाद में स्नातकोत्तर डिप्लोमा का उद्देश्य आपको अनुवाद की कठिनाइयों को समझाना है। सिद्धांत और व्यवहार का ज्ञान प्रदान करने के अलावा यह छात्रों को अनुवाद के सामाजिक-सांस्कृतिक आयामों को समझने में सक्षम बनाता है। इस पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाने वाले अनुवाद के प्रमुख रूप अंग्रेजी से हिंदी या हिंदी से अंग्रेजी हैं। इसलिए, यदि आप इस कोर्स में प्रवेश लेना चाहते हैं, तो आपको दोनों भाषाओं में प्रवीणता की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम में छात्रों को चार सिद्धांत पाठ्यक्रमों और एक परियोजना कार्य का अध्ययन करना होता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अनुवाद हमारे देश में एक प्रमुख पेशेवर क्षेत्र के रूप में उभरा है। यह भारतीय संस्कृति और समाज की विविधता को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस कार्यक्रम के लिए मूल पात्रता स्नातक की डिग्री है। कार्यक्रम के लिए शिक्षा का माध्यम हिंदी है और इसे एक वर्ष की न्यूनतम अवधि के भीतर पूरा किया जा सकता है, हालांकि विश्वविद्यालय कार्यक्रम को पूरा करने के लिए अधिकतम तीन वर्ष की अवधि की अनुमति देता है। प्रवेश के जनवरी और जुलाई सत्र से शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्रों के लिए कार्यक्रम को वर्ष में दो बार विज्ञापित किया जाता है। पूरे कार्यक्रम के लिए निर्धारित शुल्क 4,000/- रुपये है।

बांग्ला-हिंदी अनुवाद में स्नातकोत्तर प्रमाण-पत्र (Post Graduate Certificate in Bangla-Hindi Translation)

बांग्ला-हिंदी अनुवाद कार्यक्रम में पीजी सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए है, जिनके पास हिंदी और बांग्ला के ज्ञान के साथ स्नातक की डिग्री है और जो अनुवाद के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाने की इच्छा रखते हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य मुख्य रूप से बांग्ला और हिंदी में अंतर-भाषी, अंतर-भाषी शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधि विकसित करना है। इसके अलावा इस कार्यक्रम का उद्देश्य इन भारतीय भाषाओं के माध्यम से काम करने वाले लोगों में रोज़गार की संभावना और विश्वास पैदा करना है। कार्यक्रम में तीन सैद्धांतिक पाठ्यक्रम और एक परियोजना कार्य शामिल है। इस कार्यक्रम के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक है और शिक्षा का माध्यम हिंदी है। कार्यक्रम छह महीने की न्यूनतम अवधि के भीतर पूरा किया जा सकता है, हालांकि विश्वविद्यालय कार्यक्रम को पूरा करने के लिए अधिकतम दो साल की अवधि की अनुमति देता है। प्रवेश के जनवरी और जुलाई सत्र से शुरू होने वाले प्रवेश सत्रों के लिए कार्यक्रम को वर्ष में दो बार विज्ञापित किया जाता है। इस पूरे कार्यक्रम के लिए निर्धारित शुल्क पूरे कार्यक्रम के लिए 1600/- रुपये है।

मलयालम-हिंदी अनुवाद में स्नातकोत्तर प्रमाण-पत्र (Post Graduate Certificate in Malayalam-Hindi Translation)

यह कार्यक्रम उन लोगों के लिए तैयार किया गया है जो स्नातक हैं, जिनके पास हिंदी और मलयालम का ज्ञान है और जो अनुवाद के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाने की इच्छा रखते हैं। यह कार्यक्रम इन दोनों भाषाओं में प्रवीणता रखने वाले लोगों के लिए आय सृजन के नए अवसर पैदा करेगा। ऐसे व्यक्ति अनुवाद और दुभाषिया जैसे असाइनमेंट की तलाश कर सकते हैं या अपना काम शुरू कर सकते हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य हिंदी और मलयाली भाषाओं के बीच अंतर-भाषी शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। इसके अलावा इस कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसी गतिविधियों के माध्यम से रोज़गार की संभावनाएं पैदा करना है। कार्यक्रम में तीन सैद्धांतिक पाठ्यक्रम और एक परियोजना कार्य शामिल है। इस कार्यक्रम के लिए योग्यता स्नातक है और शिक्षा का माध्यम हिंदी है। कार्यक्रम छह महीने की न्यूनतम अवधि के भीतर पूरा किया जा सकता है, हालांकि विश्वविद्यालय कार्यक्रम को पूरा करने के लिए अधिकतम दो साल की अवधि की अनुमति देता है। प्रवेश के जनवरी और जुलाई सत्र से शुरू होने वाले प्रवेश सत्रों के लिए कार्यक्रम को वर्ष में दो बार विज्ञापित किया जाता है। इस पूरे कार्यक्रम के लिए निर्धारित शुल्क 1600/- रुपये है।

अधिक जानकारी कहां से प्राप्त करें?

इन कार्यक्रमों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए इच्छुक छात्रों को इग्नू के किसी भी नजदीकी क्षेत्रीय केंद्र या अध्ययन केंद्र से संपर्क करना चाहिए। हालांकि छात्रों को यह ध्यान रखना चाहिए कि अध्ययन केंद्र अंशकालिक कर्मचारियों द्वारा संचालित होते हैं और इसलिए वह अपने कामकाज के समय के अनुसार अध्ययन केंद्रों का दौरा करते हैं। अध्ययन केंद्रों के संपर्क विवरण और कामकाज का समय क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा अपनी वेबसाइटों पर दिया जाता है। हालांकि छात्र आधिकारिक समय के अनुसार सोमवार से शुक्रवार के दौरान क्षेत्रीय केंद्र के अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं या विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्हें ई-मेल भेज सकते हैं। अध्ययन सामग्री, पुराने प्रश्न-पत्र, ऑडियो/वीडियो कार्यक्रम और अन्य रिकॉर्ड किए गए सत्र भी वेबसाइट पर मुफ्त डाउनलोड के लिए उपलब्ध हैं। इच्छुक छात्र ऐसे संसाधनों को मुफ्त में देख सकते हैं।

विश्वविद्यालय की विवरणिका और कार्यक्रम गाइड, जो विस्तृत नियम और विनियम और अन्य विवरण देते हैं, वह भी इग्नू की वेबसाइट से निःशुल्क डाउनलोड के लिए उपलब्ध हैं। इस लेख में दिए गए विवरण विश्वविद्यालय की नीतियों के अनुसार परिवर्तन के अधीन हैं। इसलिए इच्छुक छात्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट से सबसे अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

- डॉ. उमेशचन्द्र पाण्डेय
(लेखक - इग्नू, भोपाल में क्षेत्रीय निदेशक हैं।)

कोरोना प्रकरणों के नियंत्रण के लिये पुख्ता हों व्यवस्थाएं

भोपाल, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में कहा कि पड़ोसी राज्यों में कोरोना के प्रकरण बढ़ रहे हैं। लगभग सभी जगह केस बढ़ रहे हैं। हमको इसके नियंत्रण के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 307 नये केस आए हैं। चारों महानगरों में केस आ रहे हैं। अब धीरे-धीरे सभी जगह फैलने की संभावना है। हमारी रणनीति है कि यदि घर में जगह नहीं है तो रोगी को हॉस्पिटल में एडमिट करें। सभी प्रभारी मंत्री इस ओर ध्यान दें। कोविड केयर सेंटर तैयार करें। जिलों में एक-एक कोविड केयर सेंटर की तैयारी करें। होम आइसोलेशन के मरीज को सावधानी रखने के लिए क्या करना चाहिए, इसकी समझाइश दी जाए। व्यापक पैमाने पर संदेश प्रसारित करें। प्रदेश में ओमिक्रॉन के 9 केस आए हैं, जो सभी स्वस्थ हो गए हैं।

श्री चौहान ने इंदौर कलेक्टर को कोरोना नियंत्रण की रणनीति के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। कोविड केयर सेंटर, फीवर क्लीनिक एक्टिव करने, टेस्ट करने आदि के संबंध में निर्देश दिए गए। सबसे ज्यादा सतर्कता और चुनौती इंदौर की ही है। केस तेजी से बढ़ेंगे अतएव व्यवस्थाएं चाक-चौबंद रहें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्य सभी कलेक्टर भी पूरी तैयारी कर व्यवस्थाएं दुरुस्त रखें। अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रहने दी जाए। कोविड क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों की बैठक करायें। प्रदेश में पात्र व्यक्तियों को अब तक 94.8 प्रतिशत प्रथम डोज़ तथा 91 प्रतिशत को सेकेण्ड डोज लगी है। लगातार वैक्सीनेशन जारी रहे।

महाअभियान के रूप में 15 से 18 वर्ष के बच्चों का वैक्सीनेशन करें

मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन की तैयारी कर लें। एक साथ सभी शहरों में वैक्सीनेशन करें। युद्ध स्तर पर तेजी से 03 जनवरी से वैक्सीनेशन करना है। महाअभियान के रूप में 15 से 18 वर्ष के बच्चों का वैक्सीनेशन करें। प्राथमिकता के साथ इस कार्य में जुट जायें। लॉगिंग के दौरान वैक्सीनेशन की अपील हो। 60 वर्षीय व्यक्तियों को बूस्टर डोज लगाने के लिए ध्वॉइस पर निर्भर है।

रोको-टोको अभियान जारी रहे

श्री चौहान ने कहा कि फीवर क्लीनिक चालू कराये जायें। अभी 20 जिलों में एक्टिव केस हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठकें जहां नहीं हुई हैं, वहां जल्द कराई जायें। प्रभारी मंत्रियों से जानकारी ली जाए। आमजन को फेस मॉस्क के लिए प्रेरित किया जाए। रोको-टोको अभियान जारी रहे। अनावश्यक भीड़ वाले आयोजनों से बचा जाए। गरीब की रोजी-रोटी चलती रहे, आर्थिक स्थिति प्रभावित न हो। कोविड केयर सेंटर की व्यवस्थाएं अच्छी रहें। ऑक्सीजन, पीएसए प्लांट क्रियाशील रहें, एलएमओ टैंक की व्यवस्था भी देख लें। दवाइयों की एक महीने की व्यवस्था रहे। मुख्यमंत्री इन्पेनल्ड अस्पतालों की अवधि 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई है। विस्तरों की मेपिंग कर लें। प्रायवेट एवं शासकीय अस्पतालों में विस्तरों की व्यवस्था करें। सभी आवश्यक चीजें देखें। कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करनी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूलों में बात करके बच्चों का वैक्सीनेशन करायें। प्रदेश के 48 लाख बच्चों का वैक्सीनेशन का लक्ष्य है। सांसद, विधायकों, जन-प्रतिनिधियों सभी को इस कार्य में जोड़ना है।

आज की सबसे बड़ी प्राथमिकता रोज़गार देना

श्री चौहान ने कहा कि आज की सबसे बड़ी प्राथमिकता रोज़गार देना है। रोज़गार केवल सरकारी नौकरी नहीं है, इसमें स्व-रोज़गार की योजनाएं सम्मिलित हैं। हम लगभग 03 लाख लोगों को हर महीने लाभ देते हैं। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर 12 जनवरी को रोज़गार दिवस का प्रारंभ होगा। इसे ब्लॉक, नगर पंचायत एवं ग्रामों में भी करें। कार्यक्रम से अधिकाधिक लोगों को जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री ने डीएलसीसी की बैठकों की जानकारी लेते हुए कहा कि जिला स्तर के साथ ब्लॉक स्तर पर भी बैठकें हों।

मिशन मोड में बैंकों से ऋण दिलवाने का कार्य हो

मुख्यमंत्री ने कहा कि मिशन मोड में बैंकों से ऋण दिलवाने का कार्य होना चाहिए। स्व-रोज़गार योजनाओं पर फोकस करना है। शत-प्रतिशत लक्ष्य पूरा करना है। युवाओं को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लाभ देने के लिए अच्छे ढंग से प्रचार करें। बिना पूर्व तैयारी के कार्यक्रम नहीं हों। रोज़गार मेलों में अधिकाधिक प्रकरणों में स्व-रोज़गार के लिए ऋण स्वीकृत हो।

स्वस्थ बालक-बालिका स्पर्धा 08 जनवरी से 14 जनवरी के मध्य

श्री चौहान ने कहा कि स्वस्थ बालक-बालिका स्पर्धा 08 से 14 जनवरी के मध्य होगी। जन्म से 06 वर्ष तक के बच्चों का वजन, ऊंचाई, ली जायेगी। विभिन्न माप एजेंसियों द्वारा बच्चों की ऊंचाई एवं वजन लिया जायेगा। अस्वस्थ बच्चों को उपचार के लिए चिन्हित किया जायेगा।

बच्चों को स्वस्थ रखना सर्वसमाज की जिम्मेदारी

मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को इस कार्यक्रम की तैयारी के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। बच्चों की जिंदगी बदलने का है। प्रधानमंत्री जी की सोच बच्चों के प्रति अच्छी है। विभिन्न संस्थाओं एवं जन-प्रतिनिधियों को जोड़ें। बच्चों को स्वस्थ रखना सर्वसमाज की जिम्मेदारी है।

विश्व ब्रेल दिवस – 4 जनवरी

दृष्टिबाधितों के लिए दिव्य नयन की तरह काम करती है ब्रेल लिपि

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देशभर में निःशक्त व्यक्ति (दिव्यांगजन) की संख्या 2.68 करोड़ है। यह देश की कुल जनसंख्या का 2.21 प्रतिशत हिस्सा है। दिव्यांगों की कई श्रेणियां हैं, उन्हीं में से एक है दृष्टिबाधित दिव्यांगजन श्रेणी। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में दृष्टिबाधित लोगों की कुल संख्या 50,33,431 है। इसमें से 26,39,028 पुरुष और 23,94,403 महिला हैं। दृष्टिबाधित व्यक्तियों को गरीबी, अनदेखी और हिंसा के बढ़े स्तरों का अनुभव करने की संभावना ज्यादा होती है। संयुक्त राष्ट्र के विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, दुनियाभर में लगभग 2 अरब 20 करोड़ लोगों को दृष्टि की कमजोरियों और दृष्टिबाधिता की स्थिति के साथ जीना पड़ रहा है। इनमें से लगभग 1 अरब लोगों को दृष्टि की ऐसी कमजोरी अथवा दृष्टिबाधिता है जिसे रोका जा सकता था। संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि नेत्रहीनता से पीड़ित व्यक्तियों को आजीवन असमानता, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार में अवसरों में रुकावट या बाधा का सामना करना पड़ता है।

संयुक्त राष्ट्र ने 2019 में पहली बार मनाया था विश्व ब्रेल दिवस

दृष्टिबाधिता से पीड़ित लोगों के मानवाधिकारों और ब्रेल लिपि के प्रति जागरुकता फैलाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र ने विश्व ब्रेल दिवस की स्थापना की थी। दृष्टिबाधितों और आंशिक रूप कमजोर दृष्टि वाले लोगों के लिए मानवाधिकारों की पूर्ण प्राप्ति में संचार के साधन के रूप में ब्रेल के महत्व के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। नवंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र (यूएन) महासभा ने नेत्रहीनों और मंददृष्टि के शिकार लोगों के मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी, जिसे वर्ष 2022 में चौथी बार मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में पहला आधिकारिक विश्व ब्रेल दिवस वर्ष 2019 में 4 जनवरी को मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा का मानना है कि दृष्टिबाधितों के मूलभूत अधिकारों के प्रसार के लिए ब्रेल लिपि अहम भूमिका निभाने में सक्षम है। ब्रेल लिपि एक ऐसी स्पर्शनीय संचार प्रणाली है, जिसने नेत्रहीनों और दृष्टिबाधिता से पीड़ित लोगों को उनके अधिकारों का लाभ उठाने में मदद की है। ब्रेल लिपि में हर अक्षर, नंबर, संगीत और गणितीय चिन्हों को छह बिन्दुओं के माध्यम से दर्शाया जाता है, जिन्हें कई तरह से क्रमों में संयोजित किया जा सकता है और उनके ऊपर उंगलियां चलाकर पढ़ा जा सकता है। सही मायनों में कहा जाए तो दृष्टिबाधितों के लिए ब्रेल लिपि दिव्य नयन की तरह काम करती है।

दृष्टिहीनता और ब्रेल लिपि

दृष्टिहीनता उस अवस्था को कहा जा सकता है, जहां किसी भी व्यक्ति में दृष्टिगोचरता का पूर्ण अभाव हो या सुधारक लेन्सों के साथ बेहतर आंख में 6/60 या 20/200 स्नेलन से अनधिक दृष्टि की तीक्ष्णता हो या दृष्टि क्षेत्र की सीमा का 20 डिग्री के कोण के कक्षांतरकारी हो या इससे अधिक दृष्टि खराब हो। वहीं कम दृष्टिता वाले व्यक्ति का आशय ऐसे व्यक्ति से है जिसके उपचार या मानक उपवर्धनीय सुधार संशोधन के बावजूद दृष्टि संबंधी कृत्य का ह्रास हो गया हो और जो समुचित सहायक युक्ति से किसी कार्य की योजना या निष्पादन के लिए दृष्टि का उपयोग करता हो या उपयोग करने में संभाव्य रूप से समर्थ हो।

ब्रेल लिपि का नाम 19वीं शताब्दी के फ्रांस के महान आविष्कारक लुई ब्रेल के नाम पर रखा गया है। लुई ब्रेल ने सर्वप्रथम 6 विन्दुओं के उपयोग से 64 अक्षर और चिन्ह वाली लिपि बनायी थी। इस लिपि का प्रयोग कर विराम चिन्ह, गणितीय चिन्ह और संगीत के नोटेशन भी लिखे जा सकते थे। शारीरिक अक्षमता से पीड़ितों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संधि (CPRD) के अंतर्गत ब्रेल लिपि को संचार का माध्यम माना गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कहा गया है कि यह एक ऐसा माध्यम है जो शिक्षा, अभिव्यक्ति और विचारों की आजादी, सूचना पहुंचाने और समावेशन को बढ़ावा देने के

लिए बहुत जरूरी है। विश्व में लगभग चार करोड़ लोग अंधेपन का शिकार हैं, जबकि लगभग 25 करोड़ से अधिक किसी न किसी रूप में दृष्टिबाधिता से पीड़ित हैं। ऐसे लोगों के लिए ब्रेल लिपि एक ऐसा महत्वूर्ण माध्यम है, जिससे नेत्रहीनता और मंददृष्टि के शिकार लोग आम जानकारी को पढ़ और समझ सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से 2019 अक्टूबर में एक नई रिपोर्ट जारी की गई थी, जो नेत्रों से जुड़ी समस्याओं पर पहली रिपोर्ट थी। आधुनिक ब्रेल लिपि में 8 डॉट्स के सेल का प्रयोग किया जाता है, जिससे अधिक से अधिक शब्दों को पढ़ने की सुविधा उपलब्ध हो सके। ब्रेल लिपि में बने डॉट्स की औसतन ऊंचाई 0.02 इंच होती है। आठ डॉट्स वाले ब्रेल लिपि सेल में अब 64 की बजाय 256 अक्षर, संख्या और विराम चिन्हों को पढ़ने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ब्रेल लिपि को स्लेट पर या ब्रेल टाइप राइटर पर भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

लुई ब्रेल ने की थी ब्रेल लिपि की खोज

दुनियाभर में विश्व ब्रेल दिवस चार जनवरी के दिन लुई ब्रेल की याद में मनाया जाता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस से 40 किलोमीटर दूर कुप्रे नामक गांव में 4 जनवरी 1809 को जन्में लुई ब्रेल की मां मोनिक ब्रेल घर का कामकाज संभालती थीं और पिता सायमन ब्रेल घोड़ों की जीन बनाने का एक कारखाना चलाते थे। 3 साल की छोटी उम्र में पिता साइमन रेले के साथ काम करते हुए लुई वहां रखे औजारों से खेल रहे थे इस दौरान लुई की आंख में एक औजार लग गया। इसे मामूली चोट समझकर उनके आंख पर पट्टी बांध दी गई थी और इलाज करवाने में रुचि नहीं दिखाई गई, जिससे घाव गहरा होता गया और उनकी आंखों की रोशनी चली गई। लुई की शिक्षा के प्रति रुचि को देखते हुए 10 वर्ष की उम्र में उनके पिता ने उन्हें पेरिस के रॉयल नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रन में भर्ती करवा दिया। पेरिस के इस इंस्टीट्यूट में 'valenteen hau' द्वारा बनाई गयी लिपि से पढ़ाई होती थी। इस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हुए मात्र 15 वर्ष की उम्र में लुई ब्रेल ने अपनी योग्यता से इतिहास, भूगोल और गणित विषय में महारथ हासिल कर ली। इंस्टीट्यूट में अध्ययन के दौरान ब्रेल लिपि का विचार लुई के दिमाग में फ्रांस की सेना के कैप्टन चार्ल्स बार्बियर से मुलाकात के बाद आया। वे चार्ल्स बार्बियर से मिले और उनसे सोनोग्राफी तथा नाइट राइटिंग तकनीक के बारे में जाना। यह लिपि कागज पर अक्षरों को उभारकर बनायी जाती थी और इसमें 12 बिन्दुओं को 6-6 की दो पंक्तियों में रखा जाता था, पर इसमें विराम चिन्ह, संख्या, गणितीय चिन्ह आदि का आभाव था। इसी तकनीक को आधार बनाकर वर्ष 1821 में उन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया, जिसने नेत्रहीनों की शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी। 12 डॉट्स वाली लिपि की जगह उन्होंने ब्रेल लिपि में 6 डॉट्स का प्रयोग किया, जिससे की यह भाषा नेत्रहीनों के लिए ज्यादा सुगम हो सके। लुई ने न केवल अक्षरों और अंकों को बल्कि सभी चिन्हों को भी लिपि में सहेज कर लोगों के सामने प्रस्तुत किया। 1851 में लुई को टीबी की बीमारी हो गई जिससे उनकी तबियत बिगड़ने लगी और 6 जनवरी 1852 को 43 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया।

दृष्टि बाधित लोगों की सुविधा हेतु 'दिव्य नयन'

सीएसआईआर-केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन (सीएसआईओ), चंडीगढ़ द्वारा दृष्टि बाधित लोगों की सुविधा के लिए व्यक्तिगत पाठन मशीन 'दिव्य नयन' विकसित की गई है, जिसकी मदद से कोई भी प्रकाशित या डिजिटल दस्तावेज को स्पीच आउटपुट के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। यह उपकरण हैंडहेल्ड, स्टैंडअलोन, पोर्टेबल, पूरी तरह से वायरलैस और आईओटी (इंटरनेट ऑफ थिंग्स) सक्षम है। वर्तमान में यह उपकरण हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और पंजाबी में उपलब्ध है। इसे अन्य भारतीय और विदेशी भाषाओं के लिए भी अनुकूल बनाया जा रहा है। इसमें यूएसबी, ब्लूटूथ, वाईफाई, लैन, हेडफोन इत्यादि जैसे इंटरफेस हैं।

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

- लुई ब्रेल के निधन के बाद वर्ष 1868 में रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड यूथ ने इस लिपि को मान्यता दी गई थी।
- भारत में ब्रेल लिपि को साल 1950 के बाद अपनाया गया।
- 1784 में पेरिस में दृष्टिहीनों के लिए दुनिया का पहला रॉयल इंस्टीट्यूशन फॉर ब्लाइंड यूथ खोला गया। इसके बाद इंग्लैण्ड और अमेरिका में दृष्टिहीन विद्यालय खुले, जबकि भारत में पहला दृष्टिहीन विद्यालय 1886 में अमृतसर में खोला गया था।
- देहरादून स्थित केंद्रीय ब्रेल प्रेस न केवल भारत की पहली यूनिट है, बल्कि एशिया में भी सबसे पुरानी और बड़ी ब्रेल प्रेस में शामिल है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण संस्थान के तहत 1952 में की गई थी।
- रांची में देश की पहली ब्रेल स्मार्ट क्लास 2018 में शुरू हुई थी।

- रश्मि रंजन
(लेखिका, समसामयिक मुद्दों पर लेखन करती हैं।)

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिये सामान्य ज्ञान – खेल

1. इनमें से किस भारतीय बल्लेबाज ने अपने वन-डे पदार्पण मैच में शतक बनाया है?
(अ) के.एल. राहुल
(ब) रोहित शर्मा
(स) सुरैश रैना
(द) शिखर धवन

2. वर्ष 2021 में इंडियन वेल्स ओपन में महिला एकल वर्ग में चैम्पियन बनी हैं?
(अ) ऐलेना वैस्नीना
(ब) विक्टोरिया अजारेंका
(स) डारिया कसात्किना
(द) पौला वाडोसा

3. जॉर्ज रसेल किस देश के युवा फॉर्मूला-वन रेसर हैं?
(अ) ब्रिटेन (ब) जर्मनी
(स) नीदरलैंड (द) बुल्गारिया

4. अंजू बॉबी जॉर्ज ने किस वर्ष विश्व एथेलेटिक्स चैम्पियनशिप में पदक जीता था?
(अ) वर्ष 2001
(ब) वर्ष 2003
(स) वर्ष 2005
(द) इनमें से कोई नहीं

5. वर्ष 2021 में वूमेंस पीजीए चैम्पियनशिप किस खिलाड़ी ने जीती है?
(अ) किम सेइ यंग
(ब) ब्रूक्स हेंडरसन
(स) नेली कोर्डा
(द) हन्नाह ग्रीन

6. टोक्यो ओलिंपिक में डेकाथलॉन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले डेमियन वॉर्नर किस देश के खिलाड़ी हैं?
(अ) ऑस्ट्रेलिया (ब) कनाडा
(स) फ्रांस (द) कोलंबिया

7. इनमें से किस खिलाड़ी ने टेनिस में एक वर्ष में चारों ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं?
(अ) रोजर फेडरर
(ब) जॉन मैकएनरो
(स) रॉड लेवर
(द) आंद्रे आगासी

8. आईसीसी क्रिकेट वर्ल्डकप-2015 में किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा रन बनाये थे?
(अ) विराट कोहली
(ब) एरॉन फिंच
(स) हाशिम आमला
(द) मार्टिन गुप्टिल

9. वर्ष 2021 में किस क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीता है?
(अ) लिवरपूल
(ब) मैनचेस्टर सिटी
(स) मैनचेस्टर यूनाइटेड
(द) आर्सेनल

10. वर्ष 2023 में रग्बी वर्ल्डकप किस देश में आयोजित किया जायेगा?
(अ) फ्रांस (ब) जापान
(स) एस्टोनिया (द) फिजी

11. भारतीय फुटबॉल पुरुष फुटबॉल टीम के वर्तमान कोच हैं?
(अ) स्टीफन कॉस्टेंटाइन
(ब) इगोर स्टिमक
(स) गर्ड मूलर
(द) जिरि पेसेक

12. इनमें से किसे वर्ष 2020 में फीफा वूमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवॉर्ड मिला था?
(अ) लूसी ब्रॉन्ज
(ब) मेगन रपिनो
(स) लिक मार्टेंस
(द) वेंडी रेनार्ड

13. भारत ने इनमें से किस देश में अब तक टेस्ट सीरीज नहीं जीती है?
(अ) ऑस्ट्रेलिया (ब) पाकिस्तान
(स) न्यूजीलैंड (द) द. अफ्रीका

14. लिएंडर पेस ने वर्ष 2015 में किस खिलाड़ी के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियन ओपन में मिश्रित खिताब जीता था?
(अ) कारा ब्लैक
(ब) मार्टिना हिंगिस
(स) मार्टिना नवरातिलोवा
(द) मैरी पियर्स

15. हाल ही में फुटबॉल से संन्यास लेने वाले सर्जियो एगुएरो किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं?
(अ) इटली (ब) मैक्सिको
(स) अर्जेंटीना (द) ब्राजील

16. नोवाक जोकोविच ने कितनी बार विम्बलडन एकल खिताब जीता है?
(अ) चार वार (ब) छह बार
(स) आठ वार (द) नौ वार

17. बास्केटबॉल खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी खेलते हैं?
(अ) पांच (ब) छह
(स) सात (द) आठ

18. जॉन इस्नर किस देश के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी हैं?
(अ) कनाडा (ब) सर्विया
(स) क्रोएशिया (द) अमेरिका

19. वर्ष 2000 में किस भारतीय खिलाड़ी ने सिडनी ओलिंपिक में पदक जीता था?
(अ) लिएंडर पेस
(ब) अभिनव बिंद्रा
(स) कर्णम मल्लेश्वरी
(द) अंजू बॉबी जॉर्ज

20. इनमें से किस खिलाड़ी को आईसीसी ने नवम्बर माह के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है?
(अ) स्टुअर्ट ब्रॉड
(ब) डेविड वॉर्नर
(स) टिम साउथी
(द) शाकिब अल हसन

21. इनमें से कौन-सा देश कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेता है?
(अ) ऑस्ट्रेलिया (ब) अमेरिका
(स) चीन (द) रूस

22. वर्ष 2021 में ब्रिटिश ओपन गोल्फ चैम्पियनशिप में विजेता बने थे?
(अ) फ्रांसिस्को मोलिनेरी
(ब) शेन लॉरी
(स) जॉर्डन स्पीथ
(द) कॉलिन मोरिकावा

23. लंबी दूरी के धावक जोशुआ चेपतेगई किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं?
(अ) युगांडा (ब) इथियोपिया
(स) जमैका (द) मोरक्को

24. वर्ष 2004 में किस शहर में ओलिंपिक खेल आयोजित किए गए थे?
(अ) मॉस्को (ब) एथेंस
(स) टोक्यो (द) बार्सिलोना

25. जनवरी 2022 में आईसीसी अंडर-19 वर्ल्डकप किस देश की मेजबानी में खेला जायेगा?
(अ) वेस्टइंडीज
(ब) भारत
(स) बांग्लादेश
(द) संयुक्त अरब अमीरात

उत्तर

1. (अ), 2. (द), 3. (अ), 4. (ब), 5. (स), 6. (ब), 7. (स), 8. (द), 9. (ब), 10. (अ), 11. (ब), 12. (अ), 13. (द), 14. (ब), 15. (स), 16. (ब), 17. (अ), 18. (द), 19. (स), 20. (ब), 21. (अ), 22. (द), 23. (अ), 24. (ब), 25. (अ)।

- पुष्पेंद्र कुमार सविता
(लेखक, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी वाले विषयों पर लेखन करते हैं।)

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिये महत्वपूर्ण प्रश्न

सामान्य अध्ययन

(भारत निर्वाचन आयोग)

(1) निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-
1. भारत का निर्वाचन आयोग पांच सदस्य का निकाय है।
2. निर्वाचन आयोग के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुशील चंद्रा हैं।
उपर्युक्त में से कौन सा-कथन सत्य **नहीं हैं।**
A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. न तो 1 और 2 ।

उत्तर- विकल्प B सही है।
व्याख्या :-
- कथन एक गलत है, क्योंकि भारत का निर्वाचन आयोग 3 सदस्यों का निकाय है (1 अक्टूबर, 1993 से)
- कथन दो सही है, क्योंकि वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुशील चंद्रा (23वें) हैं, जिन्होंने 13 अप्रैल, 2021 को पदभार ग्रहण किया था।

(2) संविधान में संसद के निर्वाचन के संबंध में कानून बनाने की शक्ति का प्रावधान है:-
A. अनुच्छेद 325
B. अनुच्छेद 326
C. अनुच्छेद 327
D. अनुच्छेद 328

उत्तर- विकल्प C सही है।
व्याख्या :-
- अनुच्छेद 325 में निर्वाचक नामावली तैयार करने में धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव ना करने का प्रावधान है।
- अनुच्छेद 326 में व्यस्क मताधिकार का प्रावधान है।
- अनुच्छेद 327 में संसद के निर्वाचन के संबंध में कानून बनाने की शक्ति का प्रावधान है।
- अनुच्छेद 328 में राज्य विधानमंडल की निर्वाचन के संबंध में कानून बनाने की शक्ति का प्रावधान है।

अतः विकल्प C सही है।

(3) मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य आयुक्तों की सेवा शर्तें और उन्हें हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान है:-
A. अनुच्छेद 324 (2)
B. अनुच्छेद 324 (3)
C. अनुच्छेद 324 (4)
D. अनुच्छेद 324 (5)

उत्तर - विकल्प D सही है।
व्याख्या :-
- अनुच्छेद 324 (2) में निर्वाचन आयोग की संरचना का प्रावधान है।
- अनुच्छेद 324 (3) में मुख्य निर्वाचन आयुक्त आयोग का अध्यक्ष होगा।
- अनुच्छेद 324 (4) में राष्ट्रपति के द्वारा प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति हेतु प्रावधान।
- अनुच्छेद 324 (5) में मुख्य निर्वाचन आयुक्त व आयुक्त की सेवा शर्तें, त्यागपत्र व हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान।

1. सेवा शर्तें व पदावधि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित
2. मुख्य निर्वाचन आयुक्त हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है।

(राज्य निर्वाचन आयोग)

(4) राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :-
1. यह बहु सदस्यीय निकाय है।
2. संविधान में इसका उल्लेख अनुच्छेद 243 (K) में किया गया है।
उपरोक्त में से कौन-सा कथन सत्य है?
A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. न तो 1 और न ही 2।

उत्तर- विकल्प B सही है।
व्याख्या :-
- कथन 1 गलत है, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्य निकाय है।
- कथन 2 सही है, क्योंकि संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा अनुच्छेद 243 (k) में स्पष्ट उल्लेख है।

(5) मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं?
A. श्री हर्ष चौहान
B. श्री अमिताभ कांत
C. श्री वसंत प्रताप सिंह
D. श्री दुर्ग विजय सिंह

उत्तर- विकल्प C सही है।
व्याख्या- मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष श्री वसंत प्रताप सिंह हैं, जिन्होंने 1 जनवरी, 2019 को पदभार ग्रहण किया था।

(6) मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई?
A. 1 नवंबर, 1994
B. 1 फरवरी, 1994
C. 13 सितंवर, 1995
D. 1 जनवरी, 1994

उत्तर- विकल्प B सही है।
व्याख्या- 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 1 फरवरी, 1994 द्वारा राज्य निर्वाचन अयोग का गठन किया गया।

(7) मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए :-
1. श्री दुर्ग विजय सिंह
2. श्री गोपाल शरण शुक्ला
3. श्री आदित्य विजय सिंह
4. श्री प्रकाश चंद्र
उपरोक्त में से आयोग का अध्यक्ष **नहीं** रहे हैं।
A. 1 और 2
B. 2 और 3
C. 3 और 4
D. 1 और 4

उत्तर- विकल्प D सही है।
व्याख्या- आयोग के अध्यक्ष (श्री गोपाल शरण शुक्ला और श्री आदित्य विजय सिंह) रहे हैं, जबकि श्री दुर्ग विजय सिंह और प्रकाश चंद्र (प्रथम सचिव) मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग के सचिव रहे हैं।

(संघ लोक सेवा आयोग)

(8) संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :-
1. संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है।
2. संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाए जाने संबंधी मामलों की जांच उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाती है।
उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य हैं?
A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. न तो 1 और न ही 2 ।

उत्तर- विकल्प C सही है।
व्याख्या:-
- अनुच्छेद 323 (1) के तहत संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है।
- अनुच्छेद 317(1) के तहत आयुक्त अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान है, जिसके तहत उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद ही साबित कदाचार की आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है।

अतः कथन 1 और कथन 2 सही हैं।

(9) निम्नलिखित में से संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं?
A. श्री H.K. कृपलानी
B. श्री R.N. बनर्जी
C. श्री N. गोविंदराजन
D. श्री D.V. रेगे

उत्तर- विकल्प D सही है।
व्याख्या :-
- श्री डी.वी. रेगे मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं अतः विकल्प D सही होगा।

(10) संविधान में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान है?
A. अनुच्छेद 312
B. अनुच्छेद 315
C. अनुच्छेद 316
D. अनुच्छेद 318

उत्तर- विकल्प B सही है।
व्याख्या- संविधान के अनुच्छेद 315 में संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग, और राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना का स्पष्ट उल्लेख है।

(मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग)

(11) संविधान में राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है?
A. अनुच्छेद 316
B. अनुच्छेद 317
C. अनुच्छेद 318
D. अनुच्छेद 320

उत्तर- विकल्प D सही है।
व्याख्या :-
- अनुच्छेद 316 में सदस्यों की नियुक्ति तथा कार्यकाल का प्रावधान है।
- अनुच्छेद 317 में आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी एवं निलंबन का प्रावधान है।
- अनुच्छेद 318 में आयोग के सदस्यों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तों के नियम बनाने की शक्ति का प्रावधान है।
- अनुच्छेद 320 में आयोग के कार्यों का उल्लेख किया गया है। अतः विकल्प D सही है।

(12) मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-
1. आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।
2. आयोग के अध्यक्ष पद अवधि 6 वर्ष/65 वर्ष (जो भी पहले हो) होती है।
3. आयोग के वर्तमान अध्यक्ष श्री राजेश लाल मेहरा हैं।
उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य हैं?
A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3
D. 1, 2 और 3।

उत्तर- विकल्प C सही है।
व्याख्या :-
- कथन 1 सही है, क्योंकि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है।
- कथन 2 गलत है, क्योंकि आयोग के अध्यक्ष की पद अवधि 6 वर्ष या 62 वर्ष (जो भी पहले हो) होती है। अनुच्छेद 316 (2)
- कथन 3 सही है, क्योंकि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष श्री राजेश लाल मेहरा हैं।

अतः कथन 1 और 3 सही है।

(13) निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए;
1. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग बहुसदस्यीय (1+4) निकाय है।
2. आयोग के सदस्यों की संख्या का संविधान में स्पष्ट उल्लेख है।
उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य **नहीं** है?
A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. न तो 1 और न ही 2।

उत्तर- विकल्प B
व्याख्या :-
- कथन 2 सत्य **नहीं** है, क्योंकि आयोग के सदस्यों की संख्या का संविधान में उल्लेख नहीं है, बल्कि यह राज्यपाल द्वारा निर्धारित होती है।

(नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक)

(14) संविधान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियों का प्रावधान किया गया है?
A. अनुच्छेद 148
B. अनुच्छेद 149
C. अनुच्छेद 150
D. अनुच्छेद 151

उत्तर- विकल्प B सही है।
व्याख्या:-भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान किया गया है।
- अनुच्छेद 148 में नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों का उल्लेख है।
- अनुच्छेद 149 में कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख है।
- अनुच्छेद 150 में संघ और राज्यों को खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सलाह पर) प्रावधान है।
- अनुच्छेद 151 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का प्रावधान है।

अतः विकल्प B सही होगा।

(15) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :-
1. यह लोक वित्त का संरक्षक व लेखा विभाग का मुखिया होता है।
2. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत कार्य करता है।
3. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पद मुक्ति की रीति से हटाया जाता है।
उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य हैं?
A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3
D. 1, 2 और 3।

उत्तर- विकल्प C सही है।
व्याख्या :-
- कथन 2 सत्य नहीं है, क्योंकि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अनुच्छेद 148 (1) राष्ट्रपति द्वारा की जाती है जिसका स्पष्ट प्रावधान किया गया है। यह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत कार्य नहीं करता।

(16) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है?
A. 5 वर्ष या 65 वर्ष
B. 6 वर्ष या 62 वर्ष
C. 5 वर्ष या 62 वर्ष
D. 6 वर्ष या 65 वर्ष

उत्तर- विकल्प D सही है।
व्याख्या:-नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 के अनुसार कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष (जो भी पहले हो) उल्लेखित है।

(17) निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य नहीं है?
A. भारत में राज्यों की संख्या निधि आकस्मिक निधि और सार्वजनिक खातों का परीक्षण।
B. सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थानों का परीक्षण करना।
C. रक्षा संबंधी लेखाओं का संकलन करना
D. राज्यपाल द्वारा अनुशंसित किए गए विषयों पर लेखा परीक्षण करना।

उत्तर- विकल्प C सही है।
व्याख्या:- रक्षा संबंधी लेखों का संकलन करना नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य नहीं है।

(नीति आयोग)

(18 नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन हैं?
A. श्री राजीव कुमार
B. श्री अरविंद सुब्रमण्यम
C. श्री अमिताभ कांत
D. श्री गिरीश चंद्र

उत्तर- विकल्प C सही है।
व्याख्या:- श्री अमिताभ कांत वर्तमान में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (नीति आयोग) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) हैं। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) (केरल संवर्ग: 1980 बैच) के सदस्य हैं।

(19) नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?
1. नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार हैं।
2. पूर्णकालिक सदस्य राज्य मंत्री के पद के समकक्ष होते हैं।
3. नीति आयोग के सीईओ की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

कूट:-
A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3
D. 1, 2 और 3 ।

उत्तर- विकल्प C सही है।
व्याख्या:-
- नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया थे अतः कथन 1 गलत है।
- 4 पूर्णकालिक सदस्य जो राज्य मंत्री के पद के समकक्ष होते हैं कथन 2 सत्य है।
- नीति आयोग के सीईओ की नियुक्ति एक निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है अतः कथन 3 गलत है।

(20) निम्नलिखित में से नीति आयोग का उद्देश्य नहीं है?
A. सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना।
B. समाज के पिछड़े वंचित वर्गों का विकास।
C. योजनाओं को अंतिम रूप प्रदान करना।
D. ज्ञान व नवाचार को बढ़ावा।

उत्तर- विकल्प C सही है।
व्याख्या:-
- योजनाओं को अंतिम रूप राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है अतः विकल्प C सही है।

(मानवाधिकार आयोग)

(21) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
A. न्यायमूर्ति वेंकटचलैया
B. न्यायमूर्ति फातिमा बीवी
C. न्यायमूर्ति एस.एस. कांग
D. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर- विकल्प D सही है।
व्याख्या :- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे।

(22) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन का उल्लेख किस धारा में किया गया है?
A. अध्याय 2, धारा 3
B. अध्याय 2, धारा 4
C. अध्याय 3, धारा 3
D. अध्याय 3, धारा 3

उत्तर- विकल्प A सही है।
व्याख्या:-
- मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अध्याय 2 धारा 3 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के गठन का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। अतः विकल्प A सही होगा।

- श्री वसंत (के. एल.) जाटव
(लेखक, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी विषयों पर लिखते हैं)

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये

सामान्य गणित

(1) x का मान ज्ञात कीजिए यदि वह **5, 12, 29 और 57** में जोड़े जाने पर यह संख्याएं अनुपात में हों?
(a) 2 (b) 3
(c) 6 (d) 9

उत्तर - (b) 3

व्याख्या - प्रत्येक संख्या में x जोड़ने पर

$$\frac{5+x}{12+x}=\frac{29+x}{57+x}$$

$(5+x)(57+x)=(29+x)(12+x)$
$285+62x+x^2=348+41x+x^2$
$62x-41x=348-285$
$21x=63$
$x=3$

(2) एक व्यक्ति ने **4** साल के लिए **500** रुपए साधारण ब्याज पर निवेश किए एवं **1** साल के लिए **600** रुपए चक्रवृद्धि ब्याज पर, समान ब्याज दर पर निवेश किए। कुल मिलाकर उसे **130** रुपए ब्याज के रूप में मिले। सालाना ब्याज की दर क्या थी?
(a) 3% (b) 2%
(c) 5% (d) 4%

उत्तर - (c) 5%

व्याख्या - ब्याज की दर को r% मान लेते हैं
500 रुपए पर 4 साल के लिए साधारण ब्याज =

$$=\frac{500\times r\times 4}{100}=20r$$

600 रुपए पर 1 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज =

$$=600\left(1+\frac{r}{100}\right)-600=6r$$

कुल प्राप्त ब्याज = 130 रुपए
$26r=130$
$r=5\%$

(3) यदि **A:B = 1 : 2, B:C = 6 : 7, C:D = 5 : 6**, तथा **D:E = 2 : 3**, तो **A:B:C:D:E ?**
(a) 15:30:35:42:63
(b) 16:35:45:60:62
(c) 17:36:42:60:65
(d) 15:30:35:42:64

उत्तर - (a) 15:30:35:42:63

व्याख्या -
B:C = 6:7...(i)
C:D = 5:6.....(ii)
C के मान दोनों स्थानों पर बराबर करने के लिए समीकरण (i) x 5 और समीकरण (ii) x 7
B:C = 30:35
C:D = 35:42
तब B और D के मान बचे अनुपातों में बराबर करने पर नये अनुपात
A:B = 15:30
D:E = 42:63
A:B:C:D:E = 15:30:35:42:63

(4) एक मिश्र धातु में तांबे और चांदी का अनुपात **5:3** है इस मिश्र धातु का **20** किलो लिया जाता है लोहे की कुछ मात्रा उसमें मिश्रित की जाती है ताकि मिश्र धातु में लोहे और चांदी का अनुपात **4:3** हो जाता है अब मिश्र धातु का कुल वजन कितना है?
(a) 25 किलो (b) 36 किलो
(c) 30 किलो (d) 24 किलो

उत्तर - (c) 30 किलो

व्याख्या - एक मिश्र धातु में तांबे और चांदी का अनुपात 5:3 है।
20 किलो मिश्र धातु में रजत की

$$\text{मात्रा}=\frac{3}{8}\times 20=7.5 \text{ किलो}$$

लोहे की कुछ मात्रा उसमें मिश्रित की जाती है ताकि मिश्र धातु में लोहे और चांदी का अनुपात 4:3 हो जाता है।
मिश्रित किए गए लोहे की मात्रा

$$=\frac{4}{3}\times \text{ चांदी की मात्रा}$$

$$=\frac{4}{3}\times 7.5=10 \text{ किलो}$$

मिश्र धातु का कुल वजन = 20 किलो + 10 किलो = 30 किलो

(5) यदि x, y, z धनात्मक पूर्णांक है, इस प्रकार **$x:y = 1:2$** और **$y:z = 3:5$** है तो निम्न में से कौन सा विकल्प संभवतः **$5x - 3y + z$** के मान से विभाज्य होगा?
(a) 200 (b) 180
(c) 196 (d) 190

उत्तर - (c) 196

व्याख्या - $x : y = 1 : 2$ .....(i)
$y : z = 3 : 5$ ....(ii)
(i) x 3 और (ii) x 2 करने पर
$x : y : z = 3 : 6 : 10$
अब $\Rightarrow 5x - 3y + z$
$\Rightarrow 5x3 - 3x6 + 10$
$\Rightarrow 15 - 18 + 10 = 7$
7 से भाज्य संख्या 196 है।

(6) **8000** रु. की धनराशि पर **10%** प्रतिवर्ष की वार्षिक ब्याज दर से **1.5** वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है?
(a) रु. 1282 (b) रु. 1281
(c) रु. 1262 (d) रु. 1261

उत्तर - (d) रु. 1261

व्याख्या -

$$A=P\left(1+\frac{R}{100}\right)^t=8000\left(1+\frac{5}{100}\right)^3$$

$$=8000\times\left(\frac{21}{20}\right)^3=9261$$

C.I. = A - P = 9261 - 8000 = 1261 रु.

(7) **A** और **B** की आमदनी का अनुपात **3:2** है और उनके व्यय का अनुपात **4:3** है और उनके द्वारा बचत क्रमशः रु. **2,000** और रु. **1000** की होती है **A** और **B** की क्रमशः आमदनी का पता लगाए?
(a) रु. 3000, रु. 4000
(b) रु. 4000, रु. 6000
(c) रु. 5000, रु. 6000
(d) रु. 6000, रु. 4000

उत्तर - (d) रु. 6000, रु. 4000

व्याख्या - A और B की आमदनी को क्रमशः 3a और 2a मानते हैं।
A और B के खर्चे को क्रमशः 4b और 3b मानते हैं।
दिया है -
3a - 4b = 2000... (i) x 2
2a - 3b = 1000... (ii) x 3
तब
6a - 8b = 4000... (iii)
6a - 9b = 3000... (iv)
समीकरण (iii) और समीकरण (iv) हल करने पर
b = 1000 और a = 2000
A की आमदनी = 3x2000 = 6000
B की आमदनी = 2x2000 = 4000

(8) यदि **5A = 12B = 13 C** हैं, **A:B:C** ज्ञात कीजिये?
(a) 60:65:156
(b) 13:12:5
(c) 156:65:60
(d) 65:60:156

उत्तर - (c) 156:65:60

व्याख्या - $5A = 12B = 13C = K$

$$A=\frac{K}{5}$$

$$B=\frac{K}{12}$$

$$C=\frac{K}{13}$$

$$A:B:C=\frac{K}{5}:\frac{K}{12}:\frac{K}{13}$$

$$=\frac{1}{5}:\frac{1}{12}:\frac{1}{13}$$

प्रत्येक पद को 13x12x5 = 780 से गुणा करने पर

$$A:B:C=\frac{780}{5}:\frac{780}{12}:\frac{780}{13}$$

$$=156:65:60$$

(9) x का मूल्य क्या होगा अगर वह **5, 8** और **25** के चतुर्थानुपाती का **4** प्रतिशत है?
(a) 1.2 (b) 0.92
(c) 1.4 (d) 1.6

उत्तर - (d) 1.6

व्याख्या -

$$\frac{5}{8}=\frac{25}{a}$$

$$a=\frac{8\times 25}{5}$$

$a=40$

$$x=\frac{4}{100}\times 40=\frac{160}{100}=1.6$$

(10) एक धनराशि को **A, B, C** और **D** के बीच **6:8:3:3** के अनुपात में विभाजित किया जाना है यदि **A** को **C** से **1500** रुपए अधिक मिलते हैं तो **A** और **B** के हिस्से के बीच का अन्तर ज्ञात करें?
(a) 1120 (b) 1000
(c) 920 (d) 970

उत्तर - (b) 1000

व्याख्या - माना कि धनराशि $6x$, $8x$, $3x$ और $4x$ हैं।
A को C से 1500 रुपए अधिक मिलते हैं।
$6x - 3x = 1500$
$3x = 1500$
$x = 500$
जब,
A और B के हिस्से के बीच अंतर
$= 8x - 6x = 2x = 2x500 = 1000$

(11) तरुण ने **3** वर्षों के लिए एक बैंक में **10000** रुपए निवेश किये जो **20%** वार्षिक साधारण ब्याज की दर प्रदान करता है। प्राप्त ब्याज का निवेश **10%** वार्षिक ब्याज की दर पर **2** वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर किया गया। तो प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए?
(a) 1200 रुपए
(b) 1260 रुपए
(c) 1220 रुपए
(d) 1250 रुपए

उत्तर - (b) 1260 रुपए

व्याख्या -

$$\text{साधारण ब्याज}=\frac{\text{मूलधन x दर x समय}}{100}$$

$$=\frac{10000\times 20\times 3}{100}=6000 \text{ रु.}$$

तब

$$\text{चक्रवृद्धि ब्याज}=P\left[\left(1+\frac{r}{100}\right)^n-1\right]$$

$$=6000\left[\left(1+\frac{10}{100}\right)^2-1\right]$$

$= 7260 - 6000 = 1260$ रुपए

(12) **53** रुपयों को **A, B, C** में इस प्रकार बांटा गया कि **A** को **B** से **7** रुपये ज्यादा मिले और **B** को **C** से **8** रुपये ज्यादा मिले। उनके भागों का अनुपात क्या है?
(a) 9:7:3
(b) 25:18:10
(c) 5:1:3
(d) 30:13:16

उत्तर - (b) 25:18:10

व्याख्या - माना कि A का भाग a है, B का भाग b है और C का भाग c है।
$a = b+7$
$b = c+8$
$c = b-8$
और $a+b+c = 53$
$b+7+b+b-8 = 53$
$3b = 54$
$b = 18$
$a = 25$
और $c=10$
अनुपात 25:18:10

(13) किसी शहर में जनसंख्या के **60%** पुरुष हैं यदि शहर की कुल जनसंख्या **76000** है तो शहर में महिलाओं की जनसंख्या ज्ञात कीजिए?
(a) 30600 (b) 30200
(c) 30400 (d) 30500

उत्तर - (c) 30400

व्याख्या - यदि शहर में 60% पुरुष हैं। तो 40% महिलाएं होगी तब

$$\text{कुल महिलाएं}=76000\times\frac{40}{100}=30,400$$

(14) यदि एक संख्या के **56%** का मान **112** के बराबर है तो उस संख्या के **40%** का मान ज्ञात कीजिये?
(a) 50 (b) 80
(c) 90 (d) 60

उत्तर - (b) 80

व्याख्या - माना संख्या x है।

$$\frac{56}{100}\times x=112$$

$x = 200$
अब संख्या का 40%

$$=\frac{40}{100}\times 200=80$$

(15) **A, B** से **10%** कम है और **B, C** से **15%** अधिक है, **A, C** से कितना **%** अधिक या कम है?
(a) 5.5% (b) 3.5%
(c) 5% (d) 4.5%

उत्तर - (b) 3.5%

व्याख्या - दिया है।

$$\frac{A}{B}=\frac{90}{100}=\frac{9}{10}$$

$$\frac{B}{C}=\frac{115}{100}=\frac{23}{20}$$

A:B:C = 207:230:200
A - C = 207-200 = 7
C के संबंध में A और C के बीच

$$\%\text{ अंतर}=\frac{7}{200}\times 100=3.5\%$$

(16) परीक्षा पास करने के लिए करण को **35%** की आवश्यकता है। यदि वह **105** अंक प्राप्त करता है और **35** अंकों से फेल हो जाता है। तो वह अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता था?
(a) 200 (b) 100
(c) 400 (d) 300

उत्तर - (c) 400

व्याख्या - पास होने के लिए न्यूनतम
प्रतिशत = 35%
प्राप्तांक = 105
x का 35% = 105 + 35

$$\frac{35x}{100}=140$$

$$x=\frac{140\times 100}{35}$$

$x = 400$

(17) यदि प्रतिवर्ष **5%** पर **2** साल के लिए **CI** और **SI** के बीच का अंतर **25** के बराबर है। धन का योग क्या है? **(CI = चक्रवृद्धि ब्याज, SI = साधारण ब्याज)**
(a) रु. 25000
(b) रु. 10000
(c) रु. 12000
(d) रु. 20000

उत्तर - (b) रु. 10000

व्याख्या - दर = 5%
समय = 2 वर्ष
CI - SI = 25

$$\left[P\left(1+\frac{r}{100}\right)^n-p\right]-\left(\frac{p\times r\times n}{100}\right)=25$$

$$\left[P\left(1+\frac{5}{100}\right)^2-p\right]-\left(\frac{p\times 5\times 2}{100}\right)=25$$

$$P\left[\left(1+\frac{1}{20}\right)^2-1-\frac{1}{10}\right]=25$$

$$P\left[\left(\frac{21}{20}\right)^2-1-\frac{1}{10}\right]=25$$

$$P\left[\frac{441}{400}-1-\frac{1}{10}\right]=25$$

$$P\left[\frac{41}{400}-\frac{1}{10}\right]=25$$

$$\frac{P}{10}\left[\frac{41-40}{40}\right]=25$$

$$\frac{P}{10}\times\frac{1}{40}=25$$

$P = 25x40x10$
$P = 10000$ रु.

(18) **A** की मासिक आय **20000** रुपये से **24000** रुपये तक बढ़ा दी जाती है, जबकि **B** की मासिक आय **18000** रुपये से **24000** तक बढ़ा दी जाती है **A** की आय में वृद्धि **%, B** की आय में वृद्धि **%** का कितना प्रतिशत है?
(a) 54% (b) 60%
(c) 66.5% (d) 106.5%

उत्तर - (b) 60%

व्याख्या - A की आय में वृद्धि प्रतिशत

$$=\left(\frac{24000-20000}{20000}\right)\times 100=20\%$$

B की आय में वृद्धि प्रतिशत

$$=\left(\frac{24000-18000}{18000}\right)\times 100=33.3\%$$

आवश्यक प्रतिशत $=\frac{20\times 100}{33.3}=60\%$

(19) चीनी के दामों में **25%** कि गिरावट हो जाती है। अब उतने रुपये में कितनी चीनी खरीदी जा सकती है जितने पहले **40kg** चीनी खरीदने के लिए पर्याप्त थे?
(a) 35.3 kg (b) 5.33 kg
(c) 53.33 kg (d) 533.3 kg

उत्तर - (c) 53.33 kg

व्याख्या - माना, पहले 1 kg चीनी का दाम x रुपये था
इसलिए, 40 kg का $40x$

$$\text{चीनी का नया भाव}=\frac{75x}{100}\text{ रुपये}$$

प्रति किलो
इसीलिए $40x$ रुपये में चीनी की

$$\text{नयी कुल मात्रा}=\frac{\frac{40x}{3x}}{4}=53.3\text{kg}$$

(20) **21** अवलोकन का माध्य (सभी अलग-अलग) **40** हैं। यदि माध्यिका से बड़ा प्रत्येक अवलोकन **21** से बढ़ा दिया गया तो अवलोकन का माध्य क्या होगा?
(a) 30 (b) 50
(c) 50.5 (d) 45

उत्तर - (b) 50

व्याख्या - कुल अवलोकन = 21
माध्य = 40
∴ अवलोकनों का योगफल = 21 x 40 = 840
21 अवलोकनों की माध्यिका

$$\frac{(21+1)}{2}=\text{ 11वां अवलोकन}$$

∴ माध्यिका से बड़े अवलोकन = 21 - 11 = 10
∴ योग में वृद्धि = 10 x 21 = 210
∴ अवलोकनों का नया योग = 840 + 210 = 1050
अवलोकनों का नया माध्य

$$=\frac{1050}{21}=50$$

- साहिल शर्मा
(लेखक, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी विषयों पर लेखन करते हैं।)

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये महत्वपूर्ण प्रश्न

सामान्य ज्ञान

1. **निम्न में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन-सा है?**
(अ) यूरोप
(ब) ऑस्ट्रेलिया
(स) दक्षिण अमेरिका
(द) एशिया

2. **एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां है?**
(अ) टोक्यो
(ब) बैंकॉक
(स) मनीला
(द) नई दिल्ली

3. **2020 के ओलिंपिक किस देश में हुए?**
(अ) भारत
(ब) जापान
(स) अमेरिका
(द) तुर्की

4. **राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार घोषित किया जा सकता है?**
(अ) अनुच्छेद 356
(ब) अनुच्छेद 256
(स) अनुच्छेद 253
(द) अनुच्छेद 372

5. **महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे?**
(अ) 1921
(ब) 1922
(स) 1923
(द) 1924

6. **ए नेशन इज मेकिंग के लेखक कौन थे?**
(अ) सुरेन्द्रनाथ बनर्जी
(ब) बाल गंगाधर तिलक
(स) महात्मा गांधी
(द) ज्योतिबा फुले

7. **असहयोग आंदोलन कब प्रारम्भ हुआ था?**
(अ) 1919
(ब) 1920
(स) 1922
(द) 1924

8. **सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन किस स्रोत से होता है?**
(अ) जल विद्युत
(ब) ताप विद्युत
(स) सौर ऊर्जा
(द) इनमें से कोई नहीं

9. **मृत्युदण्ड को क्षमा करने का अधिकार किसके पास है?**
(अ) प्रधानमंत्री
(ब) राष्ट्रपति
(स) मुख्य न्यायाधीश
(द) उपरोक्त में से कोई नहीं

10. **विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन-सा है?**
(अ) एशिया
(ब) अफ्रीका
(स) ऑस्ट्रेलिया
(द) अमेरिका

11. **भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वनक्षेत्र है?**
(अ) मध्यप्रदेश
(ब) हरियाणा
(स) उत्तराखंड
(द) गुजरात

12. **हॉर्न बिल उत्सव प्रतिवर्ष किस राज्य में मनाया जाता है?**
(अ) अरुणाचल प्रदेश
(ब) तमिलनाडु
(स) नागालैंड
(द) त्रिपुरा

13. **भारतीय पुर्नजागरण के जनक कौन हैं?**
(अ) राजाराम मोहन राय
(ब) महात्मा गांधी
(स) बालगंगाधर तिलक
(द) ज्योतिबा फुले

14. **गेहूं उत्पादन होता है।**
(अ) पंजाब में
(ब) हरियाणा में
(स) उत्तरप्रदेश में
(द) इन सभी में

15. **विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है?**
(अ) भारत
(ब) ब्राजील
(स) दक्षिण अफ्रीका
(द) सूडान

16. **जनहित याचिका दाखिल करने के लिये, सर्वोच्च न्यायालय किस अधिकारिता का प्रयोग करता है?**
(अ) रिट अधिकारिता
(ब) अपीलीय अधिकारिता
(स) आरम्भिक अधिकारिता
(द) उपरोक्त में से कोई नहीं

17. **इंक्लूसिव वेल्थ रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है?**
(अ) विश्व बैंक
(ब) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम
(स) विश्व आर्थिक मंच
(द) भारतीय रिज़र्व बैंक

18. **मानसर झील किस राज्य में है?**
(अ) उत्तराखंड
(ब) जम्मू एवं कश्मीर
(स) उत्तरप्रदेश
(द) महाराष्ट्र

19. **नासा का 'सोनिफिकेसन' प्रोजेक्ट किससे संबंधित है?**
(अ) खगोलीय डेटा से फिल्म निर्माण
(ब) खगोलीय चित्रों को संगीत में बदलने
(स) खगोलीय मानचित्रण से
(द) उपरोक्त सभी से

20. **'ब्रूट फोर्स एक्विजिशन' शब्द किससे संबंधित है?**
(अ) मोबाइल डिवाइस फोरेंसिक
(ब) मोबाइल डाटा एन्क्रिप्शन
(स) उपरोक्त दोनों
(द) उपरोक्त में से कोई नहीं

21. **भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट का नाम है?**
(अ) रत्न
(ब) मिथानी
(स) भाभा
(द) ब्रम्हा

22. **विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय स्थित है?**
(अ) जिनेवा
(ब) न्यूयॉर्क
(स) वाशिंगटन
(द) लंदन

23. **बायोमैट्रिक नाविक पहचान दस्तावेज जारी करने वाला भारत विश्व का कौन-सा देश है?**
(अ) प्रथम
(ब) द्वितीय
(स) नौवां
(द) ग्यारहवां

24. **मोमेंटम फॉर चेंज किसकी पहल है?**
(अ) विश्व बैंक
(ब) संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन
(स) संयुक्त राष्ट्र
(द) यूनिसेफ

25. **न्यू अरेंजमेंट टू बोरो किससे संबंधित शब्द है?**
(अ) विश्व बैंक
(ब) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
(स) यूनिसेफ
(द) एशियाई विकास बैंक

26. **वर्तमान में शंघाई सहयोग संगठन के कितने सदस्य हैं?**
(अ) 5
(ब) 6
(स) 7
(द) 8

27. **सर्वाइवल इंटरनेशनल किससे संबंधित मानवाधिकार संगठन है?**
(अ) आदिवासी
(ब) कुष्ठ रोगी
(स) बेसहारा
(द) वृद्ध

28. **थारु जनजाति कहां निवास करती है?**
(अ) तराई निम्न भूमि
(ब) पश्चिमी घाट
(स) पूर्वोत्तर भारत
(द) बस्तर क्षेत्र

29. **ग्लोबल बायोडायवर्सिटी आउटलुक कौन प्रकाशित करता है?**
(अ) संयुक्त राष्ट्र जैविक विविधता सम्मेलन
(ब) विश्व आर्थिक मंच
(स) वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर
(द) उपरोक्त में से कोई नहीं

30. **पूर्वोत्तर भारत के किन राज्य/राज्यों में टाइगर रिज़र्व है?**
(अ) असम
(ब) अरुणाचल प्रदेश
(स) मिजोरम
(द) उपरोक्त सभी

31. **उत्सर्जन गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई थी?**
(अ) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम
(ब) विश्व आर्थिक मंच
(स) वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर
(द) उपरोक्त में से कोई नहीं

32. **'जीरो मास वाटर' संबंधित है?**
(अ) मानव अपशिष्ट को जल और अन्य उप उत्पादों में परिवर्तन से
(ब) वातावरण से पीने योग्य जल का निर्माण
(स) जीने के लिये वर्षा जल को शुद्ध करना
(द) उपरोक्त सभी

33. **फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसेलिटी और फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम किसकी पहल है?**
(अ) विश्व बैंक
(ब) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण
(स) भारत सरकार
(द) खाद्य एवं कृषि संगठन

34. **'निक्षय पोषण योजना' किससे संबंधित है?**
(अ) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण
(ब) राष्ट्रीय टी.बी. उन्मूलन कार्यक्रम
(स) राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम
(द) उपरोक्त में से कोई नहीं

35. **अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय स्थायी स्टेशन है?**
(अ) मैत्री
(ब) भारती
(स) हिमाद्री
(द) अ एवं ब दोनों

36. **क्वांटम कम्प्यूटर सूचना संग्रहित करता है?**
(अ) हेक्साडेसिमल सिस्टम में
(ब) क्यूबिट्स में
(स) बाइनरी डिजिट में
(द) उपरोक्त में से कोई नहीं

37. **अलवणीकरण की तकनीकी का सबसे पहले किस राज्य में उपयोग किया गया?**
(अ) तमिलनाडु
(ब) महाराष्ट्र
(स) गुजरात
(द) आंध्रप्रदेश

38. **प्रत्युष और मिहिर क्या है?**
(अ) फ्यूल सेल
(ब) उच्च प्रदर्शन कम्प्युटिंग सिस्टम
(स) कम्प्यूटर
(द) सरफेस टू एयर मिसाइल

39. **आसियान प्लस थ्री में कौन-से देश सम्मिलित नहीं है?**
(अ) भारत
(ब) जापान
(स) चीन
(द) दक्षिण कोरिया

40. **लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन (Leadit) किसके द्वारा लॉन्च किया गया है?**
(अ) विश्व बैंक
(ब) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
(स) वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम
(द) उपरोक्त में से कोई नहीं

41. **परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन कहां पर स्थित है?**
(अ) हेग
(ब) न्यूयॉर्क
(स) लंदन
(द) शंघाई

42. **पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन किससे संबंधित है?**
(अ) ब्रिटिश कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन
(ब) वन उपज आंदोलन
(स) धार्मिक सुधार आंदोलन
(द) उपरोक्त में से कोई नहीं

43. **'रोशनी' अधिनियम किस राज्य से संबंधित है?**
(अ) दिल्ली
(ब) जम्मू एवं कश्मीर
(स) पंजाब
(द) हरियाणा

44. **शूलपनेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है?**
(अ) मध्यप्रदेश
(ब) गुजरात
(स) तमिलनाडु
(द) कर्नाटक

45. **मृतसागर (Dead sea) किन देशों के मध्य स्थित है?**
(अ) इजराइल और जॉर्डन
(ब) इजराइल और सीरिया
(स) जॉर्डन और लेबनान
(द) सीरिया और लेबनान

46. **निम्न में से किस सागर में सबसे पहले सूर्योदय दिखाई देता है?**
(अ) काला सागर
(ब) कैस्पियन सागर
(स) लाल सागर
(द) इनमें से कोई नहीं

47. **'लायसाइट' किससे संबंधित है?**
(अ) फ्रांस में धर्म निरपेक्षता
(ब) कोविड-19 वैक्सीनेशन
(स) उपरोक्त दोनों
(द) उपरोक्त में से कोई नहीं

48. **'ई-चौपाल' संबंधित है?**
(अ) फसल बीमा योजना
(ब) ग्राम पंचायत
(स) कृषि उत्पादों की खरीदी
(द) विद्युत प्रदाय

उत्तरमाला

1. ब,	2. स,	3. ब,	4. अ
5. द,	6. अ,	7. ब,	8. ब
9. ब,	10. अ,	11. अ,	12. स
13. अ,	14. द,	15. ब,	16. अ
17. ब,	18. ब,	19. ब,	20. अ
21. स,	22. अ,	23. अ,	24. ब
25. ब,	26. द,	27. अ,	28. अ
29. अ,	30. द,	31. अ,	32. ब
33. अ,	34. ब,	35. द,	36. ब
37. अ,	38. ब,	39. अ,	40. स
41. अ,	42. अ,	43. ब,	44. ब
45. अ,	46. ब,	47. अ,	48. स

- डॉ. माया राठी
(लेखिका, शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या महाविद्यालय, भोपाल में अर्थशास्त्र की प्राध्यापिका हैं।)

त्रि-स्तरीय पंचायतों की मतदाता-सूची का पुनरीक्षण निर्धारित समयावधि में किया जाये

भोपाल, राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री वसंत प्रतापसिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी कलेक्टर्स एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ त्रि-स्तरीय पंचायतों की निर्वाचन प्रक्रिया निरस्त होने तथा एक जनवरी 2022 की संदर्भ तिथि के आधार पर पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता-सूची के वार्षिक पुनरीक्षण पर चर्चा की। श्री सिंह ने कहा कि पुनरीक्षण कार्य निर्धारित समय-सीमा में अनिवार्य रूप से करें।

श्री सिंह ने कहा कि पंचायतों के आगामी आम निर्वाचन अध्यादेश क्रमांक-14 सन् 2021 की वापसी के बाद निर्मित स्थितियों एवं सर्वोच्च न्यायालय के 17 दिसम्बर, 2021 के आदेश के अनुपालन में कराये जायेंगे। मध्यप्रदेश शासन द्वारा अध्यादेश वापस लेने से त्रि-स्तरीय पंचायतों के परिसीमन एवं आरक्षण का स्टेटस प्रभावित हुआ है। त्रि-स्तरीय पंचायतों की स्थिति 21 नवम्बर, 2021 के पूर्व अनुसार प्रभावशील होगी। ग्राम पंचायतों की वर्तमान सीमा के अनुरूप नवीन मतदाता-सूची तैयार की जाना है। परिसीमन प्रभावित होने से वर्तमान मतदाता-सूची निष्प्रभावी हो गई है। ग्राम पंचायत एवं उनके वार्ड, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत एवं उनके निर्वाचन क्षेत्र की सीमाएं भी 21 नवम्बर, 2021 के पूर्व विद्यमान स्थिति अनुसार अस्तित्व में आ गई हैं। स्थानों/सीटों के आरक्षण की स्थिति भी तद्नुसार प्रभावशील हुई है, किन्तु इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन किया जाना आवश्यक होगा। इन परिस्थितियों में पूर्व प्रचलित निर्वाचन प्रक्रिया को निरंतर रखा जाना विधि-संगत नहीं था। इसीलिये 4 दिसम्बर, 2021 को जारी पंचायत आम निर्वाचन का कार्यक्रम एवं उसके अनुसरण में की गई निर्वाचन संबंधी सभी कार्यवाहियों को निरस्त किया गया है।

निर्वाचन आयुक्त ने निर्देशित किया कि पूर्व घोषित निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार प्रथम एवं द्वितीय चरण के लिये की गई नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने से लेकर प्रतीक आवंटन तक की कार्यवाही से संबंधित सभी अभिलेखों का संधारण किया जाये। अभ्यर्थियों द्वारा जमा प्रतिभूति राशि की वापसी अभ्यर्थी से आवेदन प्राप्त कर की जाये। ईव्हीएम को पुनः उनके बॉक्स में जमा कर जिला निर्वाचन अधिकारी के स्टोर रूम में सुरक्षित रखा जाये।

सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री वी.एस. जामोद ने बताया कि एक जनवरी, 2022 की संदर्भ तिथि के आधार पर पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता-सूची के वार्षिक पुनरीक्षण का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। रजिस्ट्रीकरण एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति 30 दिसम्बर, 2021 तक की जायेगी। फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता-सूची का ग्राम पंचायत एवं अन्य विहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन 4 जनवरी, 2022 को किया जायेगा। स्टेण्डिंग कमेटी की बैठकों का आयोजन 4 एवं 5 जनवरी को किया जायेगा। प्रारूप मतदाता-सूची के संबंध में दावा-आपत्ति केंद्रों पर 4 से 9 जनवरी, 2022 तक दावे-आपत्ति प्राप्त किये जायेंगे। इस दौरान 18 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता दावा प्रस्तुत कर मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं।

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिये महत्वपूर्ण प्रश्न

मध्यप्रदेश का इतिहास

1. मध्यप्रदेश में 'लिखी-छाज' शैलाश्रय कहां स्थित है?
(अ) चंदेरी, अशोकनगर
(ब) विजावर, छतरपुर
(स) करसा, मुरैना
(द) पचमढ़ी, होशंगाबाद
उत्तर- (स) करसा, मुरैना

2. प्रमुख ऐतिहासिक स्थल 'कायथा' किस नदी के किनारे स्थित है?
(अ) चंबल (ब) कालीसिंध
(स) बेतवा (द) तवा
उत्तर- (ब) कालीसिंध

3. 'मामा-भांजा' शैलाश्रय किस जिले में स्थित है?
(अ) सिवनी
(ब) बालाघाट
(स) छिंदवाड़ा
(द) होशंगाबाद
उत्तर- (द) होशंगाबाद

4. भीम बेटका गुफाओं की खोज किसके द्वारा की गई थी?
(अ) एच.डी. सांकलिया
(ब) डॉ. वी.एस. वाकणकर
(स) ए.पी. खत्री
(द) बी.बी. लाल
उत्तर- (ब) डॉ. वी.एस. वाकणकर

5. निम्न में से किस स्थान से सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए थे?
(अ) आवरा (ब) त्रिपुरी
(स) एरण (द) महेश्वर
उत्तर- (स) एरण

6. 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान मध्यप्रदेश में स्थित थे?
(अ) एक (ब) दो
(स) तीन (द) चार
उत्तर- (ब) दो

7. मध्यप्रदेश में स्थित 'चेदि' महाजनपद की राजधानी क्या थी?
(अ) चंपा
(ब) अहिच्छत्र
(स) शुक्तिमती
(द) विराटनगर
उत्तर- (स) शुक्तिमती

8. 'पनगुड़ारिया का स्तूप' कहां स्थित है?
(अ) सीहोर (ब) जबलपुर
(स) भोपाल (द) रीवा
उत्तर- (अ) सीहोर

9. 'रूपनाथ एवं गुर्जरा' शिलालेख का संबंध किस शासक से है?
(अ) चंद्रगुप्त मौर्य
(ब) अशोक
(स) चंद्रगुप्त
(द) भोज
उत्तर- (ब) अशोक

10. विदिशा स्थित 'गरुड़ स्तंभ' का निर्माण किसने करवाया था?
(अ) मेगस्थनीज
(ब) हेलियोडोरस
(स) भागभद्र
(द) अग्निमित्र
उत्तर- (ब) हेलियोडोरस

11. 'भरहुत बौद्ध स्तूप' कहां स्थित है?
(अ) जबलपुर (ब) उमरिया
(स) सतना (द) शहडोल
उत्तर- (स) सतना

12. वाकाटक राजवंश की स्थापना किसने की थी?
(अ) प्रवरसेन (ब) रूद्रसेन
(स) विंध्यशक्ति (द) नरेंद्रसेन
उत्तर- (स) विंध्यशक्ति

13. तिगवा का विष्णु मंदिर किन शासकों के द्वारा निर्मित है?
(अ) मौर्य (ब) गुप्त
(स) कुषाण (द) शक
उत्तर- (ब) गुप्त

14. भेड़ाघाट के निकट चौसठ योगिनी मंदिर का निर्माण किन शासकों के द्वारा करवाया गया था?
(अ) परमार (ब) चंदेल
(स) गुप्त (द) कल्चुरी
उत्तर- (द) कल्चुरी

15. 'कर्पूरमंजरी' के रचयिता कौन हैं?
(अ) भोज (ब) रविकीर्ति
(स) भाकमिश्र (द) राजशेखर
उत्तर- (द)राजशेखर

16. खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था?
(अ) यशोवर्मन (ब) गंड
(स) धंग (द) हर्षदेव
उत्तर- (अ) यशोवर्मन

17. परमार वंश का संस्थापक कौन था?
(अ) सीयक
(ब) भोज
(स) उपेंद्र कृष्ण राज
(द) सिंधुराज
उत्तर- (स) उपेंद्र कृष्ण राज

18. राजा भोज द्वारा 'सरस्वती मंदिर' एवं 'भोजशाला' का निर्माण कहां पर करवाया गया था?
(अ) भोजपुर (ब) भोपाल
(स) उज्जैन (द) धार
उत्तर- (द) धार

19. 'समरांगण सूत्रधार' नामक ग्रंथ का संबंध किस विषय से है?
(अ) ज्योतिष
(ब) स्थापत्य वास्तु
(स) चिकित्सा
(द) व्याकरण
उत्तर- (ब) स्थापत्य वास्तु

20. 'आल्हा एवं ऊदल' किसके सेना नायक थे?
(अ) कीर्ति वर्मन
(ब) मदन वर्मा
(स) परमार्दि देव
(द) गंडदेव
उत्तर- (स) परमार्दि देव

21. 'चंदेरी के युद्ध' में बाबर ने किसे पराजित किया था?
(अ) विक्रमादित्य
(ब) मेदिनी राय
(स) बाजबहादुर
(द) सिकंदर खां
उत्तर- (ब) मेदिनी राय

22. 'संग्राम शाह' एवं 'मधुकर शाह' का संबंध किस वंश से है?
(अ) परमार (ब) कल्चुरि
(स) राष्ट्रकूट (द) गोण्ड
उत्तर- (द) गोण्ड

23. 'मृगनयनी' नामक उपन्यास के रचनाकार कौन हैं?
(अ) भूषण
(ब) वृंदावन लाल वर्मा
(स) पद्मार
(द) इनमें से कोई नहीं
उत्तर- (ब) वृंदावन लाल वर्मा

24. 'मान कौतूहल' की रचना किसने की थी?
(अ) वीर सिंह (ब) कीर्ति सिंह
(स) मानसिंह (द) मरमगुप्त
उत्तर- (स) मानसिंह

25. 'मान कौतूहल' का संबंध किस विषय से है?
(अ) संगीत (ब) गणित
(स) ज्योतिष (द) व्याकरण
उत्तर- (अ) संगीत

26. 'राजाराम मंदिर' कहां स्थित है?
(अ) ग्वालियर (ब) ओरछा
(स) खजुराहो (द) भोपाल
उत्तर- (ब) ओरछा

27. ओरछा स्थित 'जहांगीर महल' का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था?
(अ) वीरसिंह देव
(ब) रूद्रप्रताप सिंह बुंदेला
(स) चंपतराय
(द) छत्रपाल
उत्तर- (अ) वीरसिंह देव

28. सिंधिया वंश का संस्थापक कौन था?
(अ) रानो जी सिंधिया
(ब) जीवाजी राव
(स) माधोराव सिंधिया
(द) दौलतराव सिंधिया
उत्तर- (अ) रानो जी सिंधिया

29. मध्यभारत के प्रमुख राजप्रमुख में किसे नियुक्त किया गया था?
(अ) माधवराव सिंधिया
(ब) मल्हार राव होल्कर
(स) जीवाजीराव सिंधिया
(द) दौलतराम सिंधिया
उत्तर- (स) जीवाजीराव सिंधिया

30. भोपाल रियासत की स्थापना किसने की थी?
(अ) दोस्त मोहम्मद खान
(ब) अहिल्या बाई
(स) बुदलिया बेगम
(द) शाहजहां बेगम
उत्तर- (अ) दोस्त मोहम्मद खान

31. सिंधिया की राजधानी उज्जैन से ग्वालियर किसने स्थानांतरित की थी?
(अ) महद जी सिंधिया
(ब) रानो जी सिंधिया
(स) माधोराव
(द) दौलतराव सिंधिया
उत्तर- (द) दौलतराव सिंधिया

32. 'अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय' की प्रथम चांसलर किसे नियुक्त किया गया था?
(अ) गौहर बेगम
(ब) सुल्तान जहां बेगम
(स) सिकंदर जहां बेगम
(द) शाजिदा सुल्तान
उत्तर- (ब) सुल्तान जहां बेगम

33. 1857 की क्रांति का विद्रोह मध्यप्रदेश में सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुआ था?
(अ) महू (ब) भोपाल
(स) नीमच (द) सागर
उत्तर- (स) नीमच

34. सागर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था?
(अ) भीमा नायक
(ब) शंकर शाह
(स) देवी सिंह
(द) शेख रमजान
उत्तर- (द) शेख रमजान

35. समाचार पत्र 'कर्मवीर' का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था?
(अ) माखनलाल चतुर्वेदी
(ब) मैथलीशरण गुप्त
(स) द्वारिका प्रसाद मिश्र
(द) रविशंकर शुक्ल
उत्तर- (अ) माखनलाल चतुर्वेदी

36. 'जंगल सत्याग्रह' का संबंध किस जगह से है?
(अ) खण्डवा (ब) बैतूल
(स) जबलपुर (द) सागर
उत्तर- (ब) बैतूल (घोड़ा डोंगरी)

37. चरण पदुका नरसंहार का संबंध किस जिले से है?
(अ) सिवनी (ब) जबलपुर
(स) छतरपुर (द) भोपाल
उत्तर- (स) छतरपुर

38. 1939 में कांग्रेस का अधिवेश कहां संपन्न हुआ था?
(अ) इंदौर (ब) त्रिपुरी
(स) भोपाल (द) सीहोर
उत्तर- (ब) त्रिपुरी

39. पंजाब मेल हत्याकाण्ड का संबंध किस जिले से था?
(अ) खण्डवा (ब) बुरहानपुर
(स) हरदा (द) होशंगाबाद
उत्तर- (अ) खण्डवा

40. भर्तहरि की गुफाएं किस जिले में स्थित हैं?
(अ) इंदौर (ब) उज्जैन
(स) खण्डवा (द) हरदा
उत्तर- (ब) उज्जैन

41. वर्ष 1956 में गठन के समय में मध्यप्रदेश में कितने संभाग थे?
(अ) 6 (ब) 5
(स) 7 (द) 8
उत्तर- (द) 8

42. वर्ष 1956 में मध्यप्रदेश के गठन के समय कितने जिले थे?
(अ) 43 (ब) 45
(स) 46 (द) 48
उत्तर- (अ) 43

43. पुनर्गठित मध्यप्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे?
(अ) पं. कुंजीलाल दुबे
(ब) पं. रविशंकर शुक्ल
(स) द्वारिका प्रसाद मिश्र
(द) श्रीनिवास तिवारी
उत्तर- (ब) पं. रविशंकर शुक्ल

44. मध्यप्रदेश के प्रथम राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था?
(अ) पट्टाभि सीतारमैया
(ब) के.सी. रेड्डी
(स) पी.वी. दीक्षित
(द) के.एम. चण्डी
उत्तर- (अ) पट्टाभि सीतारमैया

45. भोपाल को पृथक जिला कब बनाया गया था?
(अ) 1975 (ब) 1974
(स) 1972 (द) 1973
उत्तर- (स) 1972

46. 'मालती माधव' के रचयिता कौन हैं?
(अ) भर्तहरि (ब) कालिदास
(स) भवभूति (द) पद्माकर
उत्तर- (स) भवभूति

47. 'रानी अवंतीबाई' की समाधि कहां स्थित है?
(अ) नरसिंहपुर (ब) जबलपुर
(स) शहडोल (द) मण्डला
उत्तर- (द) मण्डला

48. तानसेन का मकबरा कहां स्थित है?
(अ) ग्वालियर (ब) जबलपुर
(स) सिवनी (द) भोपाल
उत्तर- (अ) ग्वालियर

49. असीरगढ़ का किला कहां स्थित है?
(अ) खण्डवा (ब) बुरहानपुर
(स) खरगोन (द) बड़वानी
उत्तर- (ब) बुरहानपुर

- आशीष कुमार श्रीवास
(लेखक, प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधी विषयों पर लेखन करते हैं)

भू-माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीनों पर बनेंगे गरीबों के आवास

इंदौर, 'इंदौर मेरे सपनों का शहर है, इसकी शान मैं कभी कम नहीं होने दूंगा।' मेरा सभी इंदौरवासियों को वचन है कि इस शहर के विकास के रास्ते में कोई बाधा नहीं आने दूंगा। इंदौर ने केवल प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में स्वच्छता के क्षेत्र में अपना परचम लहराया है। लगातार पांच बार स्वच्छता सर्वेक्षण में अव्वल आया इंदौर शहर अब स्वच्छता का छक्का भी जरूर लगाएगा। यह इंदौरवासियों के समर्पण और अनुशासन का ही नतीजा है कि इंदौर न केवल स्वच्छता में बल्कि जन्म के समय लिंगानुपात में भी आगे रहा। बेटियों के सम्मान का उदाहरण बनकर इंदौर ने फिर से हम सभी को गौरवान्वित किया है। मैं इंदौरवासियों के विकास के लिये उनके समर्पण एवं सेवाभाव को नमन करता हूं। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर के खंडवा रोड पर नगर निगम के विकास कार्यों के भूमिपूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुये कहीं। मुख्यमंत्री ने खंडवा रोड निर्माण कार्य, प्रधानमंत्री आवास योजना में आवासों के निर्माण तथा नगर निगम द्वारा किये जा रहे अन्य विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भू-माफियाओं के कब्जे से पूरे प्रदेश में 18 हजार करोड़ की लागत की जमीन मुक्त कराई गई है। मुक्त जमीन पर गरीबों के लिये मकान बनाये जायेंगे। अब कोई भी गरीब बिना आवास के न रहे, इसके लिये राज्य शासन निरंतर अभियान चलाकर शासकीय जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त करवायेगा।

मुख्यमंत्री ने टंट्या मामा चौराहा से तेजाजी नगर (अण्डरपास) तक सड़क विस्तारीकरण में 6 लेन सीमेंट-कांक्रीट सड़क निर्माण का भूमिपूजन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी के मार्गदर्शन में देश में सड़कों का मजबूत जाल बिछाया जा रहा है, जिसका लाभ मध्यप्रदेश और इंदौर को भी मिल रहा है। खंडवा रोड को चौड़ा करने का कार्य काफी समय से अटका हुआ था, हमारी सरकार के आते ही इस रोड का कार्य प्रारंभ किया गया। इंदौर नगर निगम को सड़कों के विस्तार के लिए 53 करोड़ 73 लाख रुपये की स्वीकृति दी है। सड़क के विस्तार के बाद इसकी लंबाई 6.50 लाख किलोमीटर तथा चौड़ाई 31.70 मीटर हो जायेगी।

इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि इंदौर विकास प्राधिकरण की स्कीम नम्बर-140 को अब स्वर्गीय श्री कुशाभाऊ ठाकरे के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि राऊ विधानसभा क्षेत्र में पालदा से आरटीओ रोड को चौड़ा करने का कार्य भी शीघ्र ही प्रारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इंदौर शहर को विकास की सौगातें देते हुए एक और घोषणा करते हुए कहा कि राऊ विधानसभा क्षेत्र में स्थापित महाविद्यालय को अगले सत्र से स्नातक से स्नातकोत्तर कर दिया जाएगा। यहाँ अब साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स की पोस्ट ग्रेजुएशन क्लासेस शुरू की जाएंगी। खंडवा रोड पर मेट्रो स्टेशन बनाने के लिए सर्वे कराया जाएगा और यदि फिजिबिलिटी पाई जाती है तो प्रस्ताव को तुरंत आगे बढ़ाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जब लाड़ली लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया गया था तब प्रदेश में जन्म के समय लिंगानुपात 914 था, जो अब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-5 के अनुसार बढ़कर 956 हो गया है और इस श्रेणी में भी इंदौर जिला सबसे आगे है। इंदौर ने देश में अनेक कीर्ति स्तंभ स्थापित किए हैं, बेटियों के सम्मान में इंदौर देश में उदाहरण बन कर उभरा है।

श्री चौहान द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्राम लिम्बोदी में 18 करोड़ की लागत से 192 आवासीय प्रकोष्ठ के निर्माण का भूमि पूजन एवं अरावली परिसर (भूरी टेकरी), गुलमर्ग परिसर (कनाड़िया), पलाश परिसर 01 (राऊ सिलिकॉन सिटी) एवं पलाश परिसर 02 (निहालपुरमुण्डी ओमेक्स हिल्स) पर 220 करोड़ की लागत से आवासीय इकाइयों के निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया गया।

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए

तर्कशक्ति

प्र. 1 रिक्त स्थान की पूर्ति करें?

12	13	156
14	?	154
15	13	195

(a) 11 (b) 16
(c) 21 (d) 31

उत्तर- **(a) 11**

व्याख्या- $12 \times 13 = 156$
$15 \times 13 = 195$
अतः $\frac{154}{14} = 11$

प्र. 2 **2, 5, 12, 27, ?**
(a) 53 (b) 56
(c) 57 (d) 58

उत्तर- **(d) 58**

व्याख्या- $2 \times 2+1 = 5$
$5 \times 2+2 = 12$
$12 \times 2+3 = 27$
$27 \times 2+4 = 58$

प्र. 3 दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें वे शब्दकोश में होते हैं?
1. Ropped 2. Roster
3. Roasted 4. Road
5. Roller
(a) 35412 (b) 45312
(c) 43512 (d) 34512

उत्तर- **(c) 43512**

व्याख्या- Road → Roasted → Roller → Ropped → Roster

प्र. 4 निम्नलिखित प्रश्न में विषम पद ज्ञात करें?
(a) NPR (b) TVW
(c) FHJ (d) KMO

उत्तर- **(b) TVW**

व्याख्या- +2 Series है सभी में केवल TVW को छोड़कर।

प्र. 5 दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए?
101 : 10201 : : 107 : ?
(a) 10707 (b) 10749
(c) 11449 (d) 11407

उत्तर- **(c) 11449**

व्याख्या- $(101)^2 = 10201$
$(107)^2 = 11449$

प्र. 6 दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं?

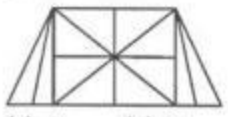

(a) 18 (b) 24
(c) 26 (d) 28

उत्तर- **(c) 26**

प्र. 7 रिक्त स्थान की पूर्ति करें?

3	4	2	6
?	2	5	3
4	2	2	7

(a) 3 (b) 5
(c) 8 (d) 2

उत्तर- **(b) 5**

व्याख्या- $3 + 4 + 2 + 6 = 15$
$4 + 2 + 2 + 7 = 15$
$5 + 2 + 5 + 3 = 15$

प्र. 8 दी गई आकृति में कितने पुरुषों के जूते कपड़े के नहीं हैं?

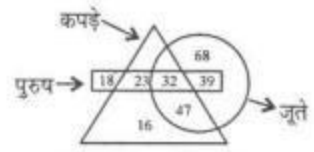

(a) 71 (b) 39
(c) 79 (d) 23

उत्तर- **(b) 39**

प्र. 9 कुछ समीकरण एक निश्चित प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं। इस आधार पर बिना हल किए गए समीकरण के लिए चार विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए?
A = 3(21) 247, B = 5(?) 407,
C = 7 (49) 567
(a) 28 (b) 25
(c) 35 (d) 38

उत्तर- **(c) 35**

व्याख्या-

A	=	3	(21)	247
		↓	↓	↓
		+2	+14	+160
		↓	↓	↓
B	=	5	35	407
		↓	↓	↓
		+2	+14	+160
		↓	↓	↓
C	=	7	(49)	567

प्र. 10 दिए गए विकल्पों में से लुप्त स्थान ज्ञात करें?

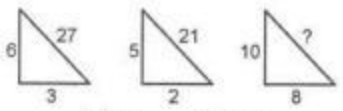

(a) 57 (b) 54
(c) 50 (d) 60

उत्तर- **(b) 54**

व्याख्या- $(6+3) \times 3 = 27$
$(5+2) \times 3 = 21$
$(10+8) \times 3 = 54$

प्र. 11 **158, 113, 78, 53, 38?**
(a) 33 (b) 12
(c) 11 (d) 14

उत्तर- **(a) 33**

व्याख्या-

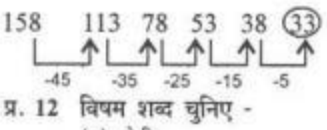

प्र. 12 विषम शब्द चुनिए -
(a) चोटी
(b) पर्वत
(c) हिलॉक
(d) घाटी

उत्तर- **(d) घाटी**

प्र. 13 सुझाव : आदेश : : लेना : ?
(a) देना (b) छीनना
(c) लाभ (d) गिफ्ट

उत्तर- **(b) छीनना**

प्र. 14 निम्नलिखित प्रश्न में कौन सी दो संख्याओं को बदलने के बाद समीकरण सही हो जाएगा?
5 + 3 ÷ 6 × 9 - 2 = 21
(a) 5 और 9
(b) 3 और 6
(c) 6 और 9
(d) 5 और 3

उत्तर- **(b) 3 और 6**

व्याख्या- $5 + 3 \div 6 \times 9 - 2 = 21$
विकल्प के अनुसार
$5 + 3 \div 6 \times 9 - 2$
$= 5 + 2 \times 9 - 2$
$= 5 + 18 - 2$
$= 5 + 16$
$= 21$

प्र. 15 एक निश्चित कूटभाषा में **"TROUPE"** को **"GILFKV"** लिखा जाता है और **"ERUPTION"** को **"VIFKGRLM"** तो उसी भाषा में **"GENIUS"** को कैसे लिखा जाएगा?
(a) TVMRFH
(b) TVNREH
(c) TVMSEI
(d) TVLREH

उत्तर- **(a) TVMRFH**

व्याख्या- pair of opposite letter

प्र. 16 एक निश्चित कूटभाषा में '+' को '×' के रूप में दर्शाया जाता है। '-' को '+' के रूप में '×' को '+' के रूप में और '+' को '-' के रूप में, तो बताइए
9 + 3 - 72 × 6 + 3 = ?
(a) 46 (b) 21
(c) 9 (d) 36

उत्तर- **(d) 36**

व्याख्या- प्रश्नानुसार,
$9 + 3 - 72 \times 6 + 3 = ?$
$= 9 \times 3 + 72 \div 6 - 3$
$= 27 + 12 - 3$
$= 39 - 3$
$= 36$

प्र. 17 **"+" और "×" तथा "12" और "18" को आपस में बदलने के बाद कौन सा समीकरण सही हो जाएगा?**
(a) $(90 \times 18) + 12 = 60$
(b) $(18 \times 6) + 12 = 2$
(c) $(72 \times 18) + 12 = 72$
(d) $(12 \times 6) + 18 = 36$

उत्तर- **(d) $(12 \times 6) + 18 = 36$**

व्याख्या- विकल्प देखने पर
$= (12 \times 6) + 18$
$= (18 + 6) \times 12$
$= 3 \times 12$
$= 36$

प्र. 18 यदि **FRISKED** को **HTKUMGF** लिखा जाता है तो **SUN** को कैसे लिखा जाएगा?
(a) UWP
(b) RGZ
(c) KMJ
(d) ZBF

उत्तर- **(a) UWP**

प्र. 19 लुप्त पद ज्ञात करें
88, 22, 25, 5, 9, 312, ?
(a) 10/2 (b) 13/2
(c) 6 (d) 12

उत्तर- **(b) 13/2**

व्याख्या-

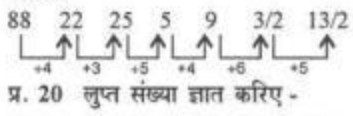

प्र. 20 लुप्त संख्या ज्ञात करिए -

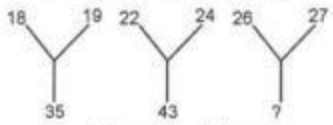

(a) 64 (b) 80
(c) 56 (d) 49

उत्तर- **(d) 49**

व्याख्या- (1) (18+19) - 2 = 35
(2) (22 + 24) - 3 = 43
(3) (26 + 27) - 4 = 49

प्र. 21 मोहित नेहा का ससुर है और आकाश मोहित का इकलौता पुत्र है तो आकाश नेहा से किस प्रकार संबंधित है?
(a) पत्नी (b) पति
(c) पुत्र (d) पिता

उत्तर- **(b) पति**

व्याख्या- मोहित

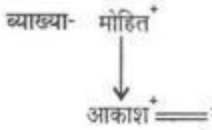

अतः आकाश नेहा का पति है।

प्र. 22 **कितने pen नीले रंग के हैं?**

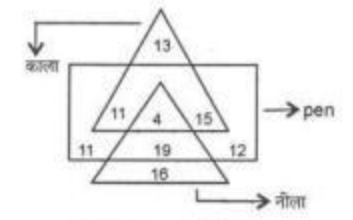

(a) 23 (b) 19
(c) 12 (d) 15

उत्तर- **(a) 23**

व्याख्या- नीले pen = 19 + 4 = 23

प्र. 23 **कृति दक्षिण की ओर 40 मीटर चलती है, फिर दायीं और मुड़कर 30 मीटर चलती है। फिर बायीं ओर मुड़कर 50 मीटर चलती है। फिर बायीं ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है। तो अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है?**
(a) 65
(b) 70
(c) 80
(d) 90

उत्तर- **(d) 90**

व्याख्या- प्रश्नानुसार

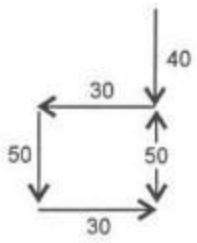

= 40 + 50
= 90 मीटर

प्र. 24 **यदि 3 @ 3 * 3 = 3 और 48 @ 4 * 3 = 36 है तो 91 @ 13 * 2 = ?**
(a) 4 (b) 8
(c) 10 (d) 14

उत्तर- **(d) 14**

व्याख्या- इस प्रकार करें
$3 @ 3 * 3 = 3$
$\frac{3}{3} \times 3 = 3$
$\because 48 @ 4 * 3 = 36$
$12 \frac{48}{4} \times 3 = 36$
$12 \times 3 = 36$
$\because 91 @ 13 * 2$
$= \frac{91}{13} \times 2$
$= 7 \times 2$
$= 14$

प्र. 25 **एक पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष के बाद पुत्र की आयु रमन की वर्तमान आयु की 5 गुनी होगी। यदि रमन ने अपना तीसरा जन्मदिन 2 वर्ष पहले मनाया था तो पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी?**
(a) 45
(b) 40
(c) 36
(d) 39

उत्तर- **(a) 45**

व्याख्या- पिता = 3 × बेटा — (i)
बेटा + 10 = 5 × रमन — (ii)
∵ रमन की वर्तमान आयु
= 3 + 2
= 5 years
equation (ii)
बेटा + 10 = 5 × 5
बेटा = 25 - 10 = 15 years
तो पिता = 3 × बेटा
= 3 × 15
= 45 years

- ऋचा दुबे
(लेखिका, बैंकिंग परीक्षाओं की तैयारी विषयों पर लिखती हैं)

मध्यप्रदेश की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं समय-सीमा में पूरी होंगी

भोपाल, अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण श्रीमती अलका उपाध्याय ने मंत्रालय में नेशनल हाई-वे की प्रदेश में कार्य प्रगति समीक्षा बैठक में कहा है कि मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत संचालित सभी परियोजनाओं को समय-सीमा में पूर्ण किया जाएगा।

श्रीमती उपाध्याय ने कहा कि मध्यप्रदेश देश के मध्य में स्थित होने से यहां से राष्ट्रीय राजमार्ग की महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाएं गुजरती हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 8858 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। वर्तमान में 10 हजार 250 करोड़ रुपये की लागत से 59 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। इनकी कुल लंबाई 1997 किलोमीटर में से 1721 किलोमीटर का कार्य पूर्ण कर लिया गया है और शेष कार्य प्रगति पर हैं। उन्होंने कहा कि सड़क पर योजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने के लिए आवश्यक है कि राज्य सरकार द्वारा भू-अर्जन तथा फॉरेस्ट की एनओसी जारी कराने के काम को तेजी से किया जाए।

मध्यप्रदेश कृषि विविधीकरण के क्षेत्र में ठोस कार्य कर सामने लाएगा श्रेष्ठ परिणाम

नई दिल्ली, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय कृषि एवं किसान-कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर और केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय मंत्रियों को मध्यप्रदेश के लिए योजनाओं में दी गई स्वीकृतियों के लिए आभार व्यक्त किया।

श्री चौहान ने केंद्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर को मध्यप्रदेश में कृषि क्षेत्र में उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों और उनके फॉलोअप की जानकारी दी। उन्होंने विशेष रूप से कृषि विविधीकरण के लिये किये जा रहे प्रयासों की जानकारी भी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश कृषि विविधीकरण के क्षेत्र में ठोस कार्य कर श्रेष्ठ परिणाम सामने लाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मिलेट मिशन, खाद्य और कृषि उत्पादों के प्र-संस्करण कार्य को गति देने की योजना तैयार है। किसानों को प्राकृतिक खेती और मुख्य फसलों गेहूं, चना, धान और सोयाबीन के अलावा चंदन की खेती और बांस उत्पादन के लिए आवश्यक सुविधाएं देकर प्रेरित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय मंत्री श्री मनसुख मांडविया के प्रति मध्यप्रदेश को सतत् पर्याप्त यूरिया और डीएपी उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। श्री चौहान ने इस कार्य के लिए केंद्र सरकार से निरंतर मिल रहे सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।

खेल चर्चा

टॉप्स योजना में शामिल हुईं शैली सिंह

नई दिल्ली, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लंबी कूद स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाली शैली सिंह को खेल मंत्रालय की टारगेट ओलिंपिक पोडियम (टॉप्स) योजना में शामिल किया गया है। खेल मंत्रालय ने शैली सिंह के नाम की घोषणा करते हुये बताया कि शैली सिंह को टॉप्स योजना के कोर ग्रुप में जोड़ा गया है। मंत्रालय द्वारा आठ खेलों में कोर ग्रुप में 50 तथा विकास समूह में 143 खिलाड़ियों को टॉप्स योजना के तहत चुना गया है। अब कोर ग्रुप में शामिल खिलाड़ियों की संख्या 102 हो गई है।

जोकोविच ने एटीपी कप से वापस लिया नाम

सिडनी, विश्व के नंबर वन टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आयोजित होने वाले वर्ष के पहले टेनिस टूर्नामेंट एटीपी कप से अपना नाम वापस ले लिया है। जोकोविच ने अभी टूर्नामेंट से हटने का कोई कारण नहीं बताया है। टूर्नामेंट में 16 देशों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। अब सर्बिया टीम में नोवाक जोकोविच की जगह दुसान लाजोविक को शामिल किया गया है। एटीपी कप के आयोजकों के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में कोरोना महामारी को लेकर कड़े नियम हैं। टूर्नामेंट में शामिल होने के लिये सभी खिलाड़ियों, अधिकारियों और प्रशंसकों का कोविड टीकाकरण जरूरी है।

वेस्टइंडीज दौरे के लिये इंग्लैंड की टीम घोषित

लंदन, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने वेस्टइंडीज दौरे पर पांच मैचों की ट्वेंटी-20 सीरीज के लिये 16 सदस्यीय इंग्लिश टीम का ऐलान किया है। टीम में जोस बटलर, जॉनी बेयरस्टो, डेविड मलान, क्रिस वोक्स और मार्क वुड जैसे अनुभवी खिलाड़ियों को जगह नहीं मिली है। ईसीबी ने इस सीरीज के लिये पॉल कॉलिंगवुड को टीम का मुख्य कोच बनाया है, जबकि मार्कस ट्रेस्कोथिक टीम के सहायक कोच होंगे। कॉलिंगवुड ने टीम चयन के बाद कहा कि हमने ऑस्ट्रेलिया में ट्वेंटी-20 विश्वकप से पहले अपनी तैयारियों को परखने के लिये नये खिलाड़ी चुने हैं। टीम में इयॉन मॉर्गन, मोइन अली, टॉम बैंटन, सैम बिलिंग्स, लियाम डॉसन, जॉर्ज गॉर्टन, क्रिस जोर्डन, लियाम लिविंगस्टोन, साकिब महमूद, टायमल मिल्स, डेविड पायने, रीस टॉप्ली, जेम्स विंस, आदिल राशिद, जेसन रॉय और फिल सॉल्ट शामिल हैं।

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान रे इलिंगवर्थ का निधन

लंदन, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान रे इलिंगवर्थ का निधन हो गया है। वे 89 वर्ष के थे। इलिंगवर्थ काफी समय से कैंसर से जूझ रहे थे। इलिंगवर्थ ने इंग्लैंड के लिये 61 टेस्ट मैच खेले हैं। इनमें उन्होंने 122 विकेट लिये तथा 1836 रन बनाये हैं। इलिंगवर्थ ने वर्ष 1970-71 में अपनी कप्तानी में इंग्लैंड को एशेज सीरीज में 2-0 से जीत दिलाई थी। इलिंगवर्थ ने 31 टेस्ट मैचों में इंग्लैंड की टीम की कप्तानी की थी। टीम ने इनमें से 12 मैच जीते थे। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में इलिंगवर्थ का रिकॉर्ड शानदार रहा है। इलिंगवर्थ ने अपने क्रिकेट कॅरियर में 787 प्रथम श्रेणी मैचों में 2072 विकेट लिये हैं और 24134 रन बनाये हैं। इनमें 22 शतक और 105 अर्धशतक शामिल हैं।

विजय हजारे ट्रॉफी

हिमाचल प्रदेश पहली बार बना चैंपियन

जयपुर, हिमाचल प्रदेश की क्रिकेट टीम ने घरेलू वन-डे क्रिकेट की सबसे बड़ी प्रतियोगिता विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। हिमाचल की जीत के नायक रहे सलामी बल्लेबाज शुभम अरोड़ा। शुभम ने फाइनल मुकाबले में 131 गेंदों में 136 रनों की पारी खेली। फाइनल में तमिलनाडु ने हिमाचल प्रदेश के सामने 315 रन का लक्ष्य रखा था। हिमाचल ने 47.3 ओवर में चार विकेट पर 299 रन बना लिये थे। इसके बाद खराब रोशनी के चलते अंपायरों ने मैच का नतीजा वीजेडी नियम से तय किया, जिसमें हिमाचल प्रदेश ने 11 रन से जीत दर्ज की।

तमिलनाडु ने मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुये 314 रन बनाये। टीम के लिये सबसे अधिक 116 रनों की पारी विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने खेली। उन्होंने 103 गेंदों का सामना किया, जबकि 8 चौके और 7 छक्के जड़े। उनके अलावा बाबा इंद्रजीत ने 71 गेंदों में 8 चौके और एक छक्के की मदद से 80 रन बनाये।

जीत के लिये 315 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी हिमाचल प्रदेश की शुरुआत अच्छी हुई। प्रशांत चोपड़ा ने शुभम अरोड़ा के साथ मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी की। हालांकि 9वें ओवर में स्पिनर साई किशोर ने प्रशांत चोपड़ा को 21 रन पर आउट कर हिमाचल को पहला झटका दिया। वॉशिंगटन सुंदर ने दिग्विजय रांगी को शून्य पर आउट कर हिमाचल प्रदेश को दूसरा झटका दिया। इसके बाद शुभम अरोड़ा और अमित कुमार ने हिमाचल की पारी को संवारा।

- **तमिलनाडु ने सबसे ज्यादा पांच बार जीती है विजय हजारे ट्रॉफी।**
- **हिमाचल प्रदेश की टीम पहली बार किसी बड़े घरेलू टूर्नामेंट का खिताब जीती है।**
- **महाराष्ट्र के ऋतुराज गायकवाड़ ने सबसे ज्यादा रन (603) तथा विदर्भ के यश ठाकुर ने इस सीजन में सबसे ज्यादा विकेट (18) लिये हैं।**

हालांकि बाबा अपराजित ने अमित कुमार को 74 रनों पर आउट कर तमिलनाडु को मैच में वापस लाने की कोशिश की। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हिमाचल के कप्तान ऋषि धवन ने तावड़तोड़ 23 गेंदों पर 42 रन बनाये। मैच जब रोमांचक दौर में था और हिमाचल प्रदेश को 15 गेंदों में 16 रनों की जरूरत थी उसी दौरान खराब रोशनी के कारण खेल रुक गया। अंत में वीजेडी नियम के तहत हिमाचल की टीम को 11 रन से विजेता करार दिया गया।

क्या है वीजेडी नियम

वीजेडी नियम बारिश से बाधित सीमित ओवरों के क्रिकेट मैचों में लक्ष्य स्कोर की गणना करने की एक विधि है। इस नियम को केरल के इंजीनियर वी. जयदेवन ने बनाया है। यह डकवर्थ और लुईस नियम का एक विकल्प है। इस नियम के तहत लक्ष्य की गणना के लिये पारी को सात अलग-अलग भागों में बांटा जाता है।

ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को दी मात

मेलबर्न, ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर गई इंग्लैंड की क्रिकेट टीम का एशेज सीरीज में खराब प्रदर्शन जारी है। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने सीरीज के तीसरे मैच में भी इंग्लैंड को पारी और 14 रनों से हराया। मैच में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुये पहली पारी में 185 रन बनाये। इंग्लैंड के लिये कप्तान जो रूट (50) और जॉनी बेयरस्टो (35) ही कुछ संघर्ष कर सके। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 267 रन बनाये। ऑस्ट्रेलिया के लिये सलामी बल्लेबाज मार्कस हैरिस ने सर्वाधिक 76 रन बनाये। दूसरी पारी में इंग्लैंड की बल्लेबाजी पूरी तरह बिखर गई। महज 68 रन पर इंग्लैंड की टीम ऑलआउट हो गई। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट बोलैंड ने 4 ओवर में 6 विकेट लिये।

रॉस टेलर लेंगे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास

वेलिंग्टन, न्यूजीलैंड के अनुभवी बल्लेबाज रॉस टेलर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने जा रहे हैं। टेलर ने सोशल मीडिया के जरिये संन्यास लेने की घोषणा की। टेलर ने कहा कि वे आगामी घरेलू सत्र के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहेंगे। टेलर न्यूजीलैंड के लिये सबसे ज्यादा टेस्ट, वन-डे और ट्वेंटी-20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं। टेलर ने न्यूजीलैंड के लिये 110 टेस्ट मैचों में 7584 रन, 233 रन-डे मैचों में 8581 रन तथा 102 ट्वेंटी-20 मैचों में 1909 रन बनाये हैं। टेलर ने टेस्ट क्रिकेट में 19 तथा वन-डे क्रिकेट में 21 शतक बनाये हैं।

हरभजन सिंह ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से लिया संन्यास

मुंबई, भारत के दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। हरभजन सिंह ने सोशल मीडिया के जरिये संन्यास लेने की जानकारी दी। हरभजन सिंह ने कहा कि मैं अब उस खेल से विदा लेता हूं। इस खेल ने मुझे जीवन में सब कुछ दिया है।

हरभजन सिंह ने वर्ष 1998 में चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच से अपने अंतर्राष्ट्रीय कॅरियर की शुरुआत की थी। हरभजन ने इसी साल न्यूजीलैंड के खिलाफ वन-डे क्रिकेट में पदार्पण किया था। हरभजन सिंह ने भारत के लिये 103 टेस्ट मैच खेले हैं, इन मैचों में उन्होंने 417 विकेट लिये हैं। वहीं 236 वन-डे मैचों में 269 विकेट तथा 28 ट्वेंटी-20 मैचों में 25 विकेट लिये हैं। हरभजन सिंह ने टेस्ट क्रिकेट में 2 शतक और 9 अर्धशतक सहित 2224 रन भी बनाये हैं।

हरभजन सिंह काफी समय से मैदान से दूर थे। हरभजन सिंह ने अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला 3 मार्च 2016 को संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ खेला था। इसके बाद से ही हरभजन टीम से बाहर थे। हालांकि हरभजन आईपीएल में खेलते रहे हैं।

- **हरभजन सिंह टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर हैं।**
- **हरभजन वर्ष 2007 में ट्वेंटी-20 और वर्ष 2011 में वन-डे विश्वकप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य रहे हैं।**

भारत ने सेंचुरियन में पहली बार जीता टेस्ट मैच

सेंचुरियन, भारतीय क्रिकेट टीम ने टेस्ट क्रिकेट में अपना बेहतरीन प्रदर्शन दक्षिण अफ्रीका में भी जारी रखा है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सेंचुरियन में खेले गये सीरीज के पहले टेस्ट मैच को भारत ने 113 रनों से जीत लिया है। सेंचुरियन में भारत की यह पहली टेस्ट जीत है।

मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को सलामी बल्लेबाज के.एल. राहुल और मयंक अग्रवाल ने बेहतरीन शुरुआत दिलाते हुये पहले विकेट के लिये 117 रन जोड़े। मयंक ने 60 रन बनाये, जबकि राहुल ने 123 रनों की शतकीय पारी खेली। इन दोनों बल्लेबाजों के आउट होने के बाद विराट कोहली (35) और अजिंक्य रहाणे (48) ने पारी को संभाला। भारतीय टीम पहली पारी में 327 रन ही बना सकी।

पहली पारी में दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत खराब रही। जसप्रीत बुमराह ने पहले ओवर में ही डीन एल्गर को आउट किया। दक्षिण अफ्रीका के चार विकेट 32 रन पर गिर गये। इसके बाद टेम्बा बावूमा (52) और क्विंटन डिकॉक (34) ने पारी को संभाला। इन दोनों बल्लेबाजों के आउट होने के बाद दक्षिण अफ्रीका की पारी बिखर गई और 197 रन पर सिमट गई।

दूसरी पारी में भारत के बल्लेबाज भी संघर्ष करते नजर आये। हालांकि भारतीय टीम ने तेजी से रन बनाने के चक्कर में अपने विकेट गवाएं थे। भारत की दूसरी पारी 174 रन पर सिमट गई। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के सामने जीत के लिये 305 रनों का लक्ष्य रखा। लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीकी टीम रक्षात्मक रणनीति के साथ उतरी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के सामने अफ्रीकी बल्लेबाज संघर्ष करते नजर आये। कप्तान डीन एल्गर (77) और टेम्बा बावूमा (35) को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं पाया। दक्षिण अफ्रीकी की टीम 191 रनों पर ऑलआउट हो गई। मैच में भारत के मोहम्मद शमी ने 8 विकेट लिये।

ग्लोब सॉकर अवॉर्ड

एमबाप्पे बने वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर

दुबई, फ्रांस के प्रतिभाशाली युवा फुटबॉलर कीलियन एमबाप्पे ने ग्लोब सॉकर अवॉर्ड्स-2021 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का खिताब अपने नाम किया है।

एमबाप्पे ने इस सीजन में पेरिस सेंट जर्मेन क्लब के लिये 24 मैच खेले हैं। इस दौरान एमबाप्पे ने 15 गोल दागे तथा 9 गोल असिस्ट किये। एमबाप्पे पेरिस सेंट जर्मेन के लिये अब तक 195 मैचों में 147 गोल कर चुके हैं। एमबाप्पे ने फ्रांस की राष्ट्रीय टीम की ओर से 53 मैचों में 24 गोल दागे हैं। वर्ष 2018 में फीफा विश्वकप में फ्रांस की खिताबी जीत में एमबाप्पे ने अहम योगदान दिया था।

लेवानडोवस्की ने जीते दो अवॉर्ड

पोलैंड के दिग्गज फुटबॉलर रॉबर्ट लेवानडोवस्की को ग्लोब सॉकर अवॉर्ड में फैंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवॉर्ड से नवाजा गया है। इसके अलावा लेवानडोवस्की को कई शानदार गोल के लिये मैराडोना अवॉर्ड भी मिला है। लेवानडोवस्की ने इस सीजन में बायर्न म्युनिख के लिये बुंदेसलीगा में 17 मैचों में 19 गोल दागे हैं। इसके अलावा लेवानडोवस्की ने चैंपियन लीग में 9 गोल भी किये हैं।

पुटेलस बनीं सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर

स्पेन की महिला फुटबॉलर एलेक्सिया पुटेलस को ग्लोब सॉकर अवॉर्ड में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का अवॉर्ड मिला। पुटेलस वर्ष 2012 से बार्सिलोना के लिये फुटबॉल खेल रही हैं। पुटेलस ने बार्सिलोना के लिये 271 मैचों में 117 गोल किये हैं। पुटेलस को वर्ष 2021 में बेलोन डि'ओर अवॉर्ड भी मिल चुका है। इनके अलावा पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सर्वकालीन शीर्ष गोल स्कोरर अवॉर्ड से नवाजा गया, वहीं इटली के कोच रॉबर्टो मैंचीनी को कोच ऑफ द ईयर अवॉर्ड दिया गया।

- **क्रिस्टियानो रोनाल्डो ग्लोब सॉकर अवॉर्ड्स में अब तक सर्वाधिक 11 अवॉर्ड जीत चुके हैं।**
- **समारोह में इटली के लियोनार्डो बोनुकी को सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर अवॉर्ड दिया गया।**
- **इटली के जियानलुईगी डोनारूमा को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चुना गया।**
- **इटली को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय टीम के अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।**
- **चेल्सी को सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्लब तथा बार्सिलोना को सर्वश्रेष्ठ महिला क्लब चुना गया।**

अश्विन टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिये हुये नॉमिनेट

दुबई, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) वर्ष 2021 के लिये जल्द ही आईसीसी अवॉर्ड्स घोषित करेगा। आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिये चार खिलाड़ियों को नॉमिनेट किया है। इस सूची में भारत के अनुभवी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन भी शामिल हैं। आईसीसी ने कहा कि इस वर्ष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवॉर्ड के लिये अश्विन के अलावा जो रूट, काइल जैमिसन और दिमुथ करुणारत्ने को भी नॉमिनेट किया गया है। अश्विन इस वर्ष टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। अश्विन ने इस वर्ष आठ मैचों में 52 विकेट लिये हैं। वहीं जो रूट इस वर्ष टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। रूट ने इस वर्ष 15 मैचों में 6 टेस्ट शतकों के साथ 1708 रन बनाये हैं। जैमिसन और करुणारत्ने ने भी इस दौरान शानदार प्रदर्शन किया है।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित, फोटो : गूगल से साभार)

सामयिकी

अमेरिकी वीजा नियमों में बदलाव नहीं होगा पर्सनल इंटरव्यू

अमेरिकी विदेश विभाग ने H-1B, L-1 और O-1 वीजा कैटेगरीज में पर्सनल इंटरव्यू से राहत दी है। अमेरिकी प्रशासन ने

- **H-1B, L-1 और O-1 कैटेगरी के वीजा में पर्सनल इंटरव्यू से एक साल तक छूट रहेगी।**
- **इसके लिए यूएस कॉन्स्युलेट नहीं जाना होगा।**

कोविड-19 और कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए यह फैसला लिया है। यह सुविधा 31 दिसंबर 2022 तक जारी रहेगी।

क्या है H-1B वीजा?

H-1B एक नॉन-इमीग्रेंट वीजा है। इसके जरिए अमेरिकी कंपनियां विदेशी कामगारों को अपने तकनीकी और दूसरे क्षेत्र में काम पर रख सकती हैं। यह वीजा एक निश्चित समय के लिए उन लोगों के लिए जारी किया जाता है, जिन्हें काम के कारण अमेरिका में रहना होता है। समय खत्म होने के बाद आवेदक इसे रिन्यू करवा सकते हैं।

प्रधानमंत्री का हिमाचल प्रदेश दौरा

ये जल-विद्युत परियोजनाएं, पर्यावरण-अनुकूल विकास के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं : प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के मंडी में हिमाचल प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन (हिमाचल प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट) के दूसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह की अध्यक्षता की। लगभग 28,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं के माध्यम से इस सम्मेलन के द्वारा क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। उन्होंने 11,000 करोड़ रुपये से अधिक की जलविद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इनसे से कुछ जल विद्युत परियोजनाएं हैं- रेणुकाजी बांध परियोजना, लुहरी चरण 1 जल विद्युत परियोजना और धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना। उन्होंने सावरा-कुड्डू जल विद्युत परियोजना का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जय राम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के लोगों के लिए जीवन की सुगमता सबसे प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है और इसमें बिजली बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। आज शुरू की गई जल-विद्युत परियोजनाएं पर्यावरण के अनुकूल विकास के लिए भारत

की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। उन्होंने कहा, "गिरी नदी पर बन रही श्री रेणुकाजी बांध परियोजना जब पूरी हो जाएगी तो एक बड़े क्षेत्र को इससे सीधा लाभ होगा। इस प्रोजेक्ट से जो भी आय होगी उसका भी एक बड़ा हिस्सा यहीं के विकास पर खर्च होगा।"

प्रधानमंत्री ने नए भारत की बदली हुई कार्यशैली को दोहराया। पर्यावरण लक्ष्यों से जुड़े कार्यों की रफ्तार पर बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि "भारत ने 2016 में ये लक्ष्य रखा था कि वो साल 2030 तक, अपनी कुल स्थापित बिजली क्षमता का 40 प्रतिशत, गैर-जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से पूरा करेगा। आज हर भारतीय को इसका गर्व होगा कि भारत ने अपना ये लक्ष्य, इस साल नवंबर में ही प्राप्त कर लिया है।" प्रधानमंत्री ने कहा कि 'हमारा देश जिस प्रकार से पर्यावरण को बचाते हुए विकास को गति दे रहा है, उसकी विश्वभर में प्रशंसा हो रही है। सोलर पावर से लेकर हाइड्रो पावर तक, पवन ऊर्जा से लेकर ग्रीन हाइड्रोजन तक, देश रिन्यूएबल एनर्जी के हर संसाधन को पूरी तरह इस्तेमाल करने के लिए निरंतर काम कर रहा है।।

प्रधानमंत्री ने लड़कियों की शादी की उम्र बदलने के सरकार के हाल के फैसले के बारे में चर्चा करते हुए कहा, कि "हमने तय किया है कि बेटियों की शादी की उम्र भी वही होनी चाहिए, जिस उम्र में बेटों को शादी की इजाजत मिलती है। बेटियों की शादी की उम्र 21 साल होने से उन्हें पढ़ने के लिए पूरा समय भी मिलेगा और वो अपना कैरियर भी बना पाएंगी।" प्रधानमंत्री ने टीकाकरण की नई श्रेणियों के संबंध में हाल में की गई घोषणाओं के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ, सतर्कता के साथ, आपकी हर आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। सरकार ने तय किया है कि 15 से 18 साल के बीच के बच्चों को भी 3 जनवरी से टीका लगना शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे जो हेल्थ सेक्टर के लोग हैं, फ्रंटलाइन वर्कर हैं, वो पिछले दो साल से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश की ताकत बने हुए हैं। उन्हें भी 10 जनवरी से प्री-कॉशन डोज देने का काम शुरू होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।

वाइस एडमिरल पुनीत ने भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट के रूप में कार्यभार ग्रहण किया

वाइस एडमिरल पुनीत के. बहल ने एझिमाला में भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट के रूप में पदभार ग्रहण किया। फ्लैग ऑफिसर पुनीत 1 जुलाई 1984 को भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे। श्री बहल राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़कवासला के पूर्व छात्र हैं।

उन्होंने डीएसएससी वेलिंगटन में स्टाफ कोर्स किया है और वे मुंबई के कॉलेज ऑफ नेवल वॉरफेयर से नेवल हायर कमांड कोर्स भी कर चुके हैं। पुनीत बहल अनुभवी समुद्री टोही पायलट हैं और उन्होंने छह अलग-अलग प्रकार के विशेष विमान उड़ाए हैं। उनके परिचालन अनुभव में ऑपरेशन ताशा और ऑपरेशन विजय के दौरान उड़ान संचालन में उनकी सक्रिय भागीदारी भी शामिल है। वे नौसैनिक पोत के एक योग्य गोताखोर भी हैं।

पुनीत ने चुनौतिपूर्ण परिचालन, कर्मचारियों एवं प्रशिक्षण कार्यों की एक विस्तृत श्रृंखला का आयोजन किया है। उड़ान ड्यूटी के दौरान उनका कार्यकाल आईएनएस गरुड़, आईएनएस राजाली, एएफएस येलहंका और सीजीएएस 700 में रहा है, जबकि पोत के लिए उन्होंने आईएनएस विक्रांत, बेतवा, गोदावरी, सुजाता और पोरबंदर पर कार्य किया है। उनके प्रशिक्षण और स्टाफ असाइनमेंट में डीएसएससी वेलिंगटन तथा जेडीएनएएस (विमानन योजना) में नौसेना मुख्यालय में निर्देशन स्टाफ के रूप में कार्य करना शामिल है, जहां उन्होंने विमान को शामिल करने की गतिविधियों को सफलतापूर्वक आयोजित किया और नौसेना विमानन परिप्रेक्ष्य एवं बुनियादी ढांचा योजनाओं का मसौदा तैयार किया।

भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर सोमालिया के प्रधानमंत्री बर्खास्त

सोमालिया के राष्ट्रपति मोहम्मद फरमाजो ने भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री मोहम्मद हुसैन रोबल को उनके पद से हटा दिया है। रोबल के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच जारी है। फरमाजो ने कहा कि रोबल पर भ्रष्टाचार और सार्वजनिक भूमि के दुरुपयोग में शामिल होने का आरोप है। उन्होंने एक दिन पूर्व रोबल पर चुनावी प्रक्रिया को नाकाम बनाने का आरोप भी लगाया। फरमाजो ने कहा, प्रधानमंत्री के काम और शक्तियों को एक जांच होने तक निलंबित किया गया है और उनकी जगह महदी मोहम्मद गुलेद कार्यवाहक प्रधानमंत्री होंगे।

= खाड़ी क्षेत्र में =

आईएनएस सुदर्शनी की तैनाती

नौवहन प्रशिक्षण जलपोत आईएनएस सुदर्शनी को क्षेत्र में मित्र नौसेनाओं के साथ समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिये भारतीय नौसेना की कोशिशों के एक हिस्से के रूप में खाड़ी में तैनात किया गया। एक माह जारी रहने वाली तैनाती के दौरान जहाज ने मस्कट, दुबई और बंदर अब्बास में बंदरगाहों पर लंगर डालकर मुलाकातें कीं और शाही ओमान नौसेना, संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना तथा ईरान की नौसेना के साथ पेशेवराना बातचीत की। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में बनाये गये जहाज ने स्वदेशी पोत निर्माण की क्षमता का प्रदर्शन किया और खाड़ी देशों के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंधों को याद किया। तैनाती के दौरान जलपोत ने विभिन्न अभ्यासों का आदान-प्रदान किया। साथ ही शाही ओमान नौसेना और ईरानी नौसेना के प्रशिक्षुओं को नौवहन प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस दौरान बीच समुद्र में भी अभ्यास किया गया।

मिशन सागर : मिशन सागर के तहत मई 2020 से भारतीय नौसेना द्वारा की गई एक और तैनाती के हिस्से के रूप में, भारतीय नौसेना के जहाज केसरी ने विगत 25 दिसंबर को मोजाम्बिक के मापुटो

बंदरगाह में प्रवेश किया। यह क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के माननीय प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप ऐसी आठवीं तैनाती है और विदेश मंत्रालय तथा भारत सरकार की अन्य एजेंसियों के साथ घनिष्ठ समन्वय में संचालित की जा रही है।

ये तैनातियां भारत के विस्तारित समुद्री पड़ोस के साथ एकजुटता में की गई और ये इन विशेष संबंधों को भारत द्वारा दिए गए महत्व को रेखांकित करती हैं। वर्तमान में जारी सूखे और महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिए मोजाम्बिक सरकार के प्रयासों का समर्थन करने के लिए आईएनएस केसरी द्वारा 500 टन खाद्य सहायता भेज दी गई है। भारत मोजाम्बिक के सशस्त्र बलों के क्षमता निर्माण प्रयासों की सहायता करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। इसके लिए आईएनएस केसरी मोजाम्बिक के सशस्त्र बलों को सुपुर्द करने के लिए दो फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट और आत्मरक्षा उपकरण ले जा रहा है। एक लैंडिंग शिप टैंक (बड़ा) आईएनएस केसरी ने मई-जून 2020 में मालदीव, मॉरीशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस को मानवीय और चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए इसी तरह का मिशन शुरू किया था, जिसमें विभिन्न स्थानों पर भारतीय नौसेना की चिकित्सा सहायता टीमों की तैनाती भी शामिल थी। मई 2020 से, भारतीय नौसेना ने सागर मिशन के तहत 15 मित्र देशों में जहाजों को तैनात किया है। समुद्र में 215 दिनों से अधिक समय में की गई इन तैनातियों ने कुल मिलाकर 3,000 मीट्रिक टन से अधिक खाद्य सहायता, 300 मीट्रिक टन से अधिक एलएमओ, 900 ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर और 20 आईएसओ कंटेनरों की सहायता प्रदान की है। इन मिशनों के संचालन के दौरान, भारतीय नौसेना के जहाजों ने लगभग 40,000 एनएम की कुल दूरी तय की है जो पृथ्वी की परिधि की लगभग दोगुनी है। इतनी अधिक मात्रा में मानवीय सहायता के समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचाने के दृढ़ इरादे के साथ, भारतीय नौसेना के जहाजों और तट संगठनों के कर्मियों ने विदेशों में हमारे मित्रों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए लगभग दस लाख मानव-घंटे का निवेश किया है।

सुशासन सूचकांक-2021

केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने सुशासन दिवस के अवसर पर जारी किया सूचकांक

केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में सुशासन दिवस के अवसर पर सुशासन सूचकांक-2021 जारी किया। सुशासन दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में श्री अमित शाह ने कहा कि जनता लंबे समय से सुशासन की प्रतीक्षा कर रही थी, इस काम को पिछले सात वर्षों में नरेन्द्र मोदी सरकार ने पूरा किया है। उन्होंने आगे कहा कि 2014 के बाद से लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बढ़ा है, क्योंकि उन्हें मोदी सरकार के किए गए विकास कार्यों का लाभ मिलना शुरू हो गया है।

इस सूचकांक को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग

(डीएआरपीजी) ने तैयार किया है। 10 क्षेत्रों को कवर करते हुए गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा सम्मिलित रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर हैं। जीजीआई- 2021 के अनुसार जीजीआई 2019 संकेतकों पर गुजरात ने 12.3 फीसदी और गोवा ने 24.7 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की है। गुजरात ने 10 में से 5 क्षेत्रों में शानदार प्रदर्शन किया है। इनमें आर्थिक शासन, मानव संसाधन विकास,

- **सुशासन सूचकांक 2020-21 में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को चार श्रेणियों में बांटा गया है। ये श्रेणी हैं: (i) अन्य राज्य - समूह ए, (ii) अन्य राज्य - समूह बी, (iii) उत्तर-पूर्व व पहाड़ी राज्य और (iv) केंद्र शासित प्रदेश।**
- **सुशासन सूचकांक (जीजीआई) 2021 के ढांचे में दस क्षेत्र और 58 संकेतक शामिल किए गए हैं। जीजीआई 2020-21 के क्षेत्र हैं : 1) कृषि और संबद्ध क्षेत्र, 2) वाणिज्य और उद्योग, 3) मानव संसाधन विकास, 4) सार्वजनिक स्वास्थ्य, 5) सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और उपयोगिताएं, 6) आर्थिक शासन, 7) समाज कल्याण और विकास, 8) न्यायिक और सार्वजनिक सुरक्षा, 9) पर्यावरण और 10) नागरिक-केंद्रित शासन।**

सार्वजनिक बुनियादी ढांचा व उपयोगिताएं, सामाजिक कल्याण व विकास और न्यायिक व सार्वजनिक सुरक्षा हैं। वहीं, महाराष्ट्र ने कृषि व संबंध क्षेत्र, मानव संसाधन विकास, सार्वजनिक बुनियादी ढांचा व उपयोगिताएं और सामाजिक कल्याण व विकास में प्रभावी प्रदर्शन किया है। गोवा ने कृषि व संबद्ध क्षेत्र, वाणिज्य व उद्योग, सार्वजनिक बुनियादी ढांचा व उपयोगिताएं, आर्थिक शासन, सामाजिक कल्याण व विकास और पर्यावरण के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन किया है। सुशासन सूचकांक- 2021 रिपोर्ट www.darpg.gov.in पर उपलब्ध है।

न्यूयॉर्क में नरसंवाद पब्लिक हेल्थ क्राइसिस घोषित

न्यूयॉर्क में नरसंवाद को पब्लिक हेल्थ क्राइसिस घोषित किया गया है। न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने हेल्थ केयर सिस्टम में बदलाव करते हुए कई कानून मंजूर किए हैं। गवर्नर ने यह कदम एक रिपोर्ट के बाद उठाया है। रिपोर्ट के अनुसार न्यूयॉर्क में रहने वाली अश्वेत गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दर श्वेत गर्भवती महिलाओं की तुलना में आठ गुना ज्यादा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना के दौरान अश्वेतों और अन्य नस्लीय अल्पसंख्यकों के साथ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में भेदभाव किया गया था। अश्वेत महिलाओं को समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं मिल पातीं।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित, फोटो : गूगल से साभार)

मास्क पहनें और भीड़-भाड़ से रहें दूर, कोरोना से बचने का टीका लगवायें जरूर।

सुरक्षित मातृत्व आश्वासन

सुमन

suman.nhp.gov.in

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार

आज़ादी का अमृत महोत्सव

मध्यप्रदेश शासन

NATIONAL HEALTH MISSION
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

आदर सम्मान के साथ
मुफ्त उपचार
सुमन के साथ
मिलेंगी खुशियाँ अपार

श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

श्री शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

- ऐम्बुलेंस सेवा - 108
- कम से कम 4 प्रसव पूर्व जाँच सेवा
- डिलीवरी नार्मल या ऑपरेशन (सी-सेक्शन) से
- माँ के लिए लैब टेस्ट, दवाएं (गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के 6 महीने बाद तक) और शिशु के लिए (1 साल तक)
- आदर सम्मान के साथ देखभाल
- शिकायत एवं सुझाव हेतु जिला सुमन हेल्प डेस्क की सुविधा जिला अस्पताल में उपलब्ध

सुरक्षित मातृत्व आश्वासन "सुमन" अभियान
के अंतर्गत निःशुल्क सुविधाओं का लाभ उठाएं।

शिकायत निवारण सुविधा
टोल-फ्री नंबर -104

अधिक जानकारी के लिए आशा कार्यकर्ता अथवा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता से सम्पर्क करें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश

M.P. Madhyam/103129/R-45413/2021

स्वामी "मध्यप्रदेश माध्यम" की ओर से प्रकाशक, मुद्रक राघवेन्द्र कुमार सिंह, मध्यप्रदेश माध्यम 40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल, भोपाल-462011 (म.प्र.) से प्रकाशित एवं डी.वी. कार्प द्वारा दैनिक भास्कर, प्लाट नंबर-10, सेक्टर-बी, गोविंदपुरा, भोपाल से मुद्रित। सम्पादक - पुष्पेन्द्र पाल सिंह।